April to June 2025
E-Journal
Volume I, Issue L (50)

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Scientific Journal Impact Factor -8.054
ISO 9001:2015 (QMS) : E2024049304
(Quality Management Systems)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

Index

01. Index 02
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 08/09
03. Referee Board 10
04. Spokesperson 12
05. Chemical Composition and Applications of the Banana Tree (Akhilesh Chandra Verma) 14
06. Obligations for the Maintenance of Wives and Children in Hindu Family Law 16
(Prof. (Dr.) Bijay Kumar Yadav)
07. Integration of Foreign Communities into Ancient Indian Religions and Culture: An Analytical 19
Study (Dr. Ashish Kumar Chachondia)
08. Impact of Solar Energy in Sustainable Development of India 23
(Shikha Gupta, Dr. Mahesh Gupta)
09. India and Retail Business (Dr. Sarojini Topno) 28
10. The Interplay of Policy Frameworks and Public-Private Collaborations in Fostering 30
Sustainable Tourism: An Empirical Study of Kashmir's Tourism Sector (Rahul Kumar Jha)
11. Determinants of Buying Behaviour in Organised and Unorganised Retail Sector 33
(Dr. Rajan Devi Negi)
12. Science, Technology and Society (Akhilesh Chandra Verma) 38
13. Biotechnology Patenting: An Indian Perspective (Shivani Chaurasia) 43
14. कृषि उपज मंडी समितियों का वित्तीय एवं संरचनात्मक अध्ययन (छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में) 47
(डॉ. आकांक्षा राठौर)
15. प्राचीन भारतीय राज्यव्यवस्था में मंत्रिपरिषद की उपयोगिता वर्तमान संदर्भ में (डॉ. जे. के. संत) 50
16. भारत में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण में संविधान की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन 53
(विजय लक्ष्मी जोशी)
17. उच्च शिक्षण संस्थानों का स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान मध्य प्रदेश के मालवा के आगर मालवा एवं 57
निमाड़ के खरगोन क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में (डॉ. मितेश चौधरी, सपना सोनी)
18. भूमि उपयोग परिवर्तन का मूल्यांकन एवं उसका भोपाल महानगरीय उपातं की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर प्रभाव 62
(डॉ. दुर्गेश कुर्मी)
19. बाल मनोविज्ञान पर आधारित वैज्ञानिक बोध : समकालीन हिंदी बाल कथा साहित्य के संदर्भ में 69
(गीतांजली कोलीवाल, डॉ. ज्योति यादव)
20. ई-कॉमर्स और मानव संसाधन प्रबंधन (डॉ. मोनिका जैन, संजय सिंह गहलोत) 74
21. मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 में अनुसूचित जातियों के मतदान व्यवहार का वर्णनात्मक अध्ययन : 77
उज्जैन उत्तर विधानसभा एवं उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विशेष संदर्भ में (रवि दायमा)
22. भारत में महिलाओं का मानसिक सशक्तिकरण: एक अध्ययन (डॉ. आभा सैनी) 80
23. आँसू का शैलीवैज्ञानिक अध्ययन (डॉ. निशा शुक्ला तिवारी) 83
24. कथाकार शिवानी के कथा साहित्य में सामाजिक समस्याएँ वर्तमान परिवेश में प्रासंगिकता 87
(रेखा शर्मा, डॉ. संध्या बिसेन)

25. मनोविश्लेषणवाद और आधुनिक समाज (ऋतू धूरिया, डॉ. संध्या बिसेन) 90

26. प्रेमचंद की कहानियों में नारी अध्ययन (किरण ठाकुर, डॉ. संध्या बिसेन) 94

27. The Evolution of Online Shopping and Its Psychological Impact on Consumer Behavior 97
(Varsha Shende, Dr. Munesh Thakre)

28. जैव विविधता का महत्व एवं संरक्षण (डॉ. धर्मेन्द्र पाटीदार) 100

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
18. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. Shaheed Kedarnath College, Mauganj (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. A. K. Pandey - HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

Referee Board

Maths - (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)

Physics - (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)

Computer Science - (1) Prof. Dr. Umesh Kr. Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)

Chemistry - (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)

Botany - (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
(3) Prof. Dr. Jolly Garg,HOD, D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.)

Life Science - (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
- (2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)

Statitics - (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)

Military Science - (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)

Biology - (1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)

Geology - (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)

Medical Science - (1) Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)

Microbiology Sci. - (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)

***** Commerce *****

Commerece - (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
(4) Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)

***** Management *****

Management - (1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)

Human Resources - (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)

Business Admin. - (1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
(2) Dr. Kuldeep Agnihotri, Modern Group of Institutions, Indore (M.P.)

***** Law *****

Law - (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
(3) Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.)
(4) Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)

***** Arts *****

Economics - (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
(4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)

Political Science - (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)

Philosophy - (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)

Sociology - (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi -	**(1)**	**Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)**
	(2)	**Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)**
	(3)	**Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)**
	(4)	**Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)**
	(5)	**Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)**
English -	**(1)**	**Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)**
	(2)	**Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)**
Sanskrit -	**(1)**	**Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)**
	(2)	**Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)**
History -	**(1)**	**Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)**
Geography -	**(1)**	**Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)**
	(2)	**Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)**
Psychology -	**(1)**	**Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)**
	(2)	**Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)**
Drawing -	**(1)**	**Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)**
	(2)	**Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)**
	(3)	**Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)**
Music/Dance -	**(1)**	**Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)**
	(2)	**Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)**

******* Home Science *******

Diet/Nutrition Science -	**(1)**	**Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)**
	(2)	**Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)**
	(3)	**Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)**
Human Development -	**(1)**	**Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)**
	(2)	**Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)**
Family Resource Management -	**(1)**	**Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)**
	(2)	**Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)**

******* Education *******

Education -	**(1)**	**Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)**
	(2)	**Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)**
	(3)	**Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)**
	(4)	**Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)**
	(5)	**Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)**

******* Architecture *******

Architecture -	**(1)**	**Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)**

******* Physical Education *******

Physical Education -	**(1)**	**Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)**
	(2)	**Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)**
	(3)	**Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)**

******* Library Science *******

Library Science -	**(1)**	**Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)**

Spokesperson's

1.	Prof. Dr. Davendra Rathore	-	Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2.	Prof. Smt. Vijaya Wadhwa	-	Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3.	Dr. Surendra Shaktawat	-	Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4.	Prof. Dr. Devilal Ahir	-	Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5.	Shri Ashish Dwivedi	-	Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6.	Prof. Manoj Mahajan	-	Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7.	Shri Umesh Sharma	-	Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8.	Prof. Dr. S.P. Panwar	-	Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9.	Prof. Dr. Puralal Patidar	-	Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10.	Prof. Dr. Kshitij Purohit	-	Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11.	Prof. Dr. N.K. Patidar	-	Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12.	Prof. Dr. Y.K. Mishra	-	Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13.	Prof. Dr. Suresh Kataria	-	Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14.	Prof. Dr. Abhay Pathak	-	Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15.	Prof. Dr. Malsingh Chouhan	-	Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16.	Prof. Dr. Gendalal Chouhan	-	Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17.	Prof. Dr. Prabhakar Mishra	-	Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18.	Prof. Dr. Prakash Kumar Jain	-	Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19.	Prof. Dr. Kamla Chauhan	-	Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20.	Prof. Abha Dixit	-	Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21.	Prof. Dr. Pankaj Maheshwari	-	Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22.	Prof. Dr. D.C. Rathi	-	Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23.	Prof. Dr. Anita Gagrade	-	Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24.	Prof. Dr. Sanjay Pandit	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25.	Prof.Dr. Rambabu Gupta	-	Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26.	Prof. Dr. Anjana Saxena	-	Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27.	Prof. Dr. Sonali Nargunde	-	Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28.	Prof. Dr. Bharti Joshi	-	Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29.	Prof. Dr. M.D. Somani	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30.	Prof. Dr. Priti Bhatt	-	Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31.	Prof. Dr. Sanjay Prasad	-	Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32.	Prof. Dr. Meena Matkar	-	Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33.	Prof. Dr. Mohan Waskel	-	Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34.	Prof. Dr. Nitin Sahariya	-	Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35.	Prof. Dr. Manju Rajoriya	-	Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36.	Prof. Dr. Shahjad Qureshi	-	Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37.	Prof. Dr. Shail Bala Sanghi	-	Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38.	Prof. Dr. Praveen Ojha	-	Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39.	Prof. Dr. Omprakash Sharma	-	Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40.	Prof. Dr. S.K. Shrivastava	-	Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41.	Prof. Dr. Anoop Moghe	-	Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42.	Prof. Dr. Hemlata Chouhan	-	Govt. College, Badnagar (M.P.)
43.	Prof. Dr. Maheshchandra Gupta	-	Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44.	Prof. Dr. Mangla Thakur	-	Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45.	Prof. Dr. K.R. Kumhekar	-	Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46.	Prof. Dr. R.K. Yadav	-	Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47.	Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta	-	Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48.	Prof. Dr. Hemsingh Mandloi	-	Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49.	Prof. Dr. Prabha Pandey	-	Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50.	Prof. Dr. Rajesh Kumar	-	Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51.	Prof. Dr. Ravendra singh Patel	-	Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52.	Prof. Dr. Manoharlal Gupta	-	Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53.	Prof. Dr. Madhusudan Prakash	-	Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54.	Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava	-	Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55.	Prof. Dr. Sunil Vajpai	-	Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56.	Prof. Dr. B.S. Sisodiya	-	Govt. P.G. College, Dhar (M.P
57.	Prof. Dr. Shashi Prabha Jain	-	Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58.	Prof. Dr. Niyaz Ansari	-	Govt. Aadarsh College, Umaria (M.P.)
59.	Prof. Dr. ArjunSingh Baghel	-	Govt. College, Harda (M.P.)
60.	Dr. Suresh Kumar Vimal	-	Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61.	Prof. Dr. Amar Chand Jain	-	Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62.	Prof. Dr. Rashmi Dubey	-	Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63.	Prof. Dr. A.K. Jain	-	Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64.	Prof. Dr. Sandhya Tikekar	-	Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65.	Prof. Dr. Rajiv Sharma	-	Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66.	Prof. Dr. Rashmi Srivastava	-	Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67.	Prof. Dr. Laxmikant Chandela	-	Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68.	Prof. Dr. Balram Singotiya	-	Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69.	Prof. Dr. Vimmi Bahel	-	Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70.	Dr. Aprajita Bhargava	-	R.D.Public School, Betul (M.P)
71.	Prof. Dr. Meenu Gajala Khan	-	Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
72.	Prof. Dr. Pallavi Mishra	-	Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73.	Prof. Dr. N.P. Sharma	-	Govt. College, Datia (M.P.)
74.	Prof. Dr. Jaya Sharma	-	Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75.	Prof. Dr. Sunil Somwanshi	-	Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76.	Prof. Dr. Ishrat Khan	-	Govt. College, Raisen (M.P.)
77.	Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi	-	Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78.	Prof. Dr. Bhawana Thakur	-	Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79.	Prof. Dr. Keshavmani Sharma	-	Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80.	Prof. Dr. Renu Rajesh	-	Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81.	Prof. Dr. Avinash Dubey	-	Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82.	Prof. Dr. V.K. Dixit	-	Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83.	Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma	-	M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84.	Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri	-	Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85.	Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla	-	Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86.	Prof. Dr. Anoop Parsai	-	Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
87.	Prof. Dr. Anil Kumar Jain	-	Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88.	Prof. Dr. Kavita Bhadiriya	-	Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89.	Prof. Dr. Archana Vishith	-	Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90.	Prof. Dr. Kalpana Parikh	-	S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91.	Prof. Dr. Gajendra Siroha	-	Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92.	Prof. Dr. Krishna Pensia	-	Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93.	Prof. Dr. Pradeep Singh	-	Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94.	Prof. Dr. Smriti Agarwal	-	Research Consultant, New Delhi

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Chemical Composition and Applications of the Banana Tree

Akhilesh Chandra Verma*

***Department of Chemistry, Government Naveen College, Kui-Kukdur, Kabirdham (C.G.) INDIA**

Abstract: The banana tree (*Musa spp.*), commonly known for its fruit, is a chemically rich plant with diverse applications in agriculture, medicine, and industry. This paper explores the banana tree's constituents—including the fruit, peel, pseudo stem, leaf, and root—from a chemical perspective. Each part contains valuable organic compounds such as polyphenols, flavonoids, cellulose, lignin, starch, and various bioactive phytochemicals. By understanding these chemical properties, we can better utilize the banana tree for bioplastics, textiles, natural dyes, biofertilizers, pharmaceuticals, and waste management. This study highlights the potential for sustainable and value-added applications rooted in the tree's biochemistry.

Introduction - The banana tree is not just a source of edible fruit but also a valuable biomass resource. It grows in tropical and subtropical regions and is rich in bioorganic compounds. A chemist's interest lies in the diverse chemical compounds present in different parts of the plant, which offer possibilities for green chemistry, sustainable development, and functional material synthesis.

Chemical Composition Of Banana Tree Parts

Banana Fruit

Carbohydrates: Mainly sucrose, glucose, and fructose. Ripe bananas are ~22% carbohydrates.

Starch: Unripe bananas are rich in resistant starch (~70-80% of dry matter).

Vitamins & Minerals: High in potassium, magnesium, and vitamin B6.

Phenolic Compounds: Catechins, gallic acid, and dopamine with antioxidant properties.

Banana Peel

Lignocellulosic Material: Contains cellulose (~10-15%), hemicellulose (~6-10%), and lignin (~12-20%).

Polyphenols & Flavonoids: Useful in natural antioxidant and antimicrobial formulations.

Pectin: Important for biodegradable film formation.

Tannins and Alkaloids: Provide astringency and medicinal potential.

Banana Pseudostem

Cellulose and Hemicellulose: Excellent fiber source, used in biodegradable textiles.

Starch and Sugars: Used for bioethanol production.

Ash and Silica: Impart strength to the fibers; used in composite materials.

Water Content: ~90%, which makes it ideal for juice and pulp-based extraction for chemicals.

Banana Leaves

Polyphenols and Flavonoids: Used in traditional medicine and antioxidant research.

Waxy Cuticle: Provides a hydrophobic layer for natural packaging materials.

Proteins and Chlorophylls: Offer scope for natural dye and pigment extraction.

Roots

Phytochemicals: Alkaloids, saponins, and glycosides with anti-inflammatory properties.

Absorption Elements: Capable of metal uptake, useful in phytoremediation.

Applications Based On Chemical Composition

Bioplastics and Packaging

Pectin and starch from peels and pseudostems are processed into biodegradable plastics.

Lignocellulosic fibers are blended with polymers for strength enhancement.

Bioethanol and Biogas Production

Fermentation of banana pseudostem juice and peel starch can yield ethanol.

Anaerobic digestion of waste biomass provides methane for energy.

Water Purification

Banana peel powder binds heavy metals (Pb^2z , Cd^2z , Crv z) through functional groups such as hydroxyls and carboxyls.

Lignin and pectin complexes serve as low-cost adsorbents.

Medicinal and Cosmetic Use

Dopamine and serotonin from the fruit and peel help in neuroprotective applications.

Antioxidant compounds from leaves and peels are used in skincare.

Natural Dyes and Pigments

Banana leaves and stems yield chlorophyll-based green pigments.

Peel extracts are used as pH-sensitive natural indicators.

Conclusion: From fruit to root, the banana tree offers a wealth of chemical compounds that support multiple industries. The chemical richness—especially in starches, lignocellulosic fibers, and polyphenols—makes the banana tree an ideal subject for sustainable chemistry research. Continued exploration can unlock newer applications in biopolymer development, nanomaterials, green fuels, and environmental remediation.

References :-

1. M. Happi Emaga, R. Andrianaivo, M. Paquot, J. T. Tchango, and B. Wathelet (2007) "Effects of the stage of maturation and varieties on the chemical composition of banana and plantain peels." Food Chemistry, 103(2), 590–600.DOI: 10.1016/ j.foodchem.2006.09.006
2. D. Mohapatra, S. Mishra, and N. Sutar (2010)"Banana and its by-product utilization: An overview."Journal of Scientific and Industrial Research (JSIR), 69, 323–329.Available at: http://nopr.niscpr.res.in/handle/ 123456789/8897
3. B. S. Padam, H. S. Tin, F. Y. Chye, and M. I. Abdullah (2014)"Banana by-products: an under-utilized renewable food biomass with great potential."Journal of Food Science and Technology, 51(12), 3527–3545.DOI: 10.1007/s13197-012-0861-2
4. M. G. Kulkarni, J. A. Staden (2013)"Plant-derived smoke: Old technology with possibilities for economic applications in agriculture and horticulture."South African Journal of Botany, 84, 138–144.DOI: 10.1016/ j.sajb.2012.10.014
5. R. A. Kareem, A. O. Sulaimon, and O. O. Balogun (2017)"Utilization of banana (Musa spp.) peels and stalks as bioadsorbents for removal of heavy metals in industrial wastewater."Journal of Applied Sciences and Environmental Management, 21(3), 491–495.DOI: 10.4314/jasem.v21i3.21
6. L. M. S. Larrauri, E. Rupérez, and F. Saura-Calixto (1997)"Effect of drying temperature on the stability of polyphenols and antioxidant activity of red grape pomace peels."Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(4), 1390–1393.DOI: 10.1021/jf960282f
7. K. Hossain, M. M. Rahman, and N. Nahar (2015)"Characterization of Banana (Musa spp.) Pseudostem and its Fiber for Biocomposite Development." International Journal of Engineering and Technology, 7(3), 227–232.Available at: https:// www.enggjournals.com/ijet/docs/IJET15-07-03-076.pdf
8. Nandhini, M. Prakash (2014)"Study on biochemical constituents of banana pseudostem juice and its potential as a functional food ingredient." International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 3(4), 884–891.Available at: https://www.ijcmas.com/ vol-3-4/A.Nandhini%20and%20M.Prakash.pdf
9. M. A. Hossain, M. I. Hossain, et al. (2014) "Utilization of Banana Peels in the Production of Bioethanol." International Journal of Engineering and Technology, 4(3), 89–94.Available at: http://www.ijetch.org/papers/ 669-C00003.pdf
10. M. A. Mohamed, A. M. El-Sherbiny (2019)"Preparation and characterization of biodegradable banana starch-based films reinforced with cellulose nanocrystals." International Journal of Biological Macromolecules, 128, 750–758.DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2019.01.113

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Obligations for the Maintenance of Wives and Children in Hindu Family Law

Prof. (Dr.) Bijay Kumar Yadav*

***Dean (Law) IIMT College of Law, Greater Noida (U.P.) INDIA**

Abstract - This abstract explores the legal obligations for the maintenance of wives and children under Hindu family law, emphasizing the statutory and judicial frameworks that ensure financial support for dependents.

The Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956, serve as the cornerstone of these provisions, delineating the rights of wives and children to receive maintenance and the corresponding duties of husbands and parents to provide it. Additionally, Section 125 of the Code of Criminal Procedure offers a summary remedy for maintenance across all religions, further reinforcing these obligations. This paper examines the scope of maintenance, including the factors influencing the determination and enforcement of maintenance orders, such as financial capacity, standard of living, and special circumstances.

It also highlights the significance of these legal provisions in upholding the social and moral responsibilities within Hindu families, ensuring the well-being and dignity of wives and children. Through a detailed analysis of statutory laws, judicial precedents, and practical implications, this study aims to provide a comprehensive understanding of the maintenance obligations in Hindu family law.

Keywords:IPC,CRPC,HAMA,NHRC.

Introduction - Maintenance refers to payments which are a husband is under an obligation to make a wife either during the subsistence of the marriage or upon separation or divorce under criteria , circumstances . The liability of the husband flows from the bond of matrimony. A wife is entitled to claim maintenance. Under the personal laws as well as under the provision of the Code of Criminal Procedure 1973. In Hindu law, the maintenance of wife and children is a fundamental concept that ensures the well-being and financial support of family members who are dependent. The provisions regarding maintenance are enshrined in various statutes, with the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956, being the cornerstone. This article explores the legal framework, rights, and obligations related to the maintenance of wife and children under Hindu law.

Hindu Law

The Hindu law: There are two statistics which provide for maintenance via the Hindu Marriage Act 1955, and the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956.

Hindu Marriage Act : Section 24 of the act state Maintenance a pendent like and expense of proceeding shall , as far as possible , be disposed of within sinty days from the date of service of notice on the wife or the husband as the case may be. Passing an ex part decree in favour of a husband who does not comply with the Maintenance order "would be nothing but doing nothing but doing mockery with the procedure provide for that purpose ". The court held The Shashikala Pandey V. Ramesh Pandey a husband obtained a decree of divorce on the ground of wife mental disorder. The wife filed an appeal against the trial court order she also filed in application for maintenance pendente lite under sec 24 which was ordered. However is view of his deliberate non- compliance of this order , not only was his defence against wife appeal stuck down but also the divorce decree was set aside by allowing the wife appeal.

Hindu Adoption and Maintenance Act (HAMA)

A Hindu wife has the advantage of an additional statistics HAMA . Under section 18of this Act a Hindu wife is entitled to live separately from his husband without forfeiting her claim to maintenance provided his separate living is justified means that the husband:

1. Is guilty of desertion?
2. Has treats has with cruelty?
3. Is suffering from a virulent form of leprosy?
4. Has any other wife living?
5. Keep s combine in same home, as a living or habitually reside with a combine elsewhere?

Literature Review

To gain a comprehensive understanding of the maintenance of wife and children in Hindu law, several authoritative texts and reference books provide detailed analysis and insights. Here are some highly recommended books:

1. "Hindu Law: Principles and Precedents" by N.R. Raghavachariar.This book provides an in-depth analysis of Hindu law, including maintenance. It covers the principles and judicial precedents that shape the maintenance rights and obligations under Hindu law.
2. "Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956" by J.D. Jain. A detailed commentary on the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956, offering insights into each provision of the Act with relevant case law.
3. "Family Law in India" by Paras Diwan. Paras Diwan's book is a comprehensive resource on family law in India, including the maintenance of wives and children. It discusses statutory provisions, case law, and practical aspects of family law.
4. "Family Law Lectures: Family Law I" by Dr. Kusum: This book is a part of the Family Law Lectures series and provides detailed coverage of family law topics, including maintenance. Dr. Kusum offers a thorough examination of the legal principles and their applications.
5. "Introduction to Hindu Law" by B.M. Gandhi:B.M. Gandhi's book serves as an introduction to Hindu law, covering various aspects, including the maintenance of wives and children. It provides historical context and modern interpretations of the law.
6. "Hindu Law and Usage" by John D. Mayne:This classic text offers a detailed exploration of Hindu law, including customs and usage related to maintenance. It is considered a foundational resource for understanding the traditional aspects of Hindu law.
7. "Mulla's Principles of Hindu Law" by Satyajeet A. Desai :Mulla's Principles of Hindu Law is a comprehensive legal text that covers various aspects of Hindu law, including maintenance. It is widely referenced by legal professionals and scholars.
8. "Law of Maintenance: Principles and Practice" by Dr. S.P. Srivastava:This book provides an extensive examination of the law of maintenance in India, covering statutory provisions, judicial interpretations, and practical applications.
9. "Law Relating to Women and Children" by Mamta Rao:Mamta Rao's book discusses the legal provisions related to women and children, including maintenance laws. It provides a gender perspective and covers relevant case law and statutory provisions.
10. "Modern Hindu Law" by Ramesh Chandra Nagpal:This book offers a modern perspective on Hindu law, including the maintenance of wives and children. It covers recent developments and judicial trends in the field.

These books offer a range of perspectives, from traditional interpretations to modern applications of Hindu law regarding maintenance. They are invaluable resources for students, legal practitioners, and anyone interested in understanding the nuances of family law in the Hindu context.

Legal Framework

1. Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 (HAMA): This act is the primary legislation that governs the maintenance of wives, children, and other dependents in Hindu law. It specifies the rights of individuals to claim maintenance and the corresponding duties of those obligated to provide it.

2. Section 18 of HAMA: This section deals specifically with the maintenance of wives. It entitles a Hindu wife to be maintained by her husband during her lifetime, unless she is unchaste or converts to another religion.

3. Section 20 of HAMA: This section outlines the maintenance of children and aged parents. It mandates that a Hindu is legally bound to maintain his or her legitimate or illegitimate minor children and aged or infirm parents.

4. Section 125 of the Code of Criminal Procedure (CrPC): While not specific to Hindu law, Section 125 CrPC provides a summary remedy for the maintenance of wives, children, and parents across all religions. It is frequently invoked for quick relief in maintenance cases.

Maintenance Of Children: The obligation of parent to maintenance children arises both out of blood relationships as well as moral duty which is reinforcing by statutory provision almost every society recognizes. The duty of a parent is to maintain his child so long as he is minor or unable to maintain himself. The degree and extent of such obligation varies from society to society and from time to time.

Children in India are entitled to be maintained under the two set of laws via (i) The personal laws and (ii) The secular law which is code of criminal procedure 1973.

Hindu Law: There are two personal laws state to amongst the Hindu where under children entitled to claim maintenance. These are the Hindu Marriage Act 1955 and the Hindu Adoption Act and Maintenance Act 1956.

Hindu Marriage Act 1955: The Hindu Marriage Act 1955 is primarily a states governing matrimonial relation and providing to parties but children bring an integral component of Matrimonial Act makes provision to safeguard to interst of the children of marriage section 26 of the act says.

Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 section 20 of the act s20 Maintenance of Children:

1. Hindu is bound during his or her lifetime to maintain his or her legitimate or illegitimate of children.
2. A legitimate or illegitimate child may claim maintenance from his or her father or another so long as the child is minor.
3. The obligation of a person to maintain his or her children or her daughter who is unmarried extends in so far as the unmarried daughter is unable to maintain herself her own earning or other property.

Maintenance under Sec 3(B) of the Act include-

1. In all provision for food, clothing,residence, educations and medical attendance and treatment.

2. In the case of unmarried daughter, also the reasonable expenses of an individual to her marriage.

Thus, it is clear under this act

1. The obligation to maintain children lies equally on both the mother and the father.
2. Both legitimate as well as illegitimate children are entitled to Maintenance.
3. The liability of the parents extends to maintain the Children until they as minor , which is two or sec3 of this act , name a person who has not completely the age.

Maintenance Of Wife: A Hindu wife is entitled to maintenance from her husband under various circumstances:

During Matrimonial Life: A wife is entitled to be maintained by her husband throughout her lifetime. This includes the provision of food, clothing, shelter, medical care, and other necessities.

Upon Separation: If the couple separates but the marriage is not dissolved, the wife still has the right to be maintained by her husband. This is particularly relevant in cases of desertion or judicial separation.

After Divorce: Even after divorce, a Hindu wife may be entitled to maintenance, depending on the circumstances of the case and the financial status of the parties involved. The amount of maintenance is determined based on various factors, including the husband's financial capacity, the wife's needs, and the standard of living enjoyed during the marriage.

Maintenance Of Children: The maintenance of children is an essential obligation under Hindu law. This includes:

Legitimate and Illegitimate Children: Both legitimate and illegitimate children are entitled to maintenance. The obligation continues until the child reaches the age of majority. However, if the child is unable to maintain themselves due to physical or mental abnormalities or injury, the duty to maintain may extend beyond adulthood.

Education and Welfare: Maintenance covers not only basic necessities like food, clothing, and shelter but also educational expenses, healthcare, and other aspects crucial for the child's overall development.

Custody and Guardianship: Maintenance issues often arise in conjunction with custody disputes. The parent granted custody is usually entitled to claim maintenance for the child's upkeep from the non-custodial parent.

Determination and Enforcement: The determination of maintenance involves judicial discretion, taking into account various factors such as the claimant's needs, the respondent's financial status, and any special circumstances of the case. Courts aim to balance fairness and equity, ensuring that dependents are adequately provided for without unduly burdening the provider.

Enforcement of maintenance orders can be sought through civil or criminal courts. Non-compliance can lead to legal consequences, including attachment of property, fines, and even imprisonment.

Conclusion : I would like to conclude this legal research by saying that according to section 125(1) (a) of criminal proceeding code 1973 provide that if any person having sufficient means neglects or refuse to maintain his wife, who is unable to maintain herself them in such a case imagination of the first class may upon proof of such neglects or refusal order such person to pay a monthly rate which the magistrate think fit.

The wife under section 125(1)(a) means a legally married wife and can be of any age, minor or major.

However, it should always be kept in mind that there should not be any misuse of the provision. The court must apply its judicial mind every minute detail of the husband and the dependents regarding this means to livelihood and the accordingly pass or order.

The maintenance of wife and children under Hindu law underscores the importance of family support and responsibility. The legal provisions aim to ensure that dependents are not left destitute and can live with dignity. By providing a structured framework for maintenance, Hindu law upholds the social and moral obligations of family members towards each other, reflecting the enduring values of care and support in Indian society.

References:-

1. "Hindu Law: Principles and Precedents" by N.R. Raghavachariar
2. "Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956" by J.D. Jain
3. "Family Law in India" by Paras Diwan
4. "Family Law Lectures: Family Law I" by Dr. Kusum
5. "Introduction to Hindu Law" by B.M. Gandhi
6. "Hindu Law and Usage" by John D. Mayne
7. "Mulla's Principles of Hindu Law" by Satyajeet A. Desai
8. "Law of Maintenance: Principles and Practice" by Dr. S.P. Srivastava
9. "Law Relating to Women and Children" by Mamta Rao
10. "Modern Hindu Law" by Ramesh Chandra Nagpal

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Integration of Foreign Communities into Ancient Indian Religions and Culture: An Analytical Study

Dr. Ashish Kumar Chachondia*

***Assistant Professor (History) Institute for Excellence in Higher Education, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract: The article explores how ancient Indian culture absorbed multiple foreign groups such as Greeks, Shakas, Kushans, and Huns. Despite their initial invasions, many of these groups gradually adopted Indian religious and cultural practices. Indian religions—particularly Buddhism, Shaivism, and Vaishnavism—offered logical, philosophical, and inclusive traditions that appealed to foreigners, especially those from tribal or proto-religious backgrounds. However, from the medieval period onward, such integration declined due to the increasing ritualism in Indian religions and the rise of Islam and Christianity, which discouraged conversion and promoted exclusivity. The article emphasises the early flexibility and philosophical depth of Indian thought, which allowed mutual cultural assimilation. Over time, with growing rigidity and complexity, Indian religious systems lost their appeal to outsiders, ending a rich phase of cultural and religious integration by the medieval era.
Keywords - Nasadiya Sukta, polytheism, henotheism, pantheism, monotheism.

Introduction - India's cultural fabric has demonstrated remarkable resilience, enduring countless upheavals while retaining its core identity. Scholars often highlight this adaptability as a defining feature of Indian civilisation. Invading forces such as the Greeks, Kushans, Parthians, and Huns, who wreaked havoc across many ancient societies, also entered India. Yet, unlike elsewhere, they did not remain outsiders for long—instead, they gradually assimilated into the Indian way of life. This raises an intriguing question: Does Indian culture possess an innate quality that allows it to absorb and harmonise with foreign elements? While this characteristic is often celebrated, it has not been thoroughly examined from all angles. It is also important to consider whether, over time, Indian society—particularly Hindu society—began to lose its integrative capacity, or whether incoming communities themselves lacked the willingness to merge. One must delve into the broader historical context of ancient global civilisations to explore these questions.

From the dawn of human life, evidence of spiritual or supernatural belief systems begins to surface. These early beliefs likely stemmed from imaginative attempts to explain the mysterious forces of nature, evolving gradually into what scholars call proto-religions. Traces of such early religious thought are present in nearly all ancient cultures, including the Harappan civilisation, though concrete interpretations remain speculative due to limited evidence. Beyond the Indian subcontinent, ancient civilisations like Mesopotamia and Egypt developed structured polytheistic systems complete with organised priesthoods and elaborate afterlife concepts. Harappa, too, shows signs of religious life, yet the absence of decipherable texts means much remains unknown. Nonetheless, humanity's earliest spiritual impulses were deeply rooted in a desire to understand and coexist with the natural world.

With the advent of the Vedic era, Indian spiritual thought began to transition from rudimentary belief systems to a more organised and philosophical framework. The Vedic texts offer a rich tapestry of ideas, encompassing polytheism, henotheism, pantheism, and even early monotheistic concepts. Among these, the *Nasadiya Sukta* of the *Rigveda* stands out for its profound philosophical inquiry. It dares to question the origins of creation, challenging the simplistic deification of natural forces and marking a significant shift toward abstract, rational contemplation. This hymn can be seen as one of humanity's earliest efforts to seek truth beyond myth and symbolism, laying the foundation for systematic religious thought in India.

This intellectual evolution culminated in the Upanishads, which propelled Indian philosophy to its zenith. These texts explored metaphysical questions with unmatched depth, providing a robust philosophical base that later nourished a wide spectrum of Indian religious traditions and sects.

Following the sixth century BCE, India witnessed a vibrant diversification of religious and philosophical schools. In addition to Buddhism and Jainism, a variety of other sects

emerged, including atheistic, sceptical, and fatalistic movements, each seeking a space in society. Concurrently, devotional traditions such as Shaivism and Vaishnavism also gained prominence. Rooted in the Vedas and epic literature, these sects found further expression through the Puranas, which simplified rituals and practices to resonate with the masses. This democratisation of spiritual access allowed complex philosophies to be experienced through stories, symbols, and practices that were both accessible and emotionally engaging to the common people.

The diverse religious traditions and sects that evolved in India over time shared several defining features. These included distinct philosophical ideas about the nature of God or Brahman and the universe, an articulated ideology, established systems of rituals and worship, specific spiritual texts, and often a central deity or enlightened teacher who interpreted and transmitted core teachings. Over time, devotional practices also emerged as a strong and accessible alternative path to spiritual realisation. Notably, Jainism and Buddhism introduced a remarkable element—egalitarianism. Unlike the rigid varna-based exclusivity seen in mainstream Vedic traditions, these sects allowed individuals of any caste or background to become followers. While Vedic thought theoretically acknowledged such inclusivity, in practice, it was rarely implemented. Though the influence of Jain and Buddhist ideals, along with Upanishadic thought, began to influence Brahmanical traditions before the Common Era, their impact remained limited in scope.

Each of these sects developed unique spiritual paths. Jainism emphasised strict discipline, asceticism, and non-violence; Buddhism offered a practical and balanced Middle Way (*The Madhyam Marg)*; the Upanishads and Vedanta promoted the pursuit of knowledge; while Vedic religion emphasised ritual sacrifices. Mythological narratives provided a devotional route, and all of these traditions shared profound philosophical inquiries into life, death, and the afterlife. A distinctive feature of Indian religions, rarely found in contemporary world religions, was their deep-rooted logical and philosophical foundation. Furthermore, a vibrant tradition of debate and discourse flourished, helping to shape and refine religious thought.

Importantly, these Indian sects did not actively pursue conversion. Religious transformation occurs either through the intellectual appeal of scriptural truths or through an individual's awakened inner faith. As a result, the spread of these religions was often organic and based on personal conviction rather than coercion.

Some religions gained popularity more swiftly than others, depending on their accessibility and doctrinal appeal. Jainism, despite its vast philosophical framework, faced limitations due to the late compilation of its scriptures and the rigid nature of its principles, which often deterred foreigners. In contrast, Buddhism was unburdened by complex rituals and offered a clear, inclusive path, making it more approachable for both Indians and foreigners. Similarly, the *Vaishnava* and *Shaiva* traditions that emerged from the epics offered a rich blend of philosophical depth and simplified devotional practices. This made them appealing to the wider public and helped them attract followers, including those from outside India.

Based on the preceding analysis, we can assess how foreign communities accepted Indian religions and assimilated into Indian culture over time.

The Iranians or Persians were among the earliest foreign groups to arrive in India during the historical period. Although they failed to establish a lasting empire, their cultural interactions with India are notable. Due to the striking similarities between ancient Iranian and Vedic traditions, clear evidence of cultural or religious assimilation is scarce. In a later period, the Parsis migrated to India from Iran and successfully maintained their distinct religious identity, demonstrating selective integration without the full cultural merger.

The arrival of the Greeks began with Alexander's invasion and continued until the first century BCE. Greek religion at the time was proto-theistic, combining mythological gods with an emerging tradition of philosophical reasoning, influenced by thinkers such as Socrates, Plato, Aristotle, and Pythagoras. Initially, Greek visitors and settlers in India were primarily influenced by Indian philosophy, as noted by classical Greek writers accompanying Alexander. However, subsequent evidence points to deeper religious integration. The Besnagar pillar inscription records the Greek ambassador Heliodorus's devotion to the *Bhagavata* tradition.[1] His reference to *Vaishnava* principles, sacrificial rites, and the concept of*Dama, Tyag and Apramada*(Self-restraint, Renunciation, and Consciousness) indicates sincere reverence. Similarly, coins issued by Agathocles depicting Vasudeva Krishna and Sankarshana Balarama[2] suggest his dedication to the Bhagavata faith.

The text *Milind-Panho* narrates philosophical dialogues between the Indo-Greek king Menander and the Buddhist sage Nagasena, reflecting Menander's deep engagement with Buddhism. Although sources differ on whether he formally converted, his coins bear the title "*Dhramikas"* and feature the *Dharma-Chakra*, indicating at least a symbolic affiliation with Buddhist values.[3] Nonetheless, widespread conversion among Greeks was limited, perhaps due to their strong cultural pride and attachment to their heritage.

Other foreign groups, such as the Sakas, Yuezhi (Kushans), and Huns, arrived in India between the first and seventh centuries CE. Unlike the Greeks or Iranians, these groups did not possess well-developed religions; instead, they adhered to tribal or primitive belief systems. These systems often revolved around mythic interpretations of nature and supernatural forces and lacked philosophical depth. Such belief systems remain strong until confronted with a more structured, rational, and philosophically

coherent religious tradition.

By the first century CE, Indian religious thought had reached a golden age.A rich tapestry of sects and philosophies flourished in India, sustained by a vibrant culture of dialogue, critical inquiry, and continuous refinement. When foreign communities encountered these intellectually profound and spiritually sophisticated traditions, they were deeply captivated and naturally drawn to them." The richness of Indian spiritual and philosophical discourse offered a compelling alternative to their earlier, less structured beliefs, facilitating their gradual integration into the Indian religious landscape.

Between the 1st century BCE and the 4th century CE, the Shakas (or Scythians) ruled over various regions of India through five distinct branches. Chinese sources refer to them as "Sai" or "Sai Wang."[4] Originally nomadic tribes from the region around the Syr Darya (Jaxartes), the Shakas were seen as fierce and uncivilised. However, soon after establishing dominion in India, they began to absorb local cultural and religious influences. One of the earliest signs of their assimilation is the adoption of Indian names and participation in religious acts. A cave inscription from Nashik records a donation made by Rishabhdutta (Ushavdata), son-in-law of the Kshaharata ruler Nahapana, to the Sarvadeshi Sangha.[5] The Junagarh inscription of Mahakshatrapa Rudradamana, written in refined Sanskrit and beginning with the auspicious word "*Siddham"*, reflects his embrace of Indian traditions.[6] The use of epithets such as "ruler holding *Rajalakshmi*" further suggests deep cultural integration. Rudradaman's descendants also bore names rooted in Indian tradition, implying continued religious affiliation.

The Pahlavas or Parthiyans, who entered India around the same period, have left behind limited records of their religious beliefs. However, coins issued by them bearing the title "*Dharmiya"* (religious) suggest a degree of influence from Indian spiritual traditions, possibly Buddhism[7]
The Yuezhi—later known as the Kushans—were another Central Asian tribe of nomadic origin who gradually became Indianized. The second Kushan ruler, Vima Kadphises, adopted Shaivism and took on the title "*Maheshwar"*, a reference inscribed on his coins. His successor, the great emperor Kanishka, became a major patron of Buddhism. Under his reign, the Fourth Buddhist Council was convened, and extensive Buddhist literature was compiled. Kanishka's coins often featured images of the Buddha and inscriptions such as *Boddo*,[8,] indicating his religious devotion. Although his successors—Vashishka, Huvishka, and others—displayed religious eclecticism, their coins still featured Indian inscriptions alongside depictions of Greek, Iranian, and Roman deities, reflecting a culturally diverse yet increasingly Indianized worldview.[9]

The Huns, considered among the most brutal and culturally distant of all invaders, emerged as a major force during the Gupta era. Chinese texts refer to them as "Hung-Nu." Yet even among them, signs of Indianization appeared. Mihirkula, a prominent Hun ruler, showed a clear inclination towards Shaivism. His devotion is evidenced by Yashodharman's Mandsaur inscription and Kalhana's *Rajatarangini*,[10,] as well as coins bearing the images of *Nandi* and *Trishul* and inscriptions like "*Jayati Vrishabha"*.[11] Over time, through prolonged interaction and intermarriage—some Indian kings even took Hun women as consorts—the Huns, too, began to assimilate. Historian Col. James Tod even suggested that many Rajput clans trace their lineage to these Indo-Hun unions, gradually merging into the Kshatriya varna.[12]

With the rise of the Rajput era, however, evidence of foreign assimilation into Indian religious culture becomes scarcer. Many scholars argue that Rajput lineages themselves emerged from the integration of earlier foreign tribes, and elevated into the Kshatriya class through the ideological framework of *Yagya*-based origin stories.[13] While this theory remains debated, it highlights how the Indian varna system could accommodate outsiders based on martial valour and cultural adoption.

Beyond this period, the pattern of assimilation largely ceased. Subsequent arrivals—Arab and Turkish Muslims, Afghans, Mughals, and European Christians—rarely integrated into Indian religious or cultural frameworks in the same manner. Two broad categories of reasons help explain this shift: internal (Indian) and external (non-Indian). Internally, the simplicity and inclusivity of earlier Indian religions had begun to wane. Over time, religious practices became increasingly rigid, and caste-based restrictions grew more pronounced. Dogma and ritualism gradually overshadowed the philosophical underpinnings that once defined Vedic and Upanishadic traditions. Puranic Hinduism emphasised belief over inquiry, reducing its intellectual appeal. Similarly, both Buddhism and Jainism moved away from their original rational and ethical ideals, becoming more ritualistic and esoteric through the influence of Tantra, often appearing complex and intimidating to outsiders.

Despite the continued presence of great philosophers such as Vasubandhu, Dignaga, Shankaracharya, Acharya Kundakunda, and Ramanujacharya, their contributions remained largely confined to scholarly circles. Their works, often composed in Sanskrit and laden with abstract thought, failed to reach the general populace or establish mass philosophical movements like those of the Buddha or Mahavira.

Externally, the emergence of Islam and Christianity brought with them strong doctrinal frameworks and structured theological principles. Both religions emphasised monotheism, scriptural authority, and prophetic teachings. Their firm opposition to polytheism and idol worship stood in stark contrast to Indian religious norms. Additionally, unlike earlier faiths that respected spiritual autonomy, Islam and Christianity promoted active conversion, often viewing it as a religious duty. Voluntary conversion to other religions

was discouraged, if not condemned. These theological and ideological differences effectively ended the era of organic assimilation, marking a new phase in India's religious and cultural history by the medieval period.

References:-

1. Bajpai, Krishnadutt, "*Bhartiy Aitihasik Abhilekh"* P-97
2. Gupta, Parameshwari Lal, "*Bhartiya Vastukala",* p. 61
3. Sahay Shiva Swaroop, *"Prachin Bhartiya Sikke"* p-148
4. Srivastava, Krishnachandra, "*Prachin Bharat ka Itihas Evam Sanskriti"* United Book Depot, Allahabad, 2022, p-324
5. Bajpai, Krishnadutt, "*Bhartiy Aitihasik Abhilekh"*p-135
6. Ibid. p-140
7. Srivastava, Krishnachandra, "*Prachin Bharat ka Itihas Evam Sanskriti"* United Book Depot, Allahabad, 2022
8. Upadhyay Vasudev, "*Bhartiya Mudrayen*" Bharti Bhandar, Prayag, P-132
9. Gupta Parameshwari Lal, *"Ancient Indian Coins"*, University Publications, Varanasi, p. 26
10. Srivastava, Krishnachandra, "*Prachin Bharat ka Itihas Evam Sanskriti"* United Book Depot, Allahabad, 2022p-455, 456
11. Pandey, Vimalchandra "*Prachin Bharat Ka Isahas, Sanskriti Evam Puratatva"* Central Book Depot, Allahabad P-138
12. Srivastava, Krishnachandra, "*Prachin Bharat ka Itihas Evam Sanskriti"* United Book Depot, Allahabad, 2022, p-457
13. Pandey, Vimalchandra "*Prachin Bharat Ka Isahas, Sanskriti Evam Puratatva"* Central Book Depot, Allahabad P-138

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Impact of Solar Energy in Sustainable Development of India

Shikha Gupta* Dr. Mahesh Gupta**

*Ph.D. Scholar (Commerce) Shri Atal Bihari Vajpayee Govt. Arts and Commerce College, Indore (M.P.) INDIA
** Professor (Commerce) Shri Atal Bihari Vajpayee Govt. Arts and Commerce College, Indore (M.P.) INDIA

Abstract: Sustainable development of any country aims to make a development that cannot only meet the demands of the present but can also set up the future generation's needs and requirements. Emerging global warming, unfavorable climatic conditions, dependence on fossil fuels, and many other factors pose significant challenges to sustainability in India. To get rid of all these issues, solar energy can play a versatile role in the sustainable development of the country. India is fortunate to have an abundance of solar energy. It is the cleanest energy source on the planet, produces zero carbon emissions, and is the best replacement for energy from fossil fuels. This paper discusses the impact of solar energy in developing a sustainable India. Ways of harnessing solar energy, like solar panels, solar streetlights, solar water heaters, solar signals, and so on, are discussed.
Keywords: Sustainable development, smart cities, solar energy products, smart city strategies & solutions, and Government initiatives.

Introduction

1. **Sustainable development in India:** Smart and sustainable development aims to renovate cities' operational efficiency without negotiating the requirements of forthcoming generations and maintains a healthy environment with optimum resource utilization.

2. **Smart Cities Mission:** On25 June 2015, the Government of India launched the Smart Cities mission, by adopting a futuristic approach for developing 100 cities, including 2-tier and 3-tier cities in the country. Its main objective is the transformation of the cities by providing valuable infrastructure and, a good quality of life to the Indian citizens, and availing clean and green planet by application of smart solutions. The central Government provides financial assistance to the cities under Smart cities criteria, up to 100 crores per city per year. Our country has 6 fundamental principles on which the smart cities are formed:

1. **Community at the Core:** a city that uses digital technology and advanced solutions to upgrade its population.
2. **More from less:** Maximum outcomes through limited resources.
3. **Cooperative and competitive Federalism:** Cities are selected through competition and flexibility for the implementation of the projects.
4. **Integration, Innovation, and Sustainability:** Smart city projects are formed to find innovative solutions for the sustainable development of the population and environment together.
5. **Technology as means, not the goal:** Technology is selected according to modification required in a city, it may differ city by city as per the need of improvisation.
6. **Convergence:** Combination of objectives and resources of smart cities such as Amrut – Urban Transformation, Swachh Bharat (cleanliness), HRIDAY (Heritage city development), Digital India, skill development, etc.

Smart Solutions of Smart Cities:

E-Governance and Citizens services
- Public information, Grievances handling, Redressal
- Electronic Service Delivery
- Citizens-City's Eyes and Ears
- Citizens Engagement
- Video crime monitoring

Energy Management
- Renewable Sources of Energy
- Smart Meters and Management
- Energy efficient & Green building.

Waste Management
- Waste to Energy Fuel
- Waste to Concept
- Waste water to be treated
- Recycling and reduction of C&D waste.

Urban Mobility
- Smart Parking
- Intelligent traffic management
- Integrated Multi Model Transport.

Water Management

- Smart Meters & Management
- Leakage identification, Preventive maint.
- Water quality monitoring

Others

- Tele Medicine and Tele Education
- Incubation/Trade facilitation centers
- Skill Development Centers

Fig.1. Smart Cities Solutions

Smart City Strategies

- **Retrofitting-** Replanning of already built-up area with smart solutions to make it well organized and comfortable
- **Redevelopment-** Replacement of old built-up environment with the enhanced version of infrastructure
- **Greenfield-(Smart from scratch)-** Sustainable, efficient, and liveable environment on undeveloped land in urban and rural areas, by adopting advanced technologies.
- **Pan city-** Selected smart solutions to the existing city-wide infrastructure.

Impact of Solar Energy in Smart Cities Mission: A Smart City is the development of a planned city comprising all the amenities for the citizens full of information, communication, and upgraded technologies (i.e. internet of things, Artificial intelligence), nevertheless, it should also be environment friendly. To be future-focused, the population of countries' villages, towns, and cities will increase with more demand for energy consumption, and to justify the needs of future generations, the worldwide government is seeking smarter solutions for more power generation and lack of dependency on fossil fuels. To bring technology expansion and sustainability together, the Government of India has mandated that up to 10% of the power supply will be derived from solar energy sources. In this respect, the Government has targeted up to 80% of the buildings will be converted into green buildings by implanting solar power panels, solar water heaters, solar lights, etc. for the generation of electricity in a clean form. In India, solar power energy is the most substantial source of energy out of the other renewable resources. It eradicates the dependence of the country on non-renewable resources and moves to green and clean resources.

Review Of Literature

1. Telang, S., Chel, A., Nafdey, R., & Kaushik, G. (2021)

The article "Solar Energy for Sustainable Development of Smart City" is published in the book "Studies in Systems, Decisions and Control". The researchersreveal that by 2021, the Indian government intends to build a sizable solar project to satisfy the country's rising electricity needs. Smart Cities will require small-scale solar parks, and solar power can be utilized for household cooking, traffic signals, streetlights, water heaters, and pumps.

2. Mishra, R. K., Kumari, C. L., Janaki Krishna, P. S., & Dubey, A. (2022).

The article "Smart Cities for Sustainable Development: An Overview", is published in the book "Advances in Geographical and Environmental Sciences". The researcher discussed that cities all around the world are facing serious issues as a result of population expansion, economic restructuring, and climate change. Efforts are being made to create sustainable and intelligent cities. Development nations such as India face difficulties with delayed investments, scheduling, coordinating, and allocating funds for rural infrastructure.

3. Mahesha, C. R., Ramalingam, M., Sujith, S., Kalyanasundaram, P., Soni, N. B., Nalinashini, G., ... & Mohanavel, V. (2022)

The researchers in their article "Sustainable Cooling and Heating in Smart Cities usingSolar Energy SystemPlanning" conclude that Smart city elements can efficiently use renewable resources and improve energy efficiency, benefiting disadvantaged communities. Proper planning and finance can lead to widespread adoption of sustainable energy technologies, enhancing economies, safety, and quality of life by reducing corruption and implementing innovative government strategies.

Research Methodology: The present research isdescriptive in nature. The data has been derived from secondary sources, i.e., books, journals, and government websites like MNRE, Smartcities.gov, etc., to highlight the role and importance of solar energy appliances in the development of Sustainable India.

Objectives Of The Study:

1. Intention to move focus towards benefits of solar energy products for the success of smart cities mission.
2. To bring attention to the contribution of solar products toa sustainable environment.
3. To highlight, energy conservation held after the adoption of solar energy appliances.
4. To bring attention to the issues and challenges that occur in the installation of solar-powered products in smart cities mission.

Limitations Of The Study: As it is descriptive research, there may be some variations in data collected through secondary sources from the actual database.

Types And Role Of Solar Energy Products

Smart cities rely on solar energy goods to meet sustainability targets. These products improve urban living conditions by utilizing efficient and sustainable technologies.

1. Solar Energized Infrastructure

- **Solar-powered buildings**: In smart cities, it is targeted

to optimize the use of energy, minimize dependence on power grids, and reduction in operational costs by installing solar panels on the rooftops of buildings.

Fig.2- Solar Rooftop Panels

- **Solar Streetlights:** To cut down on energy use and carbon emissions, solar-powered LED streetlights are becoming a growing trend. These lights are linked to a central system that employs real-time data to optimize their operation through the use of sensors.

Fig.3- Solar Streetlights

- **Solar Signals:** under the smart cities mission, traffic signals are also controlled through solar panelized signals, which is again a virtuous step towards sustainability.

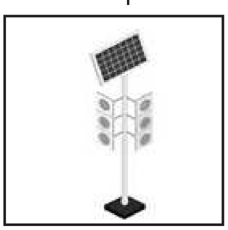

Fig. 4-Solar Signals

- **Public Places:** In the smart cities mission, public spaces like gardens, bus stops, and others are also filled with solar-energized amenities, like lighting, charging stations, solar parking sheds, and information kiosks.

Fig.5- Solar Amenities in Public Places

- **Solar Water Heaters:** Solar water heaters have replaced high-wattage geysers and gas geysers used for heating water. The solar heating panels collect heat from the sun and transfer it to an insulated storage tank for heating water. The adoption of solar water heaters has reduced huge electricity bill amounts and dependence on geysers for the water heating process.

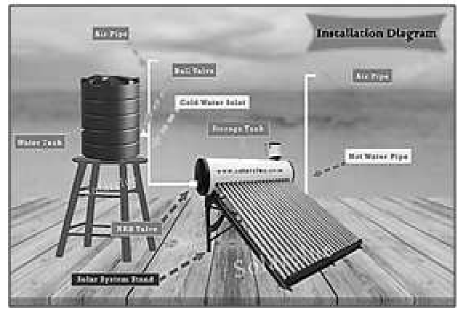

Fig-6 Solar Water Heaters

2. Smart Grids

- **Convergence with Smart Grids**:In smart cities, demand-responsive management, real-time monitoring, and efficient energy distribution are made possible by the pairing of solar energy systems with smart networks. Refeeding surplus solar energy back into the grid may boost the city's overall energy efficiency.

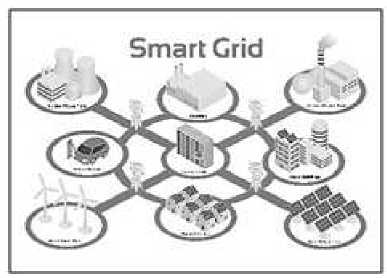

Fig.7- Smart Grids

- **Microgrids**:Microgrids, or small-scale power networks that can function independently or in tandem with the main grid, are made possible in smart cities only with the help of solar energy products. If the main grid fails, this boosts resilience and offers dependable energy.

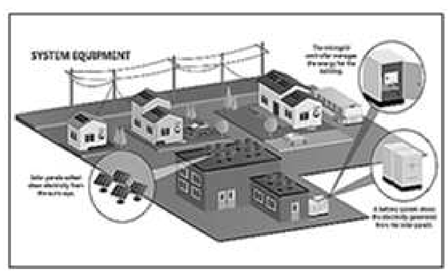

Fig.8-Microgrids

3. Electric Vehicles (EV):

- Solar EV Charging Stations: As smart cities promote EV vehicles, solar-energized EV charging stations are installed. These stations not only reduce carbon footprints but also help to address the power shortage issues.

ig.9- EV Vehicle Charging Stations

- Solar-energized public transport:Urban pollution and energy expenses can be decreased by using solar energy to power public transit vehicles like buses and trams.

Fig.10-Solar Energized Public Transport

4. Power Storage System:

- **Battery Storage:**Automated battery storage systems are a common feature of solar energy products in smart cities, enabling the daytime storage of surplus solar energy. This energy can be used at night or during peak hours, promising a steady supply of electricity and eliminating the demand for fossil fuels.
- **Energy Management System (EMS):** These systems optimize the use of solar energy in smart cities by managing energy storage and consumption in real time using artificial intelligence and data analytics.

5. Environmental Monitoring and Management:

· **Solar Powered Sensors:** Smart monitoring sensors (IOT devices) used for monitoring air quality index, water level, and weather forecasting, are also powered by solar energy. These sensors provide real-time data to the city management system and maintain clean energy in urban space.

- **Waste Management:** To cut costs and increase efficiency, smart cities employ solar-powered waste collecting systems and compactors.

Fig.11-Smart waste management system

6. Economic and Social Impact:

i. Job Opportunities: Installation of solar energy productsincreases the scope of employment in manufacturing, installation and maintenance, and other related sectors.

ii. Energy Independence: The emergence of solar energy products has reduced the dependence on grid lines and conventional energy i.e. Coal, gas, oil, etc.

iii. Cost Reduction: "Let the sun pay your electricity bill', solar energy has not only reduced dependence on grid lines but also helps in reducing electricity bills by installing solar panels and supplying surplus energy to public grids.

iv. Sustainable Urban Planning: Optimization of solar energy in smart cities, creating farms, and using solar energy for cooling and heating systems has made a sustainable environment for the inhabitants in urban cities.

Achievements Of Solar Power Products For Smart Cities Mission:

1. India has gained 5th position in solar energy installed capacity as per the Global Status report of REN 21 Renewables, 2024.
2. India's solar energy potential is estimated to be 748 GW, as per the National Institute of Solar Energy (NISE). It has increased 30 times in the last 9 years and become 85.47 GW as of June 2024 from 2.6 GW since 2014.
3. The Government of India has approved 57 city parks with an approx. capacity of 37.49 GW across the country.
4. India added approx. 8 GW of rooftop solar capacity by March 2024; it has already achieved up to 70 GW by the end of 2023. Out of this, around 2.5 GW has been installed in Smart Cities Projects till March 2024.
5. Utility Solar Scale projects have contributed up to 60% of the total solar capacity of India, cities like Rajasthan, Karnataka, and Gujarat are foremost in this pathway.
6. Over 1.2 million solar streetlights have been installed under the smart city project.
7. Approximately, 500 solar-powered EV charging stations have been established across smart cities.
8. The Government of India putting more focus on the installation of Solar floating panels. The Tumakuru smart city District has 80 to 100 acres of floated panels at Bugundanahalli Lake Reservoir in the Tumakuru District of Karnataka.

Most Successful Solar-Powered Smart City In India:

- **Diu Smart City-** Its first city in India to run on 100% renewable energy during the daytime. The city now saves 13000 tonnes of carbon emissions every year and managed to reduce power tariffs by up to 15%. Equipped-9MW solar park spread over 50 hectares and 79 Government buildings with installed solar panels as of 23 April 2018,according to a report from Press Information Bureau.

Challenges Towards The Implication Of Solar-Powered

Smart Cities:

1. **Large land area required** for the installation of solar parks, or solar power plants, becomes more challenging in highly populated and large agricultural lands.
2. **Dependency on weather** is another face-off before the installation process, as solar energy does not harness equivalent energy outcomes in every season.
3. **Energy Storage is required** during non-sunny days, which can be done through battery storage, but it has high cost and technical challenges.
4. **High initial cost required** for the installation of solar-powered panels.
5. **Secured financing** can be difficult, mostly in an area that is developing or underdeveloped, there may be some uncertainties about Government policies or long-term returns.
6. **Erratic policies and regulatory barriers** may also be proved as the biggest hurdle towards the mission, as new/modified policies may change the rate of subsidies, tax benefits, and tariffs. Also, lengthy approvals may delay investment and development in solar panel installation.
7. **Biodiversity** can be the main issue in the success of solar-powered smart cities, as it can affect the ecosystems, wildlife, and natural vegetation. Proper assessment and mitigation are required to reduce its impact.
8. **Maintenance and operations** over a while are needed in solar panels as they lose their efficiency by up to 0.5 to 1% annually. Also, dust and soil over the panels may affect the productivity of panels, which becomes very challenging to clean onto larger spread areas.

Suggestions And Findings:

1. **Consistency in Government policies** related to solar energy and smart city framework, proper and fixed guidelines for subsidies, installation, and incentives. Also, **streamlining Government approvals** and simplifying procedures can make the mission more rapid and successful.
2. **Advancement of energy storage solutions** such as batteries for efficient utilization of surplus energy in non-sunny hours.
3. **Promote Research and development in solar technology** to cut down the cost, and improvisation in efficiency.
4. **More exploration in hybrid systems** to remove the loopholes in case one fails, the other will work and both together increase productivity. In respect of it, Solar power should be combined with other renewable resources. Like sun and wind energy.
5. **More public awareness is needed**to increase the installation process frequently, promotional activities like educational campaigns, and people engagement programs should be initiated more often.
6. **Should be focused on sustainability**, installation should be done by keeping in mind that it will not harm the ecosystems and communities.
7. **Encourage private and public sector collaboration** to increase innovations and technology.
8. **Global Collaboration** should be welcomed to enhance the best practices, technological advancement, and educational knowledge.

Conclusion: As we are all aware, the future will be more advanced in technology and advancement always requires a supply of efficient energy for its implication. The mission of Smart Cities is based on Digital India with a sustainable development concept, and solar power products have played a very crucial role in making it successful. To make cities of India highly digitized and with technically upgraded infrastructure, and to keep themclean and eco-friendly, solar-powered products can be proved as smart decisions. Though there may be some challenges,they can be addressed through innovative ideas, government policies, more solar promotional programs, and careful planning to get long-term advantages.

References:-

1. Telang S, Chel A, Nafdey R, Kaushik G. Solar energy for sustainable development of a smart city. In: Security and Privacy Applications for Smart City Development. 2021. p. 155–69.
2. Mishra RK, Kumari CL, Janaki Krishna PS, Dubey A. Smart cities for sustainable development: An overview. 2022. p. 1–12.
3. Mahesha CR, Ramalingam M, Sujith S, Kalyanasundaram P, Soni NB, Nalinashini G, et al. Sustainable cooling and heating in smart cities using solar energy system planning. Energy Rep. 2022;8:826–35.https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.12.149
4. Industrial Outlook. Renewable energy - Authored article [Internet]. [cited 2025 Apr 28]. Available from: https://industrialoutlook.in/renewable-energy-2/authored-article/
5. Invest India. Renewable energy [Internet]. [cited 2025 Apr 28]. Available from: https://www.investindia.gov.in/sector/renewable-energy
6. JMK Research & Analytics. Annual India solar report card FY2024 [Internet]. 2024 [cited 2025 Apr 28]. Available from: https://jmkresearch.com/renewable-sector-published-reports/annual-india-solar-report-card-
7. Ministry of New and Renewable Energy (MNRE). Solar energy [Internet]. [cited 2025 Apr 28]. Available from: https://mnre.gov.in/solar/#
8. Ministry of Power, Government of India. Annual reports - Year wise [Internet]. [cited 2025 Apr 28]. Available from: https://powermin.gov.in/en/content/annual-reports-year-wise-ministry
9. Smart Cities Mission, Government of India. Smart Cities Mission [Internet]. [cited 2025 Apr 28]. Available from: https://smartcities.gov.in/

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

India and Retail Business

Dr. Sarojini Topno*

***Assistant Professor (Economics) Government Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) INDIA**

Introduction - Retailing is the latest buzz-word among the business. This newest fad is getting high visibility media coverage dynamic young people as well as blue-chip companies are suddenly taking pride in calling themselves shopkeepers. This profession is able to attract the cream of talent from management institutes.

Today's customers remain updated about products and services through various media when they are interested in buying a specific product they search out for even the smallest details regarding the same. Retailers need to follow an apparent approach in response to the growing consumer power. They realize that it is time to earn the customer's confidence, trust and loyalty to build long term relationship and this is possible only by bidding farewell to aggressive sales techniques.

India ranked second in the world, in terms of financial attractiveness during 2010. Research reports forecast India to be among the top five destinations for foreign investors during 2010-12. Recent declaration of the cos approving a 51% FDI in multi brand retail has brought joy among India retail sector. The country is now in the global radar and has enormous potential inflow of foreign investments.

As India emerges as one of the most potential markets for global brands and retailers and retail reinvents the way modern Indian celebrate their spending power, India that takes pride in its rich culture, heritage, art, craft and variety of wares must capitalize on this ever-escalating consumerism and channelise the spending towards healthy consumption for overall development of the country.

Going by the current growth trend and considering the fact that existingprominent players in organised retail have stopped up their expansion drive with Reliance announcing big plans and other Indian corporate houses too evincing keenness on investing heavily in this sector as also the inking of the joint venture between the world's largest retailer Wal-Mart and Bharti the organised retailing in India has indeed gained top speed and is now on the verge of take-off Taneja added.

There would be a real revolution in the Indian retail industry, if the changes being witnessed in the metropolitan and other tier-one towns percolator to all the 784 urban settlements, with population above 50,000 perrons.

Expressing concern over the consumption and mall development trend, Editorial director of the mega research of "India Retail Research" R.S. Roy called open the entire retail fraternity, concerned Govt. departments and the supporting organizations to work towards giving Inian retail – "A face of India". India brand story can travel across theglobe with "Delhi Kat" type shopping cum entertainment centred opening not only across India but all over the world. Public private partnership (PPP) can revitalize the formats like Khadi Bhavans that runs one of the largest retail networks in the world and also Govt. state run emporia.

Retail expression is a portfolio game, with a blend of success and failures.Recouping from recession blues retailers are currently in the expansion mode, development their networks and expanding into new markets. Direct retailers are rewarded for their long-term outlook of business.

A Research states that the number of consumers using internet especially through their smart phones are increasing day by day. They also have increasing expectations regarding the mobile experience their retailersprovide them with retailers need to pursue smart customers with integrated hi-tech experiences as will and up watching their stores succumb to competition. Smart retails need to go beyond the ordinary customers experience and reap the benefits of rich customer experience.

Understanding future demand is vital for every business. It is always easy to find a model that fits into the past data. But it is difficult to decide a model that will fit into the future data, as future trends are not very explicit. Therefore, a successful business model needs to correctly identify those past features, which will also repeat in the future. Demand forecasting helps to estimates demand and supply in individual market helping retailers in price policies.

Current Scenario of Retail in India :

1. The retail sector in India was valued at around USD 850 billion in 2022.
2. About 85-90% of the market is unorganized - including small neighbourhood stores and street vendors.
3. Organized retail (supermarkets, branded stores, malls)

is expanding fast in urban and semi-urban areas.

4. E-commerce (Amazon, Flipkart, Meesho) has seen exponential growth, especially post-COVID.

Types of Retailing in India :

1. Unorganized Retail Local shops, kiosks, roadside vendors Cash transactions, personal relationships with customers.
2. Organized Retail Large format stores, malls, supermarket chainsStructured billing, digital payments, loyalty programs.
3. Online Retail (E-commerce)Platforms like Amazon, Flipkart, JioMart, etc. Digital shopping, doorstep delivery, return policies.

Key Drivers of Growth :

1. Urbanization and rising disposable incomes.
2. Youth population with tech-savvy buying behaviour.
3. Growth in digital payments (UPI, wallets).
4. Government reforms allowing 100% FDI in single-brand retail.
5. Affordable smartphones and widespread internet access.

Challenges Facing Indian Retail:

1. Fragmentation due to dominance of unorganized sector.
2. High competition and price sensitivity among consumers.
3. Logistics and supply chain inefficiencies.
4. Regulatory issues (GST, licensing, state-wise compliance).
5. Low digital literacy in rural regions.

Future Prospects of Retail in India :

1. Retail market projected to reach USD 2 trillion by 2032.
2. Rise of hybrid retail (offline + online experiences).
3. AI and Data Analytics for personalized marketing.
4. Growth in tier-2 and tier-3 cities.
5. Sustainable retail practices and eco-friendly packaging.

Conclusion : The retail industry in India is dynamic and brimming with potential. With digital transformation, increasing consumer expectations, and government support, the sector is poised for tremendous growth. Retail not only contributes significantly to the country's GDP but also empowers entrepreneurship, job creation, and innovation across all levels of society.

References:-

1. Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India.
2. India Brand Equity Foundation (IBEF) Reports.
3. Economic Survey of India 2023-24.
4. Deloitte & PwC Retail Industry Insights.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

The Interplay of Policy Frameworks and Public-Private Collaborations in Fostering Sustainable Tourism: An Empirical Study of Kashmir's Tourism Sector

Rahul Kumar Jha*

***Department of Business Administration, Jai Narain Vyas University, Jodhpur (Raj.) INDIA**

Abstract - The Kashmir Valley, known for its breathtaking natural beauty, faces complex socio-political and environmental challenges that obstruct sustainable tourism development. This paper explores the dynamic interaction between policy frameworks and public-private partnerships (PPP) in promoting sustainable tourism practices in the region. Using a qualitative research design based on document analysis, stakeholder interviews, and policy reviews, this empirical study identifies key policy gaps, implementation bottlenecks, and opportunities for collaborative tourism development. Findings highlight that while initiatives like the Swadesh Darshan and National Tourism Policy 2022 offer a vision for sustainability, actual outcomes are hindered by fragmented governance and limited local participation. The paper proposes a multi-tiered governance model integrating local communities, private enterprises, and public institutions for inclusive and resilient tourism. It contributes to the academic discourse by offering pragmatic insights for tourism governance in conflict-prone areas.

Introduction - Tourism is one of the most powerful economic drivers globally, accounting for over 10% of global GDP and employment. In the Indian context, it contributes about 9.2% to GDP and provides direct and indirect employment to more than 42 million people (WTTC, 2023). Despite such impressive statistics, tourism in fragile and politically sensitive areas such as Jammu & Kashmir remains underdeveloped and prone to volatility. The unique geopolitical context of Kashmir, characterized by ongoing conflict, heightened militarization, and socio-cultural complexities, presents formidable challenges to traditional models of tourism development.

Yet, Kashmir's tourism potential remains largely untapped. Rich in natural landscapes, heritage sites, and religious tourism circuits, the valley offers immense opportunities for sustainable tourism development. However, conventional tourism practices have often led to the degradation of ecological balance, strained community resources, and failed to translate into long-term socio-economic benefits. The existing tourism frameworks are marred by disjointed policy execution, lack of multi-stakeholder collaboration, and poor infrastructure.

Sustainable Tourism Development (STD) offers a new paradigm to redefine tourism's role in Kashmir. Grounded in principles of environmental preservation, socio-cultural respect, and equitable economic distribution, STD aligns with the UN Sustainable Development Goals (SDGs), especially SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 11 (Sustainable Cities and Communities), and SDG 13 (Climate Action). In this context, policy frameworks and PPPs emerge as catalytic tools for translating this vision into action.

This paper aims to explore the interplay of tourism policy frameworks and public-private partnerships in shaping the sustainable tourism landscape of Kashmir. By investigating policy intentions, practical constraints, and stakeholder perceptions, it attempts to offer a grounded understanding and strategic pathway for inclusive and regenerative tourism development in the region.

Objectives of the Study: This study is guided by the following research objectives:

1. To analyze the current policy landscape governing tourism in the Kashmir Valley.
2. To examine the role and effectiveness of public-private partnerships in implementing sustainable tourism projects.
3. To identify the major constraints in integrating policy and partnership approaches in conflict-sensitive regions.
4. To provide recommendations for creating a robust sustainable tourism ecosystem in Kashmir through inclusive governance.

Methodology: This research adopts a qualitative case study design, focusing on the Kashmir Valley as a critical unit of analysis. The study employs a multi-source approach, combining primary data from stakeholder interviews with secondary data from policy documents and tourism reports. Primary Data: In-depth interviews were conducted with 12 stakeholders, including officials from the Department of Tourism (J&K), representatives from the private hospitality sector, and community leaders from key tourist locations such as Srinagar, Pahalgam, and Gulmarg.

Secondary Data: Policy documents such as the J&K Tourism Policy (2020), National Tourism Policy Draft (2022), Swadesh Darshan guidelines, and project reports from JKTDC and ITDC were analyzed.

The analytical lens for this study is provided by the Triple Bottom Line (TBL) framework, which evaluates tourism initiatives through three dimensions—economic viability, environmental stewardship, and socio-cultural equity.

Literature Review

The discourse around sustainable tourism has evolved significantly over the past three decades. Initially framed as an environmental counterweight to mass tourism, it has since embraced a more holistic definition incorporating community well-being, cultural preservation, and institutional integrity (Bramwell & Lane, 2011).

India's sustainable tourism strategy, reflected in the National Tourism Policy (2022) and earlier schemes like Swadesh Darshan and PRASAD, recognizes the need for responsible tourism development. However, centralized control and weak local implementation often dilute the impact of these policies.

Public-private partnerships are increasingly recognized for their ability to mobilize resources, distribute risks, and foster innovation. Successful models in Kerala's ecotourism and Rajasthan's heritage hotels illustrate the potential of PPPs when supported by clear legal frameworks and community alignment.

Kashmir's unique context necessitates a customized approach that balances security concerns, ecological sensitivity, and community aspirations. While the region attracts more than 2 million tourists annually, challenges persist due to poor infrastructure, policy fragmentation, and lack of stakeholder trust (JKTDC, 2023).

Analysis of Policy and PPP Ecosystem

Policy Review: The J&K Tourism Policy (2020) marks a shift toward sustainability, with provisions for:

1. Environmental Impact Assessments (EIAs)
2. Incentives for green infrastructure
3. Local employment mandates

However, several weaknesses are evident:

1. Poor enforcement mechanisms
2. Limited coordination with central policies
3. Absence of clear performance metrics

Review of Public-Private Initiatives

Notable examples include:

1. **Gulmarg Gondola:** India's highest cable car system, a PPP with operational inefficiencies due to poor maintenance and bureaucratic control.
2. **Dal Lake Cleanup Initiative:** Initially envisioned as a collaborative project between ITDC and local municipalities, the project stalled due to funding delays and land disputes.
3. **Pahalgam Eco-Resort:** Faced opposition from locals over land rights and ecological impact concerns.

Stakeholders reported that delays in approvals, lack of transparency in bidding processes, and weak risk-sharing arrangements were major deterrents to successful PPP implementation.

Key Challenges Identified: From the analysis, five major challenges were identified:

1. **Policy Fragmentation:** Multiple agencies with overlapping mandates dilute accountability.
2. **Administrative Bottlenecks:** Delays in land clearance, licensing, and financing hamper timely project execution.
3. **Community Exclusion:** Most projects are conceived without local consultation, leading to resistance and project failures.
4. **Environmental Degradation:** Poor regulation of tourist inflow has led to excessive waste, water pollution, and biodiversity loss.
5. **Security and Perception Barriers:** Frequent lockdowns and media portrayal dissuade both tourists and investors.

Strategic Recommendations

Policy Reforms

1. Draft a Kashmir-specific Sustainable Tourism Master Plan aligned with the SDGs.
2. Establish an autonomous Tourism Regulatory Authority for conflict-sensitive governance.

Enhancing PPP Effectiveness

1. Introduce standard PPP contracts and model concession agreements specific to tourism.
2. Leverage schemes like Viability Gap Funding (VGF) to de-risk investments.

Community-Based Tourism (CBT)

1. Incentivize local entrepreneurship through micro-financing and cooperative societies.
2. Establish tourism clusters managed by indigenous stakeholders.

Technology and Innovation

1. Use digital dashboards for project monitoring, tourist feedback, and crisis management.
2. Promote low-carbon transport solutions and smart waste management in tourist zones.

Proposed Governance Model

We propose an Integrated Sustainable Tourism Governance (ISTG) Model with four core pillars:

1. **Collaborative Governance:** Equal representation from government, private sector, and local communities.

2. Resource Efficiency: Incorporate climate-resilient infrastructure and clean energy.

3. Cultural Integrity: Protect local traditions through community-run cultural tourism hubs.

4. Crisis Resilience: Institutional mechanisms to handle emergencies and maintain continuity of tourism flows.

Conclusion: Sustainable tourism in Kashmir is not a utopia but a realistic vision contingent upon bold reforms and collective action. This study demonstrates that while policies and partnerships exist, their transformative potential is hindered by implementation deficits and stakeholder mistrust. A decentralized, participatory, and adaptive model is required to navigate the unique challenges of Kashmir. By harmonizing local aspirations with national goals, and ensuring that tourism development benefits both people and the planet, Kashmir can emerge as a model for regenerative tourism in conflict-affected regions.

References:-

1. Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. Journal of Sustainable Tourism.
2. Government of India. (2022). National Tourism Policy Draft.
3. Jammu & Kashmir Tourism Department. (2020). J&K Tourism Policy.
4. WTTC. (2023). Economic Impact Report.
5. Deloitte. (2021). Role of PPPs in Indian tourism: A case study approach.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Determinants of Buying Behaviour in Organised and Unorganised Retail Sector

Dr. Rajan Devi Negi*

*Associate Professor (Commerce) Govt. College, Nirmand, Distt. Kullu (H.P.) INDIA

Abstract: Retail is the fastest growing sector in the Indian economy. Traditional markets are making way for new formats such as departmental stores, hypermarkets, supermarkets and specialty stores.The study is mainly concerned with changing satisfaction level of customers from organised and unorganised retail in Punjab area specifically in Jalandhar and Ludhiana.To identify the significant factors which affect the satisfaction level of consumers.a scale has been developed comprising of thirty statements. These statements are measured on 5-point likert scale i.e., very dissatisfied (1), dissatisfied (2), neutral(3), satisfied (4), very satisfied (5). On the basis of responses from consumers, factor analysis has been done to extract the factors from observed variables which affect the satisfaction level of consumers of organised and unorganised retail.
Keywords: Retail; buying behavior, organized retail andunorganised retail.

Introduction - Retail industry the largest sectors in India and second largest employment provider after agriculture, it plays a significant role in increasing the productivity across a wide range of goods and services. In India, both organised and unorganised retail sector exists, majority of the share being under unorganised. Organised retailing has finally emerged from the shadows of unorganised retailing and is contributing significantly to the growth of Indian retail sector.The word '*retail'* is derived from French word retailers which means 'to cut a price off 'or to break bulk. The distribution of consumer products begins with the products and ends at the ultimate consumers. Between the producer and the consumer there are middlemen– the retailer, who links the producers and the ultimate consumers. A retailer is a person, agent, agency, company, or organization which is instrumental in providing the goods, merchandise or service to the ultimate consumers.

Structure Of Retail Industry In India: The structure of retail industry in India as follow:

Unorganized Retail Sector: The unorganized retail sector basically includes the local kiranas, hand cart, the vendors onthe pavement etc. This sector constitutes about 98% of the total retail trade.

Organized Retail Sector: In the organized sector trading is undertaken by the licensed retailers who have registeredthemselves to sales as well as income tax.

Consumer Behaviour: Consumer behaviour is the study of individuals, groups, or organizations and the processes they use to select, secure, and dispose of products, services, experiences, or ideas to satisfy needs and the impacts that these processes have on the consumer and society.

Bansal, Sandeep and Bansal, Rama (2014) in their study 'Consumer Buying Behaviour Regarding Shopping Malls In Ludhiana',made an attempt to study the consumer decision making styles in shopping malls of India. The main stress was upon the mail shopping malls in Ludhiana city of Punjab. like West End Mall, Ansal Plaza and MBD Nepoleins. Study was based on primary and secondary data. The primary data was collected with the help of questionnaire which were filled up by the respondents from Ludhiana district of Punjab State. A sample of 100 shoppers is selected. The data collected has been analyzed through the tabulation based on percentages & actual number scores. It was found that there is a trend of considerable increase of shopping malls in all the metro cities small towns and a large section of middle class, upper middle class people are coming for shopping because of reasons like convenience, better environment and improved customer service, competitive price with seasonal discount various gift scheme, availability of parking space for their car.

Zia and Azam (2013) in their study 'Unorganised Retail Shopping Experience in India', made an attempt to develop a scale measuring shopping experience and to measure the impact of various factors of shopping experience in the context of unorganised retail. Hypothesized model was developed based on literature survey, and refined using exploratory and confirmatory factor analysis. Reliability and validity of scale was checked using Cronbach alpha. Impact was measured using multiple regression method. Study

was primary data based and the sample of 355 retail consumers was taken. Fifteen factors were found to be important to determine shopping experience in unorganised retail where “merchandise” has maximum positive impact with beta value of 0.0452 and “reliability” has the least impact with beta value of 0.017. The results of the study helped to identify the key factors influencing the customers of unorganised retail set.

Mathur and Sharma (2013) in their study ‘Analysis of Stimuli Attracting Customer Buying Behavior and their Satisfaction Level in Modern as Well as in Conventional Retail Stores’, highlighted the stimuli that attract a prospective buyer in modern retail mall and conventional stores and they made a comparative analysis of those variables between modern retail format and conventional retail store. The purpose of this research was specifically to compare the level of satisfaction of the customers with the offerings and attributes offered to them in modern retail formats vis-à-vis conventional shopping stores. They concluded that factors affecting consumer buying behaviour are significant while making choice of retail outlet by consumers that whether they prefer conventional shopping stores or modern retail format. People are highly satisfied with the offerings and attributes provided by conventional shopping stores or modern retail store.

Bhatt JD and Thaker (2020) they found out that last 4-5 years of food retail Sales has been increased. Various trading companies are already planning to invest in this sector over the next 2- 3 years. Retailers will have to face the problem of increased demand and customers will be also highly competitive. Competitors with more investment flowing in shares of the organized food sector that is growing rapidly so that existing and new players are not getting much profit.

Das Ganesh (2020) According to him, unorganized retailers face a complex situation in which they compete with organized retailers and there will be many challenges ahead that will not beeasy to survive. The organized sector offers home delivery services and discount offers to attract consumers. If the unorganized sector does not do these types of things this sector have to face many difficulties in the future.

India Brand Equity Foundations(2021) According to this foundation, the most common methods of payment were digital wallets (40%), followed by credit cards (15%) and debit cards (15%). Retail’s online reach is expected to reach 10.7% by 2024, which is 4.7% in 2019.

RaoKedar (2021) According to him, Just as supermarket chains exploit farmers the expansion of Indian supermarkets is not crowding out small and marginal farmers. Regulating costs was a major concern for farmers due to the opportunistic behavior of MERC companies in grading and monitoring to provide better quality.

Objectives Of Study:

1. To identify the significant factors which affect the satisfaction level of consumers.
2. To study the contribution of various identified factors in satisfying the consumers.

Hypotheses:

1. All identified factors are equally important for consumer’s satisfaction.
2. There is no significant difference in the satisfaction level of consumers irrespective of their demographic features.

Research Methodology:

S.	Particulars of Research	Details
1	Data Collection method	Primary and Secondary data
2	Survey Area	Jalandhar & Ludhiana cities of Punjab
3	Sample Size	400 Respondents (200 from each city)
4	Sampling Method	Purposive, quota and judgment sampling
5	Research Instrument	Structured questionnaire, Interviews and Personal observations
6	Statistical Tools	1. Mathematical Methods 2. Statistical Methods 3. Diagrammatic Methods

Data Analysis And Interpretation:

To meet first objective of the study, a scale has been developed comprising of thirty variables. These statements are measured on 5-point liker scale i.e., (1)very dissatisfied,(2) dissatisfied, (3)neutral, (4)satisfied, (5)very satisfied. On the basis of responses from consumers, factor analysis has been done to extract the factors from observed variables which affect the satisfaction level of consumers of organized and unorganized retail.

Table 1.1

(see in last page)

Table 1.1 explains, the descriptive statistics for factors affecting the satisfaction level of consumers of organised and unorganised retail. The table shows the values of mean, standard deviation, skewness and kurtosis for thirty variables. Further, the table depicts that the mean value is highest i.e., 3.59 in case of two variables i.e., the employees in the store are knowledgeable and there remain a lot of shoppers in the store. Therefore, it can be said that knowledge of the store employees and number of shoppers are most important variables which affects the satisfaction level of consumers of organised and unorganised retail.

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling:

Table 1.2: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy and Bartlett’s Test of Sphericity:

KMO and Bartlett’s Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.915
Bartlett's Test of Sphericity	**Approx. Chi-Square**	11873.688
	Df	435
	Sig.	0.000

Table 1.2 shows that the Kaiser-Meyer-Olkin measure is 0.915, which implies that sample is adequate and factor analysis is appropriate for data. Bartlett's test is another indication of the strength of the relationship among variables. This tests the null hypothesis that the correlation matrix is an identity matrix in which each variable correlates perfectly with itself but has no correlation with other variables. Further, Table 1.2 shows that Bartlett's test of sphericity is significant that is its associated probability is less than 0.05. In fact, it is actually 0.000, i.e. the significance level is small enough to reject the null hypothesis. This means that correlation matrix is not an identity matrix.

Total Variance: Table 1.3 reveals that, the first factor accounts for 25.331% of the variance, the second factor 23.407%, third factor 13.418% and the fourth factor 12.008%. All the remaining factors are not significant.

Table 1.3(see in next page)

Rotated Component Matrix: Table 1.4 exhibits the results of rotated component matrix. Further, the table reports that four factor are extracted through factor analysis i.e., social, design, ambience and merchandise. The rotation reduces the number of factors on which the variables under investigation have high loadings.

Table 1.4: Rotated Component Matrix

Variables	Component			
	1	2	3	4
1	.974	.003	.030	-.026
2	.814	-.027	-.060	.013
3	.793	.026	-.015	-.009
4	.866	-.039	.080	.040
5	.897	-.030	.044	-.006
6	.774	-.068	.015	.016
7	.781	-.073	.017	-.047
8	.859	-.004	.005	-.045
9	.869	.022	.019	-.025
10	.876	.004	.042	-.007
11	-.007	.973	.015	.023
12	-.032	.780	.063	.003
13	-.034	.762	.011	.050
14	.043	.871	-.008	.001
15	-.038	.901	-.006	-.020
16	-.031	.788	-.028	-.066
17	-.049	.801	.003	.029
18	.004	.846	-.002	.066
19	-.044	.871	.008	.054
20	.003	.901	.049	-.014
21	.029	.021	.956	.032
22	.019	-.014	.827	.043
23	.035	.048	.795	.029
24	.032	.058	.882	-.005
25	-.041	.008	.896	.018
26	.056	.006	.022	.968
27	-.043	-.034	.051	.838
28	-.019	-.023	-.004	.756
29	.077	.032	.024	.889
30	.034	-.046	.029	.897

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Rotation converged in 4 iterations.

Further, Table 1.4 reports the loading of different statements on identified four factors. Following variables are loaded on factor 1 i.e., social: The store has enough employees to serve the customers. The store employees are well-dressed and appear neat. The employees in the store are friendly. The employees in the store are helpful. The employees in the store are knowledgeable. The store employees greet me courteously when I enter the store. The store appears very crowded to me. The store seems somewhat too busy. I don't have to face much traffic in the store during my shopping visits. There remain a lot of shoppers in the store. The variableswhich are loaded on factor 2 i.e., designs are as follow: The colour scheme is pleasing. The colours used in the store seem to be of latest fashion. The store has attractive physical facilities. The merchandise in the store appears organized. The Store has logically placed merchandise. Navigation in the store is easy. The store has sufficient aisle space. The store has impressive inside displays. There is adequate display of in-store information. The decor of store is pleasing to me. In the factor 3i.e., ambience following variables are loaded: The lighting in the store is pleasing to me. The lighting in the store accentuates the products that are displayed in the store. The background music in the store makes the shopping pleasant. The background music in the store does not bother me. The background music in the store is appropriate. All the remaining variables viz. the store carries dependable products. The store has a wide selection of merchandise. The store is fully stocked. The store has high fashion merchandise. The store has stylish merchandise are loaded on factor 4 i.e., merchandise.

Conclusion: Descriptive statistical analysis shows that, knowledge of the store employees and numbers of shoppers are most important variables which affects the satisfaction level of consumers of organised and unorganised retail. Further, the calculated values of standard deviation reveal high variation in the factors affecting satisfaction level of consumers. In case of skewness most values are concentrated on the right of the mean with extreme values to the right, so it can be said that distribution is negatively skewed. In case of kurtosis the calculated values are less than three which depicts that distribution is platykurtic, flatter than normal distribution with a wider peak. The probability for extreme value is less than for a normal distribu-

tion and the values are wider spread around the mean. Study shows that Kaiser-Meyer-Olkin measure is 0.915, which implies that sample is adequate and factor analysis is appropriate for data and Bartlett's test of sphericity is significant, i.e., its associated probability is 0.000, which means that correlation matrix is not an identity matrix. Total variance table reveals that the first factor accounts for 25.331% of the variance, the second factor 23.407%, third factor 13.418% and the fourth factor 12.008% while all the remaining factors are not significant.

Rotated component matrix shows that only four factor are extracted through factor analysis i.e., social, design, ambience and merchandise.Following variablesare loaded on factor.Cronbach alpha shows the overall reliability and validity of the scale above 0.7, which implies that scale used in the study is valid.

References:-

1. A.T. Kearney (2005) **"*Emerging Market Priorities for Global Retailer*"**.The 2005 Global Retail Employment Index.
2. C. Winston Borgen (1976), "***Learning Experiences In Retailing:Test and Case".*** Good Year Publishing Company, INC,.Pacific Palisades California, pp-15.
3. R.B.Rudani(2010 ***" Basics of Marketing Management"***. S.Chand& Company Ltd, New Delhi,pp.343.
4. A. Shivakumar(2007),"***Retail Marketing".***Anurag Jain Publication,New Delhi 2007, pp-15.
5. R.B.Rudani (2010***) "Basics of Marketing Management".*** S. Chand & Company Ltd, New Delhi,pp.343-344.
6. SwapnaPathan (2006) ***"Retailing and Management"***. Tata McGraw-Hill Company ltd., New Delhi,pp.50-57.
7. Adopted from Neeraj Jain, Ashish Dang, Prashant Jain (2007) ***"Scenario of Indian Retail Sector – Issues & Challenges"*** Welingkar Institute of Management Studies, Mumbai, PaperPresented at KBS- International Research Conference.
8. Thaker Nm, Bhatt JD (2020) "Food Retailing in India: An Overview" Journal of Pharmacognosy and Photochemistry, Volume 9, Issue1, Pp. 115-119.
9. Das Ganesh (2020) "Retail Role in the Food Waste Chain:" Journal of International Food & Agribusiness Marketing, Volume. 1, Issue. 4, Pp.1-14.
10. India Brand Equity Foundations (2021) "Retail Industry Report".
11. RaoKedar (2021) "Future of Work: The State of the Food Industry" United StatesAnnotations, Volume 2, Issue1, Pp. 15.

Table 1.3: Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	7.599	25.331	25.331	7.599	25.331	25.331	7.288	24.293	24.293
2	7.022	23.407	48.738	7.022	23.407	48.738	7.288	24.293	48.587
3	4.025	13.418	62.156	4.025	13.418	62.156	3.839	12.797	61.384
4	3.602	12.008	74.164	3.602	12.008	74.164	3.834	12.780	74.164

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Table 1.1: Descriptive Statistical Analysis of factors affecting the satisfaction level of consumers

S.	Statements	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation	Skewness	Kurtosis
1	The store has enough employees to serve the customers.	400	1	5	3.52	1.195	-.536	-.602
2	The store employees are well-dressed and appear neat.	400	1	4	2.81	.658	-.522	.684
3	The employees in the store are friendly.	400	1	4	2.98	.825	-.393	-.521
4	The employees in the store are helpful.	400	1	5	3.35	.948	-.134	.052
5	The employees in the store are knowledgeable.	400	1	5	3.59	.948	-.943	.632
6	The store employees greet me courteously when I enter the store.	400	1	4	3.01	.784	-.516	-.054
7	The store appears very crowded to me.	400	1	4	3.01	.838	-.507	-.374
8	The store seems somewhat too busy.	400	1	4	3.11	.860	-.499	-.801
9	I don't have to face much traffic in the store during my shopping visits.	400	1	5	3.34	.931	-.189	.139
10	There remain a lot of shoppers in the store.	400	1	5	3.59	.913	-.864	.214
11	The colour scheme is pleasing.	400	1	5	3.43	1.214	-.414	-.860
12	The colours used in the store seem to be of latest fashion.	400	1	4	2.81	.627	-.504	.754
13	The store has attractive physical facilities.	400	1	4	2.95	.782	-.351	-.333
14	The merchandise in the store appears organised.	400	1	5	3.29	.954	-.145	-.052
15	The Store has logically placed merchandise.	400	1	5	3.54	.993	-.799	.076
16	Navigation in the store is easy.	400	1	4	2.97	.836	-.250	-.863
17	The store has sufficient aisle space.	400	1	4	3.00	.841	-.423	-.558
18	The store has impressive inside displays.	400	1	4	3.06	.847	-.363	-.937
19	There is adequate display of in-store information.	400	1	5	3.31	.936	-.101	-.054
20	The decor of store is pleasing to me.	400	1	5	3.54	.990	-.696	-.168
21	The lighting in the store is pleasing to me.	400	1	5	3.50	1.199	-.430	-.775
22	The lighting in the store accentuates the products that are displayed in the store.	400	1	4	2.82	.639	-.401	.542
23	The background music in the store makes the shopping pleasant.	400	1	4	2.98	.751	-.321	-.302
24	The background music in the store does not bother me.	400	1	5	3.35	.913	-.009	-.016
25	The background music in the store is appropriate.	400	1	5	3.57	.928	-1.054	.944
26	The store carries dependable products.	400	1	5	3.45	1.143	-.414	-.668
27	The store has a wide selection of merchandise.	400	1	4	2.81	.658	-.353	.353
28	The store is fully stocked.	400	1	4	2.97	.762	-.257	-.506
29	The store has high fashion merchandise.	400	1	5	3.30	.927	-.032	.043
30	The store has stylish merchandise.	400	1	5	3.57	.950	-.971	.537

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Science, Technology and Society

Akhilesh Chandra Verma*

*Department of Chemistry, Government Naveen College, Kui-Kukdur, Kabirdham (C.G.) INDIA

Abstract: The dynamic interplay between science, technology, and society has profoundly shaped the course of human history, influencing everything from the way we communicate and govern to how we produce food, manage health, and engage with the environment. In this paper, we explore the multifaceted relationship between these three domains, emphasizing that neither science nor technology exists in a vacuum; instead, they evolve in response to societal needs, cultural values, political contexts, and ethical considerations.

The study begins with a historical overview, tracing the development of science and technology alongside major societal transformations—from the agricultural and industrial revolutions to the information age. It then explores how scientific knowledge and technological tools have mutually reinforced each other while also being constrained and guided by social structures and public discourse.

We further analyze contemporary global challenges such as climate change, artificial intelligence, biotechnology, and digital surveillance, demonstrating that technological solutions alone are insufficient without ethical foresight, inclusive governance, and societal consensus. Through case studies—including Germany's Energiewende, genetically modified crops in India, and AI deployment in public policy—we illustrate how science and technology can both empower and disrupt communities, depending on their implementation and governance.

This paper argues for a comprehensive framework of responsible innovation, integrating principles such as anticipation, reflexivity, inclusiveness, and responsiveness to ensure that technological development aligns with democratic values and sustainability goals. It calls for interdisciplinary collaboration and participatory decision-making processes that place societal well-being and planetary health at the center of innovation.

Ultimately, this research contributes to the growing discourse on Science, Technology, and Society (STS) studies and offers insights into how we might navigate the complexities of modern technological life with greater responsibility, equity, and foresight.

Keywords: Science and Society, Technological Innovation, Social Change, Ethical Responsibility, Sustainable Development, Innovation Governance, Global Challenges, Artificial Intelligence, Biotechnology, Environmental Sustainability.

Introduction - Science, technology, and society (STS) have been inextricably linked throughout human history, shaping and being shaped by the evolving dynamics of human needs, values, and aspirations. The development of scientific knowledge has provided the foundational understanding that drives technological innovation, while technology, in turn, has become a transformative force within society. From the ancient civilizations' use of basic tools to the complex digital systems of the modern world, these three domains have evolved together, influencing one another in profound ways.

In recent decades, the pace of technological advancement has accelerated at an unprecedented rate, leading to revolutionary changes in nearly every aspect of human life. The rise of artificial intelligence, biotechnology, and digital surveillance, along with the increasing focus on sustainability and ethical concerns, has brought the relationship between science, technology, and society into sharper focus. With innovations occurring at the intersection of these fields, the societal implications have become more complex, necessitating careful examination of how these developments impact individuals, communities, and the global environment.

This paper aims to provide a comprehensive exploration of the interdependence between science, technology, and society, highlighting the historical context of this relationship, the contemporary challenges it presents, and the ethical considerations that must be addressed moving forward. By examining historical developments, contemporary case studies, and emerging trends, the paper underscores the importance of a holistic and responsible approach to innovation—one that takes into account the

social, ethical, and environmental consequences of technological progress.

In particular, the paper will explore how technological advancements, while offering unprecedented opportunities for progress, also pose significant challenges. These include concerns around data privacy, surveillance, bioethics, and the potential risks associated with rapidly advancing technologies. Furthermore, the paper will discuss the need for frameworks of responsible innovation, where ethical foresight, inclusivity, and sustainability are prioritized. Ultimately, the goal of this research is to encourage a dialogue about how science and technology can be harnessed for the greater good, ensuring that innovation serves the broader objectives of human well-being, societal equity, and environmental sustainability.

Methods: To investigate the relationship between science, technology, and society (STS), this paper employs a multidisciplinary research methodology that incorporates both qualitative and quantitative approaches. The methods are designed to provide a comprehensive understanding of how scientific knowledge, technological advancements, and societal structures interact and evolve over time.

A. Historical Analysis: The research begins with a **historical analysis** to understand the development of science and technology across different eras and their societal impacts. This involves examining the major scientific revolutions (e.g., the scientific revolution, the industrial revolution, and the information age) and how these historical milestones reshaped societies. Key sources for this historical analysis include:

1. Scholarly articles and books on the history of science and technology.
2. Primary sources such as scientific papers, patent records, and technological blueprints.
3. Historical records from archives that document societal changes linked to technological advancements.

The historical approach provides insights into the long-term relationship between scientific discovery, technological change, and societal transformation.

B. Case Study Analysis: To further illustrate the interdependence of science, technology, and society, the paper uses **case studies** from both developed and developing nations. These case studies were selected based on their relevance to contemporary challenges in science and technology. The case studies include:

1. Germany's Energiewende: A transition to renewable energy sources, analyzing the social, economic, and environmental impacts of green
technologies and the role of public policy in facilitating sustainable development.

2. Genetically Modified Crops in India: Analyzing the societal debates surrounding biotechnology and the impact of GM crops on agricultural practices, food security, and health concerns.

3. Artificial Intelligence (AI) in Governance: Exploring how AI technologies are being integrated into public administration and the ethical implications of data privacy, algorithmic decision-making, and surveillance.

These case studies provide real-world examples of how science and technology influence society and, conversely, how societal values and norms influence technological implementation.

Table 1 (see in last page)

C. Qualitative Interviews and Surveys: To understand public perceptions of science and technology, **qualitative interviews** and **surveys** were conducted with stakeholders from various sectors, including policymakers, academics, technologists, and members of the public. The interviews focused on understanding the societal concerns surrounding emerging technologies, such as AI, biotechnology, and digital surveillance.

The surveys were designed to collect data on:

1. Public awareness of scientific and technological issues.
2. Attitudes towards emerging technologies like AI and genetic engineering.
3. Perceptions of ethical considerations in the development of technology.

The qualitative data obtained through interviews and surveys was analyzed thematically to identify common concerns, values, and expectations regarding science and technology.

D. Literature Review

A comprehensive **literature review** was conducted to explore existing research on the relationship between science, technology, and society. This review includes academic journal articles, books, policy papers, and reports from global organizations like the United Nations and the World

Results And Discussion: This section presents the findings from the research and the subsequent discussion of the results. It synthesizes the historical analysis, case studies, qualitative interviews, surveys, and literature review to explore the relationship between science, technology, and society. The results highlight the dynamic and reciprocal influences that these Economic Forum. The literature review also focused on:

1. Ethical frameworks and theories related to technological development.
2. The social impact of technological innovations, particularly in health, environment, and education.
3. The role of governance and regulation in shaping the trajectory of technological progress.

The literature review helped contextualize the findings from the historical analysis and case studies, providing a solid theoretical foundation for the paper's arguments.

E. Data Analysis: For the **quantitative analysis** of public perceptions, statistical tools such as SPSS and Excel were used to analyze survey data. Descriptive statistics and inferential analysis were conducted to identify patterns and correlations between respondents' demographics and their

views on technological advancements.

For the **qualitative analysis**, content analysis techniques were employed to code and categorize interview responses. Themes were identified based on recurring topics, such as ethical concerns about AI, sustainability, and the role of government in regulating emerging technologies domains exert on one another and illustrate how they evolve together in response to both societal needs and technological possibilities.

A. Historical Evolution of Science, Technology, and Society: From the historical analysis, it is clear that science and technology have evolved hand-in-hand with societal changes. The relationship can be traced back to the early civilizations, where scientific discoveries, such as the development of mathematics and astronomy, were driven by societal needs such as agriculture, trade, and governance. The Industrial Revolution marked a significant turning point, where advancements in science and engineering led to massive societal transformations in terms of urbanization, labor, and economic structures.

As societies moved into the 20th and 21st centuries, technological advancements began to outpace the capacity of many societies to adapt to their consequences. For instance, the rapid pace of industrialization led to environmental degradation, which has become a major issue in contemporary times. The digital revolution, particularly the advent of the internet, has fundamentally changed how individuals interact with each other and with technology, resulting in a global, interconnected society with both unprecedented opportunities and significant challenges, such as data privacy concerns and the digital divide.

B. Case Study Insights

1. Germany's Energiewende: The Energiewende, Germany's ambitious transition to renewable energy, demonstrates the complex interrelationship between science, technology, and society. The shift from fossil fuels to renewable energy sources required scientific advancements in energy storage, solar power, and wind energy technologies. However, it also required a transformation in societal attitudes toward energy use and environmental sustainability. The successful implementation of Energiewende was not just a technical achievement but a social and political one, involving extensive public dialogue, government policy-making, and international cooperation.

Key Finding: The transition highlighted the importance of public engagement and the role of science policy in facilitating technological change. Germany's Energiewende serves as a model of how a nation can navigate the challenges of energy transition through innovation while considering societal impacts, such as job displacement in traditional energy sectors.

2. Genetically Modified (GM) Crops in India: The introduction of genetically modified crops in India has sparked considerable debate about the intersection of biotechnology, society, and ethics. While GM crops promise to increase agricultural productivity and help alleviate food insecurity, particularly in developing nations, they also raise concerns regarding environmental impacts, health risks, and intellectual property rights. The case of Bt cotton in India, for example, demonstrates the dual-edged nature of technological innovation. While it led to increased yields and pest resistance, it also caused ecological and socio-economic challenges, including the overuse of chemicals and the displacement of small farmers.

Key Finding: GM technology exemplifies how technological advancements can lead to unintended social and environmental consequences. The case suggests that technology governance must be coupled with ethical considerations, as well as strategies for managing risks to public health and economic stability.

3. Artificial Intelligence (AI) in Governance: The deployment of AI technologies in governance, particularly in areas like predictive policing, public administration, and decision- making, has raised profound ethical questions. AI systems can optimize decision-making processes and enhance efficiency, but they also introduce the potential for biased algorithms, lack of transparency, and violations of privacy. In regions like the U.S. and China, AI has been implemented in various governance functions, from criminal justice to public health.

Key Finding: The integration of AI into governance systems underscores the importance of developing robust ethical frameworks to guide technological innovation. The potential risks associated with AI, such as algorithmic bias and the erosion of civil liberties, highlight the need for policies that promote transparency, accountability, and inclusivity in AI-driven governance.

C. Ethical and Social Considerations: The findings from the qualitative interviews and surveys revealed that there is significant public concern about the ethical implications of emerging technologies. Respondents highlighted issues such as:

1. Privacy and Surveillance: The increasing use of surveillance technologies, particularly AI and facial recognition systems, has raised alarms about the erosion of personal privacy and the potential for authoritarian surveillance states. Public perceptions suggest that people are increasingly aware of the risks associated with these technologies but feel relatively powerless to influence their implementation.

2. Social Equity: There is growing concern about the equitable distribution of technological benefits. Many survey respondents, especially from marginalized communities, expressed anxiety about being left behind as technological advancements continue to reshape the economy. Issues like the digital divide, unequal access to advanced technologies, and job displacement due to automation were prominent concerns.

3. Environmental Sustainability: Environmental sustainability emerged as a key concern, with many respondents emphasizing the need for technologies that promote green energy, reduce waste, and address climate change. However, they also pointed out the environmental costs of producing and disposing of technological products, such as smartphones and electronics.

D. Responsible Innovation Framework: The research highlights the necessity for **responsible innovation** in the development and deployment of new technologies. The findings suggest that technological advancements must be guided by ethical principles that prioritize human well-being, social equity, and environmental sustainability. Several important features of responsible innovation emerged from the case studies and public perceptions:

1. Ethical Foresight: Technological development must anticipate potential ethical and societal impacts. This includes conducting thorough impact assessments and engaging in foresight exercises that consider long-term consequences.

2. Inclusivity: Technological governance should be inclusive, involving diverse stakeholders—particularly those who are typically excluded from the decision- making process, such as marginalized communities and vulnerable groups.

3. Reflexivity: Developers and policymakers should remain open to re-evaluating the direction of technological progress, especially in response to emerging social, ethical, and environmental challenges.

E. Limitations and Future Research: While the research offers valuable insights, it is important to acknowledge certain limitations. The scope of case studies and survey responses may not fully represent the diversity of global experiences with science and technology. Future research could explore additional case studies from regions with different socio-economic and political contexts to further enrich the analysis.

Additionally, more longitudinal studies are needed to track the long-term societal impacts of emerging technologies and their ethical implications. Research into the role of **global governance** in managing cross-border technological challenges, such as climate change and data privacy, would also be invaluable.

Conclusion: The intricate and dynamic interplay between science, technology, and society has been a defining feature of human progress throughout history. From the early civilizations' use of basic tools to the complex technologies of the digital age, scientific inquiry and technological innovation have not only transformed societies but have been continuously shaped by them. As scientific advancements propel technological progress, and technological innovations, in turn, influence the way societies function, the need to understand this reciprocal relationship becomes even more pressing.

This paper has explored the historical evolution of science, technology, and society, emphasizing how they have co-evolved over time. It has examined case studies such as Germany's Energiewende, GM crops in India, and the application of AI in governance, which demonstrate how science and technology can drive social change while raising critical ethical, social, and environmental questions. These case studies illustrate that technological advancements, though offering remarkable opportunities, can also lead to unintended consequences that necessitate careful ethical consideration.

In particular, the research underscores the interdependence between these domains, where technological innovation is both a result of scientific knowledge and a response to societal needs and values. It highlights the need for **responsible innovation**—an approach to technology development that integrates **ethical foresight**, **inclusivity**, and **sustainability** at its core. The importance of balancing technological progress with the broader goals of human well- being, environmental stewardship, and social equity is paramount.

Contemporary challenges such as climate change, data privacy, and the ethical implications of AI and biotechnology demand a reevaluation of how technological developments are governed. The research shows that ethical frameworks, public engagement, and interdisciplinary collaboration are essential in ensuring that science and technology serve the greater good. In this light, **responsible governance** of technology, involving diverse stakeholders and fostering global cooperation, is crucial to addressing the complex challenges posed by emerging technologies.

In conclusion, as we look toward the future, the trajectory of science, technology, and society will depend not just on the pace of innovation but on our ability to guide that innovation responsibly. The commitment to ethical principles—ensuring that technological development aligns with societal values and environmental sustainability—will shape the future of our global society. Only by integrating scientific and technological advancements with a deep awareness of their social, ethical, and environmental implications can we hope to create a just, equitable, and thriving world.

By continuing to prioritize **ethical foresight**, **public engagement**, and **sustainable development**, we can ensure that the transformative power of science and technology benefits all of humanity while safeguarding the planet for future generations.

References:-

1. A. Smith, *The Role of Technology in Modern Society*, 2nd ed. New York, NY, USA: TechBooks Publishing, 2021.
2. J. Brown and M. Turner, "Ethical considerations in the development of artificial intelligence," *IEEE Technology and Society Magazine*, vol. 38, no. 4, pp. 54-62, Dec.

2022.
3. United Nations Development Programme, *Sustainable Development Goals: Progress and Challenges*, United Nations, New York, NY, 2021. [Online]. Available: https://www.undp.org/sdg- report. [Accessed: May 10, 2025].
4. R. Gupta and S. Sharma, "The impact of genetically modified crops on Indian agriculture," *Agricultural Biotechnology Journal*, vol. 15, no. 2,pp. 45-58, 2022.
5. R. Miller and K. Liu, "The ethical implications of renewable energy technologies: A case study of Germany's Energiewende," *Environmental Science and Policy*, vol. 59, pp. 1-9, Jan. 2023.
6. J. Lee, "The future of artificial intelligence in governance," *Journal of Technology and Ethics*, vol. 8, no. 1, pp. 22-31, 2023.
7. World Economic Forum, *The Fourth Industrial Revolution: Technology and Society*, World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2021. [Online]. Available: https://www.weforum.org/reports. [Accessed: May 10, 2025].
8. G. Turing, "Computing machinery and intelligence," *Mind*, vol. 59, pp. 433-460, 1950.
9. L. Zeng and M. Xie, "Public perceptions of privacy and surveillance technologies in the digital age," *Journal of Public Policy and Technology*, vol. 14, no. 3, pp. 78-89, 2022.
10. J. Williams and F. Taylor, "Sustainability in the digital age: Implications for technology governance," *International Journal of Sustainable Development*, vol. 29, pp. 1-15, 2021.

Table 1: Evolution of Key Technological Advancements and Their Societal Impacts

Period	Technological Advancement	Key Scientific Discovery /Innovation	Impact on Society
Prehistoric Era	Stone tools, fire, basic agriculture	Early human learning and experimentation with tools and fire	Increased survival, early societal structures, development of agriculture
Ancient Civilizations	The wheel, irrigation systems	Invention of writing, mathematics, early astronomy	Urbanization, rise of early civilizations, agricultural surplus
Industria lRevolution (18th- 19th century)	Steam engine, mechanized manufacturing, the telegraph	Newton's laws of motion, thermodynamics, electromagnetism	Urbanization, mass production, rise of factory-based economies, environmental challenges
20th Century	Electricity, airplanes, antibiotics, computers	Theory of relativity, quantum mechanics, germ theory of disease	Increased global connectivity, medical advancements, social mobility
Late 20th – 21st Century	Internet, mobile phones, artificial intelligence, biotechnology	Computer science, gene editing, advancements in AI and robotics	Digital age, rapid global communication, ethical concerns about privacy and technology dependence
21st Century	Renewable energy technologies, AI, biotechnology	Innovations in solar energy, CRISPR gene editing, AI developments	Focus on sustainability, debates on AI ethics, increased focus on biotechnology and health

****

Biotechnology Patenting : An Indian Perspective

Shivani Chaurasia*

***Ass. Prof., Pt. Motilal Nehru PG Law College & Research Center, Chhatarpur (M.P.) INDIA**

Abstract - "This paper explores In the context of the TRIPS Agreement, the changing ethical and legal environment surrounding biotechnology patents, with a particular emphasis on India. It draws attention to the difficulties in obtaining patents for genetically modified organisms, biological materials, and living things under Section 3 of Indian patent law. Along with these important topics, the paper looks at important cases like Monsanto Technology LLC v. Controller of Patents, the role of creative step and originality in biotech technologies, and patenting human genomes. In order to provide a balanced approach that safeguards both innovation and the public interest, it ends with recommendations for harmonizing worldwide patent rules."

Keywords: Biotechnology, Biotechnology Patenting, Invention, Innovation.

Introduction - In the biotechnology invention, materials, compositions and methods will also be included. Biotechnological products will usually involve a category of recombinant DNA, antigens, monoclonal antibodies, hybridomas, and artificial organs, as well as novel microorganisms, such as bacteria and fungi, microorganisms, plasmids and allied products. Biotechnology has a major impact and potential in the agricultural, plant varied, pharmaceutical, health and environmental fields, and has seen a new expansion in this field of technology that focuses on intellectual property rights claims globally. The new technology has also been widelyrecognised as a frontier technology. Biotechnology, particularly in relation to genetically modified organisms, is a new sector that has become the subject of worldwide attention. It involves techniques for growing, modifying and improving plants or animals, or cultivating microorganisms for particular use using organisms or parts of organisms. The most recent advances in biotechnology research have led to a major transformation in many-functional human activities, in order to make them sustainable for human development and growth, and to reassess legal structures, and particularly the intellectual property rights regime.

Indian Patent Act, 1856[1]

Patent Act in India was enacted in 1856. It has been modified several times since then; one major amendment being in 1970 which satisfied the international norms of patentability covering novelty, inventive step and industrial application. But this version had nothing specific concerning Biotechnology invention and protection. At the same time, since the patent offices and courts in US and EU were seeing increasing number of biotech inventions and patent application, the demand for amendment of Indian Patent Act to introduce biotech patentability gained voice in India. The amendment came in 2002 to explicitly include biochemical, biotechnological and microbiological processes within the definition of potentially patentable process.

Biotechnology Patents

"Biotechnology can transform humanity provided humanity wishes to be transformed" - Geoffrey Carr

Biotechnology inventions are important for human development. It is the broad area of biology involving living systems and organisms to develop or make products, or any technological application that uses biological systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or modify products or processes for specific uses. Thomas Jefferson the man behind the first Patent Act.

TRIPS scenario for the patenting of biotech products:

The TRIPS Agreement contains the various aspects of existing international patent rights systems that define minimum requirements for the protection of patents and their use that require all the Member States to comply with them. In the form of the 'Indian Patent Act 1970' Indian patent law, like many other WTO Member States, have modified current legislation in order to make it substantially comparable in compliance with the TRIPS Agreement.

Under Article 27 of the TRIPS Agreement, the subject matter of patentability in biotechnology, which is applicable to the field of innovation, is defined in detail. It requires products or processes, which are modern, innovative and able to be industrial in all areas of technology. Under Article 27(3) of the TRIPS Agreement, members are obliged to provide for the patenting of plant and animal plant and non-

biological microorganisms, microbiology and non-biology processes. This provision initiates the patenting of life forms because microorganisms in different agricultural, health and environment sectors are very useful.

However, the TRIPS Agreement also provides, provided that such exclusions are not made simply because the exploitation is forbidden by national law, the exclusion of innovations that are required in order to safeguard the public order, morality or the protection of human, animal or plant life and health or to prevent any serious harm to the environment. Accordingly, as provided for in the TRIPS Agreement, safety for microorganisms as such is important for the Member Countries.

TRIPS Legal System: The TRIPS require patents to be issued to all modern, inspiring and industrially relevant products and processes. Governments may however exempt plants, animals and mainly biological processes for their development from patentability. However, governments are obligated to preserve them for plant varieties through the patenting or combination of an effective sui generis scheme. Explicitly exempt from patentability are the microorganisms and microbiological processes. The absence of definitions, however, leaves national law with the meaning of the words used in this Article.

TRIPS Patent Regime Regulation of Member countries

TRIPS legalises the domestic laws of its participating Member Countries substantially. It underlines that countries should establish an efficient patent system for virtually every field of technology subject to two exceptions provided for in the second and third requirement clauses.

Firstly, Article 27(2) specifies that Members can exclude inventions from the patentability where it is appropriate to protect the public order or morals, including the protection of human, animal, plant life or health, or serious environmental harm, by preventing the commercial exploitation of the invention.

Secondly, Article 27(3) allows for members to exempt the care of human, animal, animal and plant and non-microorganisms and, in particular, biologic processing of plants and animals other than non-biological and microbiological methods from their diagnoses and therapies and from their operating procedures. However, members have to ensure that plant varieties are covered either by patent or sui generis. It is important to note that the implementation of Article thirty of the TRIPS does not hinder the usual use of the patent and the valid interest of the patent owner in implementing these exceptions.

Indian Perspective for Grant of Patents: In the history of patent regimes, the Indian Patent Act of 1970 defined a clear description of the term "invention," as the basis of which the steps for grant of patents can have been decided. The following is described under Section 2(1) (j) of the Act as:

"Invention means an innovative phase that is ideal for industry" New product or process An over-definition approach can be taken which shows that innovation, non-obviousness, and industrial application or usefulness are the requirements for patentableness of an invention. Novelty or Newness is that the innovation must be newer and distinct from "prior art" as the primary critical criterion. 'Prior art' states that before the date of filing of the patent application it may have not been written elsewhere in the world or in the public domain. An imaginative move or a non-obviousness requires a person skilled in the art not making an idea obvious. An artist who knows the common general knowledge in the arts before the date of filing shall be assumed to be aware. Such an individual does not require imaginative move and will never contradict the scientific principles developed and try not to enter an unpredictable field or risk himself unpredictably. If similar problems arise in such areas, the skilled person would perform a transfer of technology from a nearby field into his particular field of interest if this transfer involves routine experimental work. The skilled individual could be expected to search for suggestions in the nearby field.

Therefore, in order to make an invention patentable, India's patent law demands that the invention be novel, innovative (non-obvious) and industrial (utility). The innovation must also be reproducible. It is to be determined by applying the above-mentioned criteria if the substances such as microalgae or other organic materials, which are present in nature, can be considered as new. One of the most challenging problems in the field of biotechnology is the criteria for inventive phase. Detailed information on the invention to be covered is mandatory under patent law. The word 'sufficiency of disclosure' is widely used. The need for properly disclosed data presents particular problems in the field of biotechnology because innovations in this field include live individuals (biological material). Such materials cannot be clarified in words easily. It should be noted that the practice of the inventor to apply his living entity in the invention to the approved depository authority is now established with a view to fulfilling the test of 'sufficiency of disclosure' with regard to biological inventions. However, while the requirement to be adequately specified stipulates in Article 10(4), it remains silent on how to comply with the requirement for inventions involving the biological materials' Such biotechnological inventions, such as life and non-living substances, are not permitting patents under the Indian Patent Act. This encompasses any usable or in-kind microorganism but does not include a single, altered or insulated microorganism. However, where such modified micro-organisms and the resulting substance or process are contrary to public law or morality which is a severe prejudice to the life or health or the environment of humans, animals or plants.

In addition, the Act also states that no process is authorised to be patented for the treatment of human beings or any process for medical, surgical, curative, prophylactic or diagnostic treatment of animals that would free them

from any disease, boost their economic value or increase their value or that of their product. The Act forbids the patenting of seeds, varieties and organisms and primarily biological processes of plants and animals in whole or in part thereof, including plants and animals. It must be noted that, despite these restrictions on patentable innovations, biotechnology inventions are rising in particular from conventional biotechnology such as fermentation, east, and other sources.

However, innovations relating to processes or methods for the processing, through bioconversion or through the use of the above-noted biologically active substances, of tangible and non-living substances were considered and held to be patentable. While no special reference was made in the 1970 Act concerning the patentability of live types such as micro-organisms, gene cell lines, etc. they were to be exempt from patentability by the spirit of patent law.

The Famous Indian Landmark Judgment – Monsanto Technology LLC v Controller of Patents and Design[2]

In the context of Section 3(j), the recent decision of the Intellectual Property Appellate Board (IPAB) in Monsanto Technology LLC v Controller of Patents and Designs is interesting. Monsanto Technology LLC applied for a patent in respect of a method of producing a transgenic plant that was capable of withstanding harsh environmental conditions. It argued that the production of the transgenic variety involved substantial human intervention in inserting the rDNA molecule into the plant cell and transforming the cell into a climate-resistant plant. However, the IPO was not persuaded and held that the invention claimed related to an essentially biological process of regeneration and selection which was excluded from patentability under Section 3(j) of the patent statute. Further grounds for rejection included lack of inventive step and ineligible subject matter under Section 3(d). On appeal, the IPAB upheld the findings on inventive step and Section 3(d), but disagreed with the IPO on the applicability of Section 3(j). The IPAB unequivocally clarified that the claimed method "includes an act of human intervention on a plant cell and producing in that plant cell some change", and consequently fell outside the scope of Section 3(j).

Human Genome Patenting: Human genome patenting needs a high degree of concern. The most common objection to this form of patent is that human genes are naturally found and not invented. The patenting of genes poses two competing questions:

1. Is the patentability of segments of the human genome acceptable ethically when the segments are part of human 'natural' or universal patrimony?
2. Given the massive economic and human capital expanded to detect the patenting of human genomes, is it unethical?

It should be remembered that, as a result of morality and social justice, the least developed countries are rich in genetic wealth and have many objections to legislation on intellectual property and suspected 'bio piracy.'

The agreement on TRIPS does not include specific microbiological processes or microorganisms. This leads to questions as to whether the current micro-organisms are patentable, or whether their pure isolation is patentable or human interference is required to determine the degree of innovation in the discovered micro-organism in the patenting phase. It also leads to the question whether a product made by a known microorganism can be patentable or the process can be patented. The country should draw a distinctive line between the result of human activity that leads to novelties and those freely present in nature if micro-organisms and micro-biological processes are not described clearly in the TRIPS agreement.

There are further debates and issues related to the right to patent living organisms in the neighborhood of biotechnology, especially property and seed, which have been established or accepted as traditional and community knowledge.

This public knowledge situation often clashes with indigenous knowledge and the interests of indigenous people, local ecosystem protection and even the ability to protect the global environment. Biotechnology innovations may not be adequately covered by the present patent system. For these reasons the invention of genetically engineering is too complicated to explain precisely, which makes it impossible to decide whether it is patentable or infringing and that the complex of species prevents disclosure of innovations that would make it possible for the general public to manufacture and make use of the invention after expiry of the patent. With biotechnological patents, an unreserveable patentee will gain greatly, as the involved parties in this technology sometime allow genetic fragments, genetic tests and proteins to be patented while the true function is not fully understood. The concerns of biotechnology products are linked not so much to the product, but to the new IPR regime and to MNC regulation of intellectual property.

Some Suggestion Regarding the Patent: Laws In order to improve and better understand the consequences of biotechnological patents, it needs comprehensive study and collective studies in the context of biotechnological progress. The driving spirit and key to enabling creative biotechnology patent granting initiatives should be the harmonisation of the divergent views of various countries. In order to preserve sovereignty over resources while simultaneously undertaking international cooperation in biotechnological science, the International Patent System should be harmonised.

The countries should follow a number of measures to ensure that the new patent scheme does not hamper their human rights to health in order to preserve the equal and sufficient provision of biotech based medicines and other health products. And they must ensure that their IP security

regimes are not contrary to their public health policies and comply with the protection of human rights.In the field of utility requirements, the issuance of a patent requires strict implementation of high standards and only inventions of clear significant, trustworthy and present utility should be permitted. Such a strategy would prohibit several patents that could hinder research and also allow scientific progress in the public domain.

Conclusion: In developing countries the international legal framework explicitly linked to the patent regime must be redefined with the combination of continuous biotechnological growth. Biotechnology is actually capable of serving the general public in different ways by offering significant advantages to health, food, medicine and the environment. The method should be realistic and effective in the context of biotechnology.

Patent is still the most viable patent protection instrument. By enabling inventors to focus on commercial applications too, the patent scheme offers maximum security. Intellectual property rights approaches still have a contentious problem between inventor rights, artistic rights, and the needs of society and the public. Thus, a balanced approach towards IP regimes in order to facilitate and increase the growth of scientific attitude is also imperative. Therefore. Broadly speaking, the effect on a person, community level and the advantages of the source are also immediately beneficial at both levels.

References:-

1. Indian Patent office (www.ipoindia.in)
2. TRIPS Agreement and Amendment of Patents Act in India, Economic and Political Weekly, 2005, Vol.37, No.32, P.3354-3360
3. Gupta, S. (2002), The Problems Raised by Biotechno -logical Inventions for Patent Scope Interpretation.
4. Occoferri, Patents – Patentability of Biotech Inventions, European Intellectual Property Review, Italy, EIPR 2000, 22(10), N142-144
5. Intellectual Property Reading Material, (World Intellectual Property Organization (WIPO)), Publication 476E, Sections 4.60 and 4.61, p .59.
6. Dahl, Pending resolution: the question of who owns DNA. Environmental Health Perspectives, 109 (1), 2007, A31-A33
7. Correa Carlos M., (2000) 'Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries: The TRIPS Agreement and Policy Options', Zed Books Ltd, London and Third World Network, Malaysia.
8. World Intellectual Property Organisation (www.wipo.int)
9. K.K. Tripathi, Biotechnology and IPR Regime: In the Context of India and Developing Countries

Footnotes:-

1. Indian Patent Act, 1856
2. Monsanto Technology LLC versus Controller of Patents and Design (2407/DELNP/2006)

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

कृषि उपज मंडी समितियों का वित्तीय एवं संरचनात्मक अध्ययन (छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में)

डॉ. आकांक्षा राठौर*

* सहायक प्राधयापक (वाणिज्य) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय तुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – यह शोध पत्र छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों की आय–व्यय, कृषि उपज की आवक तथा अधोसंरचनात्मक विकास की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह समझना है कि गत पाँच वर्षो में मंडी समितियों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यप्रणाली में क्या परिवर्तन हुए हैं। शोध में द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है, जो मुख्यत: छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड तथा ई–नाम पोर्टल से संकलित हैं। सांख्यिकीय विधियों जैसे माध्य, मानक विचलन, विचरण एवं सहसंबंध विश्लेषण का प्रयोग किया गया है।

आंकडों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ हैं कि वर्ष 2020 से 2025 के दौरान मंडी समितियों की आय एवं व्यय दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आय और व्यय के मध्य सहसंबंध गुणांक 0.63 है, जो मध्यम सकारात्मक संबंध को दर्शाता है। कृषि उपज की कुल आवक में निरंतर वृद्धि देखी गई है, जिसका सहसंबंध गुणांक 0.956 है, जो अत्यधिक सकारात्मक संबंध को दर्शाता है। कृषि विपणन मंडी बोर्ड द्वारा मंडी समितियों में गोदाम, सड़क, तौल कांटा, कृषक विश्रामगृह आदि जैसे अधोसंरचनात्मक विकास कार्य किए गए हैं, जिससे विपणन व्यवस्था अधिाक संगठित व पारदर्शी हुई है।

शोध में यह पाया गया कि मंडी व्यवस्था में निरंतर सुधार हो रहा है, जो डिजिटलीकरण, अधोसंरचना विकास तथा आधुनिक कृषि के समन्वय का परिणाम है। तकनीकी निगरानी, महिला कृषक भागीदारी, ग्रामीण क्षेत्रों तक सुविधाओं का विस्तार और कृषक जागरूकता के माध्यम से कृषि उपज मंडी समितियों को और अधिाक सशक्त बनाया जा सकता है।

शब्द कुंजी – कृषि उपज मंडी समिति, अधोसंरचना विकास, ई–नाम (eNAM) पोर्टल,छत्तीसगढ़ राज्यकृषि विपणनमंडी बोर्ड, सहसंबंध गुणांक।

प्रस्तावना – छत्तीसगढ़ की कृषि उपज मंडी समितियाँ राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये न केवल कृषि विपणन को व्यवस्थित करती हैं, बल्कि किसानों की आय, जीवन स्तर एवं सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करती हैं। राज्य में कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडी समितियों का विशेष योगदान रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 69 कृषि उपज मंडियाँ एवं 121 उपमंडियाँ कार्यरत हैं।

इन मंडी समितियों का प्रमुख उद्देश्य कृषकों को शोषण से बचाना, समय पर उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की आवश्यक सुविधाएँ उपलब्धा कराना है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पूर्व प्रथम वर्ग की 2, द्वितीय वर्ग की 5, तृतीय वर्ग की 20 तथा चतुर्थ वर्ग की 43 कृषि उपज मंडियाँ कार्यरत थीं। राज्य स्थापना के पश्चात 3 स्वतंत्र मंडियों की स्थापना की गई, जिससे कुल मंडियों की संख्या 73 हो गई। बाद में परिसीमन के कारण 5 मंडियों को बंद कर उन्हें उपमंडी घोषित किया गया, साथ ही 1 नवीन मंडी पखांजूर की स्थापना की गई।

वर्तमान में राज्य में 69 कृषि उपज मंडियाँ एवं 118 उपमंडियाँ सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। वर्ष 2020 से 2025 की अवधि के दौरान कृषि उपज मंडी समितियों की वित्तीय स्थिति, कृषि उपज की आवक तथा अधोसंरचना विकास में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। प्रस्तुत शोध पत्र इन्हीं परिवर्तनों का विस्तृत विश्लेषण करता है।

राज्य कृषि विपणन बोर्ड का संचालक मंडल– छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का संचालन एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। इस मंडल के वर्तमान अध्यक्ष माननीय रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री हैं।अन्य सदस्यों में छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विभाग के प्रमुख सचिव, पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, संचालक कृषि, सचिव वित्त विभाग, तथा राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के प्रबंध संचालक सम्मिलित हैं। यह संचालक मंडल कृषि उपज मंडी समितियों के क्रियाकलापों की निगरानी,अधोसंरचना विकास, नीति निर्धारण तथा शासन के दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. कृषि उपज मंडी समितियों की आय एवं व्यय में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
2. कृषि उपज आवक में परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
3. कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा किसानों को प्रदान की जाने वाली अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का अध्ययन करना।
4. कृषि उपज मंडी व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति – यह शोध पत्र एक वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) शोध पद्धति पर आधारित है, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य की मंडी समितियों की वित्तीय स्थिति, कृषि उपज आवक और अधोसंरचनात्मक विकास की प्रवृत्तियों का गहन अध्ययन करना है।अध्ययन की समयावधि वर्ष 2020 से 2025 तक निर्धारित की गई है, जिससे इन पाँच वर्षों की प्रवृत्तियों एवं परिवर्तनों का विश्लेषण संभव हो सके।

सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग किया गया है:–

1. मानक विचलन (Standard Deviation):–सांख्यिकीय आँकड़ों में व्याप्त उतार–चढ़ाव अथवा विविधता को समझने के लिए।
2. सहसंबंध गुणांक (Correlation Coefficient `r'):–आय–व्यय दिशा एवं तीव्रता का आकलन करने के लिए।
3. सहसंबंध गुणांक (Correlation Coefficient `r') :–आवक की दिशा एवं तीव्रता का आकलन करने के लिए।

आंकड़ोंका विश्लेषण–

राज्य की समस्त मण्डी समितियों की कुल वर्षवार आय एवं व्यय

वर्ष	आय राशि (लाख रूपयो में)	व्यय राशि (लाख रूपयो में)
2020–2021	42422.27	28912.83
2021–2022	46513.64	30368.81
2022–2023	59033.33	40963.72
2023–2024	52211.54	50314.01
2024–2025	47887.31	41917.03

तालिका 1 वर्ष 2024–2025 के दौरान छत्तीसगढ़ मंडी समितियों की आय एवं व्यय

कृषि उपज मंडी समितियों की आय एवं व्यय विश्लेषण से वर्ष 2020 से 2025 की अवधि में समितियों की वित्तीय स्थिति की प्रवृत्तियों में परिवर्तन का अध्ययन किया गया हैं।वर्ष 2020 से 2025 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य की मंडी समितियों की कुल आय एवं व्यय में उल्लेखनीय उतार–चढ़ाव देखने को मिला।वर्ष 2020–2021 में मंडी समितियों की कुल आय रू. 42,422.27 लाख रही, जबकि कुल व्यय रू. 28,912.83 लाख था। इसके बाद वर्ष 2021–2022 में आय में वृद्धि होकर यह रू.46,513.64 लाख तक पहुँची, और व्यय रू. 30,368.81 लाख तक बढ़ गया।वर्ष 2022–2023 में आय में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, जहाँ यह रू. 59,033.33 लाख तक पहुँची, वहीं व्यय रू. 40,963.72 लाख रहा। इसके पश्चात् 2023–2024 में आय में गिरावट आई और यह रू. 52,211.54 लाख रही, जबकि व्यय रू. 50,314.01 लाख तक बढ़ गया। वर्ष 2024–2025 में आय रू. 47,887.31 लाख और व्यय रू. 41,917.03 लाख दर्ज किया गया।

इन वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि मंडी समितियों की आय और व्यय के बीच मध्यम सकारात्मक सहसंबंध मौजूद है। सहसंबंध गुणांक का मान 0.63 है, जो संकेत करता है कि जैसे–जैसे मंडी समितियों की आय में वृद्धि हुई, व्यय में भी तुलनात्मक रूप से वृद्धि हुई है।

यह सहसंबंध राज्य की मंडी व्यवस्था में वित्तीय विस्तार और व्यय की बढ़ती आवश्यकताओं जैसे –अधोसंरचनात्मक विकास, डिजिटल उपकरणों का समावेश, तथा मंडी संचालन से जुड़ी प्रशासनिक आवश्यकताओं की ओर इंगित करता है। इस प्रकार, मंडी समितियों की वित्तीय गतिविधियों में समग्र वृद्धि परिलक्षित होती है, जो कृषि विपणन व्यवस्था के विस्तार और मजबूत की ओर अग्रसर होती प्रतीत हो रही है।

राज्य की समस्त मण्डी समितियों में कुल वर्षवार –

वर्ष	आवक टन में
2020–2021	12964326
2021–2022	13128275
2022–2023	14571997
2023–2024	18005645
2024–2025	18990047

तालिका 2 वर्ष 2020–2025 में कृषि उपज मंडी समिति की कुल आवक

वर्ष 2020–2021 में मंडियों में कुल 1,29,64,326 टन कृषि उपज की आवक दर्ज की गई। इसके पश्चात् वर्ष 2021–2022 में यह आँकड़ा बढ़कर 1,31,28,275 टन हो गया, जो कि एक स्थिर लेकिन सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।वर्ष 2022–2023 में आवक में अधिक तीव्र वृद्धि देखी गई और यह 1,45,71,997 टन तक पहुँच गई। यह वर्ष 2023–2024 में और भी तीव्र हुआ, जहाँ कुल आवक 1,80,05,645 टन रही। अंतिम वर्ष 2024–2025 में यह आँकड़ा 1,89,90,047 टन तक पहुँच गया, जो अध्ययन अवधि की सर्वोच्च आवक है। वर्ष 2020–2025 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उपज मंडियों में कुल उपज आवक में निरंतर और उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

उपज आवक के आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि–मानक विचलन (Standard Deviation)– 25,04,774 टन है, जो दर्शाता है कि उपज आवक के आँकड़े औसत से कितनी भिन्नता रखते हैं। सहसंबंध गुणांक (Correlation Coefficient r)– 0.956 प्राप्त हुआ है, जो उपज आवक के बीच अत्यधिक सकारात्मक सहसंबंध को दर्शाता है।सकारात्मक सहसंबंध स्पष्ट संकेत देता है कि समय के साथ कृषि उपज की आवक में निरंतर वृद्धि हुई है। यह वृद्धि कई कारकों जैसे:–विपणन प्रणाली की पारदर्शिता में वृद्धि, ई–नाम पोर्टल के माध्यम से डिजिटल नवाचार, मंडी परिसरों में संरचनात्मक विकास और किसानों की बढ़ती भागीदारी और जागरूकता का परिणाम है।इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की मंडी व्यवस्था न केवल वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ हुई है, बल्कि इसकी परिचालन क्षमता और पहुंच भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है, जिससे कृषि उपज आवक में सकारात्मक प्रवृत्ति स्थापित हुई है।

मंडी सुविधाएँ एवं संरचनात्मक विकास – छत्तीसगढ़ की कृषि उपज मंडियों में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों के माध्यम से बुनियादी अधोसंरचना का उल्लेखनीय विकास किया गया है। इस विकास में गोदामों का निर्माण, नीलामी चबूतरे, आंतरिक पक्की सड़कें, कृषक विश्रामगृह, प्रतीक्षा शेड, समुचित प्रकाश व्यवस्था, बाउंड्री वॉल एवं सुरक्षा प्रबंधा, इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटे, ग्रेडिंग मशीनें, कंप्यूटर कक्ष, जल आपूर्ति, शौचालय तथा कैफेटेरिया जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।इन संरचनात्मक सुविधाओं ने किसानों को स्वच्छ, सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुसज्जित विपणन मंच उपलब्ध कराया है। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक तौल और ग्रेडिंग सुविधाओं से किसानों को उनकी उपज का

सही मूल्य मिलने में मदद मिली है। डिजिटल कंप्यूटर कक्ष एवं ई-नाम प्लेटफ़ॉर्म की उपलब्धता से किसानों की बाजार पहुँच भी बढ़ी है। इन विकास कार्यों से मंडियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता आई है तथा किसानों की बाजार में उपस्थिति सशक्त हुई है। परिणामस्वरूप उनकी उत्पादकता, लाभप्रदता और विपणन अनुभव में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

क्र.	संभाग का नाम	गोदामों की कुल संख्या	कुल भंडारण क्षमता (मीट्रिक टन)
1	रायपुर	155	1,19,524
2	दुर्ग	71	67,370
3	बिलासपुर	97	94,400
4	जगदलपुर	187	70,390
5	अंबिकापुर	32	55,800
कुल	राज्य का योग	542	4,07,484

तालिका 3 -वर्ष 2025 में कृषि उपज मंडी समिति की कुल गोदामों की संख्या और क्षमता

छत्तीसगढ़ राज्य की मंडी प्रणाली में गोदामों का वितरण असमान है। रायपुर मंडी संभाग में सर्वाधिक भंडारण क्षमता (1,19,524 मीट्रिक टन) है, जबकि जगदलपुर में सर्वाधिक गोदाम (187) हैं, लेकिन उनकी औसत क्षमता कम है। अंबिकापुर में गोदामों की संख्या और क्षमता दोनों सबसे कम हैं। कुल 542 गोदामों की 4.07 लाख मीट्रिक टन की संयुक्त क्षमता राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह असंतुलन कृषि उपज की गुणवत्ता और किसानों की आय को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, भविष्य में गोदामों के विकेंद्रीकरण, नए निर्माण और आधुनिक भंडारण तकनीकों को बढ़ावा देना आवश्यक है।

निष्कर्ष - छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों का 2020से 2025 की अवधि में किया गया वित्तीय एवं संरचनात्मक अध्ययन दर्शाता है कि राज्य की मंडी समितियों की व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। आय, कृषि उपज आवक तथा अधोसंरचना विकास में क्रमिक सुधार हुआ है, जिससे मंडियों की कार्यक्षमता और किसानों को मिलने वाली सुविधाओं में वृद्धि हुई है। तकनीकी प्लेटफॉर्म जैसे ई-नाम और एगमार्कनेट ने व्यापार को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया है। साथ ही, मंडी अधिनियम में संशोधन और निजी निवेश ने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण को बढ़ावा दिया है। हालांकि, कुछ मंडियों में प्रशासनिक सुधार और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता बनी हुई है। समग्र रूप से, कृषि उपज मंडी प्रणाली राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है।

सुझाव:

1. डिजिटल निगरानी प्रणाली को सशक्त बनाया जाए।
2. किसानों को मूल्य निर्धारण व विपणन पर प्रशिक्षण दिया जाए।
3. अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार उपमंडियों तक किया जाए।
4. महिला कृषकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए।
5. मंडी समितियों में शिकायत निवारण प्रणाली लागू की जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडल, वार्षिक प्रतिवेदन (2020-2025)
2. भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ई-नाम प्रगति प्रतिवेदन (2022)
3. कृषि विपणन एवं सहकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंडी अधोसंरचना विकास प्रतिवेदन (2023)
4. कुमार, संजय एवं सिंह, प्रवीण (2021). भारत में कृषि विपणन सुधार: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, आर्थिक समीक्षा जर्नल
5. राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (NIAM), जयपुर . मंडी संरचना एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर अध्ययन (2021)
6. छत्तीसगढ़ शासन, ई-गवर्नेंस एवं एग्रीमार्कनेट पोर्टल आँकड़े (2024)

वेबसाइट:-

1. http://agriportal.cg.nic.in
2. https://www.cgstate.gov.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

प्राचीन भारतीय राज्यव्यवस्था में मंत्रिपरिषद की उपयोगिता वर्तमान संदर्भ में

डॉ. जे. के. संत*

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) प्रधानमंत्री काँलेज आफ एक्सीलेंस शासकीय तुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – सर्वमान विदित है कि समाजहित राष्टहित में अकेला मनुष्य सुगम कार्य करने में कभी भी समर्थ नही हो सकता, फिर अकेला राजा कैसे राज्य सम्बन्धी समस्त कार्य को बिना सहयोग के चला सकता है, अत्यन्त दुष्कर कार्य है, राज्य संबन्धी कार्य को सुव्यवस्थित संचालन हेतु मंत्रिपरिषद का होना नितांत आवश्यक है।[1] यह भी सत्य है कि कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो हर क्षेत्र में परांगत नही हो सकता। इसलिये राज्य संबंधी समस्त विषयों एक ही व्यक्ति से सलाह मंत्रणा लेने से राजा हमेशा वास्तविकता पर पहुच सके ऐसा संभव ही नही है। इसलिये राजा को राज्य से संबंधित हर क्षेत्र में शासन संबंधी प्रत्येक समस्याओं के लिये मंत्रणा लेने के लिये विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की आवश्यकता पडती है।[2]

सिर्फ इसलिये ही नही कि समस्याओं के आते ही उस विषय के ज्ञान रखने वाले व्यक्ति से मंत्रणा लेने के लिये उस समय उसकी खोज की जाये। बल्कि यह आवश्यक हो जाता है कि राजा अनेक विषयों के विशेषज्ञ व्यक्तियों को स्थायी रूप से अपने समीप रखें जिससे आवश्यकता पडते ही उस समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सके। मंत्रियों की आवश्यकता इसलिये भी होती है क्यों कि राजा अकेले ममता के मद से निरंकुश हो जाता है।[3] ममता पाइै काहि मद नाहि।। रामचरित मानस अयोध्या काण्ड अत: यथोचित कार्य संपादन के लिये मंत्रियों की आवश्यकता पडती है। महाभारत में भी कहा गया है कि कोई भी राज्य बिना मंत्रि कह सहायता के तीन दिन भी नही चलाया जा सकता। कौटिल्य का कथन है कि जिस प्रकार एक पहिये से रथ नही चल सकता उसी प्रकार बिना मंत्रियों के सहायता के अकेले राजा से राज्य नही चल सकता।[4] इसलिये राजा को विश्वासपात्र व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करना और मंत्रियों की बातों की समस्याओं को ध्यान से सुनना राजा का परम कर्तव्य है। जिससे राज्य का कार्य सुव्यवस्थित चल सके। मत्स्य पुराण का कथन है कि राजा को राज्याभिषेक के कुछ दिनों के अन्दर यदि वह राज्य का पर्यवेक्षण करना चहता है तो विश्वासपात्र व्यक्ति को सहायक चुन ले क्योंकि उन्ही में राज्य का स्थायित्व छिपा रहता है।[5]

इस प्रकार मंत्रिमण्डल प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था का अभिन्न अंग है। भारत के सबसे प्राचीन ऐतिहासिक राज्य मगध राजा अजात शत्रु के महात्य वत्सकार का उल्लेख है। काव्यायन तो यहा तक निर्देश देते है कि राजा को अकेले बैठक किसी भी मुदर्दो पर निर्णय नही लेना चाहिये बल्कि मंत्रियों के साथ बैठकर विचार– विमर्श कर निर्णय लेना चाहिये।[6] कहा गया है कि राजा कितना भी बुद्धिमान कुशल और नीति व्यवहार में दक्ष क्यों न हो पर भी राज्य के किसी भी विषय पर बिना मंत्रियों के सहायता के विचार नही करना चाहिये। बुद्धिमान राजा को हमेशा मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सम्मति के अनुसार चलना चाहिये। जब राजा मंत्रिचरिषद से स्वतंत्र हो कर मनमानी ठंग से कार्य करने लगता है तो समझ लो कि राजा अपने पैर में स्वयं कुल्हाडी मार रहा है। समय पाकर वह अपना राज्य और प्रकृति दोनों खो बैठता है।[7] इस प्रकार हम देखते है कि मंत्रिपरिषद की आवश्यकता का निरपण सभी भारतीय विचारकों ने किया है।

मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या– मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होने चाहिये इस विषय पर सबका अलग–अलग विचार है– मनुं के अनुसार सात या आठ सदस्यों की मंत्रिपरिषद के निमार्ण का आदेश देते है। राजा को अच्छे कुल से परीक्षोत्तीर्ण पश्चात सात अथवा आठ सचिव नियुक्ति करने चाहिये।[8] इस प्रकार मनु द्वारा दी गई व्यवस्थानुसार सात अथवा आठ सदस्यों की मंत्रिपरिषद का निर्माण करना उचित है। परन्तु मानवधर्मशास्त्र में जो विचार प्रकट किये गये है विचारनुसार राजा को मंत्रिपरिषद में उतना सदस्य रखना उचित है जितने सदस्यों से शासन कार्य विधिवत संचालित किया जा सके।[9] मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या के विषय में आचार्य कौटिल्य व कामन्दक नें बारह एवं वृहस्पति के अनुयायियों ने सोलह आचार्य उषना के अनुयायियों ने बीस सदस्यों के रखने की व्यवस्था की है। परन्तु कौटिल्य अपना मत प्रकट करते हुये कहते है मेरे मतानुसार समय और आवश्यकतानुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य होने चाहिये। [10] भीष्म के मतानुसार मंत्रिपरिषद में सैतीस सदस्य रखना उचित है। [11] रामायण में भी आठ मंत्रियो का उल्लेख किया गया है।[12] इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आवश्यकतानुसार मंत्रियों की संख्या होनी चाहिये। इस तरह हम कह सकते है कि मंत्रियों की संख्या कम ना अधिक होनी चाहिये।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में – 91 वा संवैधानिक संशोधन 2003 ने प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या को लोकसभा/राज्य विधान सभा की कुल ताकत के 15 प्रतिशत तक सीमित कर दिया। केन्द्रीय स्तर पर कोई न्यूनतम आवश्यकता नही है लेकिन छोटे राज्यों में कम से कम 12 मंत्री होने चाहिये। केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नही होगी।

2. मंत्रियों की योग्यता एवं नियुक्ति के सिद्धांत– मंत्रियों की नियुक्ति के समय बडी सूझ–बूझ तथा सावधानी की आवश्यकता होती है। ताकि परिषद में ऐसे व्यक्ति ही स्थान पा सके जो वास्तव में इस योग्य हो और राजा

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

को समयानुसार उचित मंत्रणा दे सके। जिससे राज्य का परम कल्याण हो सके। इसलिये मंत्रिपरिषद की सदस्ता के लिये आचरण चरित्र कार्यकुसलता एवं योग्यता संबंधी विशेष नियमों अथवा सिद्धान्तों का आश्रय लिया जाना चाहिये। मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी अधिकार राजा को बिना किसी प्रतिबंध के दे दिया जायेगा तो राजा के निरंकुश होने की सम्भावना भी अधिक रहेगी।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में – भारत में मंत्रियों की नियुक्ति के लिये उन्हे संसद में किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिये और प्रधानमंत्री की नियुक्ति बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति कार्यकाल, जिम्मेदारी योग्यता, शपथ और वेतन तथा भत्ते से संबंधित है। मंत्रिपरिषद की स्थिति संविधान के अनुच्छेद 74 में वर्णित है, मंत्री अपने मंत्रालय और सरकार के संचालन के लिये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रियों के चयन में सामान्य रुप से प्रधानमंत्री पूर्णतया स्वतंत्र है। इसके बावजूद वह मंत्रियों के चयन में सामान्य रुप से कुछ बातों का ध्यान रखता है–

1. ऐसे कौन से व्यक्ति है जिन्हें पार्टी या मोर्चे की एकता बनाये रखने के लिये मंत्रिपरिषद में सम्मिलित करना आवश्यक है।
2. किस राज्य को मंत्रिपरिषद में कितना प्रतिनिधित्व दिया जाय।
3. शासन के कुशल संचालन के लिये किन लोगों की योग्यता का लाभ उठाया जाना आवश्यक है।
4. मंत्रियों की नियुक्ति में साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय तथा भाषायी सन्तुलन हो।

अ. परम्परागत सिद्धांत– मंत्रिपरिषद की सदस्ता के लिये पराम्परागत सिद्धान्त का अनुसरण किया जाना चाहिये मनु यह व्यवस्था देते है कि राजा को अपनी मंत्रिपरिषद में परम्परागत सेवकों में से सदस्य नियुक्त करना चाहिये तात्पर्य पिता–पितामह से चले आये हुये सेवकों से है। महाभारत में ऐसे व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में स्थान दिये जाने का प्रतिपादन किया गया है। महाभारत में इस पद की व्याख्या परम्परागत शब्द के रूप में नीकण्ठ की है।[13] यह बात रामायण में भी आता है।

आ. शास्त्रों का सम्यक ज्ञान– मंत्रिपरिषद के लिये यह दूसरी अनिवार्य योग्यता है। इस व्यवस्थानुसार मंत्रिपरिषद के लिये सदस्यों की नियुक्ति करते समय राजा को इस विषय का पूर्ण विश्वास हांना चाहिये के मंत्रिपरिषद की सदस्ता के लिये व जिस सदस्यों का वरण करने वाला है। उनका शास्त्री ज्ञान पुर्ण है और वह ज्ञान विधिवत प्राप्त किया गया है। उस राजा को श्रेष्ठ माना गया है जो धर्म, अर्थ और काम का अनुष्ठान समयानुसार करता है।[14]

इ. शूरता – शौर्य गुण से सम्पन्न व्यक्ति संकट काल में स्थिर बुद्धि रहकर अपने कर्तव्य पथ से विचलित नही होते और अपने कर्तव्य पालन में दृढतापूर्वक संलग्न रहते है। इसी आधार पर मंत्री पद के लिये शूरता गुण को आवश्यक माना गया है। अर्थात मंत्री पद पर शूर पुरूषों को ही नियुक्त करना चाहिये।[15]

ई. उद्देश्य प्राप्ति की सामर्थ– मंत्रिपरिषद के सदस्यों के प्रजारंजन कार्य सम्पादन हेतु चिन्तन कर अनेक योजनाओं को कार्यान्वित करना पडता है, जिसके लिये ऐसे व्यक्ति उपयुक्त नही हो सकते जो दृढ संकल्प नही है और जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सतत् प्रयत्न करने में स्थिर बुद्धि नही है। अत: उद्देश्य की प्राप्ति की सामर्थ होना मंत्रिपरिषद की उत्तम योग्यता है।

3. उच्च कुल में जन्म – प्राचीन भारत में मनुष्य के रक्त प्रभाव की ओर विशेष महत्व दिया गया है, उस युग की यह धारणा थी कि उच्च वंश में जन्म लेने से उच्च आचरण के निर्माण की अधिक सम्भावना होती है। उच्च कर्मचारियों की नियुक्ति के समय उनके कुल या वंश की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में – मंत्रियों की नियुक्ति के लिये उच्च कुल में जन्म का विशेष महत्व नही दिया जाता बल्कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उच्च आचरण का हो, पागल या दिवालिया ना हो, राज्य सभा में स्थान के मामले में कम से कम तीस वर्ष की आयु का हो और लोक सभा में स्थान के मामले में कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का हो, उसके पास ऐसी अन्य योग्यतायें हो जो संसद द्वारा बनाये गये किसी कानून द्वारा या उसके अधीन उस निमित्त विहित की जाएं। उसके पास अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिये अनुभव और ज्ञान होना चाहिये।

अ. परीक्षा सिद्धात– मंत्रिपरिषद की सदस्ता के लिये एक सिद्धांत यह भी माना गया है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करने के पूर्व अभ्यर्थी को भली भाँति परीक्षा होनी चाहिये यदि अभ्यर्थी अपनी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो उसको मंत्रिपरिषद में मंत्री पद दिये जाने का विचार करना चाहिये भीष्म का कथन है कि उन्ही व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद की सदस्ता के लिये उपयुक्त समझते है जो पंचोपधा द्वारा शुद्ध हो चुके हो।[17] इसी प्रकार कौटिल्य भी उस व्यक्ति को मंत्री पद उचित समझते है जो धर्मोपधा, कामोपधा, अर्थोपधा एवं भयोपधा प्रणाली द्वारा ली गई परीक्षाओं में सफल हो चुके हो।[18]

अत: स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद की सदस्ता के निमित्त अभ्यर्थी की भली भांति परीक्षा होनी चाहिये, इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्राचीन ग्रन्थों में किया गया है। मंत्रियों की योग्यता के निर्धारण के विषय में कौटिल्य की सूची विशेष उल्लेखनी है जो इस प्रकार है– मंत्री देशवासी, उच्च कुलोत्पन्न, प्रभवशाली,कला निपुण, दूरदर्शी, समझदार, अच्छी स्मृति वाला, सतत् जागरूक, मेघावी, निर्भीक, वाग्मी चतुर, तीब्रमति, उत्साही, मनस्वी, धीर, शुद्ध चरित्र, मृदु स्नेही, अटल स्वामिभक्त, बलपराक्रम और स्वास्थ से युक्त होना चाहिये एवं अस्थिर चित्तता और दीर्घ सुत्रता से मुक्त और द्वेष तथा उत्पादक दुर्गुणों से रहित होना चाहिये।[19] अवश्य ही इन सदगुणों का एक व्यक्ति में उपस्थित होना असम्भव प्राय है। फिर भी इनकी गिनती कराने का तात्पर्य यही था कि मंत्री का चुनाव करते समय उपर्युक्त आदर्श ध्यान में रखा जाय।

निष्कर्ष वर्तमान परिप्रेक्ष्य में –उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से सहज है कि राज्य में शासनाध्यक्ष का महत्व सर्वोपरि है। इसीलिये भारत में शासनाध्यक्ष अर्थात राजा को विशिष्ठ गुण सम्पन्न माना गया है। उनो गुणों की तुलना देवत्व से की गई है। अपनी असाधारण योग्यता, त्याग और प्रजापातकता के कारण ही उसे दैवीय गुणों से युक्त माना गया है। वह वंशानुगत उसी देश का निवासी होना चाहिये उसे हर प्रकार के व्यसन से दूर रहने की सलाह दी गई है, उसकी सार्वभौमिक शिक्षा एवं अतिव्यस्त दिनचर्या का भी विस्तृत किया गया है। ताकि उसमें आलस्य तथा प्रमाद का अंकुर तक उत्पन्न न हो सके। आजकल के शासकों के लिये भी ये बाते उतनी ही आवश्यक तथा लाभप्रद है। शासनाध्यक्ष तभी लोभ प्रिय और निर्विवाद हो सकता है,जब वह काम, क्रोध, मद लोभ इत्यादि दुर्गुणों से उपर उठ जाये। अच्छे शासन का अनुकरण जनता भी करती है। इसीलिये कहा गया है– 'यक्षा राजा तथा प्रजा' वर्तमान

शासनाध्यक्षों की भांति जहां एक ओर राजा की शक्तियां व्यापक और विस्तृत है वही दूसरी ओर उस पर कई नियंत्रण और सीमायें भी लगाई गई है ताकि वह किसी भी सूरत में निरंकुश न हो सके। इस बात का सतत् ध्यान वर्तमान संविधान निर्माताओं एवं शासकों को अच्छी प्रकार रखना चाहिये। शासनाध्यक्ष की भांति उसके मंत्रियों की योग्यता आदि का भी सविस्तार उल्लेख प्राचीन भारत में पाया जाता है। मंत्रियों के लिये आवश्यक है कि वे मूलत: उसी देश के निवासी, पर्याप्त ज्ञानी, शूर, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, अच्छे वक्ता, सचरित्र, इमानदार, शुद्ध रक्त वाले, निष्पक्ष तथा सदाचारी हो। उनका रहन-सहन ऋषियों की तरह सीधा-साधा होना चाहिये, ये तथ्य वर्तमान शासन व्यवस्थाओं में पाये जाने वाले मंत्रियों के लिये भी उपयोगी तथा अनूकरणीय है। जिस दिन वर्तमान मत्रिगण उपर्युक्त गुणों तथा स्वभाव को प्राप्त कर लेगे वे जनता के नायक हो जायेंगे। इस प्रकार के शासनाध्यक्ष और मंत्रिगण आदर्श राज्य की स्थापना में सहायक सिद्ध होगे। मंत्रिपरिषद का होना इसलिये भी आवश्यक हो जाता है क्योकि संघ सरकार की नीतियों का निर्धारण मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद के द्वारा ही पूरा प्रशासन संचालित किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा ही संसद में सरकारी विधेयकों का प्रस्तुतीकरण किया जाता है। मंत्रिपरिषद के द्वारा ही बजट तैयार किया जाता है। मंत्रिपरिषद के द्वारा ही विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। मंत्रिपरिषद द्वारा ही विभिन्न सरकारी विभागों के मध्य समन्वय का कार्य किया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मनु0 7/55
2. शुक्र0 2/5
3. ममता पाइै काहि मद नाहि।। रामचरित मानस अयोध्या काण्ड
4. सहायसाध्यं राजत्वं चक्रमेकं न वर्तते कुर्वीत सचिवांस्तस्मात्तेषां च श्रणुयान्मतम् अर्थ0 1/7
5. मत्स्यपुराण 215/2-3
6. स प्राणविवाक: सामानयद सव्रामण पुरोहित:। ससम्य: प्रेक्षको राजा स्वर्गे तिष्ठित धर्मत:
7. शुक्र0 2/5
8. मनु0 7/54
9. मनु0 7/61
10. अर्थ0 1/85 वार्ता 56
11. शान्ति पर्व 85/7-8
12. रामायण बालकाण्ड 7/2-3
13. मौलान परम्परागता:। शान्ति पर्व 83/20
14. रामायण 2/100/26
15. रामायण किष्किंधाकाण्ड 38/20
16. मनु0 7/54 पुर्वाद्ध तृतीय शब्द
17. शान्ति पर्व 83/22
18. सर्वोपधाशुद्धान्मंत्रिण: कुर्यात। अर्थ0 1/10 वार्ता 24
19. अर्थ0 1/9

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण में संविधान की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन

विजय लक्ष्मी जोशी *

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शोध सार :– प्रस्तुत शोध आलेख में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को परिभाषित कर भारतीय संविधान की भारत में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण में भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। मनुस्मृति के अध्याय 3 में कहा गया है कि –

'यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता:।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला: क्रिया:।।'

अर्थात् जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते है और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता है वहाँ किए गए समस्त कार्य निष्फल हो जाते है। हजारों वर्ष पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को कई अधिकार प्राप्त थे, वे वेदों का पठन–पाठन करती थी। वेदों में 404 ऋषियों में 30 ऋषि महिलाए थी। वे युद्धकला तथा प्रशासनिक कार्यों में भी पारगंत थी, कोई भी धार्मिक कार्य उनके बिना पूर्ण नहीं होता था किन्तु फिर शनै: शनै: उनकी स्थिति बदत्तार होती गई उन्हें शिक्षा, सम्पति एवं समाज में पुरूषों के समान आधिकार से वंचित कर दिया गया, वे केवल उपभोग का एक साधन मात्र बनकर रह गई। संविधान के लागू होने के पूर्व भारतीय समाज में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण का अस्तित्व ना के बराबर था। संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिसमें दक्षिणायनी वेलायुधन, सरोजिनी नायडू, बेगम .कदारिया ऐजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, पूर्णिमा बेनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी आदि प्रमुख थी जो महिलाओं की तत्कालीन दयनीय स्थिति से अच्छी तरह परिचीत थी। इसके अतिरिक्त संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर भी लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के कट्टर समर्थक थे। अत: उन्होनें भारतीय संविधान में ऐसे उपबंधों को अंतर्विष्ट कराया जो महिला के प्रति लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त कर सके एवं उन्हें पुरूषों की अपेक्षा अतिरिक्त विशेषाधिकार देकर सशक्त कर सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1), 15(3), 16(1), 21, 21क, 23, 38(क), 38(घ), 38(ड़), 42, 44, 51क(ड़), 243घ(3), 243घ(4), 243न(3), 243न(4), 325 इसके जीवंत दृष्टांत है जिनका वर्णन प्रस्तुत शोध आलेख में किया गया है।

प्रस्तावना

लैंगिक समानता का अर्थ – विभिन्न अंतराष्ट्रीय संगठनों ने लैंगिक समानता को निम्न प्रकार परिभाषित किया हैं–

संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुसार – लैंगिक समानता का अर्थ पुरूषों और महिलाओं, बालक और बालिकाओं को समान अधिकार, उत्तरदायित्व और अवसर प्राप्त होना हैं।

यूनिसेफ के अनुसार – लैंगिक समानता का अर्थ हैं कि महिलाओं और पुरूषों, लड़कों और लड़कियों को समान अधिकारों, स्वतंत्रताओं, संसाधनों, अवसरों और सुरक्षा का आनंद प्राप्त हो।

आसान शब्दों में लैंगिक समानता का अर्थ हैं अधिकार, उत्तरदायित्व, अवसर एवं स्वतंत्रता प्रदान करनें में महिला और पुरुषों के बीच लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। लैंगिक समानता प्रत्येक राष्ट्र एवं समाज के विकास के लिए आवश्यक है इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे सतत् विकास के 17 लक्ष्यों में से 5 वॉ लक्ष्य निर्धारित किया है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ – सशक्तिकरण शब्द स+शक्ति+करण से मिलकर बना है जिसका अर्थ है शक्ति सहित गति। सशक्तिकरण एक निर्बल को सबल बनाने की प्रक्रिया है जो निरन्तर चलती रहती है एक पूर्ण सशक्त व्यक्ति वह है जो अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेनें में पूरी तरह स्वतंत्र हो, जिस पर किसी प्रकार का कोई दवाब न हो। अत: महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह हैं कि महिलाओं को इस योग्य बनाना कि वे अपने जीवन के सारे निर्णय स्वयं बिना किसी दवाब के ले सके, उनके अपने जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण हो। उन्हें इस योग्य बनाने के लिए निति निर्माण में उनकी बराबर की भागीदारी, राजनीति, व्यापार, समाज के साथ–साथ घर के प्रत्येक निर्णयों में उनकी पुरूषों के समान भागीदारी अत्यंत आवश्यक हैं।

अत: महिला सशक्तिकरण महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्तर पर सशक्त बनाने की प्रक्रिया हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को अपने जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण प्रदान करना और उन्हें पुरूषों के समान अवसर प्रदान करना है। शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम हैं।

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण में संविधान की भूमिका –

भारतीय संविधान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है यह हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने इसे अंगीकृत किया था। लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निदेशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता का दर्जा प्रदान करता है बल्कि राज्य को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक कदम उठाने का अधिकार भी देता है। समय-समय पर संविधान में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए संशोधन किए जाते रहे है चाहे वह 42वॉं संशोधन हो 73 एवं 74वॉं संशोधन हो या फिर संसद में महिला आरक्षण के लिए किया गया 123वॉं संशोधन हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय संविधान ने भारत में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण में अनूठी भूमिका निभाई है भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध इसका जीवंत साक्ष्य हैं।

मूल अधिकार - संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में।

अनुच्छेद 14 में सभी व्यक्तियों को जिसमें महिलाएँ भी शामिल हैं, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है।

वाद- एयर इण्डिया विरूद्ध नरगिस मिर्जा

के वाद में उच्चतम न्यायालय ने एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लांइस द्वारा बनाए गए विनियमों को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि उनके अधीन 35 वर्ष की आयु में विवाह होने पर या गर्भवती होने पर सेवामुक्ति करने वाली सेवा शर्त अयुक्तियुक्त और विभेदकारी हैं तथा अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करती है।

वाद- विजय लक्ष्मी विरूद्ध पंजाब विश्वविद्यालय

के मामले में विश्वविद्यालय कैलेण्डर के एक नियम के तहत महिला विद्यालयों में प्राचार्य के पद पर केवल महिलाओं की नियुक्ति के प्रावधान को चुनौती देने पर न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि यह नियम अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं है क्योंकि इसके अधीन किया गया वर्गीकरण युक्तियुक्त है, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 15(3) के अधीन राज्य को स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति हैं।

वाद- अनुज गर्ग विरूद्ध भारत का होटल संघ

के वाद में पंजाब सरकार के एक अधिनियम की धारा 30 जिसके अधीन होटल या बार में शराब परोसने के कार्य में महिलाओं के नियोजन पर रोक लगा दी, को चुनौती देने पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उक्त अधिनियम स्त्री और पुरूष में लिंग के आधार पर भेद करता है, अत: अवैध है।

1. **अनुच्छेद 15(1)** केवल लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता हैं।

2. **अनुच्छेद 15(3)** राज्य को स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान करता हैं।

वाद- दतात्रेय विरूद्ध स्टेट

के मामलें मे न्यायालय ने यह कहा कि राज्य द्वारा केवल स्त्रियों के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना एवं उसमें उनके लिए स्थान आरक्षित करना अनुच्छेद 15(1) का अतिक्रमण नहीं है।

वाद- यूसुफ अब्दुल अजीज विरूद्ध बंबई राज्य

में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती देने पर कि यह जारकर्म के अपराध के लिए केवल पुरूष को दण्डित करती है स्त्री को नहीं, अत: लिंग के आधार पर विभेद करने के कारण यह अनुच्छेद 15(1) का अतिक्रमण करती है। न्यायालय ने निर्णीत किया कि धारा 497 वैध है क्योंकि वर्गीकरण केवल लिंग के आधार पर नहीं बल्कि समाज में स्त्रियों की विशेष स्थिति के आधार पर किया गया हैं।

वाद- टी. सुधाकर रेडडी विरूद्ध आ. प्र. राज्य

में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 15(3), 16(2), 16(4) के अधीन सरकारी नौकरियों में स्त्रियों को यदि वे पुरूषों के समान योग्य एवं उनकी अपेक्षा अधिक उपयुक्त है तो राज्य को उन्हें प्राथमिकता देनें की शक्ति प्राप्त है।

3. **अनुच्छेद 16(2)** राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल लिंग के आधार पर विभेद या अपात्रता का निषेध करता है।

4. **अनुच्छेद 21** द्वारा प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बहुत व्यापक अधिकार है न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से इस अधिकार के अधीन निम्नलिखित अधिकारों को शामिल किया है-

- **एकांतता का अधिकार :-**

महाराष्ट्र राज्य विरूद्ध मधुकर नारायन

के मामलें में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक चरित्रहीन महिला को भी एकांतता का अधिकार प्राप्त हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

सुरजित सिंह विरूद्ध जीत कौर

के मामले न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि महिला के कौमार्य परीक्षण के लिए अनुमति देना अनुच्छेद 21 के अधीन प्रदत्त उसके एकांतता के अधिकार का उल्लंघन है।

व **अन्तर्जातीय विवाह करने का अधिकार :-**

लता सिंह विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य

में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक वयस्क बालिका को अपनी स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन प्रदत्त उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार है।

- **बलात्कार से पीड़ित महिला का अंतरिम प्रतिकर पाने का अधिकार :-**

बोधीसत्व गौतम विरूद्ध शुभ्रा चक्रवर्ती एवं **दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमन फोरम विरूद्ध भारत संघ** के मामलों में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया हैं कि न्यायालय को बलात्कार की शिकार महिला को अंतरिम प्रतिकर देने की शक्ति है जब तक कि परीक्षण न्यायालय अभियुक्त के ऊपर लगाए आरोप पर अपना निर्णय नहीं दे देता है।

- **श्रमजीवी महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार :-**

वाद- विशाखा विरूद्ध राजस्थान राज्य

के वाद में उच्चतम न्यायालय ने श्रमजीवी महिलाओं के प्रति काम के स्थान पर होने वाले यौन उत्पींड़न को रोकने के लिए, जब तक इस हेतु कोई विधि नहीं बन जाती विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अधीन सुरक्षित काम का अधिकार भी शामिल है।

वाद- एपरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल विरूद्ध ए. के. चौपड़ा

के वाद में न्यायालय ने विशाखा के मामलें में विहित सिद्धांतों को लागू कर यौन शोषण के दोषी एक कंपनी के उच्च अधिकारी को सेवा से निकाल दिया। न्यायालय ने कहा कि कार्य के स्थान पर यौन शोषण महिला कर्मचारी

के अनुच्छेद 21 और 14 में प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है।

5. **अनुच्छेद 23** 'मानव के दुर्व्यापार' और बलातश्रम का प्रतिषेध करता है। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत केवल स्त्रियों का वस्तुओं की भाँति क्रय-विक्रय ही शामिल नहीं है बल्कि इसमें उनका अनैतिक व्यापार, वैश्यावृति, एवं इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन के लिए उनका प्रयोग करना भी आता है।

नीति निदेशक तत्व :- संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व में-

1. **अनुच्छेद 39(क)** में राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।

2. **अनुच्छेद 39(घ)** में राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।

3. **अनुच्छेद 39(ङ)** राज्य को यह निर्देश देता हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरूपयोग न हो।

4. **अनुच्छेद 42** राज्य को कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने एवं महिला कर्मचारियों हेतु प्रसूति सहायता का उपबंध करने का निर्देश देता है।

5. **अनुच्छेद 44** में राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया हैं। यह संहिता निजी मामलों जैसे- विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, भरण-पोषण, दत्तक आदि में सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार देकर उनके साथ लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव को समाप्त कर लैंगिक समानता का बढ़ावा देगी।

वाद- शाह बानो बेगम विरूद्ध मोहम्मद अहमद खान

के वाद में न्यायालय ने सर्वप्रथम एक समान सिविल संहिता को लागू करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि अनुच्छेद 44 मात्र एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। सरकार ने इसे लागू करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है।

मूल कर्तव्य :- भारतीय संविधान के भाग 4क 'मूल कर्तव्य' में अनुच्छेद 51क(ड) में सभी भारतीय नागरिको पर यह मूल कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो।

73वॉ एवं 74वॉ संविधान संशोधन :- 73वॉ एवं 74वॉ संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 पंचायत एवं भाग 9क नगरपालिकाएँ जोड़ा गया। इसमें भाग 9 में अनुच्छेद 243घ(3) में ग्राम पंचायतों में कुल स्थानों का कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का एवं अनुच्छेद 243घ(4) में ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष का पद महिलाओं हेतु आरक्षित रखने का प्रावधान है। इसी प्रकार भाग 9क के अनुच्छेद 243न(3) में नगरपालिकाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में से कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं हेतु आरक्षित रखने एवं अनुच्छेद 243न(4) में नगरपालिकाओं के अध्यक्ष के पद महिलाओं हेतु आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 325 :- अनुच्छेद 325 में लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने हेतु अपात्र होने का निषेध किया गया हैं। इस अनुच्छेद द्वारा सभी वयस्क भारतीय नागरिकों को जिसमें महिलाएँ भी शामिल है, मतदान का अधिकार दिया गया हैं जबकि उस समय यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका जैसे विकसीत देश के संविधान द्वारा भी सभी को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था तब उस समय हमारे संविधान ने महिलाओं को भी मत देने का अधिकार देकर महिला सशक्तिकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भारत में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति :- संविधान के लागू होने के पश्चात अभी तक लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण हेतु कई कानून जैसे- समान वेतन अधिनियम 1976, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005, प्रसूति प्रसुविधा(संशोधन) अधिनियम 2017, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013, महिलाओं का अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पारित किए जा चुके है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनाएँ जैसे- 1993 में सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, 2002 में जरूरतमंद महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु स्वाधार योजना, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वन स्टॉप सेंटर, लाड़ली लक्ष्मी योजना आदि चलाई जा रही हैं किन्तु फिर भी हम भारत में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य हासिल करने में विफल रहे हैं। संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा यद्यपि ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में महिलाओं हेतु स्थान आरक्षित किए गए हैं किन्तु महिलाएँ चुनाव जीत जानें के बाद भी पंचायत में **'मुखिया पति'**,**'सरपंच पति'** एवं नगरपालिका में **'पार्षद पति'** की परंपरा के कारण महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका है। चुनाव जीतने के बाद भी महिलाएँ राजनैतिक फैसले नहीं ले सकती है। वर्तमान समय में देश की लोकसभा में कुल 543 सांसदों में से केवल 78 महिला सांसद है, वही राज्यसभा में केवल 24 महिला सांसद है। कुल 28 राज्यों में केवल 1 महिला मुख्यमंत्री हैं। राष्ट्रपति के पद पर अभी तक केवल 2 बार ही महिलाएँ निर्वाचित हो पाई है। 2019 में संसद मे केवल 14% महिला सांसद थी। संसद में महिला आरक्षण विधेयक जो कि 1998 से लंबित था, पारित होने के बावजूद, महिलाओं के जीतने की दर पुरूषों से अधिक होने के बावजूद इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने केवल 16%, कांग्रेस ने 11%, टी.एम.सी. ने 28% टिकट महिलाओं को दिए केवल बीजद ने 33% टिकट महिलाओं को दिए। ऐसी परिस्थितियों में भारत में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण मुश्किल हैं। न्यायपालिका में उच्च स्तर पर उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या ना के बराबर है। केवल शिक्षा के क्षेत्र में महिला और पुरूषों के बीच असमानता कम हुई है। इसके अतिरिक्त महिला कार्यबल में भी कमी आई है इसका मुख्य कारण कार्यस्थल पर महिलाओं की बढ़ती असुरक्षा एवं पुरूषों की तुलना में कम वेतन है। फिल्म उद्योग में पुरूष कलाकारों को उनकी साथी महिला कलाकार की तुलना में काफी अधिक वेतन मिलता है, इसी तरह एक लंबे समय तक भारतीय पुरूष क्रिकेट खिलाड़ियों को BCCI द्वारा महिला खिलाड़ियों की तुलना में कई गुना अधिक फीस दी जाती थी 2022 में इस भेदभाव को समाप्त किया गया। World Inequality Report **2022** के अनुसार भारत में कुल श्रमिक आय में पुरूषों का हिस्सा 82% जबकि महिलाओं का हिस्सा केवल 18% है। **जेंडर गेप रिपोर्ट 2023** के अनुसार भारत लैंगिक समानता के मामलें में कुल 146 देशों में 127वें स्थान पर रहा।

निष्कर्ष - निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि यद्यपि भारतीय संविधान

ने भारत में महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किन्तु फिर भी हम लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नही कर सके हैं। इस स्थिति में सुधार हेतु लैंगिक समानता से जुड़े कानूनों को कड़ाई से लागू करने, समाज की पितृसत्तात्मक सोच में बदलाव लाने की एवं आम बजट में 'जेंडर बजट' की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमें देश में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण से जुड़े डाटा एकत्र करने एवं उसके आधार पर राज्यों की रैंक जारी करने की आवश्यकता है, जिस तरह रवांडा मे जेंडर मॉनिटरिंग ऑफेस और फिनलैण्ड में जेंडर इक्विलिटी यूनिट स्थापित की गई है। यदि राज्य सरकारें ऐसी ही ईकाईयों की स्थापना करें तो महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। अत: वास्तव में देखा जाए तो हमें अब महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को किताबों और सेमिनारों से बाहर निकालकर धरातल पर लाने की जरूरत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पाण्डेय, डॉ. जय नारायण(2009) *'भारत का संविधान'* 42वॉ संस्करण। इलाहाबाद: सेंट्रल लॉ एजेंसी.
2. गौतम, श्रुति(2023) '*भारत में महिला सशक्तिकरण*' (ऑनलाइन)। यहाँ उपलब्ध हैं: https://www.drishtiias.com/hindi/blog/women-employment-in-india(एक्सेस: 15 अप्रैल 2024).
3. Drishti IAS(2022)'*भारत में महिलाओं की स्थिति*' (ऑनलाइन)। यहाँ उपलब्ध है: https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-editorials/status-of-women-in-india. (एक्सेस: 13 अप्रैल 2024).
4. NEXT IAS Content Team(2024) '*भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता*' (ऑनलाइन)। यहाँ उपलब्ध हैं: https://www.nextias.com/blog.(एक्सेस: 13 अप्रैल 2024).
5. दक(2024) 'नारी शक्ति.... जीतने में पुरूषों से आगे, फिर भी बड़े दलों में उम्मीदवारी 16% ही.' *दैनिक भास्कर*, 15 अप्रैल, पृष्ठ क्र. 2
6. Drishti Media(videos) (2019) *Politics on Women Employment- AudioArticle*. 18 March. Available at :https://youtu.be/HY2oYtJtMr0?si=6j-7K8ALdUHEqLdUHEqLNu. (accessed: 12 April 2024).
7. Sansad tv (2022) *महिला सशक्तिकरण/75*– 15August. Available at: https://youtu.be/jtS1F052GgY?si=MCyN4adcMSyvL. (accessed: 11 April 2024).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

उच्च शिक्षण संस्थानों का स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान मध्य प्रदेश के मालवा के आगर मालवा एवं निमाड़ के खरगोन क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. मितेश चौधरी* सपना सोनी**

* सह प्राध्यापक, महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइंसेज, इंदौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, स्कूल ऑफ कॉमर्स, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला परिसर, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मध्य प्रदेश का मालवा और निमाड़ क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिनमें कृषि, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है। उच्च शिक्षण संस्थान इन क्षेत्रों में स्थानिय आर्थिक विकास के प्रमुख कारक बनकर उभरे हैं। इन संस्थानों का योगदान केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोजगार सृजन, कौशल विकास, उद्यमिता को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को सशक्त करने में भी अहम भूमिका निभाता है। इस शोध पत्र में, हम उच्च शिक्षण संस्थानों के इन क्षेत्रों में योगदान की गहराई से विवेचना करेंगे, विशेषकर उनके द्धारा उत्पन्न आर्थिक लाभ, सामाजिक परिवर्तन और स्थानीय उद्यमिता पर उनके प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर, यह अध्ययन विभिन्न पहलुओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

शब्द कुंजी – उच्च शिक्षा, आर्थिक विकास, शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाए।

प्रस्तावना – भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व का सबसे युवा देश है यह गौरव भारत को सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक क्षेत्रों में भी प्राप्त हैं। आर्थिक विकास किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को दर्शाता है । इस प्रक्रिया का केन्द्रीय उद्देश्य अर्थव्यवस्था के लिए प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का ऊंचा और बढ़ता हुआ स्तर प्राप्त करना होता है। किसी देश के विकास के लिए मानवीय संसाधनों का विकास करना आवश्यक होता हैं। मानवीय संसाधनों के विकास की दृष्टि से उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान हैं। उच्च शिक्षा सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम हैं। उच्च शिक्षा देश के आर्थिक विकास के जरिये आम जनता के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में योगदान देती हैं। एक शक्तिशाली समाज तथा एक समर्थ व जीवंत अर्थव्यवस्था के निर्माण करने की दृष्टि से शिक्षा के व्यापक उद्देश्य और भूमिका को दरकिनार कर सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बाजार शक्तियों के भरोसे छोड़ दिया हैं। इन नीतियों के फलस्वरुप देश में उपाधि प्राप्त बेरोजगारी की फौज खड़ी हो गई है, जो चिंताजनक हैं। किसी भी समाज अथवा राज्य की शिक्षा उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती हैं। शिक्षा के द्धारा सामाजिक, आर्थिक विकास होता हैं। शिक्षा सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक वातावरण तैयार करती है जिससे राष्ट्रीय विकास होता हैं।

मध्यप्रदेश – म.प्र. भारत का एक राज्य हैं जिसकी राजधानी भोपाल हैं। म.प्र. 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रठल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था, इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 14 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार म.प्र. की साक्षरता 70.60% थी जसमें पुरुष साक्षरता 80.5% व महिला साक्षरता 60.0% थी। वर्ष 2017 के आकड़ों के मुताबिक राज्य में 114,418 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय और 3851 उच्च विद्यालय व 4765 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है।

मालवा – मालवा महाकवि कालिदास की धरती हैं यहां की धरती हरी – भरी धन धान्य से भरपूर रही हैं। मालवा ज्वालामुखी के उदगार से बना पश्चिमी भारत का एक अंचल हैं । पश्चिमी भाग तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से गठित यह क्षेत्र प्राचिन काल से ही एक स्वतंत्र राजनैतिक इकाई रहा हैं। मालवा के अधिाकांश भाग का गठन जिस पठार के द्धारा हुआ हैं उसका नाम भी इसी अंचल के नाम से मालवा का पठार हैं यह वर्तमान में लगभग 47760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फेला हुआ हैं तथा इसके अंतर्गत धार, झाबुआ, रतलाम, देवास, इंदौर, उज्जैन, आगर, मंदसौर, सिहौर, रायसेन, राजगढ़ तथा विदिशा आदि जिले आते हैं।

निमाड़ – निमाड़ मध्य प्रदेश के पश्चिमी ओर स्थित है। इसकी भौगोलिक सीमाओं में निमाड़ के एक तरफ विन्ध्य पर्वत और दूसरी तरफ सतपुड़ा हैं, जब कि मध्य में नर्मदा नदी है। पौराणिक काल में निमाड़ अनूप जनपद कहलाता था। बाद में इसे निमाड़ की संज्ञा दी गयी। फिर इसे पूर्वी और पश्चिमी निमाड़ के रूप में जाना जाने लगा। निमाड़ का जिले के रूप में गठन ब्रिटिशराज में नेरबुव डिवीजन में हुआ था जिस का प्रशासनिक मुख्यालय खण्डवा में था। निमाड़ अंचल में निम्न जिले आते है–बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन,। निमाड़ क्षेत्र में निम्न शहर आते है –बड़वाह, बड़वानी, बुरहानपुर, हरसूद, खंडवा, खरगोन, जूलवानिय, बमनाला, भीकनगावं, मूँदी, सनावद ।

साहित्य का पुनरावलोकन – इस अध्ययन ने शिक्षा संस्थानों की भूमिका, गुणवत्ता, और प्रभाव को मापने के लिए मूल्यांकन मापकों का उपयोग किया है। विशेष रूप से, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के छात्रों की उपयोगिता और

तकनीकी क्षमताओं के प्रतिपादन की गुणवत्ता पर विचार किया गया सुधार करने के लिए अवसर प्रदान कर सकती है। इस अध्ययन ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों के विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसरों और आयोग्यता में सुधार के प्रत्येक पहलु को भी उजागर किया है। इस अध्ययन के परिणामों की समीक्षा भारतीय सरकार, शिक्षा नियामक निकायों, और शिक्षा प्रशासनिक निकायों को उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा और सुधार करने के लिए अवसर प्रदान कर सकती है। इस अध्ययन के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों के भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण और आवश्यक स्थान पर विचार किया जाना चाहिए और इसे समर्पित करने के लिए उच्चतर शिक्षा सेक्टर में सुधारों के लिए नीतियों और योजनाओं की विकास की जरूरत होती है**(आर.एस.,2010)**।

'यह शोध उच्चतर शिक्षा संस्थानों के आर्थिक विकास की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है। इस अध्ययन में सृजनात्मक तत्वों का उपयोग किया गया है जो शिक्षा संस्थानों के आर्थिक विकास को समझने में मदद करते हैं। यह अध्ययन उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में नए विचारों और दिशा निर्देशों को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है जो संस्थानों को उनके आर्थिक विकास की सुगमता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। अध्ययन में सृजनात्मक तत्वों का प्रयोग किया गया है जो शिक्षा संस्थानों के आर्थिक विकास को समझने में मदद करते हैं। यह अध्ययन उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में नई सोच, नई दिशानिर्देश और उद्देश्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जो संस्थानों के आर्थिक विकास की सुविधा में सुधार करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यह अध्ययन उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उनके विभिन्न हिस्सों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपने आर्थिक विकास को बेहतर बनाने के लिए उपाय निर्धारित करने में मदद मिल सकती है **(गुप्ता, 2012)**।

इस अध्ययन में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की आर्थिक विकास में भूमिका के परिदृश्य को भारतीय संदर्भ में जांचा गया है। यह शोधपत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली के आर्थिक मापदंडों, वित्तीय संसाधनों, सरकारी नीतियों और संगठनात्मक ढांचे का विश्लेषण करता है। इसका उद्देश्य है, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के आर्थिक विकास की समझ बढ़ाना और उनके लिए आवश्यक नीतिगत सुझाव प्रदान करना। इस अध्ययन का अवलोकन भारत में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों और योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान को प्रदान करने की संभावना प्रदान करता है **(यादव, और गोयल, 2014)**।

शोध की परिकल्पना

H(1): उच्च शिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में महती भूमिका निभा रही हैं।

शोध के उद्देश्य :

1. उच्च शिक्षण संस्थाए किस प्रकार मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में भूमिका निभाती हैं व किस प्रकार उसे प्रभावित करती हैं।

'शोध कार्य के अंतर्गत शोध हेतु, शोध क्षेत्र के रूप में 'मालवा एवं निमाड़' के निम्न जिलों व उनकी शासकीय शिक्षण संस्थाओं को लिया गया जिनका वर्णन निम्नानुसार है'

मालवा	**-**	**निमाड़**
आगर मालवा जिला	-	खरगोन जिला

शोध कार्य हेतु आगर मालवा जिले के निम्न शासकीय महाविद्यालयों को शोध क्षेत्र के रूप में लिया गया :

तालिका क्रमांक 1: शोध कार्य हेतु चुने गए आगर मालवा जिले के शासकीय महाविद्यालय

क्र.	**महाविद्यालय का नाम**	**स्थान**	**जिला**
1.	नेहरू स्नात्कोत्तर शासकीय महाविद्यालय	आगर मालवा	आगर मालवा
2.	शासकीय महाविद्यालय	बडोद	आगर मालवा
3.	शासकीय महाविद्यालय	नलखेड़ा	आगर मालवा

शोध कार्य हेतु खरगोन जिले के निम्न शासकीय महाविद्यालयों को शोध क्षेत्र के रूप में लिया गया –

तालिका क्रमांक 2: शोध कार्य हेतु चुने गए खरगोन जिले के शासकीय महाविद्यालय

क्र.	**महाविद्यालय का नाम**	**स्थान**	**जिला**
1	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	खरगोन	खरगोन
2	शासकीय महाविद्यालय	मंडलेश्वर	खरगोन
3	शासकीय महाविद्यालय	सनावद	खरगोन
4	शासकीय महाविद्यालय	सनावद	खरगोन

समंको का संकलन – शोध अध्ययन के लिए प्राथमिक समंको का एकत्रीकरण, साक्षात्कार व सामाजिक माध्यम के द्वारा ऑनलाइन, प्रश्नावली भरवाकर किया गया। उपरोक्त जिलों के अंतर्गत आने वाले शासकीय महाविद्यालयो से 500 उत्तरदाताओं में से 480 उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रतिउत्तर का चयन किया गया। अन्य प्राप्त प्रतिउत्तर अधूरे व संतुष्टि जनक नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिए गए।

फैक्टर विश्लेषण- विश्लेषणात्मक – वर्तमान शोध अध्ययन मालवा-निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली उच्च शिक्षण संस्थाएं जो उच्च शिक्षा प्रदान करती हैं, को केन्द्रित करते हुए प्राथमिक समंकों के आधार पर निष्कर्ष ज्ञात किये गये जिन्हे सत्यापित करने के लिए विभिन्न पहलूओं का अध्ययन किया तथा परिकल्पनाओं का निम्नानुसार सत्यापन किया गया है

सर्वप्रथम प्रश्नावली में 40 प्रश्नों को लिकर्ट तालिका के माध्यम से SPSS-26.0 सॉफ्टवेयर में अध्ययन हेतु रखा गया। इसके अंतर्गत चर विश्लेषण के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण कारकों का फेक्टर लोडिंग के आधार पर मान ज्ञात किया गया। ऐसे कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं जो मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में उच्च शिक्षण संस्थानों की महती भूमिका का अध्ययन प्रस्तुत करने में समक्ष हैं। KMO व Bartlett's टेस्ट का प्रयोग करने का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि शोध अध्ययन में प्रयुक्त आँकड़े व प्रश्न विश्लेषण के लिए उपयुक्त है या नहीं ? साथ ही यह चर के स्तर की विश्वसनीयता की जाँच भी करता है। KMO का मान 0-6 से अधिक आने पर ही शोध-अध्ययन को आगे बढ़ाया जा सकता है। DF (Degree of Freedom) का मान 0-6 से उपर होना चाहिए व Significance, 0.05 से कम होना चाहिए। एक प्रश्न का मान 0-5 से अधिक होने पर ही अध्ययन किया जाना संभव होता है।

तालिका 3: KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.898
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	12783.791
	Df	780
	Sig.	.000

तालिका क्र. 3 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि KMO टेस्ट का मान 0-898 है, जो 0-6 से अधिक है जो उच्च स्तरीय संबंध को प्रकट करता है। Bartlett's टेस्ट का मान 12783.791 है, जो 40 प्रश्नों के आधार पर ज्ञात हुआ है। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न का मान 5-0 से अधिक होना चाहिए, जो कि अधिक है व Model of fitness में आँकड़ों की समर्थता को प्रदर्शित करता है। Significance का प्राप्त मान 0-000 है जो कि 0-05 से कम है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्राप्त आँकड़ों के मान के माध्यम से शोध अध्ययन को आगे बढ़ाया जा सकता है।मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में उच्च शिक्षण संस्थानों की महती भूमिका का विश्लेषण को चर के लिए घुमावदार कारक मैट्रिक्स तालिका 4 में दिया गया है

तालिका 4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 4 में सामान्य कारक गुणांक के मैट्रिक्स का प्रतिनिधित्व है। निकाले जाने वाले कारक की संख्या 5 है। अनुपात जो उच्चतम लोडिंग है (= 0-50) प्रत्येक कारक में समूहीकृत किया जाता है। अंतिम कॉलम कम्युनिटी (एच) है, यह फैक्टर द्वारा समझाया विवरण है।

शोध परिकल्पना का मूल्यांकन

प्रश्नावली की विश्वसनीयता तालिका क्रमांक 5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.893	40

मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में उच्च शिक्षण संस्थानों की महती भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया गया जिसके अन्तर्गत जनसांख्यिकी डाटा के अलावा 40 प्रश्नों को स्केल पर आधारित करके प्रश्नावली की विश्वसनीयता का आँकलन किया गया। प्रश्नावली की विश्वसनीयता का मान 0.893 अभिप्राय है 89.3 प्रतिशत प्रश्नावली विश्वसनीय है,जिसका सत्यापन क्रानवेक अल्फा द्वारा किया गया है, अत: परिणामस्वरूप प्रश्नावली के विश्लेषण को आगे बढ़ाया जा सकता है।

H(1): उच्च शिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में महती भूमिका निभा रही हैं।

तालिका क्रमांक 6: One-Sample Test आर्थिक विकास में उच्च शिक्षण संस्थाओं की महती भूमिका

	Test Value = 0					
	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
आर्थिक विकास में उच्च शिक्षण संस्थाओं की भूमिका	16.012	479	.000	1.71800	1.6615	1.7545

उच्च शिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में महती भूमिका निभा रही हैं यह जानने के लिए टी-टेस्ट परीक्षण का उपयोग किया गया है। टी-टेस्ट की तालिका के अनुसार सार्थकता मान *.000<.05* है, व टी-टेस्ट का परिकलित मान 16-012 स्वतन्त्र कोटि 1 पर है, जो कि सारणीकृत मान 1-96 से अधिक हैं। अत: यह निष्कर्ष निकलता है कि परिकल्पना **H(1): उच्च शिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में महती भूमिका निभा रही हैं** को स्वीकृत किया जाता है।

अत: परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है।

अत: यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च शिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमारी अध्ययन ने स्पष्टता से दिखाया है कि उच्च शिक्षण संस्थाएं न केवल शैक्षिक क्षेत्र में अपना कार्य सम्पन्न कर रही हैं, बल्कि उनका सकारात्मक प्रभाव राज्य के आर्थिक संदर्भ में भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में अपने साकारात्मक योगदान के माध्यम से राज्य को विकसित करने में सहायक हो रहे हैं। इस निष्कर्ष के माध्यम से हम यह स्थापित करते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थाएं अनेक आर्थिक गतिविधियों, रोजगार के अवसरों, और आम जनता के आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से शामिल हो रही हैं। इस अध्ययन से प्राप्त परिणाम समाप्त होने पर हम यह कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है और इसे और बढ़ावा देने के लिए संबंधित स्कीमों और नीतियों की आवश्यकता है।

शोध निष्कर्ष : शोध विश्लेषणों से प्राप्त निष्कर्ष निम्नानुसार है -

शोध अध्ययन से ज्ञात होता है कि, उच्च शिक्षण संस्थाएँ विभिन्न पैरामीटर्स पर ध्यान केंद्रित करके छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के लिए तैयार करने में सक्षम हैं। उच्च शिक्षा के इस प्रणालीकृत योगदान के परिणामस्वरूप, छात्रों को सही रूप से तैयार किया जा रहा है, जिससे वे समृद्धि और विकास के क्षेत्र में अधिक सक्षम हो रहे हैं। शोध अध्ययन के परिणामों के अनुसार, संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही उच्च शिक्षा न केवल शिक्षार्थियों को उच्चतम शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर प्रदान कर रही है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रही है। इस प्रकार की शिक्षा आर्थिक साक्षरता को बढ़ावा देने, नौकरी अवसरों को बढ़ाने और सामाजिक समानता की दिशा में कदम उठाने में सहायक हो रही है। यह आत्मनिर्भरता और रोजगार सृष्टि में भी सहायक हो रही है, जिससे समृद्धि की दिशा में प्रगति हो रही है।

शिक्षा की चुनौतियाँ एवं समाधान - प्रश्न उठता है कि वे कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना करने की कवायद शिक्षक-शिक्षा को करनी है। इसका उत्तर देने के लिए शिक्षा के समक्ष जिन क्षेत्रों से चुनौतियां सामने आ रही हैं अथवा भविष्य में और तीव्र होकर सामने आने की आशंका है उन्हें तीन प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग के अन्तर्गत आर्थिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां हैं। हम जानते हैं कि 1992 के बाद भारत की आर्थिक नीति में कई मूलभूत परिवर्तन हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में व्यय की जा रही धनराशि का विश्लेषण, लागत और लाभ के आधार पर किया जा रहा है। शिक्षा संस्थाओं से अपने संसाधन स्वयं जुटाने की बात की जा रही है और निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। अंतिम चुनौती भरा क्षेत्र राजनीतिक है। यद्यपि अपने देश में लोकतांत्रिक शासन-प्रणाली प्रचलित है तथापि नीतिगत अस्पष्टता अथवा व्याख्या भिन्नता के कारण कभी-कभी कुछ व्यवधान आ जाते हैं। आंतरिक एवं बाह्य दबाव समूह भी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। आंतरिक स्तर पर राजनैतिक दल तथा बाह्य स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं दबाव समूह का कार्य करती हैं जिससे नीतियों के निर्माण तथा उनके क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ता है।

उपसंहार - शोध अध्ययन के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मालवा निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, साथ ही साथ उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदान किया गया उच्च शिक्षा क्षेत्र के विकास में भी भरपूर योगदान प्रदान करती है। उच्च शिक्षा, जो उच्च शिक्षण

संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही है, समाज में सकारात्मक बदलाव और आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विद्यार्थियों को न केवल विशेषज्ञता क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहारा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें समाज में जिम्मेदार नागरिक बनाने का भी कार्य करती है। उच्च शिक्षा के माध्यम से विकसित किए गए कौशल और ज्ञान का उपयोग समाज के समस्त क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे कि विज्ञान, साहित्य, कला, और सामाजिक विज्ञान। इसके परिणामस्वरूप, यह एक समृद्ध समाज की दिशा में बदलाव लाने में मदद कर सकती है और राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। बढ़ती तकनीकी निर्भरता के युग में, विद्यार्थियों को मूल्यपरक रोजगारों की दिशा में शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब तकनीकी उन्नति और विकास ने नौकरी के क्षेत्रों में नए मानकों को स्थापित किया है और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरीयों की मांग बढ़ा दी है। विद्यार्थियों को उच्चतम स्तर की तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलना चाहिए, जिससे वे स्वतंत्र रूप से नए और सुगम मार्गों की ओर बढ़ सकें। इससे न केवल उनका व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि वे समाज में भी सकारात्मक रूप से योगदान देंगे। समृद्धि और विकास के पथ पर चलने के लिए, उच्च शिक्षा से जुड़े कौशलों और ज्ञान को मजबूत बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह न केवल एक व्यक्ति को उसके चयनित क्षेत्र में अग्रणी बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि समृद्धि के पथ में पूरे समाज को भी साथ लेने में सहायक होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://www.allresearchjournal.com/archives/2020/vol6issue2/PartE/6-11-146-542.pdf
2. https://ncert.nic.in/textbook/pdf/ihss102.pdf
3. Meyer, Milton Walter.(1976).” *A Short History of the Subcontinent”. South Asia*. pages no. 1, ISBN 0-8226-0034-X)
4. http://www.census2011.co.in/census/state/madhya+pradesh.html
5. http://www.educationportal.mp.gov.in/Public/Schools/ssrs/State_School_Block.aspx?MP=1
6. https://educationforallinindia.com/issues-challenges-indian-education-system-is-facing/
7. गुप्ता, मनीष. (2012)- उच्चतरशिक्षा संस्थानों के आर्थिक विकास में भूमिका: एक सृजनात्मक अध्ययन। अर्थशास्त्र विभागीय अध्ययन, 15(3) 78-92
8. https://hi.wikipedia.org/wiki/मध्यमप्रदेश/शिक्षा
9. https://hi.wikipedia.org/wiki/मालवा/मुखम-स्थान-एवं-नगर
10. https://hi.wikipedia.org/wiki/निमाड़
11. https://highereducation.mp.gov.in/
12. hhttp://hindimedia.in/depending-on-the-quality-of-higher-education/?print=print
13. Mohun P. Odit, K.Dookhan and S. Fauzel (2010) The Impact of Education On Economic Growth: The Case Of Mauritius. International Business & Economics Research Journal.Volume 9, Number 8, pp.141-145.
14. प्रकाश, आर. एस. (2010). उच्चतर शिक्षा संस्थानों का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान: एक अध्ययन। अर्थशास्त्र अनुसंधान, 12(2), 45-62).
15. http://www.socialresearchfoundation.com/upoadresearchpapers/6/161/1708190841091st%20ravindra%20modi.pdf
16. यादव, सुरेशचन्द्र, और गोयल, सुशील. (2014). उच्चतर शिक्षा संस्थानों की आर्थिक विकास में भूमिका: भारतीय परिदृश्य। शिक्षा सांख्यिकी, 17(1), 34-48.

तालिका 4: घुमावदार कारक मैट्रिक्स

स.क	प्र क्र	विवरण	कारक 1	कारक 2	कारक 3	कारक 4	कारक 5	कम्युनिटी (एच)
1	8	गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना	.915					.792
2	6	सेमेस्टर प्रणाली के माध्यम से उच्च शिक्षा में व्यापक परिवर्तन	.911					.765
3	5	पुराने शिक्षण नियम एवं नीति में बदलाव	.890					.726
4	1	उच्च शिक्षण संस्थाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध	.887					.585
5	7	सामाजिक, आर्थिक,सांस्कृतिक, नैतिक एवंआध्यात्मिक मसलों परसोच-विचार	.881					.805
6	9	बढ़ती तकनीकी निर्भरता के समय में विद्यार्थियों को मूल्यपरक रोजगारोन्मुखी शिक्षा देना	.876					.834
7	2	उच्च शिक्षण क्षेत्र के विकास में योगदान	.864					.785
8	3	सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा	.850					.847
9	10	अधोसंरचनात्मक ढँचे में बदलाव की आवश्यकता	.829					.773
10	15	आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका	.792					.704
11	14	आर्थिक उदारीकरण के कारण शिक्षा के क्षेत्र मे शिक्षा संस्थानों से अपेक्षाएँ	.770					.891
12	4	शिक्षा से संबंधित बनाए गए नियम एवं नीतियां	.750					.903
13	5	शिक्षा के क्षेत्र में परिदृश्य बहुत तेजी से बदला	.741					.577
14	12	व्यक्ति के जीवन में उच्च मूल्यों का विकास	.739					.613
15	11	अकादमिक गतिविधियों को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने का प्रयास	.735					.650
16	30	शिक्षा की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार		.763				.497
17	29	सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा		.725				.706
18	36	शिक्षकों को रोल-मॉडल बनने का अवसर		.638				.745
19	26	आर्थिक वृद्धि और विकास में सकारात्मक योगदान		.634				.687
20	19	आवश्यक कौशल और ज्ञान		.611				.669
21	27	प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे जैसे शैक्षिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग		.538				.674
22	40	कल्याणकारी राज्य को प्रगति करने और अन्य विकासशील और विकसित राष्ट्रों के साथ तालमेल		.505				.680
23	33	उच्च शिक्षा देश की संस्कृति को गढ़ने का हथियार		.500				.591
24	21	साक्षरता दर में वृद्धि			.738			.727
25	22	व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता			.719			.706
26	28	उच्च शैक्षिक प्राप्ति के स्तर से नवाचार और उद्यमिता में वृद्धि			.644			.592
27	16	रोजगार के अवसर			.630			.619
28	23	नीतियों को आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में शिक्षा को प्राथमिकता			.612			.507
29	37	समाज में 'भावी पीढ़ी-निर्माण'			.602			.634
30	31	'अर्न व्हाइल यू लर्न' योजना				.698		.644
31	34	विद्यार्थियों को रोजगारोंमुखी प्रोजेक्ट आवंटित करना				.676		.647
32	39	सरकार का सम्मिलित प्रयास				.650		.509
33	35	शिक्षण प्रणाली में शिक्षकों को भी अपने विकास का मौका				.645		.685
34	32	'अर्न व्हाइल यू लर्न' योजना को जनभागीदारी के माध्यम से किए जाने की आवश्यकता				.640		.670
35	38	आर्थिक नीतियां और शिक्षा के लिए धन का आवंटन				.634		.571
36	25	आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त					.790	.538
37	24	उच्च शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग					.785	.557
38	20	आय असमानता को कम करने में मदद					.767	.535
39	18	शिक्षा में निवेश					.765	.672
40	17	उच्च उत्पादकता और आर्थिक विकास					.732	.488

(स्रोत:- प्राथमिक समंक)

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भूमि उपयोग परिवर्तन का मूल्यांकन एवं उसका भोपाल महानगरीय उपातं की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर प्रभाव

डॉ. दुर्गेश कुर्मी*

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मानवीय आर्थिक गतिविधियों के फलस्वरूप भूमि उपयोग में तीव्र गति से लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन संबंधी आंकड़ों की सटीक उपलब्धता प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण प्रबंधन, नियोजन, निगरानी, प्रशासनिक योजनाओं जैसे अनेक अनुप्रयोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन का मूल्यांकन समस्थानिक विधि से दशकीय आधार पर 2001 से 2021 तक कृषि भूमि, निर्माण क्षेत्र, जलीय निकाय, वन भूमि, बंजर भूमि आदि चरों का प्रयोग किया गया है, जिसमें लैण्डसेट 5टीएम 2001, लैण्डसेट 7ईटीएम 2011 एवं लैण्डसेट 8ओएलआई 2021 जैसी सेटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर आर्क जीआईएस सॉफटवेयर के माध्यम से विश्लेषण किया गया। भोपाल महानगर में भूमि उपयोग परिवर्तन का प्रमुख कारण नगरीय फैलाव है, जो कि महानगर के दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा में अप्रत्याशित रूप से हो रहा है। 2001 से 2021 के मध्य भोपाल महानगर के भूमि उपयोग में क्रमशरू कृषि भूमि, जलीय निकाय, वन भूमि, बंजर भूमि में 33%, 17.27%, 42%, 7.36% का ह्रासात्मक एवं निर्माण क्षेत्र में 316% की सकारात्मक परिवर्तन देखा गया। इसके परिणामस्वरूप महानगरीय उपातं पृष्ठभूमि पर सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव जैसे पारस्परिक सामाजिक संबंधों की कमी, पारस्परिक समन्वय एवं समरस्ता की कमी, व्यवसायिक संरचना में परिवर्तन तथा जीवन स्तर पर प्रभाव आदि स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं।

शब्द कुंजी – भूमि उपयोग परिवर्तन, नगरीय फैलाव, भोपाल महानगर।

प्रस्तावना – पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक भूमि है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने एवं विकास का आधार है। भूमि संसाधन देश का सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संपदा होती है और उसका नियोजित और उचित तरीके से उपयोग अत्यंत चिंता का विषय है, क्योंकि अन्य सभी प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलाप भूमि पर ही निर्भर होते हैं। जब भूमि का उपयोग मानव अपनी आवश्यकतानुसार कर रहा हो, तो उस भू-भाग के लिए भूमि-उपयोग शब्द का प्रयोग उचित होगा।[1] अर्थात् जब भूमि उपयोग में भू-भाग का प्राकृतिक स्वरूप क्षीण हो जाता है तथा मानवीय क्रियाओं का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है तभी इसे भूमि उपयोग की संज्ञा देते हैं। भूमि उपयोग उस कार्य या उद्देश्य से संबंधित है जिसके लिए भूमि का उपयोग जनसंख्या द्वारा किया जाता है। इसे उन मानवीय गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सीधे तौर पर भूमि संसाधनों का उपयोग करने या उन पर प्रभाव डालने से संबंधित हैं।[2] प्राकृतिक वातावरण में मानवीय गतिविधियाँ भूमि उपयोग और भूमि आवरण परिवर्तन की मुख्य प्रेरक शक्तियों में से एक हैं।[3] प्राकृतिक क्षेत्रों का औद्योगिक या कृषि क्षेत्रों में परिवर्तन मुख्य रूप से भूमि आवरण में नाटकीय परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, विशेषकर विकासशील देशों में।[4] भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण परिवर्तन का संबंध इससे जुड़ा है कि कैसे मानव एवं पर्यावरण अंतरूक्रिया करते हैं।[5] भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रतिरूप विश्लेषण करने से, भूमि उपयोग प्रबंधकों और निर्णय निर्माताओं में मानव और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के मध्य संबंधों की बेहतर समझ प्राप्त हो सकती है।[6] वैश्विक स्तर पर भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भूमि उपयोग और जल की गुणवत्ता में परिवर्तन औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और खनन जैसी मानवजनित गतिविधियों से प्रभावित होते हैं।[7] सूदूर संवेदन आंकड़े भूमि उपयोग परिवर्तन के अध्ययन के लिए बहुउपयोगी एवं मूल्यवान हैं।[8]

भोपाल महानगर के भूमि उपयोग के प्रतिरूप का परीक्षण करते हुए, निष्कर्षतरू नगर में मुख्य रूप से विकसित क्षेत्रों में पांच प्रकार के नगरीय भूमि उपयोग हैं – सर्वाधिक आधिपत्य आवासीय भूमि का है, इसके बाद औद्योगिक, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक, मनोरंजन और परिवहन का स्थान है। नगर में व्यापक व्यावसायिक भूमि उपयोग के बावजूद, विभिन्न क्षेत्रों में दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवासीय क्षेत्रों में छोटे शॉपिंग सेंटर हैं। कई मनोरंजक स्थान हैं और शहर में एक अच्छा परिवहन नेटवर्क है जो नगरीय गतिविधियों के विकास में मदद करता है। नगर में अन्य सेवाएं, औद्योगिक और व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियां प्रमुख कार्य हैं।[9] विश्लेषण से यह अनुभव किया गया है कि भोपाल नगर का क्षैतिज विस्तार तीव्र गति से हो रहा है, 1991 में नगरीय विस्तार जहां 15.8 वर्ग किमी था, वहीं 2016 में 184.5 वर्ग किमी हो गया। इसमें स्थानिक असमानता के साथ 7 वर्ग किमी की दर से प्रतिवर्ष परिवर्तन हुआ। इस विस्तार का सीधा प्रभाव भूमि उपयोग/भूमि आवरण पर पड़ा है। निर्माण भूमि का विस्तार मुख्यत: कृषि और वन भूमि पर होता है। ये दोनों प्रथम वर्ग हैं जो इस विस्तार प्रक्रिया से अत्याधिक प्रभावित हैं।[10] भोपाल का उद्भव

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

और इतिहास, जिसका विस्तृत वर्णन किया गया है, अलग-अलग शासकों के शासन काल में भोपाल में विभिन्न निर्माण कार्य हुये जिससे एक नगर के रूप में एक मजबूत आधार प्राप्त किया। कैसे हाल के दिनों मं भोपाल एक प्रमुख शहर के रूप में उभरा है। मध्य प्रदेश के अन्य नगरों की तुलना में भोपाल के विकास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।[11] इस प्रकार का अध्ययन किसी क्षेत्र में आवश्यक उपयुक्त विकास के बारे में समझ प्रदान करता है। भोपाल को अध्ययन के क्षेत्र के रूप में चुनने के विभिन्न कारणों में से एक यह है कि सरकार द्वारा इसे स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।[12]

उद्देश्य:

1. भोपाल महानगर के भूमि उपयोग परिवर्तन का मूल्यांकन करना।
2. भोपाल महानगर के भूमि उपयोग परिवर्तन का महानगरीय उपातं की पृष्ठभूमि पर प्रभावों का अध्ययन करना।

शोध प्राविधि – अध्ययन में उपयोग किए गए आंकड़ों के स्रोत निम्न प्रकार हैंख–

1. भारतीय सर्वेक्षण विभाग का धरातल पत्रक क्र. F43/F7, F8, मापनी 1:50,000
2. भोपाल नगरीय विकास योजना 1991, 2005, 2031 (ड्राफ्ट)

सारणी क्र. 01 इमेजरी विवरण

क्र.	सैटेलाइट	इमेजरी	वर्ष
1	लैंडसैट	लैंडसैट टीएम	1991
2	लैंडसैट	लैंडसैट ईटीएम	2001
3	लैंडसैट	लैंडसैट ईटीएम	2011
4	लैंडसैट	लैंडसैट ओआईएल	2021

यह अध्ययन कार्य 1991 से 2021 तक 30 वर्षों की समयावधि को लेकर किया गया है। अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों के साथ एक एकीकृत भू-स्थानिक दृष्टिकोण यानी सुदूर संवेदी और जीआईएस को अपनाया गया है। सुदूर संवेदन और जीआईएस आंकड़ों को क्रमश: एर्डास इमेजिन (लीका जियोसिस्टम द्वारा विकसित) और आर्कजीआईएस (ईएसआरआई द्वारा विकसित) की मदद से विश्लेषित किया गया।

प्राथमिक आंकड़ों का एकत्रिकरण प्रश्नावली से शोधकर्ता द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया।

आरेख क्रमांक 01 : आधारभूत आंकड़े

आरेख क्रमांक 02 : इमेजरी विश्लेषण के चरण

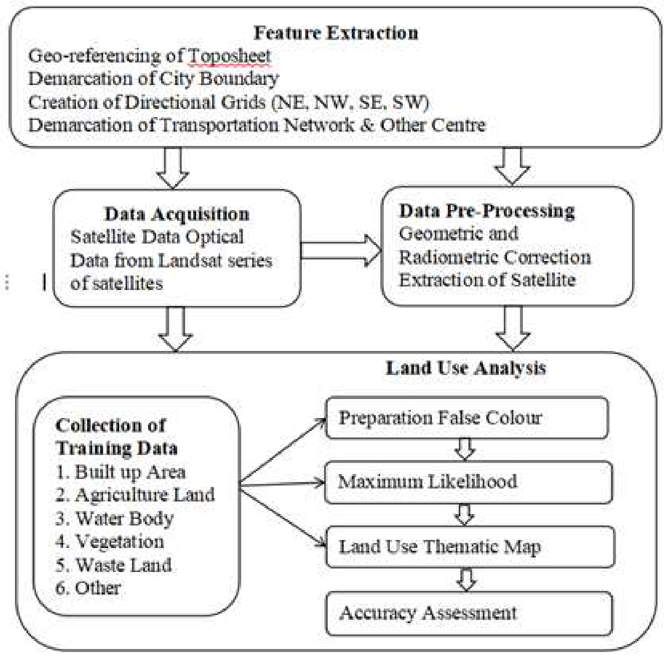

सारणी क्रमांक 02: चयनित भूमि उपयोग के वर्ग

क्र.	वर्ग	वर्णन
1	जलीय निकाय	नदी, तालाब, नहर, झीलें, डेम
2	वन भूमि	सदा हरित वन, पर्णपाती वन, विरल वन, सघन वन, वनस्पति, घास भूमि
3	निर्माण भूमि	आवासीय भूमि, वाणिज्यिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन मार्ग,
4	कृषि भूमि	आर्द्र एवं शुष्क फसल क्षेत्र
5	खुली भूमि/ बंजर भूमि	परती भूमि

स्रोत: भोपाल विकास योजना, 1991

अध्ययन क्षेत्र – भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र मालवा पठार के पहाड़ी इलाके में 77°25' पूर्वी देशांतर और 23°15' उत्तरी अक्षांश पर तथा समुद्र तल से 550-600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भोपाल मालवा पठार के भीतर पहाड़ी भूभाग पर स्थित है, जो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है। भोपाल अपनी उत्तर-पूर्व सीमा विदिशा जिले के साथ और उत्तर-पश्चिम सीमा राजगढ़ जिले के साथ साझा करता है। रायसेन और सीहोर जिला क्रमश: दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिमी परिधि से भोपाल को घेरे हुए है। प्राकृतिक रूप से भोपाल को दो भागों में बांटा जा सकता है - पहाड़ी और पठारी। नगर की दक्षिणी सीमाएँ विंध्य पहाड़ी श्रृंखला के समानान्तर विस्तृत हैं। यह पर्वत श्रृंखला भोपाल के दक्षिण से उत्तरी क्षेत्र तक भोपाल नगर की सीमा के समानान्तर विस्तृत है। दक्षिणी विंध्याचल श्रेणी से सटी नर्मदा घाटी की उपस्थिति भोपाल के कृषि क्षेत्र के लिए वरदान है। यह घाटी भोपाल के प्रमुख क्षेत्रों मं पायी जाने वाली आग्नेय चट्टानों के अनाच्छादन से बनी काली मिट्टी को उर्वरता प्रदान करती है। हालाँकि, विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी-पूर्वी शाखा बलुआ पत्थर की पहाड़ियों से बनी हुई है।

आरेख क्रमांक 03 : अध्ययन क्षेत्र

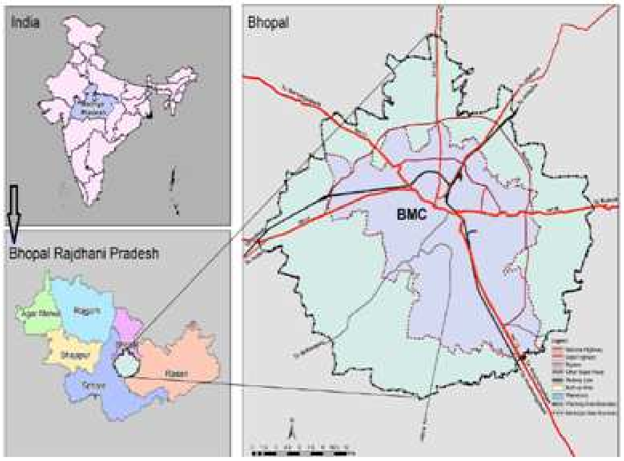

स्त्रोत : भोपाल विकास योजना

विश्लेषण – वर्तमान समय में भूगोलवेत्तओं एवं भू-वैज्ञानिकों को स्थानिक गतिशीलता, भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण परिवर्तन को समझना एक चुनौती पूर्ण कार्य है क्योंकि इसके विश्लेषण के लिए कोई एक सर्वभौम्य मान्य मॉडल नहीं है।

भूमि उपयोग परिवर्तन – भूमि उपयोग विश्लेषण अध्ययन करता है कि कहाँ और किस प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ हो रही हैं। अलग-अलग गतिविधियों के लिए भूमि की अलग-अलग आवश्यकताएँ हो सकती हैं और उनके प्रभाव भी अलग-अलग होते हैं। इस प्रकार के विश्लेषण से मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप भोपाल महानगर के भूमि उपयोग परिवर्तन को समझा जा सकता है।

आरेख क्रमांक 04 : भूमि उपयोग मानचित्र

(क) 1991 (ख) 2001 (ग) 2011 (घ) 2021

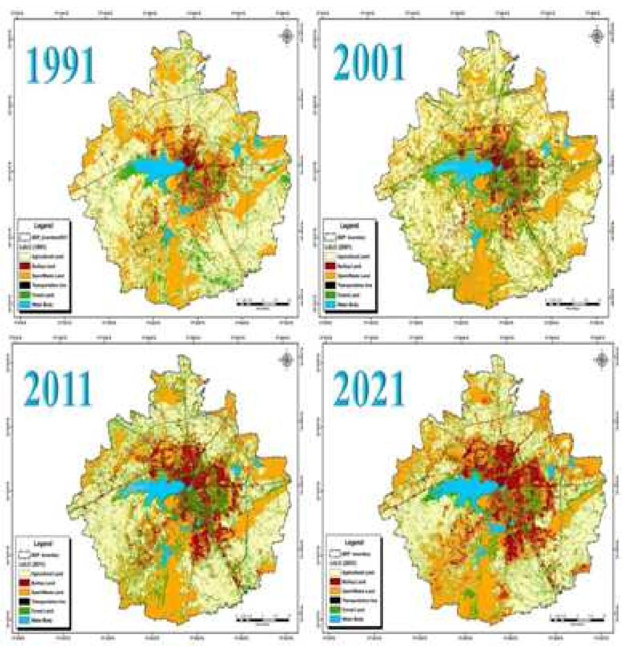

स्त्रोत : लेखक द्वारा स्वत: निर्मित

आरेख क्र. 4 (क) में दर्शाये गये भूमि उपयोग मानचित्र 1991 में भोपाल महानगर के कुल नगरीय क्षेत्रफल में से 43.53 प्रतिशत कृषि भूमि का, 38.58 प्रतिशत बंजर भूमि का, 11.89 प्रतिशत वन भूमि का, 4.45 प्रतिशत जलीय भूमि का एवं 1.55 प्रतिशत निर्माण क्षेत्र का भाग था। इस समय सर्वाधिक भू-भाग पर कृषि कार्य एवं संबंधित क्रियाकलाप संलग्न थे वही सबसे कम क्षेत्र पर निर्माण क्षेत्र (आवासीय भूमि) का विस्तार था। 1991 के भूमि उपयोग परिवर्तन के अध्ययन से प्रदर्शित होता है कि भोपाल नगर का फैलाव अर्द्धवृत्तकार रूप में हुआ है, इसका मुख्य कारण बड़ी और छोटी झील की भौगोलिक स्थिति है। चूंकि झील का विस्तार नगर के पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में अधिक है। इस कारण नगर के संपूर्ण निर्माण कार्य पुराना भोपाल (जो कि नगर का केन्द्र है) के सीमावर्ती क्षेत्र में दक्षिण में छोटी झील के किनारे बेरसिया मार्ग की ओर , दक्षिण-पूर्व में होशंगाबाद मार्ग (NH-12) के किनारे (प्रताप नगर, पुराना सुभाष नगर), पूर्व में भेल टाउनशिप, उत्तर-पूर्व में सागर रायसेन मार्ग, उत्तर-पश्चिम में बड़ी झील के किनारे पुराने भोपाल से लालघाटी की ओर देखने को मिलता है। उपर्युक्त मार्ग के मध्य में पुराने भोपाल से बाह्य परिसीमा की ओर अत्याधिक निर्माण कार्य होने के कारण 1991 के पूर्व अर्द्धवृत्तकार प्रतिरूप में नगर का फैलाव हुआ है।

आरेख क्र. 4 (ख) में दर्शाये गये भूमि उपयोग मानचित्र 2001 से स्पष्ट है कि कुल नगरीय भूमि का 40.24 प्रतिशत कृषि भूमि का, 38.06 प्रतिशत बंजर भूमि का, 11.23 प्रतिशत वन भूमि का, 6.49 प्रतिशत जलीय भूमि का एवं 3.98 प्रतिशत निर्माण क्षेत्र का भाग था, जो कि 1991 की तुलना में 2001 में कृषि भूमि, बंजर भूमि, वन भूमि, जलीय भूमि, निर्माण क्षेत्र में प्रतिवर्ष क्रमश: - 3.35, - 0.53, - 0.66, - 0.47, 5.02 वर्ग किमी प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई।

1991 से 2001 की अवधि के नगरीय भूमि उपयोग प्रतिरूप का विस्तृत अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि भोपाल नगर का विस्तार नगर के कोर (पुराना भोपाल) से मुख्य मार्गों के सहारे बाहरी सीमा की ओर रेखीय या रिबन प्रतिरूप (Linear/Ribbon pattern) में हुआ है। दक्षिण-पूर्व में छभ्-12 के सहारे रेलवे कॅालोनी से मिसरौद की ओर, दक्षिण में कोलार रोड की ओर, उत्तर-पूर्व में NH-86 के समानान्तर कैन्ची चोला तिराहे के चारों ओर तथा वाईपास के सहारे नवजीवन कॉलोनी, नवाब कॉलोनी, देवकी नगर, नारियल खेडा आदि, उत्तर पश्चिम में झील के किनारे NH-12 के समानान्तर बल्लभ नगर और लालघाटी से पश्चिम की ओर, SH-18 के साथ-साथ पूजाश्री नगर, हेमू कॉलानी की ओर फैलाव हुआ। आरेख क्र. 4 (ग) में दर्शाये गये भूमि उपयोग मानचित्र 2011 से स्पष्ट है कि कुल नगरीय भूमि उपयोग का 36.17 प्रतिशत कृषि भूमि का, 37.37 प्रतिशत बंजर भूमि का, 9.84 प्रतिशत वन भूमि का, 3.60 प्रतिशत जलीय भूमि का एवं 13.02 प्रतिशत निर्माण क्षेत्र का भाग था, जो कि 2001 की तुलना में 2011 में कृषि भूमि, बंजर भूमि, वन भूमि, जलीय भूमि, निर्माण क्षेत्र में प्रतिवर्ष क्रमश: - 4.13, - 0.7, - 1.42, - 0.39, 6.64 वर्ग किमी प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई।

2001 से 2011 की अवधि में नगरीय भूमि उपयोग परिवर्तन के परिणामस्वरूप नगरीय फैलाव नगरीय केन्द्र (Old Bhopal) से कुछ किमी. दूर सघन रूप से हुआ है, जिससे नवीन केन्द्र स्पष्ट प्रदर्शित होते हैं जो कि लीप फ्राग फैलाव प्रतिरूप कहलाता है। नगर के दक्षिण-पूर्व में NH-12 के समानान्तर मिसरोद (स्वर्णनगर, श्रीराम कॉलोनी, स्नेहनगर, भैरवपुर) मण्डद्वीप औद्योगिक केंद्र। दक्षिण में कोलार रोड के साथ-साथ कोलार

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

(सरधर्म कॉलोनी, महाबाली नगर, श्रीढीपुरम, बनजारी, गेहूं खेड़ा, राजहर्ष कॉलोनी) दक्षिण-पश्चिम बिलकिसगन्ज रोड के किनारे कोटरा सुलतानाबाद, कमला नगर, गोमती कॉलोनी, सी-सेक्टर, द्वारकापुरी कॉलोनी, पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 86 के समानान्तर आनंद नगर (प्रेस कॉलोनी, गोपाल नगर, सुख सागर), उत्तर-पश्चिम में NH-18 के समांतर लालघाटी, हेमू कॉलानी, ब्लाक बी, बैरागढ़ आदि। जैसे अनेक छोटे बड़े नवीन नगरीय केन्द्र भोपाल नगर के फैलाव के फलस्वरूप नवीन नियोजित अधिवास के रूप में भोपाल नगर में सम्मिलित हुए जो स्पष्ट रूप से लीपफ्राग फैलाव प्रतिरूप को प्रदर्शित करते हैं।

आरेख क्र. 4 (घ) में दर्शाये गये भूमि उपयोग मानचित्र 2021 से स्पष्ट है कि कुल नगरीय भूमि उपयोग का 26.61 प्रतिशत कृषि भूमि का, 36.58 प्रतिशत बंजर भूमि का, 6.2 प्रतिशत वन भूमि का, 3.3 प्रतिशत जलीय भूमि का एवं 27 प्रतिशत निर्माण क्षेत्र का भाग था। जो कि 2011 की तुलना में 2021 में कृषि भूमि, बंजर भूमि, वन भूमि, जलीय भूमि, निर्माण क्षेत्र में प्रतिवर्ष क्रमशः - 9.72, - 0.8, - 3.4, - 0.32, 14.22 वर्ग किमी प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई।

2011 से 2021 के दशक में नगरीय भूमि उपयोग परिवर्तन के परिणामस्वरूप महानगरीय फैलाव जो 2011 के दशक में नवीन केन्द्रों के रूप में था से परिवर्तित हो कर सघन अधिवासित हो गया।

नगरीय भूमि का रूपांतरण - भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण परिवर्तन की दर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है, यह भिन्नता एक ही नगर में भी हो सकती है।[13] जैसे भोपाल महानगर में विभिन्न दिशाओं में अधिवास के प्रसार के कारण निर्माण क्षेत्र में अलग-अलग दिशाओं में भिन्न प्रतिरूप देखने को मिलता है। इसके परिणामस्वरूप नगरीय भूमि रूपांतरण की दर में दिशाओं एवं समय के अनुसार विभिन्नता देखने को मिलती है। दशकीय अध्ययन से यह स्पष्ट होता है की परिवर्तन की दर भिन्न रही है।

सारणी क्रमांक 03 : नगरीय भूमि का रूपांतरण

भूमि उपयोग	1991 में क्षेत्रफल वर्ग किमी	2001 में क्षेत्रफल वर्ग किमी	2011 में क्षेत्रफल वर्ग किमी	2021 में क्षेत्रफल वर्ग किमी
कृषि भूमि	442.64	409.16	367.83	270.58
निर्माण क्षेत्र	15.8	66	132.42	274.62
जलीय निकाय	45.23	40.51	36.65	33.42
वन भूमि	120.88	114.23	100	66.28
बंजर भूमि	392.35	387	380	372
कुल	1016.90	1016.90	1016.90	1016.90

स्त्रोत : लेखक द्धारा स्वत: निर्मित

कृषि भूमि - कृषि भूमि समतल प्राय: भूमि होती है जिस पर निर्माण कार्य करना सबसे आसान होता है यही कारण है कि भोपाल महानगर में सर्वाधिक भूमि का ह्रास कृषि भूमि का हुआ है। जहाँ 1991 में कुल भूमि का 442.64 वर्ग किमी वहीं 2001 में 409.16 वर्ग किमी, 2011 में 367.83 वर्ग किमी, 2021 में 270.58 वर्ग किमी क्षेत्र कृषि भूमि उपयोग के रूप में संलग्न था। 1991 से 2001 के मध्य 10 वर्षों में 7.56% परिवर्तन के साथ 33.48 वर्ग किमी कृषि भूमि का ह्रास हुआ। वहीं 2001 से 2011 की अवधि में 10% परिवर्तन के साथ 41.33 वर्ग किमी कृषि भूमि का ह्रास हुआ। इसके साथ ही 2011 से 2021 के दशक में सर्वाधिक 26.43% ह्रासात्मक परिवर्तन के साथ कृषि भूमि में 97.25 वर्ग किमी की अभूतपूर्व क्षति हुई।

निर्माण क्षेत्र - निर्माण क्षेत्र भूमि उपयोग का एक ऐसा वर्ग है जो कि अन्य सभी वर्गों को प्रभावित करता है। निर्माण क्षेत्र में लगातार तीव्र वृद्धि नगरीय फैलाव का सूचक होता है। भोपाल महानगर का निर्माण क्षेत्र 1991 में 15.8 वर्ग किमी था, जिसमें 1991-2001 के दशक में 317.72% परिवर्तन के साथ 66 वर्ग किमी, 2001-2011 के मध्य 100.64% परिवर्तन के साथ 132.42 वर्ग किमी, 2011-2021 की अवधि में 107.36% परिवर्तन के साथ 274.62 वर्ग किमी की सकारात्मक अभूतपूर्व वृद्धि देखी गयी जो कि अन्य वर्गों के ह्रास के लिए मुख्यरूप से उत्तरदायी है।

जलीय निकाय भूमि - भोपाल महानगर तालाबों का नगर है, परंतु यह महानगर जल के साथ-साथ जलीय निकाय भूमि का भूमि दोहन कर रहा है। 1991 में जलीय निकाय भूमि 45.23 वर्ग किमी हुआ करती थी जिसमें 1991-2001 में 10.43% परिवर्तन के साथ 40.51 वर्ग किमी, 2001-2011 में 9.53% परिवर्तन के साथ 36.65 वर्ग किमी, 2011-2021 के दशक में 8.81% परिवर्तन के साथ 33.42 वर्ग किमी जलीय निकाय भूमि शेष बची जिसका मुख्य कारण भोपाल नगर का राजधानी के साथ-साथ औद्योगिक नगरी के रूप में तीव्र विकास है।

वन भूमि - यह महानगर वन अनाच्छादित पहाडि़यों एवं तालाबों के लिए जाना जाता था। 1991 में वन भूमि 120.88 वर्ग किमी थी, 1991-2001 में 5.5% परिवर्तन के साथ 114.23 वर्ग किमी, 2001-2011 में 14.23% परिवर्तन के साथ 100 वर्ग किमी, 2011-2021 में 33.72% परिवर्तन के साथ 66.28 वर्ग किमी वन भूमि शेष बची जो कि भोपाल के तीव्र गति से हो रहे निर्माण कार्य का परिणाम है।

बंजर भूमि - यह भूमि अनउपजाऊ एवं बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है परंतु पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमि होती है। 1991 में 392.35 वर्ग किमी थी, 1991-2001 में 1.36% परिवर्तन के साथ 387 वर्ग किमी, 2001-2011 में 1.81% परिवर्तन के साथ 100 वर्ग किमी, 2011-2021 में 2.10% परिवर्तन के साथ 372 वर्ग किमी परिवर्तन हुआ, इसका मुख्य कारण निर्माण क्षेत्र में तीव्र गति से प्रसार है।

आरेख क्रमांक 05 : भूमि उपयोग वृद्धि

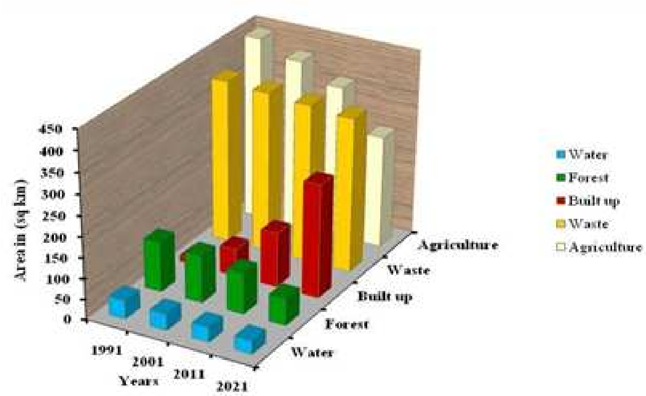

आरेख क्र.05 से स्पष्ट है कि निर्माण क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य वर्ग जैसे कृषि भूमि, वन भूमि, बंजर भूमि, जलीय भूमि आदि में ह्रासात्मक परिवर्तन जबकि निर्माण क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन प्रदर्शित होता है जो कि नगरीय भूमि उपयोग परिवर्तन का सूचक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भूमि

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

उपयोग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों में प्रमुख कारक नगरीय फैलाव है।

भूमि उपयोग परिवर्तन का महानगरीय उपांत की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर प्रभाव – भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण भोपाल महानगर के आंतरिक भाग प्रतिकर्षण (Push Factor) कारक, वहीं दूसरी ओर नगर के बाह्य उपांत ग्रामीण क्षेत्र आकर्षण (Pull Factor) कारक के रूप में प्रभावी हैं जो नगरवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे नगर का फैलाव तीव्र गति से नगरीय उपांत भूमिध्उपनगरीय भूमि सीमांत क्षेत्र पर हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पर्यावरणीय स्थिति पर प्रभाव पड़ा है।

भूमि उपयोग परिवर्तन का उपांत की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव – भूमि उपयोग परिवर्तन का उपांत/बाह्य सीमांत ग्रामीण पृष्ठभूमि या ग्रामीण परिवेश पर अत्याधिक प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूप में हुआ है। भूमि उपयोग की दृष्टि से यह प्रभाव परिवर्तनशीलता का परिचायक है।

मुख्यत: ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली क्षेत्रीय समाज के जीवन स्तर पर सकारात्मक रूप में प्रभाव पड़ा है, क्योंकि नगर के फैलाव से नगर की आधारभूत सुविधाओं का विस्तार इन क्षेत्रों तक हुआ है जिससे इन क्षेत्रों के जीवन स्तर एवं आजीविका प्राप्ति के स्तर में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भी जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव पर सहमति प्रकट की है। दूसरी ओर 37 प्रतिशत लोगों का मानना है कि केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र (सीबीडी), थोक व्यापार और हल्के वस्तु निर्माण क्षेत्र, बाजार, अन्य संस्थानों की नगर के आंतरिक भागों में अधिकता के कारण बाह्य सीमांत क्षेत्रों में निवासरत लोगों को घर से काम पर लंबी दूरी तक आने-जाने पर होने वाले घरेलू खर्च में वृद्धि हुयी है। 24 प्रतिशत लोगों ने शहरी क्षेत्रों में उपयोगिताओं और संबंधित सेवाओं सहित शहरी आधारभूत ढांचे के विस्तार की अतिरिक्त लागत पर व्यय की भी पुष्टि की है।

आरेख क्रमांक 06 : आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

आरेख क्र. 6.9 नगरीय फैलाव के आमजन की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

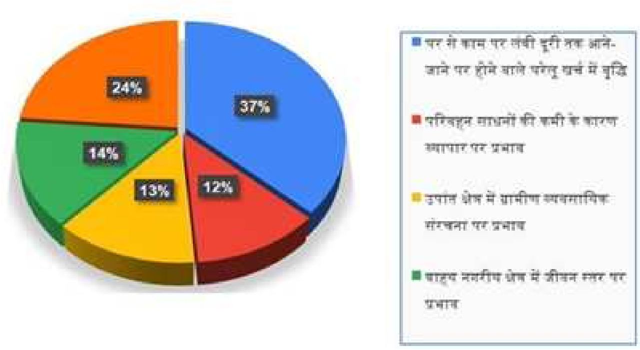

यह परिवर्तन न केवल कृषि करने के तरीके, मशीनी उपयोग के रूप में हुआ है बल्कि फसलों के प्रतिरूप में भी परिवर्तन हुआ है। नगर के फैलाव से नगरीय आवश्यकता के अनुरूप खाद्यान्य फसलों जैसे गेहुँ, चना, मक्का, चावल के साथ-साथ सब्जियों की खेती, फलों की खेती, फूलों की खेती की जा रही है। पोलिहाउस, उद्यानिकी के प्रति रूझान भी बढ़ा है। इससे यह कहा जा सकता है कि अब जीवननिर्वाह खेती का स्थान व्यवसायिक कृषि ने ले लिया है। 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भी इस पर अपनी सहमति प्रदर्शित की है।

भूमि उपयोग परिवर्तन का उपांत की सामाजिक स्थिति पर प्रभाव – फैलाव वाले नगरीय क्षेत्र में सामाजिक संरचना में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। ग्रामीण सामाजिक संरचना से नगरीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन होने से एक मिश्रित प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि यहां पर मिश्रित संस्कृति का प्रभाव है। सभी जाति धर्म के लोग आपस मे मिल कर रहते हैं। नगरीय फैलाव से इन क्षेत्रों में भी एकल परिवार की परम्परा प्रारम्भ हुयी है। पारस्परिक सामाजिक संबंध केवल औपचारिकता मात्र रह गये हैं। 19 प्रतिशत का मानना है कि पारस्परिक समन्वय एवं समरस्ता की इन क्षेत्रों में कमी है। एक सकारात्मक प्रभाव यह हुआ है कि सामाजिक विवाद इन क्षेत्रों में प्रायरू कम देखने को मिलते हैं, इसकी पुष्टि 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने की है।

आरेख क्र. 07 : सामाजिक संरचना पर प्रभाव

आरेख क्र. 6.12 नगरीय फैलाव का सामाजिक संरचना पर प्रभाव

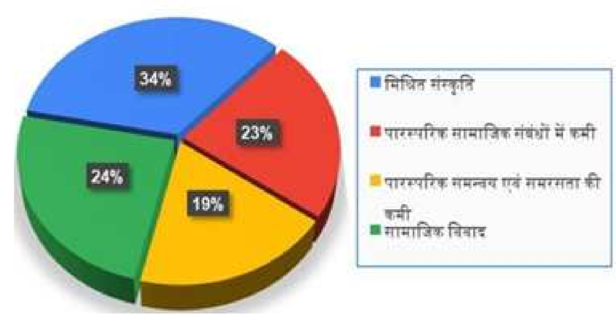

भूमि उपयोग परिवर्तन का उपांत की पर्यावरणीय संसाधनों पर प्रभाव – नगरीय फैलाव का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव उपांत क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति पर हुआ है। फैलाव से पूर्व इन क्षेत्रों में वातावरण साफ एवं स्वच्छ था परंतु जैसे-जैसे नगर का फैलाव हो रहा है, वातावरण वैसे-वैसे प्रदूषित होता जा रहा है, साथ ही उपांत क्षेत्र के पर्यावरणीय संसाधनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कृषि भूमि का लगातार ह्रास हो रहा है, जैवविविधता का ह्रास हो रहा है, वन भूमि का ह्रास हो रहा है, भूमि एवं मृदा का निर्माण क्षेत्र के रूप में उपभोग हो रहा है।

आरेख क्र. 08 : पर्यावरणीय संसाधनों पर प्रभाव

आरेख क्र. 6.13 नगरीय फैलाव का पर्यावरणीय संसाधनों पर प्रभाव

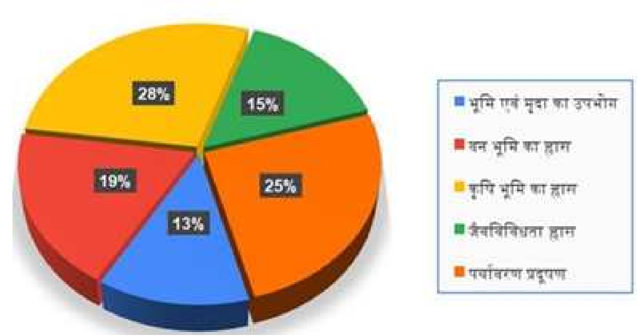

परिणाम – भोपाल, राज्य की राजधानी होने के कारण प्रशासनिक केन्द्र तो है, ही साथ ही म.प्र. राज्य के मध्य में स्थित होने के कारण वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों का केन्द्र भी है।

1. भोपाल महानगर की भूभौतिकी पहाड़ी प्रकार की होने के कारण नगर का क्षैतिज विस्तार बाह्य नगरीय उपांत/परिसीमा/उपनगर की ओर तीव्रता से हुआ है।

2. जननांकिकीय दबाब नगरीय पृष्ठभूमि के परिवर्तन का उत्तरदायी कारण है। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, ग्रामीण प्रवसन एवं नगरीकरण नगरीय फैलाव का प्रमुख कारण है।

3. जननांकिकीय दबाब नगरीय पृष्ठभूमि के परिवर्तन का उत्तरदायी कारण है। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, ग्रामीण प्रवसन एवं नगरीकरण नगरीय फैलाव का प्रमुख कारण है।

4. सुदूर संवेदन तकनीक की सहायता से फैलाव का मात्रात्मक अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया कि 1991 में कुल निर्माण क्षेत्र 15.8 वर्ग किमी था। 1991 से 2001 में निर्माण क्षेत्र में 317.72 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 50.2 वर्ग किमी की बढ़ोत्तरी हुयी, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 5.02 वर्ग किमी रही। औद्योगिक गतिविधियों का विकास एवं 1976 में बनाये गये मास्टर प्लान 1991 का क्रियान्वयन इस अवधि के दौरान तीव्र फैलाव का कारण बना।

5. भोपाल नगर के निर्माण क्षेत्र में 2001 से 2011 के दशक में 100.63 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 66.42 वर्ग किमी की बढ़ोत्तरी हुयी। इस समय वार्षिक वृद्धि दर 6.64 वर्ग किमी रही। इस दशक में पिछले दशक की अपेक्षा वृद्धि दर के प्रतिशत में गिरावट आयी, इसका प्रमुख कारण 2001 में म.प्र. राज्य से अलग होकर छत्तीसगढ़ नवीन राज्य का गठन रहा क्योंकि नवीन राज्य के निर्माण के साथ-साथ प्रशासनिक ढ़ाचे का हस्तांतरण भी नवीन राजधानी रायपुर हुआ।

6. 2011 से 2021 के मध्य 107.38% की वृद्धि के साथ 142.2 वर्ग किमी की बढ़ोत्तरी हुई। यह विगत दशकों में दर्ज की गयी सर्वाधिक बढ़ोत्तरी है जिसका प्रमुख कारण भोपाल का नगर से महानगर एवं स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित होना है, इसके साथ ही इस दशक में भोपाल नगर एक औद्योगिक (भेल एक्सटेंसन, मंडीदीप, गोविंदपुरा आदि) केन्द्र के रूप में स्थापित हुआ है।

7. इस प्रकार 1991 से 2021 के मध्य अध्ययन क्षेत्र में कुल 268.18 वर्ग किमी निर्माण क्षेत्र में वृद्धि हुयी जो कि तीव्र नगरीय फैलाव का परिचायक है। यह नगरीय फैलाव अन्य भूमि उपयोग के ह्रास पर निर्भर करता है।

8. 1991 से 2001 के दशक में कृषि भूमि में 3.35 वर्ग किमी की वार्षिक दर से कुल 33.48 वर्ग किमी का, जलीय निकाय में 4.72 वर्ग किमी का, वन भूमि में 6.65 वर्ग किमी का तथा बंजर भूमि या खुली भूमि का 5.35 वर्ग किमी का ह्रास हुआ। सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव कृषि भूमि पर पड़ा क्योंकि इसका अधिग्रहण करना एवं इस पर निर्माण कार्य करना आसान होता है।

9. 2001 से 2011 की अवधि में कृषि भूमि में 41.33 वर्ग किमी, जलीय निकाय में 3.86 वर्ग किमी, वन भूमि में 14.23 वर्ग किमी, बंजर/खुली भूमि में 7 वर्ग किमी का नकारात्मक परिवर्तन आया।

10. 2011 से 2021 के दशक में कृषि भूमि में 97.25 वर्ग किमी, जलीय निकाय में 3.23, वन भूमि में 33.72 वर्ग किमी, बंजर/खुली परती भूमि में 8 वर्ग किमी का ह्रास हुआ। यह परिवर्तन भोपाल नगर के फैलाव के परिणामस्वरूप हुआ।

11. 1991 से 2021 के मध्य कृषि भूमि में 172.06 वर्ग किमी का ह्रास हुआ साथ ही कृषि प्रतिरूप में भी परिवर्तन हुआ है। अधिक लाभकारी फसलों के उत्पादन के प्रति रूझान बड़ा है। वहीं वन भूमि में 54.6 वर्ग किमी का ह्रास हुआ। बंजर भूमि/खुली भूमि में 20.35 वर्ग किमी की कमी आयी है। नगरीय फैलाव का जलीय भूमि पर भी प्रभाव पड़ा है, इसमें विगत 30 वर्षों में 11.81 वर्ग किमी का ह्रास हुआ है। साथ ही जलीय निकाय के जल पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है।

निष्कर्ष - 1991 से 2021 के मध्य अध्ययन क्षेत्र, भोपाल महानगर में निर्मित क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई, वहीं अन्य वर्गों में कृषि भूमि, वन भूमि, जलीय भूमि और बंजर भूमि में लगातार ह्रास हुआ है। निर्मित क्षेत्र की मात्रा में वृद्धि एवं अन्य भूमि उपयोग वर्गों में तदनुरूपी कमी भोपाल नगर के उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम दिशाओं में हुयी है। निर्मित क्षेत्र का विस्तार अन्य वर्गों की कीमत पर हुआ है। इस वृद्धि का प्रमुख कारण जनसंख्या में वृद्धि, निजी भूमि का विकास, सहकारी समितियों का विकास, अचल संपत्ति में उछाल, शैक्षणिक संस्थानों का विस्तार, बुनियादी संरचना का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास आदि हैं। अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग की स्थानिक संरचना एवं प्रतिरूप समय के साथ तीव्रगति से परिवर्तनशील रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Chawla, S. (2012). Land use changes in India and its impacts on the environment. Journal of Environment, 1(1), 14–20.
2. Fazal, S. (2006). Land transformation in relation to distance in developing economy. Indian Journal of Regional Science, 38(1), 91–104.
3. Lambin, E. F., Geist, H. J., & Lepers, E. (2003). Dynamics of land-use and land-cover change in tropical regions. Annual Review of Environment and Resources, 28, 205–241. https://doi.org/10.1146/annurev.energy.28.050302.105459
4. Jat, M. K., Garg, P. K., & Khare, D. (2008). Monitoring and modelling of urban sprawl using remote sensing and GIS techniques. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 10, 26–43. https://doi.org/10.1016/j.jag.2007.04.002
5. Matsa, M., Mupepi, O., Musasa, T., & Defe, R. (2020). A GIS and remote sensing-aided assessment of land use/cover changes in resettlement areas: A case of Ward 32 of Mazowe District, Zimbabwe. Journal of Environmental Management, 276, 111291. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111291
6. López, E., Bocco, G., Mendoza, M., & Duhau, E. (2001). Predicting land-cover and land-use change in the urban fringe: A case in Morelia city, Mexico. Landscape and Urban Planning, 55, 271–285. https://doi.org/10.1016/S0169-2046(01)00160-8
7. Gajbhiye, S., & Sharma, S. K. (2012). Land use and land cover change detection of Indra River watershed through remote sensing using multi-temporal satellite data. International Journal of Geomatics and Geosciences, 3(1), 89–96.
8. Yuan, F., Sawaya, K. E., Loeffelholz, B. C., & Bauer,

M. E. (2005). Land cover classification and change analysis of the Twin Cities (Minnesota) metropolitan area by multi-temporal Landsat remote sensing. Remote Sensing of Environment, 98(2–3), 317–328. https://doi.org/10.1016/j.rse.2005.08.006

9. Singh, J. P., & Dharmajog, A. (1998). City planning in India. Mittal Publications.
10. Ghosh, S. (2019). City growth and land-use/land-cover change: A case study of Bhopal, India. Modeling Earth Systems and Environment, 5(4), 1569–1578. https://doi.org/10.1007/s40808-019-00641-0
11. Bhattacharya, A., & Rathor, S. (2017). Dynamic growth of Bhopal city core: A conceptual and legal approach. International Journal on Emerging Technologies, 8(1), 608–613.
12. Kaur, R., & Choudhary, A. (2017). Challenges and suggested remedies in making Bhopal a smart city. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 6(9). https://doi.org/10.15680/IJIRSET.2017.0609001
13. Srinagesh, B., & Baktula, K. (2014). Landuse and landcover analysis of Dehradun: Application of RS and GIS. Annals of the National Association of Geographers, India, 34, 71–85.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054, April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

बाल मनोविज्ञान पर आधारित वैज्ञानिक बोध : समकालीन हिंदी बाल कथा साहित्य के संदर्भ में

गीतांजली कोलीवाल* डॉ. ज्योति यादव**

* शोधार्थी, टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत
** सहायक आचार्य, टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत

शोध सारांश – बाल साहित्य का प्रथम रूप लोरी व प्रभाती है। बाल साहित्य के नाम पर एक अरसे तक बालकों के लिए साहित्य लिखा गया है। बाल साहित्य से तात्पर्य ऐसे साहित्य से है जो बालोपयोगी साहित्य से भिन्न रचनात्मक साहित्य होता है। विज्ञान कथा अथवा साइंस फिक्शन साहित्य की वह विधा है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संभावित परिवर्तनों को अभिव्यक्त कर बच्चों को विज्ञान के संबंध में नई-नई जानकारियाँ देकर उनकी उत्सुकता को शांत करती है। विज्ञान लेखन के लिए गूढ़ विषय को सरल, सुगम, रोचक, मनोरंजन व मनोवैज्ञानिक शैली में बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है।

बाल साहित्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण सर्वाधिक मायने रखता है। वैज्ञानिक तथ्यों को आधार बनाकर उसमें कल्पना को जोड़ते हुए बाल मनोविज्ञान की आधारशिला पर संभावित सत्य के रूप में प्रस्तुत कर विज्ञान फंतासी भी लिखी गई। अमृतलाल नागर, हरिकृष्ण देवसरे, जाकिर अली रजनीश, शकुंतला कालरा, उषा यादव, विभा देवसरे, प्रकाश मनु, परशुराम शुक्ल, गोविंद शर्मा, क्षमा शर्मा, शिखर चंद्र जैन, मनोहर चमोली मनु आदि ऐसे कई नाम है जिनकी बाल विज्ञान साहित्य से संबंधित रचनाएँ प्रकाशित हुई है। विज्ञान कथाएं बालकों में वैज्ञानिक रुचि पैदा कर विज्ञान के अविष्कार एवं आविष्कारकों के संघर्ष को बालकों के सामने प्रस्तुत करती है। विज्ञान फंतासी साहित्य में विज्ञान के धरातल पर बाल मन को टटोलकर कथा का ताना-बाना बुना गया है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रांति जीवन का अभिन्न अंग बनती जा रही है जिस कारण बाल साहित्य में वैज्ञानिक चेतना का समाहार युगीन आवश्यकता बन गया है। आज ऐसा बाल साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रकाशित हो रहा है जो बच्चों को संस्कारित करने की जगह उनकी मनोवृतियों को विकृत कर रहा है। समाज में हो रहे विकास और वैज्ञानिक प्रगति के साथ बच्चों का सतत समन्वय बनाए रखने के लिए उन्हें मानसिक पोषण देने के लिए नित्य नवीन स्तरीय बाल मनोविज्ञान पर आधारित बाल साहित्य के सृजन की आवश्यकता है।

शब्द कुंजी – बालोपयोगी, प्रौद्योगिकी, आविष्कारक, तथ्य, दृष्टिकोण, फंतासी।

प्रस्तावना – छोटे बच्चों का संसार अपने आकार-प्रकार, रंग-रूप में बड़ों के संसार से सर्वथा भिन्न होता है। बड़ों के संसार में लोग शिष्टाचार, सभ्यता, संस्कृति, समाज, जाति, राष्ट्र, नियम, आदर्श आदि विद्यमान रहते हैं जबकि बच्चों के संसार में इन सब का अभाव रहता हैं। बच्चे निजी तौर पर ना तो शिष्टता व सभ्यता का अर्थ समझते हैं और न ही नियमों व आदर्शों की कोई चिंता उन्हें सताती है। समय के साथ-साथ बच्चों को सूचना, शिक्षा और ज्ञान प्रदान करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता अनुभव की गई जो बड़े होते बच्चों की जिज्ञासा को शांत कर सकें और उनके उत्सुक मन को तृप्ति प्रदान कर सकें। ऐसे में कहानी का आविष्कार हुआ। कहानी द्वारा प्रकृति पौधों, पशु,पक्षी, चाँद-तारों, किरण, बादल, वर्षा, नैतिकता, मानवीय मूल्य आदि विभिन्न पक्षों का ज्ञान बालकों को दिया गया। पंचतंत्र की प्रणेता आचार्य विष्णु शर्मा ने अपनी कहानियों द्वारा ही भटके हुए राजकुमारों को सुमार्ग पर ला दिया। उनकी कहानी आज विश्व की लगभग सभी भाषाओं में अनूदित होकर पुस्तक रूप में उपलब्ध हैं।

राष्ट्र के निर्माण व उत्थान के लिए बच्चों के चतुर्दिक विकास को आवश्यक माना गया है। जिसमें बाल साहित्यकारों की भूमिका अहम रही है। बाल साहित्य बाल और साहित्य के योग से बना है। बाल जिसके अंतर्गत बच्चें आते हैं और साहित्य का अर्थ होता है हित करना। 'जिस भाषा में बाल साहित्य का सृजन नहीं होता उसकी स्थिति उस स्त्री के समान है जिसके संतान नहीं होती। प्रत्येक देश का भविष्य उसके बच्चों पर निर्भर होता है वही उसके भावी निर्माता होते हैं। अत: अब जो देश अपने इन भावी निर्माताओं के प्रति उदासीन रहता है उसका भविष्य अंधकार पूर्ण समझना चाहिए।'[1]

जो साहित्य बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो उनके विकास और उन में संस्कारों के निर्माण हेतु लिखा जाए वह बाल साहित्य कहलाता है। जिससे उनमें चारित्रिक, शैक्षिक, मानसिक व नैतिक गुण विकसित होते हैं। बाल साहित्य के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग-अलग मत है-
बाल साहित्य की प्रथम परिभाषा आचार्य विष्णु शर्मा की है- विष्णु शर्मा के पंचतंत्र को बाल साहित्य के क्षेत्र में विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक माना जाता है जिसमें उन्होंने लिखा है-

'यत्नवे भाजने लग्न: संस्कारों नान्यथा भवेत्।
कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते।।'

जिस प्रकार किसी नवीन पात्र के कोई संस्कार नहीं रहते, उसी प्रकार बच्चों की स्थिति होती है इसलिए उन्हें तो कथा आदि के द्वारा ही नीति के संस्कार बताने चाहिए।[2]

बाल गीतकार निरंकार देव सेवक के शब्दों में-'जिस साहित्य से बच्चों का मनोरंजन हो सकें, जिसमें वे रस ले सके और जिसके द्वारा वह अपनी

भावनाओं और कल्पनाओं का विकास कर सके। वह बाल साहित्य है।'[3]

सोहनलाल द्विवेदी का विचार है कि 'सफल बाल साहित्य वही है जिसे बच्चे सरलता से अपना सकें और भाव ऐसे हो जो बच्चों के मन को भायें यूं तो अनेक साहित्यकार बालकों के लिए लिखते हैं किंतु सचमुच जो बालक के मन की बात बालकों की भाषा में लिख दे वही सफल बाल साहित्य लेखन है।'[4]

बाल साहित्य के नाम पर एक अरसे तक 'बालकों के लिए साहित्य' लिखा गया है। बाल साहित्य से तात्पर्य ऐसे साहित्य से है जो बालोपयोगी साहित्य से भिन्न रचनात्मक साहित्य होता है अर्थात जो विषय निर्धारित करके शिक्षार्थ लिखा हुआ ना होकर बालकों के बीच का अनुभव आधारित रचा गया होता है। वह कविता, कहानी,नाटक आदि होता है न की कविता, कहानी नाटक आदि के चौखट से भरी हुई विषय प्रधान जानकारी अथवा उपदेश पूर्ण सामग्री होता है।[5]

बाल साहित्य के संबंध में दिविक रमेश कहते हैं कि 'मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जैसे बच्चे की हम कल्पना करते हैं या बच्चे से जिन अपेक्षाओं की पूर्ति चाहते हैं उसके लिए बहुत कुछ हम बाल साहित्य पर निर्भर करते हैं। अत: बाल साहित्यकारों पर बहुत उत्तारदायित्व है यदि हम चाहते हैं कि बाल साहित्य बेहतर बच्चा बनाने में मदद करें और साथ ही वह बच्चों के द्वारा अपनाया भी जाए तो उसके लिए हमें अर्थात बाल साहित्यकारों को बाल मन से भी परिचित होना पड़ेगा।'

अमेरिकी कवि और बाल साहित्यकार चार्ल्स घिग्न के अनुसार 'जब आप बच्चों के लिए लिखो तो बच्चों के लिए मत लिखो अपने भीतर के बच्चें के द्वारा लिखो।'[6]

इस प्रकार कहा जा सकता है कि बाल साहित्य वह है जो बालकों के लिए लिखा जाये, जिसमें बालकों के स्तर के अनुकूल सहजता, सरलता, कौतूहलता और रोचकता हो, जो बालकों को प्रेरणा दे सके और उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाने में सहयोग दें।

बाल साहित्य: बालक एवं विज्ञान : 'विज्ञान' शब्द को अंग्रेजी में Science कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द SCIENTA से हुई है।SCIENTA का अर्थ है, ज्ञान KNOWLEDGE या जानना।'[7]

किसी भी वस्तु की जानकारी एकत्र करते हुए उसका अध्ययन और विश्लेषण करना ही विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ- विशेष ज्ञान है। 'क्रमबद्ध ज्ञान का सिलसिलेवार वर्णन ही विज्ञान है। विज्ञान-चिंतन की सर्जनात्मक अभिव्यक्ति ही बाल विज्ञान साहित्य है।'[8]

बाल विज्ञान : बाल साहित्य की एक लंबी परंपरा होने पर भी आज का बाल साहित्य कई अर्थो में पुराने बाल साहित्य से एकदम भिन्न है। परिवर्तन की लहर से बाल साहित्य भी अछूता नहीं रहा है। वैज्ञानिक विकास ने बाल साहित्य में कई परिवर्तन किए हैं। बाल साहित्य ही नहीं आज का बच्चा भी पहले के बालक जैसा नहीं रहा है,आज का बच्चा सब कुछ आंखें मूंद कर मानने को उदित नहीं है। आज बच्चें ऑनलाइन माध्यम से भी बाल साहित्य देख और पढ़ सकते हैं। विज्ञान की नित् नूतन प्रगति ने उसकी चेतना को इतना प्रखर बना दिया है कि अंतरिक्ष पर पहुंचने का मनोरथ अब उसका सपना नहीं यथार्थ बन चुका है। वह विविध मुद्दों पर अपना स्वतंत्र मत रखना है और उस मत को लेकर बड़ों के साथ बहस करने में भी पीछे नहीं रहता। संचार माध्यमों की प्रगति ने आज उसमें जैविक चेतना उत्पन्न कर दी है, उससे उसमें गहन आत्मविश्वास आ गया है।[9]

विज्ञान समाज का अभिन्न अंग है। विज्ञान वहीं है जहां ज्ञान के साथ तार्किकता हो। बच्चें विज्ञान की नई-नई जानकारियाँ पाने को उत्सुक रहते हैं। विज्ञान को बच्चों तक पहुँचाने तथा उनमें जागरूकता लाने में बाल रचनाकार सशक्त भूमिका अदा करता है। बालक जब अपने परिवेश को समझने लगता है तो उसके मन में अनेकों सवाल उठने लगते हैं। उसके मन में उठते सवाल ही बाल विज्ञान कथाओं की पृष्ठभूमि को पुष्ट करते हैं।

विज्ञान कथा: विज्ञान कथा अथवा 'साइंस फिक्शन' साहित्य की वह विधा है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संभावित परिवर्तनों की प्रतिक्रियाओं को अभिव्यक्ति देती है। विज्ञान को आधार बनाकर छोटी कहानी से लेकर उपन्यास तक लिखे जा सकते हैं। बच्चों के लिए विज्ञान लेखन एक कठिन कार्य है। इसके लिए जरूरी है कि विज्ञान जैसे गूढ़ विषय को सरल, बोधगम्य, रोचक और मनोरंजक शैली में बच्चों के सामने लाया जाएं। वैज्ञानिक दृष्टि को विकसित करने वाला बाल कथा साहित्य भी इसी कोटि में आता है। यह साहित्य बच्चों के भीतर रूढ़ियों और अंधविश्वासों के प्रति भय मिटाते हुए उनमें वैज्ञानिक दृष्टि से चिंतन करने की शक्ति उत्पन्न करता है। 'डॉ. देवसरे की ज्यादा रुचि अंधविश्वासों के खंडन और वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न उपन्यास लेखन की ओर रही है।'[10]

देवसर जी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण अंधविश्वास की चादर को हटाकर नवीनता का प्रस्तुतीकरण करता है।

बाल साहित्य में वैज्ञानिक या तकनीकी उपकरण उतने मायने नहीं रखते जितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को परिभाषित करते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा है कि 'किसी बात पर इसलिए विश्वास मत करो कि उन्हें वैसा बताया गया है अथवा गुरुजनों ने वैसा कहा है या परंपरा से वैसा होता आया है, किंतु उचित निरीक्षण, परीक्षण और विश्लेषण के बाद जो तुम्हें उचित लगे, कल्याणकारी लगे, सर्वहित कारी लगे उस सिद्धांत पर अमल करों और आजीवन उस पर डटे रहों।'[11] यही दृष्टिकोण आधुनिक युग की माँग है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकता है।

विज्ञान साहित्य का उद्देश्य बालकों की जिज्ञासा को शांत कर उन्हें वैज्ञानिक परिवेश की प्रति जागरुक करते हुए उनके मानस पटल पर विज्ञान के ज्ञान का विस्तार करना है ताकि वह अपने आप आसपास घटित हो रही घटनाओं का अवलोकन वैज्ञानिक ढंग से कर सकें। आधुनिक साहित्य में विविध पक्ष समाहित हैं। इसलिए बाल विज्ञान साहित्य का उतना ही महत्व है जितना अन्य साहित्य का है।

आज की वैज्ञानिक प्रगति और बच्चे : वर्तमान युग विज्ञान का युग है और उसका प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में परिलक्षित होता है। इसी विज्ञान की प्रगति को जब रचनाकार सरल, रोचक व मनोरंजन रूप देकर बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करता है तो वह वैज्ञानिक बाल साहित्य कहलाता है। वैज्ञानिक बाल साहित्य विज्ञान की प्रगति का ही परिणाम है। क्षमा शर्मा के अनुसार आज का युग विज्ञान का है हम बालकों को तकनीक से अलग नहीं रख सकते तकनीक बच्चों के लिए किसी ईश्वर की तरह है।[12]

बच्चों को आज की वैज्ञानिक प्रगति से जोड़ना जरूरी है। बाल साहित्य इस काम को रोचक ढंग से कर सकता है लेकिन, लिखना और वह भी बच्चों के लिए और वैज्ञानिक विषयों पर कोई हंसी खेल नहीं है। बच्चों को विज्ञान की जानकारी देने वाली पुस्तकें रोचक, सरल और ग्राह्य शक्ति के अनुरूप होनी चाहिए। 'आज विशेषतौर पर बच्चों में वैज्ञानिक प्रगति विकसित करने,

उनमें वैज्ञानिक अभिरुचि जगाने और वैज्ञानिक सोच लाने के लिए हर संभव तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, तभी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू का सपना की हमारे देश के बच्चे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले नागरिक बनें साकार होगा।

वैज्ञानिक सोच आज प्रगति की सीढ़ियां पार करते हुए तकनीकी वह अंतरिक्षीय खोजों तक पहुंच गई है। सुश्रुत, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भाभा इत्यादि विद्वानों ने अपनी बुद्धिमत्ता से पृथ्वी की विभिन्न विशेषताओं को परख कर नवीन रूप में उजागर कर अपना अमूल्य योगदान किया। हिंदी बाल कहानियों में वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करने वाली विज्ञानपरक कथाएँ सामने आई है। विज्ञान की कहानी लिखने का काम मुख्यत: स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही शुरू हुआ। मयंक जी की भिडंत कहानी 1965 में छपी। उसके बाद कहानियों का दौर सा चल पड़ा। कतिपय कहानीकारों ने ही इस कोटी की कहानियाँ लिखी हैं। अंतरिक्ष सूट में बंदर (अमृतलाल नागर), भूकंप (अलका सिन्हा), आकाश की सैर (डॉ. गोरख प्रसाद), जलयान की कहानी (राजेश दीक्षित), चमत्कार का रहस्य (शकुंतला कालरा), हमारा पर्यावरण हमारा जीवन (चंद्रकांत शर्मा), जीवन का ज्ञान विज्ञान तथा जनसंख्या और विकास (रितु प्रिया शर्मा), पर्सनल कंप्यूटर (वंदना अग्रवाल) आदि कृतियों में विज्ञान को रोचक व मनोरंजन रूप प्रदान कर बच्चों को उसके लाभ-हानि से अवगत कराया गया है। उषा यादव की कहानियों में बाल मनोविज्ञान का पुट अधिक प्रभावी है परंतु इसी के साथ उन्होंने छिटपुट वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त कहानियाँ लिखी है जो एक कठिन कार्य है। जब वैज्ञानिक दृष्टि का लेखन करना हो तब उसे सरल, बौद्धगम्य और रुचिकर बनाकर प्रस्तुत करना पड़ता है और ऐसा प्रयास उषा यादव ने किया है। जिस कारण इनकी कहानियाँ बच्चों को पसंद आती है। उषा यादव की कहानियों में मनोवैज्ञानिकता, ऐतिहासिकता, सहासिकता, उपदेशात्मकता के साथ-साथ मनोरंजन व बाल मनोविज्ञान पर आधारित वैज्ञानिक शैली का प्रयोग भी हैं।

परी कथाएं (संग्रह) में कई कथाओं में जादूई तकनीक का ऐसा प्रयोग है जो वैज्ञानिकता की और इंगित करता है। 'नयना-सुनयना' कहानी परियों की जादुई दुनिया में वैज्ञानिक शक्तियों को इंगित करती है। कहानी अंगूठी गायब में उषा यादव ने वैज्ञानिकता से भरी मानसिकता को दर्शाया है। 'चॉकलेट का पेड़' उषा यादव की विज्ञानपरक कहानी है। इसमें अंकित को कंप्यूटर गेम खेलते हुए दिखाया गया है।अंकित चॉकलेट की बात सोचता है और स्वप्न की दुनिया में चला जाता है। यह अंतरिक्ष स्टेशन संसार के 16 देशों के द्वारा मिलकर शुरू किया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय अभियान है। इसका उद्देश्य धरती और अंतरिक्ष के बीच संबंध जोड़ना तथा अंतरिक्ष के ज्यादा से ज्यादा लाभों को धरती तक पहुँचना है।

1998 में इस स्टेशन के जायी और यूनिटी नामक दो खंड अंतरिक्ष में पहुंचाये और जोड़े जा चुके हैं। 31750 किलोग्राम वजन वाले 'यूनिटी' को 'जायी' के ऊपर रखना तथा पेचो से कसकर जोड़ना किसी दैत्य-दानव जैसी शक्ति वाले के भी बस की बात नहीं थी। कंप्यूटर से संचालित होने वाली रोबोट भुजाओं ने इस असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। अगले पांच सालों में इस अंतरिक्ष स्टेशन में करीब 100 खंड और जोड़े जाएंगे।

अपनी वैज्ञानिक जानकारी पर अंकित इतरा उठा, वाह! कितना कुछ जानता है वह। उषा यादव ने वैज्ञानिक प्रगति और बाल जगत में विज्ञान के प्रति जागरुकता को अंकित के माध्यम से उजागर किया है।

विज्ञान के क्षेत्र भी खोजकर्ता को आविष्कारक कहा जाता है संसार में ऐसे बुद्धिजीवियों की खोज नई क्रांति पैदा करती है। प्रकाश मनु द्वारा रचित 'सुनो कहानी ज्ञान विज्ञान की' तथा 'अनोखी कहानी ज्ञान विज्ञान की' कहानी संग्रह में विज्ञान से जुड़े आविष्कार एवं आविष्कारकों का विवरण मौजूद है। प्रकाश मनु ने अपनी विज्ञान से जुड़ी हुई कहानियों मेंआइसक्रीम, चॉकलेट, पेंसिल और किताब के अतिरिक्त रबर, कपड़ा, सिलाई मशीन, बिजली, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, रेलगाड़ी, जहाज, कार और कंप्यूटर के आविष्कार की कहानियाँ लिखी जो बच्चों में विज्ञानपरक सोच परिपक्व कर उनके दृष्टिकोण को वैज्ञानिक रूप देती है।

कंप्यूटर से संबंधित कथाओं में विज्ञान के आधार पर कल्पना के ऐसी पंख फैलाए गए हैं कि पाठक पढ़ें बगैर नहीं रह सकता। प्रकाश मनु की 'दुनिया का सबसे अनोखा चोर' कहानी सुपर कंप्यूटर बनाने वाले सुबोध और इस अनोखे चोरों को पकड़ने वाले देबू के इर्द-गिर घूमती है। 'गोपी की फिरोजी टोपी कहानी गोपी द्वारा बनाए लघु कंप्यूटर का वर्णन करती है।

'पप्पू की रिमझिम छतरी' कहानी में रचनाकार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण झलकता है। पप्पू की रिमझिम छतरी में लेखन लिखते हैं यह ऐसी छतरी है जो किसी को दिखाई नहीं देती कितनी ही तेज बारिश हो मजाल है कि एक बूंद पानी भी इसके नजदीक आ जाए। पानी इसके पास आने से पहले ही हवा में भाप बनकर उड़ जाएगा और छतरी गीली तक नहीं होगी। इसके लिए इसमें से खास तरह के रेडिएशन निकलते हैं और देखा जाए तो असल में वही हमारी छतरी का काम भी करते हैं।[13]

मृत संजीवनी का आविष्कार (कमलेश भट्ट कमल) एक ऐसी काल्पनिक विज्ञान कथा है जो 22वीं सदी की आखिरी रात से शुरू होती है। स्पोटिंग स्टेशन (साबिर हुसैन) अंतरिक्ष में हो रहे अतिक्रमण की बात करती है।

गोविंद शर्मा के 'भूल चूक लेनी देनी' संग्रह में विज्ञान पर आधारित बाल कथाएँ हैं। जिनमें धरती से चंद्रमा तक के सफर में बच्चों की बहादुरी व उनके सद्भावना पूर्ण व्यवहार की झांकी बड़ों को भी एक सबक देती है। बरसात (दीनदयाल शर्मा) का वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाली कहानी 'बरसात' बच्चों की वर्षा के बारे में अनेक जिज्ञासाओं को संतुष्ट करती हैं। शिखर चंद्र जैन की कहानी 'चंद्रयान-3 की जरूरत' बच्चों को अंतरिक्ष की सैर कराती वैज्ञानिक कहानी है। मनोहर चमोली मनु की 'बैलून यात्रा' विज्ञान गल्प है। मनोहर चमोली मनु की 'रखनी है साफ सफाई' वैज्ञानिक कहानी है।

बाल उपन्यासों की कथावस्तु बालकों के मनोविज्ञान व मस्तिष्क पर आधारित है। विज्ञान उपन्यासों में डॉ. हरिकृष्ण देवसरे की उड़न तश्तरियाँ, डॉ. बोमा की डायरी, विनोद अग्रवाल का शुक्रग्रह के मेहमान, कैलाश शाह का हरे दानव का देश, ओमप्रकाश का सोने का गोला, सुरेश आमेटा का उड़नतश्तरी का रहस्य, मोहन सुंदर राजन का अंतरिक्ष यान के करनामें, विजय कुमार बिस्ता का अंतरिक्ष की सैर, डॉ. पृथ्वी नाथ पांडेय का अनोखी ग्रह के विचित्र प्राणी आदि का भी हिंदी बाल उपन्यासों के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। डॉ. देवसरे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अंधविश्वासों के विरुद्ध चेतना जगाने वाला उपन्यास एक और भूत भी अपने ढंग का अकेला उपन्यास है।[14] विज्ञान से संबंधित हर कोई घटना बच्चों को लुभाती है। बच्चों के लिए विज्ञान एक जादू की तरह है। नन्हें हाथ खोज महान, आओ चंदा देश चले, मंगल ग्रह पर राजू, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट घना जंगल डॉट

कॉम, स्वान यात्रा, चंदू के कारनामे, भाप की शक्ति पहचान ली, चंदा मामा दूर के, होटल का रहस्य, अंतरिक्ष के रहस्य इत्यादि हरि कृष्ण देवसरे के वैज्ञानिक व तकनीकी युग पर आधारित उपन्यास है।

प्रसिद्ध दार्शनिक वैज्ञानिक बर्ट्रेंड रसेल का कथन है कि 'वैज्ञानिक प्रगति के दो इंजन हैं। एक है समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास और दूसरा है परिवर्तन की ललक।'[15] हमारे बाल जीवन का विकास भी इन्हीं दो इंजनों पर निर्भर करता हैं।

डॉ. परशुराम शुक्ल ने बच्चों की जानकारी के लिए विज्ञान की लाभकारी व विनाशकारी शक्तियों का परिचय अपनी रचनाओं के माध्यम से दिया है। इन्होंने बीसवीं सदी का विलक्षण आविष्कार: 'लेसर' पुस्तक में मेसर और लेसर किरणों के प्रभाव लिखे हैं। 'उपयोगी आविष्कार' वैज्ञानिक आविष्कारों से संबंधित रचना है। इस पुस्तक में तीन लेखकों के पांच आलेख संग्रहित है इसमें डॉ. शुक्ल के 'रेलगाड़ी', 'आतिचालकता', 'रोबोट' तीन आलेख हैं। रोबोट एक विलक्षण वैज्ञानिक आविष्कार है जो एक यंत्र मानव होता है। रोबोट शब्द चेक भाषा का है जिसका अर्थ सेवक होता है।

जाकिर अली रजनीश का सपनों का राजा, हरि दुनिया, सुपरमैन, विभा देवसरे का शनि लोक, जयप्रकाश भारती का बर्फ की गुड़िया, हरि कृष्ण देवसरे का चटपट चंदू आदि वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़े बाल उपन्यास धारावाहिक रूप में पराग पत्रिका में प्रकाशित हुए।

ह्यूमन ट्रांसमिशन (जाकिर अली रजनीश) विज्ञान कथा पर आधारित बाल उपन्यास है जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वह भी व्यक्ति का। एक स्थान से दूसरे स्थान पर टीवी प्रसारण की भांति भेजना ह्यूमन ट्रांसमिशन कहलाता है। इस तरह ह्यूमन ट्रांसमिशन में व्यक्ति को तरंगों की भांति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिशन किया जा सकता है।

विज्ञान फंतासी: हिंदी बाल कथाओं में विज्ञान पर एक लेखन में दो मुख्यत: दो दृष्टियां काम करती हैं- विज्ञान की जानकारी देना तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। वैज्ञानिक बाल कथाओं की एक तीसरी श्रेणी भी है, जिसमें वैज्ञानिक यथार्थ की अपेक्षा कल्पना या फेंटेसी तत्व अधिक हावी होता है। डॉ. देवसरे के अनुसार 'इनमें बहुत से लोग विज्ञान को प्लेटफार्म बनाकर कल्पना के सहारे दूसरे लोकों में पहुँच जाते हैं।'[16]

फेंटेसी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है किसी चीज को साकार करना अथवा मूर्त बनाना। यह ऐसे सत्य को उद्घाटित करती है जो सामान्य मनुष्य की पहुँच से परे है। परंपरागत फेंटेसी में परी कथाएँ, जादू की कहानी, अलिफ लैला की कहानी आदि आ जाते हैं। फेंटेसी के पात्र इस दुनिया के मनुष्य, पशु-पक्षी अथवा खिलौने आदि जड़ पदार्थ और जिन्न-भूत परियाँ आदि काल्पनिक पात्र भी हो सकते हैं किंतु वह दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल भिन्न विचित्र व काल्पनिक होनी चाहिए। फेंटेसी देश और काल की सीमाओं से मुक्त साहित्य है। फैंटेसी का आकर्षण सार्वजनिक और सर्वकालिक होता है।

डॉ. हरिकृष्ण देवसरे ने लिलिपन स्मिथ की पुस्तक एक क्रिटिकल एप्रोच टू चिल्ड्रेन्स लिट्रेचर से उद्धृत करते हुए फंतासी के स्वरूप का विवेचन किया हैं। फंतासी कल्पना की वह क्रिया है जो किसी अमूर्त वस्तु की क्रिया,स्थिति, रूप तथा आकार का बोध कराती है। उदाहरणस्वरूप काव्य और काव्यगाथाओं में 'चंदामामा' सर्वाधिक पुरानी फंतासी है।

जिस प्रकार बच्चों के लिए लिखी गई विज्ञान कथा का आधार वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, उन्हीं के आधार पर कल्पना आगे बढ़ती हुई संभावनाओं को सत्य के रूप में प्रस्तुत करती है। यही विज्ञान-फंतासी है। विभा देवसरे का 'शनिलोक', राज् कुमार जैन का 'नकली चाँद', जाकिर अली रजनीश का उपन्यास 'समय के पार', विज्ञान फंतासी पर आधारित है। अंतरिक्ष में विस्फोट (जयंत विष्णु नार्लीकर) एक विज्ञान फंतासी है। जिसमें कल्पना का पुट डालकर बच्चों के लिए प्रस्तुत किया गया है। डॉ. शोभनाथ लाल का सीपियाण्ड़ेला की सैर छोटे-छोटे तेरह खंडों में विभक्त एक विज्ञान फंतासी है जिसमें कल्पना का पुट डालकर अपनी धरती और देश को स्वर्ग के समान बनाने की प्रेरणा दी गई है।[17]

'सीपियाण्डेला की सैर' (शोमनाथ लाल) उपन्यास में 21वीं सदी के बालक को भविष्य के लिए चेतावनी दी गई है।

रचनाकार प्रकाश मनु की फैंटसी कथाओं का उद्देश्य वैज्ञानिक तथ्यों को कल्पना के आधार पर व्यक्त कर बालकों को विज्ञान के साथ जोड़ना है। 'मंगल ग्रह की लाल चिड़िया' (प्रकाश मनु) कहानी मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की पुष्टि करती है। चंद्रलोक की अदृश्य दुनिया कहानी बच्चों के चांद पर जाने के सपने को पूरा करती है। वर्ष 2095 अर्थात भविष्य को लेकर लिखी गई यह कहानी चंद्र ग्रह पर जीवन होने के रहस्य को खोलती है।

'विज्ञान फंतासी कथाएँ' और 'अजब अनोखी विज्ञान कथाएँ' कहानी संग्रह की विज्ञान फंतासी कथाएँ बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। इनकथाओं में अंतरिक्ष ग्रह की यात्रा में रोबोट से जुड़े विषयों में वैज्ञानिक तथ्यों को आधार बनाकर कल्पना के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इन कथाओं में कल्पना के साथ-साथ वैज्ञानिक तर्क दिए गए हैं। 'गिल गिल सेवक चौकीदार' विज्ञान की नई तक की खोज रोबोट पर आधारित फेंटेसी कथा है। मार्था की नीली गुड़िया में गुड़िया रोबोट रूप में है जो आकाश में उड़ भी सकती है और बोल भी सकती है। इन कथाओं में कल्पना से भरे हुए भविष्य में तकनीक और विज्ञान की दिन प्रतिदिन हो रही प्रगति का इतिहास है। शब्दभेदी तीर कहानी परमाणु हथियारों से बचने के लिए बनाए गए तीरों का वर्णन करती हुई फंतासी है।अनोखी चिड़िया 'शिंगाई फू शुम्मा, लो चला पेड़ आकाश में फेंटेसी कथाओं का उद्देश्य बच्चों के वैज्ञानिक स्तर में परिवर्तन लाना है। जिससे उनमें वैज्ञानिक रुचि पैदा हो सके तथा विज्ञान के उपयोग-दुरुपयोग की समझ पैदा हो। यांत्रिकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के उपयोग व दुरुपयोग से अवगत कराती रिमझिम छतरी उड़ने वाली विज्ञान फंतासी है। विज्ञान फंतासी साहित्य सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। प्रकाश मनु ने विज्ञान फंतासी साहित्य में विज्ञान की धरातल पर बाल मन को टटोल कथा का ताना-बाना बुना है।

बाल विज्ञान लेखन व प्रकाशन : बाल साहित्य-समीक्षा से संबंधित विभिन्न ग्रंथों के अध्'न से स्पष्ट होता है की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 60 के दशक में बाल पत्रिकाओं के अतिरिक्त इंडियन प्रेस, पुस्तक भंडार, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, राजपाल एंड संस एवं राजकमल प्रकाशन ने बाल विज्ञान संबंधी साहित्य का प्रकाशन किया। इनके अतिरिक्त दैनिक-पत्रों, साप्ताहिक-पत्रों में भी बाल विज्ञान कथा साहित्य का लेखन शुरू हुआ।

सातवें दशक में शकुन प्रकाशन, शिक्षा भारती, दिल्ली और साहित्य निकेतन कानपुर ने भी बाल विज्ञान कथाओं का प्रकाशन किया। इनमें मौलिक लेखन व अनुवादित साहित्य प्रकाशित हुआ। महान वैज्ञानिक एवं उनकी वैज्ञानिक खोजों पर ही विज्ञान लेखन रहा। सत्तार के दशक में आगे

बढ़ने का हौसला बाल पत्रिकाओं ने ही किया। ये पत्रिकाएँ बाल भारती, बालसखा एवं पराग थी। आठवें दशक में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा बाल विज्ञान कथाएँ एवं यात्राएँ प्रकाशित हुई।

आज ऐसा बाल साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रकाशित हो रहा है जो बच्चों को संस्कारित करने के बजाय उनकी प्रवृत्तियों को विकृत कर रहा है। ऐसी पुस्तकें न केवल आज के बचपन को खोखला कर रही हैं अपितु देश के भविष्य को भी नष्ट कर रही है। प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह बच्चें को अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराये व यह जाने की बच्चा क्या पढ़ रहा है? बच्चों के साहित्य से संबंधित गोष्ठियों, काव्य-समारोह व वाद- विवाद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाना चाहिए। बाल शिक्षण के कार्य में लगी सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को भी बाल साहित्य की अभिवृद्धि के लिए योजनाबद्ध प्रयासों का क्रियान्वयन करना होगा। समाज में हो रहे विकास और वैज्ञानिक प्रगति के साथ बच्चों का सतत् समन्वय बनाए रखने और उन्हें पर्याप्त मात्रा में मानसिक खुराक देते रहने के लिए नित नये और स्तरीय बाल साहित्य के सृजन की आवश्यकता सदैव बनी रहेगी।

निष्कर्ष - आज के वैज्ञानिक युग में बच्चे पौराणिक कथा कहानियों और अंधविश्वासों से ऊपर उठ विज्ञान और वैज्ञानिक सोच के ज्यादा निकट आ गए हैं। वर्तमान समय में बच्चों की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रांति के संबंध में जानकारी चमत्कृत कर देने वाली है। यह संचार क्रांति धीरे-धीरे जीवन का अभिन्न अंग बनती जा रही है। सूचना क्रांति के संवाहक फैक्ट, टी.वी., सैटेलाइट, टेलीफोन, इंटरनेट, ई-मेल, मल्टीमीडिया, मोबाइल, वीडियो फोन जैसे उपकरणों को बच्चे जानते हैं। जिस कारण बाल साहित्य में वैज्ञानिक चेतना का समाहार अभियुगीन आवश्यकता बन चुका है, किंतु यह सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक आज बाल साहित्यकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कहीं यह नयी व्यवस्था बच्चों को संवेदनहीन न कर दे।

बच्चे बाल साहित्य में रुचि ले इसके लिए अपरिहार्य है कि बाल साहित्य सस्ता, सुलभ, रोचक, चिंताकर्षक व प्रकाशन की दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि का हो। मीशन के रूप में अधिकाधिक प्रतियोगिताओं व प्रतिस्पर्धाओं द्वारा बाल साहित्य की प्रायरू सभी विधाओं में पर्याप्त बाल साहित्य का प्रकाशन कराया जाये जो विज्ञान के इस युग में बच्चों की आकांक्षाओं व जिज्ञासाओं के अनुकूल हो। घिसा- पिटा या एक ही लीक पर चलने वाला बाल साहित्य न तो आज के बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और न ही बच्चे उसे पसंद करेंगे। निरंकार देव सेवक के शब्दों में 'बच्चों की जिज्ञासाओं, भावनाओं और कल्पनाओं को अपना बनाकर उनकी दृष्टि से ही दुनिया को देखकर जो साहित्य बच्चों के लिए सरल भाषा में लिखा जाए वही बच्चों का अपना साहित्य होता है।[18] आज का बाल साहित्यकार बच्चों का दोस्त बन उनके सुख-दुख का, उनकी उत्सुकताओं और कठिनाइयों का यानि उनके सब कुछ का भागीदार होता है।

वैज्ञानिक बाल साहित्य विज्ञान की ही प्रगति का परिणाम है। हिंदी बाल कथा साहित्य में वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करने वाले विज्ञानपरक साहित्य ने बच्चों को रोचक व मनोरंजक साहित्य प्रदान करते हुए उसकी लाभ और हानि से अवगत करवाया है। इस प्रकार बाल कथा साहित्य में विज्ञान कथाएँ तथा विज्ञान फंतासी अपने-अपने कलेवर में बच्चों को विज्ञान के साथ जोड़ उनकी सोच को परिपक्व करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बाल गीत साहित्य: निरंकार देव सेवक (प्रस्तावना भाग से), किताब महल इलाहाबाद, 1966
2. हिंदी बाल साहित्य एक अध्ययन, हरिकृष्ण देवसरे, आत्माराम एंड सन्स, दिल्ली, 1969, पृष्ठ संख्या 5
3. हिंदी बाल साहित्य एक अध्ययन हरिकृष्ण देवसरे, आत्माराम एंड सन्स,दिल्ली, 1969 प्रश्न संख्या 7
4. हिंदी बाल साहित्य एक अध्ययन हरिकृष्ण देवसरे, आत्माराम एंड सन्स,दिल्ली, 1969 प्रश्न संख्या 7
5. हिंदी बाल साहित्य कुछ पड़ाव, दिविक रमेश, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार 2015, पृष्ठ संख्या 148
6. हिंदी बाल साहित्य कुछ पड़ाव, दिविक रमेश, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार 2015, पृष्ठ संख्या 8
7. जैन, अभिनेय कुमार, हिंदी बाल साहित्य: प्राचीन एवं आधुनिक दृष्टि, नीरज बुक सेंटर, दिल्ली, 2009 पृष्ठ संख्या 118-119
8. कालरा, डॉ. शकुंतला, हिंदी बाल साहित्य विधा-विवेचन, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृष्ठ संख्या 531
9. संपादक, यादव, उषा एवं सिंह, राजकिशोर, हिंदी बाल साहित्य और बाल विमर्श, सामयिक प्रकाशन 2014, पृष्ठ क्रमांक 282
10. यादव, उषा एवं सिंह, राजकिशोर, हिंदी बाल साहित्य और बाल विमर्श, सामयिक प्रकाशन 2014, पृष्ठ संख्या 220
11. भारतीय बाल साहित्य का इतिहास, जय प्रकाश भारती, हिंदी बुक सेंटर, नई दिल्ली, 2002, पृष्ठ संख्या 250
12. आजकल, नवंबर 2016 संपादक फरहत परवीन पृष्ठ संख्या 6
13. देवसरे, डॉ. हरिकृष्ण, बाल साहित्य मेरा चिंतन, मेधा बुक्स, दिल्ली 2002, पृष्ठ संख्या 87
14. भारतीय बाल साहित्य संपादक, हरिकृष्ण देवसरे, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, 2016, पृष्ठ संख्या 592
15. भारतीय बाल साहित्य का इतिहास, जयप्रकाश भारती हिंदी बुक सेंटर, नई दिल्ली, 2002, पृष्ठ संख्या 204
16. भाषा मई- जून 2007 पृष्ठ संख्या 90
17. भारतीय बाल साहित्य संपादक, हरिकृष्ण देवसरे, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, 2016, पृष्ठ संख्या 591
18. हिंदी बाल साहित्य कुछ पड़ाव, दिविक रमेश, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार 2015, पृष्ठ संख्या 8

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

ई-कॉमर्स और मानव संसाधन प्रबंधन

डॉ. मोनिका जैन* संजय सिंह गहलोत**

* एसोसिएट प्रोफेसर, एसजीएस कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** असिस्टेंट प्रोफेसर, एसजीएस कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स तकनीकें काम के संचालन के तरीके को बदल रही हैं और इस प्रकार संगठनों द्वारा अपने मानव संसाधन कार्यों को प्रबंधित करने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। काम और रोजगार पर आईटी के प्रभाव के बावजूद शोध का विषय रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और काम के संगठन और मानव संसाधन प्रबंधन पर इसके प्रभाव पर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

यह पेपर मौजूदा साहित्य की जांच करता है कि कैसे ई-कॉमर्स तकनीक ने कार्यस्थल प्रबंधन को आकार दिया है। यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में सामना किए जाने वाले व्यावसायिक दबावों के संदर्भ में इन परिवर्तनों की पहचान करने और समझने के लिए एक वैचारिक रूपरेखा प्रस्तावित करता है।

शब्द कुंजी – ई कॉमर्स, मानव संसाधन, कार्यस्थल प्रबंधन।

प्रस्तावना – विशेषज्ञ उन विशेषताओं पर बात करते हैं जो एक मानव संसाधन पेशेवर को तेज गति वाले ई-कॉमर्स में सफल होने के लिए होनी चाहिए पर्यावरण। भारत के उच्च दबाव वाले ई-कॉमर्स उद्योग में एक मानव संसाधन पेशेवर बनना मुश्किल हो सकता है।चूंकि ऐसी अधिकांश कंपनियां स्टार्ट-अप हैं, इसलिए उपयुक्त प्रतिभा को आकर्षित करना और इसकी विविधता का प्रबंधन करना मुश्किल है।

एक भर्ती अधिकारी का कहना है कि चूंकि स्टार्ट-अप में नौकरियां अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सीमित नहीं हैं, इसलिए काम का दायरा एक मानव संसाधन पेशेवर के लिए कर्मचारियों को संतुष्ट और प्रेरित रखना षविशालष है। स्टार्ट-अप के भीतर, हम काम कर रहे हैंचौबीस घंटे. इससे एचआर के लिए ऐसा माहौल बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है, जो घर जैसा लगता हो।इसके अलावा गैर-मौद्रिक कार्य में नियमित रूप से अच्छे कार्य को मान्यता देना और प्रोत्साहित करना तथा मनोबल बढ़ाना पुरस्कार और मान्यता के रास्ते आवश्यक हो गए हैं।

संगठन में व्यापक विविधता के कारण ई-कॉमर्स में एचआर एक चुनौतीपूर्ण पोर्टफोलियो है। इसके आधार पर नवीनता और उद्यमशीलता अनुभव के कारण, ई-कॉमर्स स्टार्ट-अप पारंपरिक उद्योगों से विविध प्रतिभाओं को आकर्षित कर रहे हैं। यह प्रतिभा जिस क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, उसके संदर्भ में यह उच्च जागरूकता क्षेत्र में हो भी सकती है और नहीं भी। यह बिल्कुल सही है ई-कॉमर्स में एक मानव संसाधन पेशेवर के लिए विभिन्न उद्योगों की मजबूत समझ होना आवश्यक है, उनकी प्रतिभा परिदृश्य और वे ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र से कैसे जुड़ते हैं।

फैशन एंड यू में एचआर और प्रशासन प्रमुख समीर सूद कहते हैं कि एचआर प्रोफेशनल में योग्यता होनी चाहिए ! ई-कॉमर्स में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए व्यावसायिक निर्णयों में सक्रिय भागीदारी का अनुभव। व्यक्ति के पास होना भी चाहिए बड़ी तस्वीर को देखने और सभी में मानव संसाधनों के निरंतर सुधार और अनुकूलन के लिए प्रयास करने की क्षमता प्रक्रियाएँ।

ई-कॉमर्स उद्योग के लिए सात महत्वपूर्ण मानव संसाधन विशेषताएँ:

1. 'एक टीम, एक लक्ष्य' की भावना पैदा करने की क्षमता रखने वाला टीम प्लेयर।
2. विभिन्न उद्योगों, उनकी प्रतिभा परिदृश्यों की मजबूत समझ और उन्हें ई के साथ कैसे जोड़ा जाए वाणिज्य पारिस्थितिकी तंत्र।
3. व्यावसायिक निर्णयों में सक्रिय भागीदारी की योग्यता एवं अनुभव।
4. सही लोगों के साथ सही समय पर सही तरीके से सही संचार करने की क्षमता।
5. सभी प्रक्रियाओं में हर समय लगातार सुधार और अनुकूलन।
6. बदलती व्यावसायिक स्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता और क्षमता।
7. बड़े चित्र को देखने की क्षमता।

ई-कॉमर्स उद्योग में निश्चित रूप से भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक संभावनाएं हैं जहां इसका महत्व बढ़ रहा है एचआर और सिस्टम देखे जा सकते हैं। हम ज्यादातर युवा वर्ग को ईकॉमर्स स्टार्टअप्स का अनुसरण करते हुए देख सकते हैं क्योंकि यह उन्हें ऑफर करता है अच्छा वेतन और जीवन शैली वांछित है, लेकिन सही प्रतिभा प्राप्त करना अभी भी चुनौती बनी हुई है, यहां तक कि ईकॉमर्स में भी स्टार्टअप। हम इससे सामरिक रूप से निपटने के लिए मानव संसाधन समाधानों को स्वचालित करना चुन सकते हैं।

बिजनेस की दुनिया तेजी से बदलती है. नई तकनीक पेश की जाती है, कर्मचारी आते हैं और जाते हैं, और कंपनी के वित्त में उतार-चढ़ाव होता है। एचआर की भूमिका बदलाव के लिए कंपनी को स्थिर करने में मदद को कम करके नहीं आंका जा सकता। बदलाव की योजना बनाने का अर्थ है कर्मचारियों की मदद करना कंपनी की व्यापक तस्वीर में उनकी भूमिका को

समझें। यह विभागों के बीच पुल बनाने के बारे में है प्रबंधकों और लोगों को 'क्या होगा अगर' स्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रेरित करना। एचआर यह जानकारी लेता है और एक विकसित करता है आपदाओं के लिए प्रबंधन योजना, वर्कफ्लो में बदलाव के लिए और संकट के समय में कर्मचारियों को आश्वस्त करने के लिए भयावह परिवर्तन।

ई–मानव संसाधन के तत्व – ई–एचआरएम नेटवर्किंग और दोनों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का (योजना, कार्यान्वयन और) अनुप्रयोग है मानव संसाधन गतिविधियों के साझा प्रदर्शन में कम से कम दो व्यक्तिगत या सामूहिक कलाकारों का समर्थन करना।

ई–चयन – किसी विशिष्ट नौकरी के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार और मूल्यांकन करने और रोजगार के लिए किसी व्यक्ति का चयन करने की प्रक्रिया कुछ मानदंडों के आधार पर कर्मचारियों का चयन बहुत ही सरल प्रक्रिया से लेकर बहुत जटिल प्रक्रिया तक हो सकता है कंपनी की नियुक्ति और पद पर निर्भर करता है। कुछ रोजगार कानून जैसे भेदभाव–विरोधी कानून अवश्य होने चाहिए कर्मचारी चयन के दौरान पालन किया गया.

ई–भर्ती – ई–भर्ती, जिसे ऑनलाइन भर्ती के रूप में भी जाना जाता है, प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से वेब–आधारित का उपयोग करने की प्रथा है नए कर्मियों को खोजने, आकर्षित करने, मूल्यांकन करने, साक्षात्कार लेने और भर्ती करने से जुड़े कार्यों के लिए संसाधन। ई–भर्ती का उद्देश्य इसमें शामिल प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के साथ–साथ कम करना भी है महँगा। ऑनलाइन भर्ती संभावित कर्मचारियों के एक बड़े समूह तक पहुंच सकती है और चयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकती है। कॉर्पोरेट वेबसाइट या अन्य स्थानों के माध्यम से काम करने के लिए वांछनीय स्थान के रूप में किसी संगठन का ऑनलाइन प्रचार, ई–भर्ती का एक तत्व है। ई–भर्ती सॉफ्टवेयर और सिस्टम स्टैंडअलोन एप्लिकेशन, उत्पाद के रूप में उपलब्ध हैं सुइट्स और सेवाएँ। एक भर्ती प्रबंधन प्रणाली एक एकीकृत उत्पाद सूट या पोर्टल है जो सुव्यवस्थित करती है और शामिल प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है।

ई–प्रशिक्षण – स्लोमन की परिभाषा आगे कहती है,'प्रशिक्षण संगठन के क्षेत्र में है: यह एक हस्तक्षेप है ऐसे व्यक्तियों से व्यवहार उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है जिनके सकारात्मक संगठनात्मक परिणाम हैं।' फिर वह सीखने को परिभाषित करता है 'किसी के सामान्य व्यवहार पैटर्न और आदतों को बदलने में शामिल शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया' के रूप में। 'सीखना', उनका दावा है, यह प्रशिक्षण से अलग है क्योंकि यह ष्व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आता है।

ई–लर्निंग – ई–लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, और आम तौर पर इसका मतलब किसी पाठ्यक्रम का आंशिक या संपूर्ण भाग वितरित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना है चाहे वह किसी स्कूल में हो, आपके अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण का हिस्सा हो या पूर्ण दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम हो। शुरुआती दिनों में इसे ख़राब प्रेस मिला, क्योंकि कई लोगों ने सोचा था कि कक्षा में कंप्यूटर लाने से ऐसा होगा उस मानवीय तत्व को हटा दें जिसकी कुछ शिक्षार्थियों को आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे–जैसे समय आगे बढ़ा है प्रौद्योगिकी विकसित हुई है, और अब भी हम कक्षा और कार्यालय में स्मार्टफोन और टैबलेट को अपनाते हैं, साथ ही ढेर सारे इंटरैक्टिव डिजाइन का भी उपयोग करते हैं दूरस्थ शिक्षा को न केवल उपयोगकर्ताओं के लिए आकर्षक बनाता है, बल्कि पाठ वितरण माध्यम के रूप में मूल्यवान बनाता है।

गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ साझेदारी बनाना और इसे एक समर्पित अनुभवी तकनीकी के साथ जोड़ना टीम और सहयोगी स्टाफ, वर्चुअल कॉलेज उत्तम मिश्रित शिक्षण वातावरण प्रदान करता है, जो किसी को भी प्रदान करता है अपने ऑनलाइन प्रशिक्षण को अगले स्तर तक ले जाने का मौका।

ई–निष्पादन मूल्यांकन – ई परफॉर्मेंस एक कार्यात्मक, व्यावहारिक और प्रभावी प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली है। यह प्रबंधकों का मार्गदर्शन करता है संपूर्ण प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया, रिकॉर्ड और समय–सीमा बनाए रखना। ई प्रदर्शन प्रबंधकों और दोनों को सुनिश्चित करता है कर्मचारी अत्यधिक कुशल और उत्पादक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया से अधिकतम लाभ उठाते हैं।

ई–मुआवजा – ई–मुआवजा प्रणाली वे सॉफ्टवेयर पैकेज हैं जो कंपनियों द्वारा खरीदे या विकसित किए जाते हैं और हैं कंपनी के इंट्रानेट या इंटरनेट के माध्यम से पहुंच योग्य, जिस तक सभी कर्मचारी पहुंच सकेंगे. कहीं से भी ब्राउजर के जरिए (इंटरनेट के मामले में)। वे मुख्य रूप से प्रभावशीलता और दक्षता में योगदान करते हैं

तीन तरीके:

1. किसी विशेष आईटी बुनियादी ढांचे जैसी किसी भी आवश्यकता के बिना जानकारी तक आसान पहुंच ज्ञान
2. कर्मचारियों के लिए विस्तृत मुआवजे की जानकारी की चौबीसों घंटे उपलब्धता, प्रबंधकों और मानव संसाधन पेशेवरों (निर्णय समर्थन के लिए) इंटरैक्टिव तरीके से उनकी साख के अनुसार
3. वर्कफ्लो कार्यक्षमता और वास्तविक समय की शुरूआत के माध्यम से बोझिल नौकरशाही कार्यों को सुव्यवस्थित करना लागत–प्रभावी तरीके से सूचना प्रसंस्करण।

ई–एचआरएम लक्ष्य – ई–एचआरएम को मानव संसाधन विभाग के ग्राहकों (कर्मचारियों और दोनों) को सेवाओं में सुधार करने की क्षमता प्रदान करने के रूप में देखा जाता है प्रबंधन), मानव संसाधन विभाग के भीतर दक्षता और लागत प्रभावशीलता में सुधार, और मानव संसाधन को एक बनने की अनुमति देता है संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में रणनीतिक भागीदार। भर्ती पहलू कंपनियों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए कई वेबसाइटें हैं भारत में कुछ लोकप्रिय और महत्वपूर्ण वेबसाइटें नीचे सूचीबद्ध हैं वे हैं

1. jobsahead.com
2. monsterindia.com
3. careerindia.com
4. placementindia.com
5. jobsearch.
6. rediff.com
7. bestjobsindia.in
8. jobzing.com
9. cybermediadice.com
10. Careerjet.co.in

निष्कर्ष – ई–एचआरएम मानव संसाधन प्रक्रियाओं को स्वचालित और समर्थन करने के लिए एक वेब–आधारित उपकरण है। ई–एचआरएम का कार्यान्वयन एक है कर्मचारी को डेटा प्रविष्टि सौंपने का अवसर। ई–एचआरएम एचआर बाजार और ऑफर के उपयोग की सुविधा प्रदान करता

है कर्मचारियों को अधिक स्व-सेवा। ई- एचआरएम (इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट) एडवांस बिजनेस है समाधान जो सभी प्रक्रियाओं, गतिविधियों, डेटा आदि के प्रबंधन में पूर्ण ऑनलाइन सहायता प्रदान करता है

एक आधुनिक कंपनी में मानव संसाधन के प्रबंधन के लिए आवश्यक जानकारी। यह एक कुशल, विश्वसनीय, उपयोग में आसान उपकरण है, जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं के एक व्यापक समूह के लिए सुलभ है। विभिन्न लाभों और छोटे नुकसानों के साथ यह अनुशंसा की जा सकती है कि सभी संगठन ई-एचआरएम तकनीक का उपयोग करें, जो सभी बाधाओं का सामना करने के बावजूद इस ई-एचआरएम तकनीक के माध्यम से एक उपयोगी, कुशल और बेहतर प्रदर्शन प्रदान करने का वादा करता है। ई एचआरएम एक तरीका है सचेत और निर्देशित समर्थन के माध्यम से संगठनों में मानव संसाधन रणनीतियों, नीतियों और प्रथाओं को लागू करना औरध्या वेब-प्रौद्योगिकी-आधारित चौनलों के पूर्ण उपयोग के साथ। इसमें मानव संसाधन प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है कार्मिक प्रशासन, शिक्षा और प्रशिक्षण, कैरियर विकास, कॉर्पोरेट संगठन, नौकरी विवरण, नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी के व्यक्तिगत पृष्ठ, और कर्मचारियों के साथ वार्षिक साक्षात्कार। इसलिए ई-एचआरएम एक रास्ता है एचआरएम कर रहा हूं.

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. *Adler, P. (1991). `New Technologies, New Skills', Technology and the Organisation of Work. Geelong, Victoria, Deakin University Press.
2. *Causer, G. and C. Jones (1996). "Management and the Control of Technical Labour." Work, Employment & Society, Vol. 10, (No. 1): 107-123.
3. *Child, J. (1985). `Managerial Strategies, New Technology and the Labour Process', Job Redesign Critical Perspectives on the Labour Process. D. Knights,
4. *H. Willmott and D. Collinson. Aldershot, England, Gower Publishing Company Limited: 107-141.
5. डेल योडर, हेनमैन, टर्नवुल एवं स्टोन, हैण्डबुक ऑफ पर्सनेल मैनेजमेंट एण्ड लेबर रिलेसन्स, मैग्राहिल बुक क0 न्यूयार्क 1958
6. *Piore, M. J. and C. F. Sabel (1984). The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity. New York, United States of America, Basic Books Inc.
7. *Pinsonneault, A. and S. Rivard (1998). `Information Technology and the nature of managerial , work: from the productivity paradox to the Icarus paradox?' MIS Quarterly, Vol. 22 (No. 3): 287-312.
8. *Kettley, P. and Reilly, P. (2003) „e-HR: An Introduction , IES Report 398. in *Michael A. (2003), A Handbook Of Human Resource Management Practice. *Research e-HRM: Review and Review 17 (2007) pp.19–37 implications available HumanResource *http:/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482206000829.
9. *Susan Meisinger "Challenges and Opportunities for HR" HR Magzine 2009. *www.shrm.org/trends www.humanresourcemagzines.com.au/companies

****

मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 में अनुसूचित जातियों के मतदान व्यवहार का वर्णनात्मक अध्ययन : उज्जैन उत्तर विधानसभा एवं उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विशेष संदर्भ में

रवि दायमा*

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – यह शोधपत्र 'मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में अनुसूचित जातियों के मतदान व्यवहार' पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय की राजनीतिक भागीदारी, प्राथमिकताएँ, और मतदान निर्णयों को समझना है। मध्यप्रदेश जैसे सामाजिक-राजनीतिक रूप से विविध राज्य में अनुसूचित जातियाँ एक महत्वपूर्ण मतदाता वर्ग हैं, जिनकी भूमिका चुनावी परिणामों को प्रभावित करती रही है। इस अध्ययन में निर्वाचन आयोग के आँकड़ों, फील्ड सर्वेक्षणों और मीडिया रिपोर्ट्स का उपयोग करते हुए विश्लेषणात्मक व वर्णनात्मक शोध पद्धति अपनाई गई।

पता चला कि अनुसूचित जातियों का मतदान व्यवहार अब परंपरागत वफादारी से हटकर मुद्दा-आधारित और उम्मीदवार-केन्द्रित होता जा रहा है। युवाओं में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ है और महिला मतदाताओं की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि कल्याणकारी योजनाएँ, सामाजिक सम्मान, और नेतृत्व की भागीदारी जैसे कारकों ने मतदान निर्णयों को प्रभावित किया। निष्कर्षत: अनुसूचित जातियों की चुनावी भागीदारी लोकतांत्रिक प्रणाली को सशक्त करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

शब्द कुंजी – अनुसूचित जातियाँ, मतदान व्यवहार, मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023, राजनीतिक चेतना, सामाजिक न्याय, वोट बैंक राजनीति, दलित नेतृत्व, चुनावी भागीदारी, कल्याणकारी योजनाएँ, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, अनुसंधान की आवश्यकता और उद्देश्य।

प्रस्तावना – भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और विविधतापूर्ण लोकतंत्र है, जहाँ विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। इस व्यवस्था में अनुसूचित जातियों को विशेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि वे सामाजिक रूप से वंचित और ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित समूह रहे हैं। संविधान द्वारा उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण और सामाजिक न्याय के अधिकार दिए गए हैं, जिससे उनकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आया है।

मध्यप्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियाँ लगभग 16 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं, और कई विधानसभा क्षेत्रों में वे निर्णायक भूमिका निभाती हैं। राजनीतिक दलों के लिए यह वर्ग एक प्रमुख 'वोट बैंक' बन चुका है, और हर चुनाव में इन्हें आकर्षित करने हेतु विभिन्न वादे, योजनाएँ और रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं।

इस शोध का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में अनुसूचित जातियों ने किस प्रकार मतदान किया, उनके निर्णयों को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और क्या इस बार उनके मतदान व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तन देखने को मिला। यह अध्ययन इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि क्या अनुसूचित जातियाँ अब केवल जातीय पहचान के आधार पर मतदान कर रही हैं या सामाजिक-आर्थिक मुद्दे भी उनके निर्णयों में शामिल हो गए हैं।

इस प्रकार यह शोध अनुसूचित जातियों की लोकतांत्रिक सहभागिता की गहराई को समझने का एक प्रयास है, जो भविष्य की राजनीति के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से सूचनाए एकत्रित की गयी है जिसमे पुस्तके शोध पत्र, समाचार पत्र, निर्वाचन विभाग की वेबसाइड, सरकारी आंकड़े, एवं रिपोर्ट आदि से सुचना एकत्रित की गई है। प्राप्त सुचना के आधार पर तथ्यों का संकलन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया गया है।

अनुसंधान की आवश्यकता एवं उद्देश्य

(क) अनुसंधान की आवश्यकता : भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी पूर्ण मानी जा सकती है जब समाज के सभी वर्गों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो। अनुसूचित जातियाँ, जो सामाजिक रूप से ऐतिहासिक रूप से वंचित रही हैं, अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। विशेष रूप से मध्यप्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या पर्याप्त है, उनका मतदान व्यवहार चुनाव परिणामों को प्रभावित करता है।

2023 के विधानसभा चुनाव में यह देखा गया कि अनेक राजनीतिक दलों ने अनुसूचित जातियों को लुभाने के लिए विशेष अभियान चलाए। ऐसे में यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि क्या ये प्रयास प्रभावी रहे, क्या मतदाता सचेत हुए, और क्या कोई नया रुझान उभरा। यह अध्ययन सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व, और राजनीतिक चेतना को समझने में सहायक सिद्ध होगा।

(ख) अनुसंधान के उद्देश्य :

1. मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में अनुसूचित जातियों की मतदान भागीदारी का विश्लेषण करना।
2. उन प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों की पहचान करना जो अनुसूचित जातियों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं।
3. यह जानना कि जातीय पहचान, पार्टी निष्ठा और उम्मीदवार की छवि में किसका अधिक प्रभाव रहा।
4. अनुसूचित जाति समुदाय में उभरती राजनीतिक चेतना और युवाओं की भूमिका का मूल्यांकन करना।
5. भविष्य की चुनावी रणनीतियों एवं नीतिगत सुझावों के लिए आधार तैयार करना हैं।

निर्वाचन क्षेत्रों की जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल: दोनों निर्वाचन क्षेत्र विविध जनसांख्यिकीय परिदृश्य को दर्शाते हैं। उज्जैन उत्तर में मध्यम वर्ग और उच्च-मध्यम वर्ग के मतदाताओं की अधिक सांद्रता है, जिसमें व्यापारिक समुदाय, पेशेवर और शिक्षित युवा महत्वपूर्ण रूप से मौजूद हैं। उज्जैन दक्षिण में ग्रामीण जनसांख्यिकी अधिक है, जिसमें कृषि समुदाय, मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का बड़ा हिस्सा है। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें ओबीसी, एससी और उच्च जाति के व्यवहार को भी प्रभावित करता है, खासकर उज्जैन उत्तर में, जहां धार्मिक जनसांख्यिकी अपेक्षाकृत अधिक विविध है।

लिंग-वार और आयु-वार मतदाता प्राथमिकताएँ: मतदान व्यवहार में लिंग गतिशीलता दर्शाती है कि महिला मतदाता तेजी से एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बन गई हैं, जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों महिलाओं के हैं।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की राजनीतिक पृष्ठभूमि: मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियाँ एक लंबे समय से सामाजिक-राजनीतिक विमर्श का केंद्र रही हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत लगभग 16% है, जो कि कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनकी राजनीतिक यात्रा सामाजिक आंदोलन, आरक्षण के अधिकार, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के इर्द-गिर्द विकसित होती रही है।

स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। मध्यप्रदेश में वर्तमान में 230 विधानसभा सीटों में से 35 सींटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। यह संख्या स्वयं इस बात का संकेत है कि इनका राजनीतिक प्रभाव केवल संख्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक दिशा तय करने में भी सक्षम है।

राज्य में बहुजन समाज पार्टी ने 1990 के दशक में दलित चेतना को राजनीतिक रूप से मुखर करने का प्रयास किया, जिससे कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों का झुकाव इस दल की ओर देखा गया। हालांकि समय के साथ कांग्रेस और भाजपा दोनों ने भी अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु योजनाएँ चलाकर इस वर्ग को अपने पक्ष में करने की रणनीति अपनाई।

अनुसूचित जातियों में आज भी नेता का चयन कई बार जातिगत समानता और सामाजिक सम्मान के आधार पर होता है, किंतु वर्तमान में युवाओं में राजनीतिक जागरूकता और मुद्दा आधारित मतदान की प्रवृत्ति बढ़ रही है। विभिन्न सामाजिक आंदोलनों और शैक्षिक सशक्तिकरण ने इस प्रक्रिया को गति दी है।

इस पृष्ठभूमि को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह वर्तमान मतदान व्यवहार के विश्लेषण की नींव तैयार करता है।

विधानसभा निर्वाचन 2023 : एक संक्षिप्त समीक्षा

कुल सीटें : 230

आरक्षित ड्उ सीटें : 35

मुख्य प्रतियोगी दल : भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी

एस.सी. बहुल सीटों पर मुख्य चुनावी मुद्दे : रोजगार, शिक्षा, सामाजिक सम्मान, आरक्षण का कार्यान्वयन।

अनुसूचित जातियों का मतदान व्यवहार - विश्लेषण

(क) मतदान प्रतिशत : एस.सी. समुदाय का औसत मतदान प्रतिशत 69.3% रहा, जो कुल औसत से थोड़ा अधिक था।

(ख)प्रभावित करने वाले कारक : उज्जैन उत्तर और उज्जैन दक्षिण में मतदान व्यवहार पार्टी द्वारा चलाए गए कल्याणकारी कार्यक्रम (जैसे संबल योजना)

दलित नेताओं की सक्रियता: स्थानीय मुद्दे जैसे पानी, सड़क, और शिक्षा

(ग) दलित चेतना का उदय : कुछ क्षेत्रों में जातिगत जागरूकता के कारण बी.एस.पी. व अन्य दलों को समर्थन, शहरी क्षेत्रों में युवा वोटरों में पार्टी से अधिक उम्मीदवार की छवि को प्राथमिकता

प्रमुख निष्कर्ष - अनुसूचित जातियों का झुकाव अब परंपरागत रूप से किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। दलित युवाओं में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता दिखाई दी। कुछ क्षेत्रों में 'विकास' को जाति से अधिक वरीयता मिली। एस.सी. महिलाओं की मतदान भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

चुनौतियाँ और संभावनाएँ :

चुनौतियाँ : शिक्षित दलितों का वोट एकरूप नहीं है, विविध समूहों में विभाजन मुद्दा आधारित मतदान की जगह भावनात्मक मतदान कई क्षेत्रों में देखा गया

संभावनाएँ : यदि राजनीतिक दल एस.सी. समुदाय की यथार्थ समस्याओं को प्राथमिकता दें तो दीर्घकालिक समर्थन मिल सकता है। एस.सी. नेतृत्व को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को मजबूत किया जा सकता है।

निष्कर्ष - मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में अनुसूचित जातियों का मतदान व्यवहार जटिल किन्तु जागरूकता से भरपूर रहा। सामाजिक न्याय, विकास, और पहचान की राजनीति इन पर प्रभाव डालती रही। भविष्य में इनका मतदान पैटर्न लोकतंत्र की दिशा और दशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सुझाव :

1. जातीय चेतना को लोकतांत्रिक भागीदारी में बदलने हेतु निरंतर संवाद आवश्यक है।
2. राजनैतिक दलों को इन वर्गों के साथ स्थायी संबंध बनाना चाहिए न कि केवल चुनाव तक सीमित।
3. अनुसूचित जातियों की राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. क्रिस्टोफ जैफरेलो (2003) - इंडियाज साइलेंट रिवोल्यूशन : द राइज ऑफ द लोअर कास्ट्स इन नॉर्थ इंडिया। प्रकाशक: परमानेंट ब्लैक, नई दिल्ली।
2. घनश्याम शाह (2004) - सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया : अ रिव्यू

ऑफ लिटरेचर। प्रकाशक: सेज पब्लिकेशन्स।

3. संजय रुपरेलिया (2015) – डिवाइडेड वी गवर्न: कोएलिशन पॉलिटिक्स इन मॉडर्न इंडिया। प्रकाशक : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. अशुतोष कुमार (2019) – पॉलिटिक्स एंड इलेक्टोरल बिहेवियर इन इंडिया: कास्ट, क्लास एंड कम्युनिटी। प्रकाशक : रूटलेज इंडिया।
5. भारत निर्वाचन आयोग – मध्यप्रदेश विधान सभा आम निर्वाचन 2023 पर सांख्यिकीय रिपोर्ट। वेबसाइट : https://eci.gov.in
6. मध्यप्रदेश मानव विकास रिपोर्ट (2021) – जातिवार सामाजिक संकेतक एवं राजनीतिक भागीदारी संबंधी अध्ययन। प्रकाशक: योजना विभाग, मध्यप्रदेश सरकार।
7. Centre for the Study of Developing Societies (CSDS-Lokniti) – मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 पर पश्चातवर्ती सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं आँकड़े। वेबसाइट: https://www.lokniti.org
8. मध्यप्रदेश सरकार : मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएँ एवं वार्षिक रिपोर्ट (2022–2023)। वेबसाइट: https://socialjustice.mp.gov.in
9. द हिंदू / इंडियन एक्सप्रेस / दैनिक भास्कर (2023) – चुनावी रिपोर्टिंग, संपादकीय लेख एवं एग्जिट पोल विश्लेषण (नवंबर–दिसंबर 2023)।
10. मैदानी सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार (2023–24) – उज्जैन, सागर एवं रीवा जिलों की अनुसूचित जाति बहुल विधानसभाओं से एकत्रित प्राथमिक डेटा।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में महिलाओं का मानसिक सशक्तिकरण: एक अध्ययन

डॉ. आभा सैनी*

* प्रोफेसर एवं अध्यक्षा (राजनीति विज्ञान) जैन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – महिलाओं का मानसिक सशक्तिकरण एक ऐसी शब्दावली है जिसमें न केवल महिला सशक्तिकरण बल्कि मानसिक रूप से उनका सशक्त होना भी शामिल है। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं को मजबूत बनाना सम्मिलित है जिससे कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके और समाज एवं राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी कर सके यद्यपि महिलाएं सशक्त है। प्राचीन काल में दुर्गा सीता गार्गी देखें या आधुनिक समय में इंदिरा गांधी लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से मानसिक रूप से उन्हें इतना अधिक मजबूत बनाना कि वह किसी के दबाव में ना आए और अपने निर्णय को स्वयं लेने और उन्हें लागू करने की क्षमता उनके पास हो।

महिलाओं के मानसिक सशक्तिकरण से ना केवल उनके ज्ञान कौशल में वृद्धि होती है बल्कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अपनी भूमिका को मजबूती से निभा सकती हैं। समाज में भी घर परिवार में वह बिना किसी दबाव से बिना किसी के प्रभावित हुए अपने कार्यों को आसानी से संपादित कर सकती हैं। महिलाओं का मानसिक सशक्तिकरण महिलाओं को मानसिक रूप से स्वतंत्रता और उन्हें सम्मान पूर्ण जीवन जीने देने की आजादी प्रदान करता है सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर , विकलांग और वृद्ध महिलाएं को मानसिक रूप से मजबूत बनाना और अधिक आवश्यक हो जाता है। महिलाओं के मानसिक सशक्तिकरण में न केवल सरकार बल्कि गैर सरकारी एजेंसियां भी भागीदारी करती है। महिलाएं अपने जीवन में सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और शारीरिक आधार पर मानसिक रूप से अनेक चुनौतियों का सामना करती है। सरकार द्वारा प्रदत अधिकारों और सुविधाओं के बावजूद भी आज भी वर्तमान समय में उनकी स्थिति कमजोर है यद्यपि पहले की तुलना में वह बेहतर हुई है।

शोध उद्देश्य और शोध विधि – प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में महिलाओं के मानसिक सशक्तिकरण की व्याख्या की गई है और महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार और सरकारी संस्थाओं के द्वारा उठाए गए कदमों का भी विश्लेषण किया गया है। महिलाओं के समक्ष मानसिक रूप से उत्पन्न चुनौतियों और उन समस्याओं के समाधान को भी प्रस्तुत शोध पत्र में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है।

साहित्य पुनरावलोकन

Louis L.Hay (2011) वर्णन करती है मानव शरीर और मस्तिष्क एक दूसरे से संबंधित है। लेखिका व्याख्या करती है कि कैसे नकारात्मक विचार हमारे हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बाधित करते हैं। डॉ. हर्षवर्धन गोस्वामी(2011) व्याख्या करते हैं कि प्राणायाम हमारी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन की प्रत्येक समस्याओं का समाधान करने में सहायता करता है। डॉ. स्वामी मुक्तानंद पुरी जी महाराज (2007) अपनी पुस्तक में लिखते हैं। योग और जीवन प्रबंधन एक श्रेष्ठ और स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। डॉक्टर सावित्री माथुर और मोनिका जैन (2013)भारतीय महिलाओं की भूमिका की विभिन्न आयामों और चुनौतियों की चर्चा करती हैं। प्रोफेसर मनमीत कौर और डॉक्टर वंदना शर्मा एवं डॉ संदीप मोगा (2024) विभिन्न आधारों पर यह प्रदर्शित करते हैं कि महिलाओं के अधिकारों और समानता के बावजूद भी पिछली कुछ शताब्दियों में स्थिति बेहतर हुई है लेकिन अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है।

भारत में महिलाओं का मानसिक सशक्तिकरण– भारत में महिलाएं पारंपरिक रूप से घर परिवार में कार्यों में सलग्न रहती है। उन्हें प्रारंभ से शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर माना जाता है लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले मानसिक रूप से अधिक सशक्त होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ,'मानसिक स्वास्थ्य मानसिक कल्याण की एक अवस्था है जो लोगों को जीवन जीने , तनाव से निपटने क्षमताओं का एहसास करने, जीवन में सीखने, काम करने और अपनी समुदाय और समाज में योगदान करने में सक्षम बनाती है'। यदि मानसिक स्वास्थ्य बेहतर है तो महिलाएं मानसिक रूप से अधिक सशक्त होंगे महिलाओं के मानसिक सशक्तिकरण से आशय ऐसी व्यवस्था से है। जिसमें वह अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने अपनी क्षमताओं को विकसित करने और अपने जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी क्षमता को प्रदर्शित करती है। जैसे आत्मा जागरुकता और लचीलापन वास्तव में यह मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। मानसिक सशक्तिकरण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

महिला सशक्तिकरण शब्द 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने 1975 से 1985 की अवधि को महिला सशक्तिकरण का दशक कहा 2001 में महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया। सशक्तिकरण शब्द शारीरिक और मानसिक सशक्तिकरण को प्रदर्शित करता है।

भारत में लिंगानुपात 2011 के प्रति एक हजार पुरुषों पर 943 महिलाएं के स्तर से बढ़कर 2036 में प्रति 1000 पुरुषों पर 952 महिलाएं होने की

उम्मीद है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 'भारत में महिला एवं पुरुष 2023' रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि 2036 में भारत की जनसंख्या में 2011 की जनसंख्या की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होने की संभावना है, जैसा कि लिंगानुपात मंय परिलक्षित होता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2011 की तुलना में 2036 में हुई वृद्धि लैंगिक समानता में सकारात्मक चलन को दर्शाता है।रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक भारत की जनसंख्या 152.2 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 2011 के 48.5 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा बढ़कर 48.8 प्रतिशत हो जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को देखें तो 15वें आम चुनाव (1999) तक, 60 प्रतिशत से भी कम महिला मतदाताओं ने भाग लिया, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत उनसे आठ प्रतिशत अधिक था। हालांकि, 2014 के चुनावों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 65.6 प्रतिशत हो गई, और 2019 के चुनावों में यह और बढ़कर 67.2 प्रतिशत हो गई। पहली बार, महिलाओं के लिए मतदान प्रतिशत थोड़ा अधिक था, जो महिलाओं में बढ़ती साक्षरता और राजनीतिक जागरूकता के प्रभाव को दर्शाता है।

आर्थिक दृष्टिकौन से भी महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने जनवरी 2016 में अपनी स्थापना के बाद से दिसंबर 2023 तक कुल 1,17,254 स्टार्ट-अप को मान्यता दी है। इनमें से 55,816 स्टार्ट-अप महिलाओं द्वारा संचालित हैं, जो कुल मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप का 47.6 प्रतिशत है। यह महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व भारत के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी में महिला उद्यमियों के बढ़ते प्रभाव और योगदान को रेखांकित करता है।

यह सभी तथ्य यह प्रस्तुत करते हैं कि महिलाओं न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी पहले की तुलना में सशक्त हुई है जो उनके बढ़ते हुए योगदान को विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शित करता है।

भारत में महिलाओं के मानसिक सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियां - कुपोषण मातृत्व के समय में पर्याप्त पोषण न मिलाना समय पर स्वस्थ आहार न लेना गरीबी और बेरोजगारी के कारण सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण महिलाओं को पर्याप्त स्वस्थ आहार न मिलने के कारण भी उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। भारत में सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण महिलाओं में शारीरिक और मानसिक हिंसा और मारपीट आत्महत्या जैसे घटनाएं भी आम है जागरूकता के अभाव में भी अनेक बीमारियां महिलाओं में शारीरिक और मानसिक रूप से हो जाती है। कॉविड-19 के समय में महिलाओं की मानसिक स्थिति को बहुत अधिक प्रभावित किया। जिसमें अकेलेपन और घर में अनेक तरह की की समस्याओं का सामना करने के कारण उनके तनाव और अवसाद में वृद्धि हुई जिनसे उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित हुआ।

अपने कार्य स्थल पर भी काम के दबाव और शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना के कारण भी महिलाओं की मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। महिला खिलाड़ियों का मानसिक एवं भावनात्मक आरोग्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में प्रदर्शन करने में उनकी मदद करता है। यदि वह मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है तो इस वजह से उनका प्रदर्शन खराब हो जाता है। दहेज हत्या लिंग चयनात्मक गर्भपात मानवाधिकारों का हनन, राजनीतिक जागरूकता में कमी और आर्थिक रूप से कमजोर होना या दूसरों पर निर्भर होना। जैसी चुनौतियों के कारण भी महिलाओं की मानसिक स्थिति प्रभावित होती है।

सरकार के द्वारा महिलाओं की मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किए गए सरकारी प्रयास - सरकार के द्वारा किए गए समस्त सरकारी प्रयास और संवैधानिक व्यवस्थाएं महिलाओं को न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पंचायती राज के द्वारा महिलाओं को आरक्षण ,महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए गए प्रावधान महिलाओं को राजनीतिक और शारीरिक रूप से मजबूती प्रदान करके उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाते हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम ,गर्भधरण व पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम 1994, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान , स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाए गए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के द्वारा महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण की सुविधा प्रदान करना, स्वास्थ्य बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना जैसी नीतियों स्वास्थ्य और विकलांगता संबंधी आकस्मिक परिस्थितियों में महिलाओं के लिए काफी मददगार साबित होती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। यह धारणा बिल्कुल सही साबित होती है। जिसके अंतर्गत सरकार ने महिलाओं के लिए उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने की योजनाएं चलाकर उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया है। वृद्ध औरतों के लिए वृद्ध महिलाओं के लिए पेंशन योजनाएं जिसमें अटल पेंशन योजना ऐसी योजना है। जो महिलाओं को बच्चों या पति की मर्जी के दबाव में आए बिना आत्मनिर्भर बनकर उनके बुढ़ापे के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाती हैं।

महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के द्वारा महिला उद्यम नीति योजना और महिला विकास नीति योजना, निधि योजना, स्टार्टअप इंडिया उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टेप सुविधा प्रदान करना, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ,महिला उद्यमिता मंच ,महिलाओं के लिए मुद्रा योजना जैसी योजनाएं महिलाओं को आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाकर उनका मानसिक रूप से सशक्त बनाती है।

यद्यपि संवैधानिक रूप से भी भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनेक प्रावधान स्त्रियों के लिए किए गए हैं। कार्यस्थल पर उनके लिए समान वेतन का अधिकार भी दिया गया है। उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई है संपत्ति का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 दहेज विरोधी अधिनियम समान नागरिक संहिता उन्हें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि उनके सशक्तिकरण को भी हर स्तर पर बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव - सरकार के द्वारा प्रयास महिलाओं के मानसिक सशक्तिकरण के लिए एक सहायता नेटवर्क का निर्माण करके उन्हें हर प्रकार से मजबूती प्रदान करता है। मानसिक सशक्तिकरण हेतु शारीरिक और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण अनिवार्य है। आर्थिक रूप से सक्षम होना और आर्थिक क्षेत्र में अपने निर्णय स्वयं लेना और स्वयं अपने अधिकारों को पहचानने के माध्यम से ही आर्थिक सशक्तिकरण संभव है। स्वयं महिलाओं के द्वारा अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की प्रयास करने के लिए पहल करनी होगी। इसके लिए वह

योग प्राणायाम संतुलित आहार नकारात्मक विचारों को दूर करना-जैसे साधनों को अपना सकते हैं। मानसिक रूप से सशक्त महिलाएं समाज और समुदाय एवं राष्ट्र निर्माण में अधिक भागीदारी करती है। इसके लिए महिलाओं को भी स्वयं जागरूक होना होगा शिक्षा जन जागरूकता और परिवार एवं समाज के द्वारा अपना दृष्टिकोण बदलने के प्रयास के साथ भारत में महिलाओं के मानसिक सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉक्टर गोस्वामी हर्षवर्धन (2011),'प्राणायाम ' , सत्यम पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली।
2. डॉक्टर पुरी जी महाराज स्वामी मुक्तानंद(2007),' योग जीवन पद्धति' सत्यम पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली।
3. लुईक्स ल हैं(2011)' यू कैन हील योर लाइफ', प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली।
4. प्रोफेसर मनमीत कौर एवं डॉक्टर वंदना शर्मा एवं डॉ. संदीप मोगा (2024),'राइट्स ऑफ वीमेन' सनी ओबेरॉय विवेक सदन श्री आनंदपुर साहिब पंजाब भारत।
5. डॉक्टर सावित्री माथुर एवं मोनिका जैन (2013),'आधुनिक समाज में महिलाएं', आस्था प्रकाशन जयपुर।
6. पटेल कल्पना ,'भारतीय संस्कृति एवं महिला सशक्तिकरण'(2013) पैराडाइज पब्लिशर्स जयपुर राजस्थान।
7. डॉक्टर नारायणअप्पा वेंकूव और डॉक्टर महाजन सुरभि ,'एंपावरमेंट ऑफ वीमेन'(2007) अनु बुक्स मेरठ।
8. योजना, सितंबर 2016
9. योजना अक्टूबर 2018
10. योजना सितंबर 2021
11. www.unacademy.com
12. www.livehindustan.com
13. www.worldwidejournals.com
14. www.navbharattimes.indiatimes.com
15. www.journeyline.in
16. https://www.education.gov.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

आँसू का शैलीवैज्ञानिक अध्ययन

डॉ. निशा शुक्ला तिवारी*

* प्राध्यापक (हिंदी) आदित्य इंजीनियरिंग कॉलेज, सतना (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - संसार में सब चीजें एक सी नहीं हैं उनमें भिन्नता है। यही भिन्नता सब चीजों को एक दूसरे से विशेष बनाती है। सब मनुष्य भिन्न हैं, इसीलिए सब मनुष्य विशेष हैं। हर-एक मनुष्य के कार्य करने का तरीका अलग है। इसी 'तरीके' को शैली कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति के बोल-चाल, उठने-बैठने, हाव-भाव जैसी छोटी-छोटी गतिविधियों में भी इस शैली का अंतर स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। वास्तव में शैली की इन्हीं भिन्नताओं से हम अलग-अलग व्यक्तियों से अलग-अलग तौर से व्यवहार कर पाते हैं। हम उन्हें अलग-अलग रूप में पहचान पाते हैं। शैली की यही भिन्नता व्यक्ति की भाषा में परिलक्षित होती है और भाषा के माध्यम से कविता में उतर जाती है। इसीलिए अलग-अलग कवियों की कविताओं में हमें अलग-अलग शैली देखने को मिलती है। भक्ति काल में कबीर, सूर और तुलसी की कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़ कर ही बताया जा सकता है कि कौन सी रचना किसकी है। छायावाद के कवियों में भी यह शैली की भिन्नता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। प्रसाद के स्वर और पंत के स्वर में भेद स्पष्ट रूप से हो सकता है। या निराला और महादेवी की ही कविता को पढ़ कर ही यह शैली भेद बताया जा सकता है। यही नहीं एक ही कवि की भिन्न-भिन्न रचनाओं में भिन्न-भिन्न शैलियाँ देखने को मिलती हैं। प्रसाद की आँसू की शैली, कामायनी की शैली से भिन्न है। यह भिन्नता कितनी है, किन आधारों पर है, शैली के कौन से तत्व दो रचनाओं, या दो कवियों को भिन्न साबित करते हैं इसी का अध्ययन शैलीविज्ञान करता है। छायावाद के महत्वपूर्ण कवि जयशंकर प्रसाद की कृति 'आँसू' को आधार बना कर यहाँ शैलीवैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है।

'शैली' शब्द की व्युत्पत्ति यदि भारतीय वाङ्मय में तलाशी जाय तो यह शब्द हमें 'शील' के रूप में मिलता है। जिसका अर्थ चरित्र, स्वभाव, आचरण आदि की ओर इंगित प्रतीत होता है। इस बात से यह पुष्टि हो जाती है कि किसी व्यक्ति का आचरण, उसका स्वभाव, व्यापक अर्थो में उसका चरित्र आदि उसकी कार्य-शैली को प्रभावित करते हैं। इसी तरह किसी कविता में हमें रचनाकार की व्यक्ति-शैली की आभा मिल जाती है। और समाज के स्तर पर देखा जाय तो प्रत्येक व्यक्ति का आचरण,स्वभाव और चरित्र अधिकतर परिस्थितियों में उसके परिवेश से संचालित होता है। अर्थात् कोई भी रचना केवल रचनाकार की शैली की ही सूचना नहीं देती वरन् उस समाज की भी शैलीगत विशेषताओं को परिलक्षित करती है।

'शैली' शब्द अंग्रेजी में 'स्टाइल'(Style) निकट है। जो कि लैटिन शब्द 'स्टाइलस' का परवर्ती विकसित रूप है। डॉ. विद्यानिवास मिश्र ने अपनी पुस्तक 'रीतिविज्ञान' (पृष्ठ 14) में अंग्रेजी शब्द 'स्टाइल' के लिए 'रीति' शब्द प्रयोग में लिया है। जैसे यह बात शुरू में ही स्पष्ट कर दी गई है कि 'शैली' का साधारण भाषा में अर्थ है - ढंग, जीवन-यापन की पद्धति, बोलने-लिखने की शैली आदि। शैली शब्द का प्रयोग जीवन के तमाम अंगों के साथ होता है। यही बात सत्यदेव चौधरी अपनी पुस्तक 'शैलीविज्ञान और भारतीय काव्यशास्त्र' (पृष्ठ-9) में लिखते हैं कि - 'शैली' शब्द का तात्पर्य - कवि का रचना-प्रकार है, जो उसके द्वारा प्रयुक्त पदों एवं वाक्यों के माध्यम से अथवा भाषा के माध्यम से प्रकट होता है।'

शैलीवैज्ञानिक अध्ययन का आरम्भ एक अनुशासन के रूप में पाश्चात्य काव्यशास्त्र का ही निदर्शन है। शैली विज्ञान काव्यशास्त्रीय अध्ययन का वह अनुशासन है जो भाषा का विचलन, समांतरता, चयन आदि उपयुक्त साधनों या आधारों पर विश्लेषण करता है। यह सैद्धांतिक भी हो सकता है, अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक भी। शैलीविज्ञान साहित्य की वस्तुनिष्ठ व्याख्या का विज्ञान है। आधुनिक शैलीविज्ञान पाश्चात्य समीक्षाशास्त्र में 'स्टाइलिस्टिक्स' के समानार्थी रूप में प्रचलित हुआ है। पाश्चात्य विद्वान टर्नर के अनुसार 'शैलीविज्ञान शैली का विज्ञान या शास्त्र है। शैलीविज्ञान का अर्थ है - शैली का अध्ययन। वैज्ञानिक या कम से कम व्यवस्थित अध्ययन, जैसा कि व्युत्पत्ति से ध्वनित होता है।'

डॉ. रामकुमार वर्मा के अनुसार 'झरना', 'लहर', 'आँसू' तथा 'कामायनी' प्रसाद के काव्य-सृजन के चार सोपान हैं। अपनी उच्चकोटि की वेदना, अनूठी मधुरता, तीव्र अनुभूति तथा अपनी प्रौढ़ कला में 'आँसू' आधुनिक समय की महान कलाकृतियों में एक है।' इस आधार पर यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि 'कामायनी' के बाद 'आँसू' प्रसाद की सबसे महत्वपूर्ण काव्य रचना है। जहाँ तक हृदय की गहरी विरह वेदना को स्वर देने की बात है वहाँ आँसू, कामायनी से भी आगे की रचना मानी जाएगी।

'आँसू' विरह प्रधान काव्य है। भारतीय विरह-काव्य परम्परा में खड़ी-बोली में रचित यह अपने ढंग का अकेला विरह-काव्य है। आमतौर पर यह धारणा है कि प्रसाद जी आँसू में अन्य परम्पराओं से प्रभाव ग्रहण करते हैं, परन्तु सत्य यह है कि विरह के सूक्ष्मतम अनुभूतियों को अपने युग के अनुरूप भावाभिव्यक्ति देने में प्रसाद जी को अभूतपूर्व सफलता मिली है। प्रसाद जी ने अपने देश के गौरवमय साहित्य की ही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 'आँसू' के रूप में एक नई वस्तु प्रदान की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है - ' 'आँसू' वास्तव में है तो शृंगारी विप्रलम्भ, जिसमें अतीत संयोग-सुख की भिन्न-भिन्न स्मृतियाँ रह-रह कर झलक मारती हैं, पर जहाँ प्रेमी की मादकता

की बेसुधी में प्रियतम अपनी भावभूमि से उठकर ऊपर आ जाते हैं और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं' जहाँ हृदय की तरंगें उस अनंत कोने को नहलाने लगती हैं, वहाँ वे आँसू उस अज्ञात प्रियतम के लिए बहते जान पड़ते हैं। फिर जहाँ कवि यह देखने लगता है कि ऊपर तो –

'अवकाश असीम सुखों से
आकाशतरंग बनाता
हँसता–सा छायापथ में
नक्षत्र समाज दिखाता।'

परन्तु –

'नीचे विपुला धरणी है
दु:खभार वहन–सी करती
अपने खारे आँसू से
करुणा–सागर को भरती।'

और इस चिर दग्ध दु:खी वसुंधरा को, इस स्वच्छ जगती को, अपनी प्रेमवेदना को, कल्याणी शीतल ज्वालामय उजाला देना चाहता है। वहाँ वे आँसू लोकपीड़ा पर करुणा के आँसू जान पड़ते हैं। पर वहीं जब हम कवि की दृष्टि अपनी सदा जगती हुई अखण्ड ज्वाला की प्रभविष्णुता पर इस प्रकार जमी पाते हैं कि –

'हे मेरी ज्वाला
तेरे प्रकाश में चेतन
संसार वेदना वाला
मेरे समीप होता है
पाकर कुछ करुण उजाला।'

तब ज्वाला या प्रेमवेदना की अतिरंजित या चिरारूढ़ भावना ही जो शृंगार की प्राचीन रूढ़ि है, रह जाती है। कहने का अर्थ यह है कि वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सम्पूर्ण पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता। यह एक दूरी तक ठीक है कि कवि आँसू के मूलभाव–विन्यास को अत्यंत ही शृंखलित रूप में प्रस्तुत करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया है, पर यह कहना समीचीन प्रतीत नहीं होता कि समस्त पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता, क्योंकि आँसुओं बरस पड़ने की पूर्ण कथा ग्रंथ में दी हुई है और लोगों की मंगल–कामना के मूल में कवि की पीड़ा विद्यमान है। परंतु कवि जनमंगल पर व्याख्यान नहीं देता है। श्री विनय मोहन शर्मा ने लिखा है कि – 'आँसू की आत्मा को देखने पर उसमें तारतम्य जान पड़ता है। अत: वह प्रबन्धमय है। पर 'आँसू' के अनेक पड़ाव ऐसे भी हैं कि उन्हीं पर मन को केंद्रित करने से प्रत्येक अपने में पूर्ण प्रतीत होते हैं। इस तरह 'आँसू' उस मोतियों की लड़ी के समान है, जिसका प्रत्येक मोती पृथक रहकर भी चमकता है और लड़ी के तार में गुँथकर भी आब देता है। वस्तुत: उसमें मुक्तक और प्रबंधत्व दोनों हैं।'

किसी भी कृति के शैली वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जो प्रतिमान निर्धारित किये गए हैं उनमें प्रमुख हैं– 1. चयन 2. विचलन 3. समांतरता

चयन ही वह कसौटी है जो किसी रचनाकार को विशेष बनाती है। चयन काव्य की सृजन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण सोपान है। किसी काव्य की सृजन प्रक्रिया में अन्त: के भावों को शब्दों में ढालना एक जटिल और सूक्ष्म प्रक्रिया है। भाव अमूर्त से होते हैं उन्हें चयन मूर्त बनाता है। चयन ही यह निर्धारित करता है कि रचना का स्वरूप क्या होगा, रचना की शब्दावली कैसी होगी, रचना में भाव–प्रवाह कैसा होगा। यह चयन प्रक्रिया ही एक रचनाकार की विशिष्ट शैली निर्धारित करती है। इसी से हम किसी रचनाकार की रचना विशेष से ही पहचान लेते हैं।

'कभी–कभी रचनाकार का विशिष्ट चयन विशेष प्रिय हो जाता है और वह रचना में यथास्थान उसी संदर्भ में उसका आवर्तन करता है, जो उस रचनाकार की शैली का परिचायक तत्व कहलाता है।'(एन.ई. एंक्विस्ट, आन डिफाइनिंग स्टाइल, लीगुइस्टिक्स एंड स्टाइल, पृष्ठ 34)

यह चयन प्रक्रिया भाषिक और भाषिकेतर, दो स्तरों पर होती है। भाषिकेतर चयन में रचना की विषयवस्तु चयन, भाषा चयन, साहित्यिक शैली चयन, विधा चयन आदि महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे प्रसाद जी ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए विरह संपृक्त विषय 'आँसू' चुना और इस करुण पुकार के लिए ठीक ही था कि उन्होंने अन्य विधाओं(निबंध आदि) का चयन न कर काव्य को चुना। जो भावाभिव्यक्ति के लिए सहज है। इसमें प्रसाद जी ने एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है कि पढ़ने वाला एक धार में बहता हुआ क्रमशः करुण पुकार से अभिसिक्त हुए बिना नहीं रह सकता। यही प्रसाद जी की और 'आँसू' की विशेषता है। प्रसाद जी अपनी शैली से सहज ही सुष्क हृदय में भी रस धार की वर्षा करने में सफल हुए हैं–

'शीतल ज्वाला जलती हैं
ईधन होता दृग जल का।
यह व्यर्थ साँस चल–चल कर
करती हैं काम अनल का।।'
बाड़व ज्वाला सोती थी
इस प्रणय सिन्धु के तल में।
प्यासी मछली–सी आँखें
थी विकल रूप के जल में।।'

इसी प्रकार भाषिक चयन के प्रमुख पाँच स्तर शैलीविज्ञान के विद्वानों ने निर्धारित किये हैं– (1)ध्वनि चयन (2)शब्द चयन (3)रसचयन (4)वाक्यचयन (5)अर्थचयन।

ध्वनि भाषा की लघुत्ताम इकाई है, जो भाषा में सार्थक ध्वनि–समूहों–शब्दों–के रूप में उपस्थित होती है। अनेक प्रकार की समानार्थक ध्वनियों में से अभीष्ट कलात्मक प्रभाव के अनुरूप किसी एक ध्वनि का निर्वाचन 'ध्वनि–चयन' कहलाता है, जो वस्तुत: शब्द–चयन के माध्यम से सम्पन्न होता है। (भोलानाथ तिवारी, शैलीविज्ञान, पृष्ठ 81)

प्रसाद ने 'आँसू' में भिन्न–भिन्न ध्वनियों का चयन भिन्न–भिन्न संदर्भों में किया है, जैसे–

'मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा, जो सुनते हो' (आँसू, पृष्ठ 10)

काव्यशास्त्र में ध्वनिकार ने भी शब्दों से निकलने वाली ध्वनि के अर्थ को ही सार्थक माना है, वाच्यार्थ को नहीं। इसी प्रकार आँसू से एक और उदाहरण देखा जा सकता है–

'झंझा झकोर गर्जन था बिजली थी नीरद माला' (आँसू, पृ.10)

तेज हवा, आँधी, तूफान, बिजली–गर्जन की ध्वनि के लिए ये पंक्ति प्रयुक्त सी लगती है। वास्तव में यह मानव मन के मनोभावों का प्रतिबिम्बन है। इंसान विरह में प्रेमी पर क्रोधित होता भी है, लेकिन थोड़ी ही देर में वे गरजने वाले बादल आँसू के रूप में बरस जाते हैं। काव्य में प्रत्येक शब्द किसी विशेष संदर्भ में प्रयोग होता है। प्रसाद जी शब्द–चयन विलक्षण हैं। आँसू रचना में 'समुद्र' शब्द के लिए ही उन्होंने पारावार, जलनिधि, रत्नाकर, सागर, जलधि जैसे पर्याय चुने हैं। जैसे–

'देखा बौने जलनिधि का शशि छूने को ललचाना'(पृ.27)

या

'यह पारावार तरल हो फेनिल हो गरल उगलता।'(पृ.9)

इसी प्रकार के शब्द चयन की भिन्नता से आँसू काव्य भरा पड़ा है। शब्द-चयन के बाद काव्य में वाक्य चयन की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण होती है। एक ही बात अलग-अलग वाक्यों में कही जा सकती है। कई बार पूर्ण वाक्यों में, कभी अपूर्ण वाक्यों में या कभी सीधे-सीधे अभिधा में या लक्षणा और व्यंजना का सहारा लेकर बात कही जाती है। वस्तुत: उद्देश्य होता है सटीक भावाभिव्यक्तिय चाहे जिस प्रकार हो। जैसे - 'जीवन का लाभ नहीं वह वेदना पद्ममय छल में' आँसू का यह वाक्य जहाँ नकारात्मक है वहीं प्रसाद जी ने प्रश्नवाचक वाक्यों के सहारे यह पूँछा है कि - 'उस पार कहाँ फिर जाऊँ तम के मलीन अंचल में।'

काव्य की रचना प्रक्रिया में कई बार भावाभिव्यक्ति इतनी प्रगाढ़ होती है कि वह व्याकरणिक प्रतिमानों और काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का अतिक्रमण कर जाती है। यही विचलन है। शैलीविज्ञान काव्य के इसी विचलन का अध्ययन करता है। जिस प्रकार अवधूत कोटि के महापुरुषों का अवलोकन सामान्य जन की भाव भूमि से नहीं हो सकता। ऐसे महात्माओं को समझने के लिए उनके स्तर का ही भावबोध होना चाहिए। इसी प्रकार महान कृतियों के मूल्यांकन के लिए सामान्य पद्धति से परे होकर देखना पड़ता है। यही विचलन का अध्ययन है।

काव्य में विचलन कई स्तर पर हो सकता है। आँसू की इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने ध्वनि सम्बन्धी विचलन का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है-

'बिजलीमाला पहने सा फिर मुस्क्याता-सा आँगन में।
कामना-सिंध लहराता छबि पूरनिमा थी छाई।'(पृ.10)

यहाँ 'मुस्क्याता' के स्थान पर मुस्काता भी प्रयोग में लाया जा सकता था लेकिन मुस्क्याता में जो कर्ण-प्रिय सरस ध्वनि समाहित है वह वह मुस्काता में नहीं। यही बड़े कवि की पहचान है। इसी प्रकार 'आँसू' जैसे काव्य को रस-प्रवण बनाने में 'पूरनिमा' ही सार्थक है पूर्णिमा नहीं। अर्थ के स्तर पर भी आँसू में एक अनूठा विचलन देखा जा सकता है। महाकवि की उक्ति है -

'वेदना मधुर हो जाए मेरी निर्दय तन्मयता,
मिल जाए आज हृदय को पाऊँ मैं भी सहृदयता।'

आँसू की यह पंक्ति पढ़कर जलाने वाली वेदना भी मधुर लगने लगती है। और तन्मयता जो कि प्रेम का सहज गुण है कवि उसे निर्दय कहता है। क्योंकि विरह में अपने प्रियतम को निर्दय कहने में भी एक रस मिलता है। उलाहना का ही सुख गोपियों ने भ्रमरगीत में लिया है। प्रेम का सुख प्रेमी को निर्दय कहने में ही है। प्रेमी को दयालु कहना तो निरी चाटुकारिता है।

शैलीवैज्ञानिक अध्ययन में चयन और विचलन के बाद 'समांतरता' के अवलोकन को महत्व दिया जाता है। पश्चिमी शैलीविज्ञान में समांतरता के लिए 'पैरेललिज्म'(Parallelism) का प्रयोग किया जाता है। 'सामान्य प्रयोग में भाषा का सामान्य, अवक्र तथा अविचलित रूप प्रयुक्त होता है, जिसे पश्चिमी शब्दावली के आधार पर सामान्य भूमि या पुरावस्था अथवा पश्चभूमि कह सकते हैं। किन्तु काव्य-भाषा इससे भिन्न होती है। इसे नव्यव्यवस्था अथवा अग्रभूमि की आवश्यकता होती है। काव्य-भाषा नव्यव्यवस्था अथवा अपने को सामान्य भाषा से अलग करने के लिए विचलन, अप्रस्तुत विधान, तथा समनान्तरता का प्रयोग करती है। (भोलानाथ तिवारी, शैलीविज्ञान, पृ.101)

समानान्तरता से आशय है किसी रचना में समान या विरोधी भाषिक इकाइयों का प्रयोग। इसमें समान भाषिक इकाई की एक या अधिक बार आवृत्ति होती है अथवा दो या अधिक विरोधी भाषिक इकाइयाँ साथ-साथ आती हैं। अर्थात् इसमें समान या विरोधी संतुलन होता है और यह संतुलन समानान्तरता के कारण ही संभव होता है।(वही)

समानान्तरता बाह्य तथा आंतरिक होती है। बाह्य समानान्तरता शब्दालंकारों में होती है, जिसमें ध्वनि, आवृत्ति आदि मिल कर रूपगत समनान्तरता का निर्माण करती हैं। आंतरिक समानान्तरता अर्थालंकारों की होती है जिसके अंतर्गत अर्थ की समता, विरोध, न्यूनता, अनन्यता, तद्रूपता, शब्दों एवं पदों की आवृत्ति से भी समानान्तरता व्यक्त होती है। समानान्तरता के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तथा कविगत भावों, अनुभवों, विचारों, अनुभूतियों का सामान्यीकरण होता है।
(तुलनीय- पाण्डेय शशिभूषण 'शीतांशु', शैलीवैज्ञानिक समांतरता और भारतीय अलंकार - विवेचन, गवेषणा, 48, पृ.1-24)

'आँसू' में ध्वनि समानान्तरता रचना की प्रत्येक पंक्ति में अनुभव की जा सकती है। कविता में जब समान ध्वनियाँ मिलकर एक विलक्षण नाद सौंदर्य को उत्पन्न करती हैं। यथा -

'अवकाश, शून्य फैला है, शक्ति न और सहारा।'(श्, स् ध्वनियाँ)

और

'तिरती थी तिमिर उदधि में नाविक रू यह मेरी तरणी।'(त्,र् ध्वनियाँ)

इसीप्रकार 'आँसू' में रूपगत समानान्तरता सामान्यत: प्रत्येक छंद के अंत में देखी जा सकती है। यथा-

'चमकूँगा धूल-कणों में,
सौरभ हो उड़ जाऊँगा।
पाऊँगा कहीं तुम्हें तो,
ग्रह-पथ में टकराऊँगा।।'

और

'तुम सुमन नोचते सुनते
करते जाते अनजानी।' (पृ.22)

इसी प्रकार,

'इस हृदय-कमल का घिरना,
अलि-अलकों की उलझन में।
आँसू-मकरंद का गिरना,
मिलना विश्वास-पवन में।।'(पृ.78)

'आँसू' में प्रसाद जी ने अपने विशिष्ट भावों, अनुभवों, अनुभूतियों के वाचक शब्दों/उक्तियों के साथ-साथ समानान्तर शब्दों/उक्तियों का प्रयोग करके उन्हें सामान्यीकृत कर दिया है। यह अर्थ-समानान्तरता निम्न पंक्तियों में देखी जा सकती है-

1. 'हीरे-सा हृदय हमारा...' (पृ.53)
2. 'जल उठा स्नेह-दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा' पृ.85
3. 'नचती है नियति नटी-सी'
   कंदुक-क्रीड़ा सी करती।'(पृ.52)

कवि अपने मूर्त/अमूर्त भावों, अनुभवों को प्रत्यक्षीकृत एवं सामान्यीकृत करता है। संदर्भगत समानान्तरता इस प्रक्रिया में कवि की सहयोगी होती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक संदर्भ दूसरे समनान्तर संदर्भ से अंतर्क्रिया कर के अर्थगत व्यापकता प्राप्त करता है। 'आँसू' में भिन्न-

भिन्न संदर्भों की समनान्तरता को इस प्रकार समझा जा सकता है- जैसे 'आँसू' में प्रसाद जी ने 'मुख' के वर्णन करने के लिए इसके समनान्तर संदर्भ में कमल(पृ.37), चंद्र(पृ.5, 46, 47), विधु(पृ.30), और शशि(पृ.23) को लिया है। इसी प्रकार आँख के संदर्भगत समनान्तर मछली(पृ.73) और नीलम की प्याली(पृ.31) को लिया है। आसान भाषा में इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिन शब्दों के माध्यम से किसी शब्द विशेष के भिन्न-भिन्न वर्णन किये जा सकें। जैसे मुख कमल के समान है या चंद्र के समान है। इसी प्रकार प्रसाद जी ने अपने काव्य आँसू में अनेक संदर्भगत समानान्तर शब्दों का प्रयोग किया है। इन्हीं प्रयोगों के कारण छायावाद युग में प्रसाद जी अविस्मरणीय हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रसाद, जयशंकर, आँसू, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2000.
2. तिवारी, भोलानाथ, शैलीविज्ञान ,किताबघर प्रकाशन, दिल्ली, 1977.
3. नगेंद्र, शैलीविज्ञान , नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1976.
4. पांडेय, शशिभूषण, 'शैलीवैज्ञानिक मानदंड और भारतीय अलंकार विवेचन,' गवेषणा , खंड 48, 1986, पृ.1-24.
5. पांडेय, शशिभूषण 'शीतांशु', शैलीविज्ञान: स्वरूप, प्रकार्य, एवं व्यापित, वीक्षा , 1973, चच. 41-94.
6. मिश्र, विद्या निवास, रीतिविज्ञान , राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, 1973.
7. विमल, कुमार, छायावाद का सौंदर्यशास्त्रीय अध्ययन , राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 1970.
8. शर्मा, कृष्ण कुमार, शैलीविज्ञान की रूपरेखा , जयपुर, 1974.
9. शुक्ल, रामचंद्र, चिंतामणि , भाग 2, सरस्वती मंदिर, काशी, 2002.
10. श्रीवास्तव, रवींद्रनाथ, शैलीविज्ञान और आलोचना की नई भूमिका , केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 1972.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

कथाकार शिवानी के कथा साहित्य में सामाजिक समस्याएँ वर्तमान परिवेश में प्रासंगिकता

रेखा शर्मा * डॉ. संध्या बिसेन**

* शोधार्थी, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, बालाघाट (म.प्र.) भारत
** विभागाध्यक्ष (हिन्दी) स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, बालाघाट (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक है। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। एक साहित्यकार समाज मे उपस्थित वर्तमान, देशकाल परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए साहित्य का निर्माण करता है। साहित्यकार समाज में व्याप्त समसामयिक परिस्थितियों को केन्द्र में रखकर ही साहित्य का निर्माण करता है। भारतीय संस्कृति एवं समाज की धरोहरो को सहेजने का कार्य करता है।

व्यक्ति समाज का ही अंग है। वह समाज मे रहकर विभिन्न परिस्थितियो एवं अनुभूतियो को ग्रहण करता है। तथा वह अनुभूतियो को साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। एवं समाज मे संप्रेषित करता है मुंशी प्रेमचंद के शब्दो में –

'मैं उपन्यास को मानव का चित्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है।'

मनुष्य जीवन के यथार्थ को खोल देना, जीवन की वास्तविकता को प्रगट करना साहित्य का मूल भाव है। एवं संभवत: समस्या का समाधान भौतिक एवं मानसिक स्तर पर प्रयास करना ही साहित्य का उद्देश्य होता है। स्वातंत्रयोत्तर युग में औद्योगिकीकरण यांत्रिकीकरण राजनैतिक एवं सामाजिक उथल पुथल और अस्तित्ववादी भौतिकोन्मुख चिंतन के कारण उत्पन्न स्थिति के फलस्वरूप नारी जागरण एवं स्त्रीशिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ जिसके फलस्वरूप साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में समृद्धि प्रदान करने वाली महिला साहित्यकारो की एक सशक्त पीढ़ी का उदय हुआ जिसने समाज में व्याप्त सभी दुख दर्दो अर्न्तद्धन्दो, परिवेश मे प्रचलित कुप्रथाओ, कुरीतियो मनोवैज्ञानिक आर्थिक एवं राजनैतिक समस्याओ पर अपनी लेखनी की पैनी धार से उकेरा है। एवं अपने उद्गारो से पाठको को सोचने पर मजबूर कर दिया है।

हिन्दी साहित्य में अपने सशक्त हस्ताक्षर जिन्होंने सामाज में व्याप्त समस्याओ पर अपनी लेखनी चलाई है, उनमे से प्रमुख हस्ताक्षर है–

1. **अमृता प्रीतम**
2. **शिवानी जी**
3. **कृष्णा सोबती**
4. **उषाप्रियंवदा**
5. **मन्नू भंडारी**

मेरे शोध का विषय मेरी प्रिय लेखिका शिवानी जी द्वारा समाज में व्याप्त सामाजिक परिवेश में घुली हुई समस्याये जो कि हमारे जीवन के कुछ इस तरह घुलमिल गई है कि वे नजर आकर भी जीवन का एक अंग की तरह सदा साथ–साथ चलती हुई नजर आती है। लेखिका द्वारा समसामयिक परिवेश में व्याप्त सामाजिक समस्याऐ जो वर्तमान परिवेश में आज प्रासंगिक है। एक विश्लेषणात्मक अध्ययन निम्नानुसार है–

1. सामाजिक समस्या:–

1.1. दहेज प्रथा
1.2. बालविवाह
1.3. बहुविवाह
1.4. अनमेल विवाह
1.5. प्रेम विवाह (समाज की अस्वीकार्यता)
1.6. अंतर्जातिय विवाह
1.7. विवाह विच्छेद
1.8. कुष्ठरोगियों का सामाजिक बहिष्कार
1.9. आत्म हत्या की समस्या
1.10. संयुक्त परिवार का विघटन

2. प्रेम समस्या:–

2.1. स्वच्छन्द प्रेम
2.2. असफल प्रेम
2.3. माता–पिता एवं संतान की समस्या
2.4. परदेश प्रेम की समस्या

3. राजनैतिक समस्या:–

3.1. राजनीति दाम्पत्य जीवन में बाधक
3.2. राजनीतिक भ्रष्टाचार
3.3. राजनीतिक दाँवपेंच
3.4. राजनीतिक प्रभाव

4. आर्थिक समस्या :–

4.1. बेरोजगारी एवं रिश्वतखोरी की समस्या
4.2. अनमेल विवाह
4.3. असफल प्रेम

शिवानी जी के उपन्यासो मे उक्त वर्णित समस्याऐ जो कि आज के परिवेश मे भी उतनी ही प्रासंगिक है उपन्यास 'मायापुरी' मे संयुक्त परिवार के टूटने का चित्रण मिलता है।

'कृष्णकली' उपन्यास में रजनीकांत की पत्नी के स्वर्गवास होने पर

रजनीकांत द्धारा उसके नाम का स्कूल बनाने पर घर की वृद्ध दासी कहती है – जब तक रही उसका मुहँ तक न देखा। क्या दोष था उस बच्ची का सिर्फ रूप ही तो नहीं था। अहा! कैसी लक्ष्मी थी कितना दहेजलायी थी। उसकी बदौलत इस कोठी में राज कर रहे है। सब भूल गये। इस तरह शिवानी ने दहेज एवं सौन्दर्य की समस्या का जिक्र किया है।

'कृष्णकली' के मातापिता कुष्ठरोगी होने के कारण वे सामाजिक रूप से तिरस्कृत है। एवं कली का लालन पालन एक वेश्या करती है। जिस वजह से उसका प्रेमी प्रवीर समाज से टकराकर 'कली' को स्वीकार नहीं कर पाता जिससे टूट कर कली आत्महत्या कर लेती है।

'श्मशान चंपा' मे चंपा डॉक्टर हैं सभी तरह से योग्य होने के बाद भी बहन के अर्न्तजातीय विवाह के कारण उसकी सगाई टूट जाती है। आज भी हमारे समाज में अर्न्तजातीय विवाह स्वीकार्य नहीं है।

'चल खुसरो घर आपनेय– शिक्षित युवा नारी कुमुद के कर्त्तव्य प्रेम और सामाजिक बंधनों के कारण उत्पन्न अंतर्द्वन्द की मार्मिक गाथा प्रस्तुत करता है।

'कैंजा' नंदी तिवारी एवं सुरेश भट्ट की एक तरफा असफल प्रेम का प्रस्तुतीकरण है। ज्योतिषी पिता द्धारा बेटी का विवाह न होने से सुरेश अपना मानसिक संतुलन खो देता है। एवं पगली कमला के बलत्कार से उत्पन्न पुत्र का लालन पालन नंदी तिवारी द्धारा करना। बहुत सी सामाजिक समस्याओ का वर्णन किया है।

वेश्याओं के जीवन के प्रति आधुनिक नारी का आक्रोश व्यक्त करते हुए लेखिका 'रथ्या' मेंकहती है कि –

'कब खुलेगे पुरुष वेश्याओ के बाजार' वेश्या भी नारी है उसके मन मे भी प्रेम व त्याग की भावना होती है वह भी सफल ग्रहणी बन सकती है। 'श्मशान चंपा' उपन्यास में त्यागमयी वेश्या का चित्रण किया गया है।

'कालिन्दी' उपन्यास मे अन्नपूर्णा के बाल विवाह का जिक्र है। एवं विवाहोपरांत उस पर दहेज के लिए मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना का मार्मिक चित्रण है। पिता द्धारा पुत्री को पुन: ससुराल न भेजने के कारण आजीवन पतिविहीनजीवन भोगती है। दहेज के कारण कालिंदी का विवाह भी होते होते रूक जाता है।

'रतिविलाप' लघु उपन्यास में हीरावती का विवाह बचपन मे अधेड़ के साथ करा दिया जाता है। 'पाथेय', 'पुष्पहार', पिटी गोट आदि कहानियों में भी कम आयु में विवाह कराये जाने के उदारण है।'गैंडा' लघु उपन्यास में राज अपने बदसूरत पति के कारण कुण्ठित जीवन जी रही है। और सुपर्णा के पति को अपने रुपजाल में फँसा कर दोनो का दाम्पत्य जीवन बर्बाद कर लेती है। 'पूतोवाली' उपन्यास मे समकालीन परिस्थतियो मे समाज में वृद्ध माता–पिता के प्रति संतान का असंवेदन, गैर जिम्मेदराना, व्यवहार को इंगित किया है। 'तीसरा बेटा' में आज के टूटते परिवार नये रिश्ते के बदलाव का चित्रण एवं अनाथ बच्चों की समस्या को ध्यान में रखा है।

तर्पण (लघु उपन्यास) नायिका पुष्पा पंत जिससे 13 वर्ष की उम्र में बलत्कार होता है। बलत्कारी भोला नाथ नेता बनकर गाँव मे सम्मान पाता है। तब नायिका उसकी हत्याकर खून से माता पिता को तर्पण करती है।

अर्थ कई समस्याओं का कारणभूत तत्वहै।इसके तले मनुष्य परिवार समाज ही नहीं धर्म और राजनीति भी इसके अर्न्तगत ही पलते, फूलते और संचालित होते हैं। लेखिका को अर्थ के कारण समाज मे व्याप्त परिवर्तन, सामाजिक ताना बाना एवं जन्म लेती समस्याऐ प्रभावित करती है।

शिवानी ने अपने साहित्य मे यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होने समाज की वास्तविकताओ को बिना किसी लाग लपेट के उजागर किया है। उन्होने समाज में व्याप्त ठगी बाबाओ द्धारा किये गये जादूटोने, पंडो द्धारा किये गये धार्मिक भ्रष्टाचार, दहेज एवं अनमेल विवाह पंडो का यथार्थ रूपण चित्रण किया है। 'मायापुरी' में प्रचुर वैभव – सम्पत्ती प्रभावित होकर अपनी स्वछन्दमना अनाकर्षक पुत्री सविता के लिए सतीश जैसा सुयोग्यवर जुटा लेते है।

लेखिका के शब्दो में – अपने वैभव से सबसे वाँछनीय नररत्न का हृदय जो उसके चरणो मे डाल दिया है।

आर्थिक विपन्नता समाज को अव्यवस्थित कर देती है। गरीबी के कारण 'चौदह फेरे' उपन्यास की मल्लिका अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ देती है। मात्र पैसे के लिए उसका नैतिक पतन हो जाता। इस आर्थिक विपन्नता के कारण कई सामाजिक समस्याओ का जन्म होता है।

साहित्य संसार में उपन्यास साहित्य की वह विधा है जिसमे सारा समाज दर्पण के सामने पड़ने वाली परछाई के समान दृष्टिगोचर होता है।

भारतीय समाज में जहाँ एक तरफ नारी को 'यत्र नारी पूज्यन्ते, रमंते तत्र देवता' की भावना के तहत देवी तुल्य मानकर पूज्यनीय माना गया है। वही इसका दूसरा पहलू यह है कि नारी को दूसरे पायदान पर रखकर उसका शोषण किया गया है। विधव नारी, बलात्कार पीड़िता, कुंठाग्रस्तता नारी का कई रूप आज के परिवेश में चारो ओर दिखाई देता है। शिवानी ने समाज में नारियो का समस्त विडम्बनाओ का यथार्थ वर्णन किया है। भारतीय समाज में नारी का विधवा जीवन एक अभिशाप है।वर्तमान युग की बात छोड़ दे तो पहले विधवा को पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं थी। उक्त नारी अभिशप्तता का वर्णन शिवानी जी ने बहुत ही मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है।

निष्कर्ष – वर्तमान परिवेश मे संयुक्त परिवारो का विघटन हमारे सामाजिक ढाँचे को चरमरा रहा है। एकल परिवार का चलन बढ़ने से माता–पिता एवं दम्पत्ति एवं बच्चे रोज ही एक नई समस्या से जूझ रहे है।बढ़ते वृद्धाश्रमो की संख्या जहाँ हमारा उनके प्रति असंवेदनशीलता का प्रदर्शित करता है। वही युवा पीढ़ी, वृद्धो की देखभाल के आभाव मे दिग्भ्रमित होकर सर्वनाश की ओर जा रही है।

युवा वर्ग में बढ़ती स्वतंत्रता, स्वच्छन्दता प्रेम विवाह, अनैतिक संबंध, दाम्पत्य जीवन में टूटन के रूप मे सामने आती है। स्वच्छन्द प्रेम, असफल प्रेम, अनैतिक संबंध से उत्पन्न संतान 'अवैधसंतान' जिसे अभी भी हमारा आधुनिक समाज अभी भी स्वीकार नहीं कर पाता है, एवं उनका लालन पालन आज समस्या ही हैं, चाहे वह ग्रामीण परिवेश हो या शहरी परिवेश।

राजनैतिक महत्कांक्षाओं की पूर्तिहितु युवक–युवतिया अपने दामपत्य जीवन एवं प्रेम–संबंधो की बलि देने में तनिक भी विचार नहीं करते हैं। जिससे समाज में असंतोष, टूटन व्याप्त है परिवार अर्न्तकलह से गुजर रहे है, परिणाम स्वरुप 'तलाक' जैसा घाव परिवार को एवं समाज को मिला है। जो कि समय समय पर टीस उठती है। एवं आने वाली पीढ़ियो को दुखद परिणाम ही देती है।

आधुनिक चिकित्सा पद्धति एवं विकासशील समाज मे कुष्ठ आज भी छूत का रोग माना जाता है एवं व्यक्ति सामाजिक बहिष्कार का शिकार होता है।

बलत्कार आज के युग का सबसे अधिक अमानवीय कृत्य है, जिससे पूरा नारी समाज शर्मसार है। आज भी छोटी बच्चियाँ इस सामाजिक विद्रूपता

की शिकार होती है। एवं पूरे जीवन भर इस दंश को भोगती है। वेश्यावृत्ति समाज के लिए अभी भी एक अभिशाप है। मेरा मानना है कि वेश्यावृत्ति बलत्कार, अवैध संतान समाज का कोढ़ है, जिसे जड़ से उखाड़ फेकना अत्यंत आवश्यक है।

वृद्ध आश्रमो की बढ़ती संख्या मातापिता के प्रति संतानो का असंवेदनशील होना ही है। जो आने वाली पीढ़ियो को गर्त में ले जाने का कार्य ही करेगा एवं संस्कारहीन, संवेदनहीन, असहिष्णु, समाज का निर्माण करेगा।

लेखिका ने प्राचीन परिपाटी को तोड़कर विधवाविवाह की पैरवी की हैं साथ ही उसे स्वावलम्बी होकर समाज में संघर्ष रत रहने का साहस भी प्रदान किया है। एवं आत्मसम्मान से जीवन जीने हेतु प्रेरित किया है।

अत: कहा जा सकता है कि अपनी साहित्यक यात्रा के दौरान शिवानी जी द्वारा उठायीं गयी सामाजिक समस्याये वर्तमान परिवेश में आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'रतिविलाप'- शिवानी - राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली -पृष्ठ 18,19
2. किशनुली-शिवानी - राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली -पृष्ठ56
3. मायापुरी - शिवानी राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली- पृष्ठ 45
4. अतिथि- शिवानी राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली- पृष्ठ 86
5. चौदहफेरे - शिवानी राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली - पृष्ठ 42
6. रथ्या (कस्तुरी मृग) -शिवानी राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली - पृष्ठ 125
7. कैंजा- शिवानी - राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली - पृष्ठ 24, 78
8. कालिन्दी-शिवानी-राधाकृष्ण प्रकाशन, नईदिल्ली -पृष्ठ 18
9. अतिथि-शिवानी -राधाकृष्ण प्रकाशन, नईदिल्ली -पृष्ठ86
10. तर्पण- शिवानी -राधाकृष्ण प्रकाशन, नईदिल्ली -पृष्ठ78
11. कैंजा- शिवानी- राधाकृष्ण प्रकाशन, नईदिल्ली -पृष्ठ50
12. करिए छिमा (सम्पूर्ण कहानियाँ) राधाकृष्ण प्रकाशन, नईदिल्ली - पृष्ठ138
13. मणिमाला की हँसी (सम्पूर्ण कहानियाँ)राधाकृष्ण प्रकाशन, नईदिल्ली- पृष्ठ69
14. शिवानी सम्पूर्ण कहाँनियाँ-भाग-1 राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली।
15. शिवानी सम्पूर्ण कहाँनियाँ-भाग-2 राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मनोविश्लेषणवाद और आधुनिक समाज

ऋतू धूरिया* डॉ. संध्या बिसेन**

* शोधार्थी (हिंदी) सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (हिंदी) सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – समाज और परिवार की प्राथमिक इकाई के रूप में व्यक्ति और उसकी मन किसी न किसी तरह से पूरे समाज को प्रभावित करता है। मनोविश्लेषण बाद में यही व्यक्ति के मन का ही विश्लेषण कर इसके विचार भावनाएं आदि को जानकर है हम समाज और व्यक्ति के मन अध्ययन कर समाज को एक उचित दिशा देने का प्रयास करते हैं। मनोविश्लेषणवाद मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जो 20वीं शताब्दी के उत्तारार्ध में हमारी जानकारी में आई। जिस प्रकार जिस प्रकार मनोविज्ञान 'मानव व्यवहार का अध्ययन करता है ,उसी प्रकार मनोविश्लेषणवाद मन का विश्लेषण कर मन के गर्भ में छुपी हुई मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है।' 20वीं शताब्दी में मनोविश्लेषणवाद अपने प्रारंभिक रूप में केवल मां की व्याख्या तक ही सीमित रहा परंतु धीरे-धीरे आधुनिक समाज में यह है बहुत अधिक प्रचलित हो रहा है यह है साहित्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति को लाया है जिससे रचनाकारों समाज ने अपने पात्रों/व्यक्तियों के मानसिक शारीरिक क्रियाकलापों के बीच मन में छुपे हुए भावों को उत्तरदाई पाया है।

शब्द कुंजी – मनोविश्लेषणवाद व मनोविज्ञान का संबंध, मनोविश्लेषणवाद और समाज के बीच संबंध,मनोविश्लेषणवाद का समाज पर प्रभाव , व्यक्तित्व विकास के महत्वपूर्ण चरण।

अध्ययन का उद्देश्य : प्रस्तावित अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नवत प्रस्तुत हैं:

1. समाज में मानव व्यवहार और मनोविश्लेषणवाद के बीच संबंधों का अध्ययन करना।
2. मनोविज्ञान वी मनोविश्लेषणवाद के परिपेक्ष में मानव मन की व्याख्या प्रस्तुत करना।
3. प्रस्तुत अध्ययन में समाज में स्थित व्यक्तियों की बना स्थितियों से अवगत कराना जो की
4. आधुनिक समाज में मानवीय व्यवहार के मूल कारण है।
5. व्यक्ति की सोच व उसके कार्य के पीछे मूल कर्म को जानने में सहायता करना।

उपकल्पना – प्रस्तावित शोध के विषय में यह परिकल्पना ली गई है,कि समाज में व्यक्तियों की मूल स्थिति और उनके द्वारा किए गए, अच्छे बुरे कार्यों के पीछे उसके व्यवहार के मूल कारणों की तह में जाकर निष्कर्ष निकालना।

शोध प्रविधि – प्रस्तावित शोध पत्र की अध्ययन विधि मुख्य रूप से विश्लेषण आत्मक व विवेचनात्मक है, जो सरकारी और गैर सरकारी स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं, विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्र, इंटरनेट आदि का आश्रय लिया गया है।

मानव की गतिविधियों और स्वभाव का निर्धारण करने वाला वैज्ञानिक आधार पर निर्मित वाद है- मनो विश्लेषणवाद। यह मानव की मानविकीय और कृत्यों का आधार को लेकर व्याख्या करता है। यह मानव के मन की आंतरिक प्रतिक्रियाओं के अध्ययन करने वाली आधुनिक अध्ययन पद्धति है।

आज के आधुनिक समाज, विचारधारा और जीवन के प्रति दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों को सबसे अधिक प्रभावित मनोविश्लेषणवाद ने किया है।

समाज और मनोविश्लेषण के बीच बहुत गहरा संबंध है। इस तरह हम समाज की सोच तथा सामाजिक पैठ को जान पाएंगे। सामाजिक पैठ - मतलब समाज की गहरी ऐसी सोच जो समाज के लगभग सभी परिवारों को किसी न किसी तरह से प्रभावित करतीहै।

समाज की इकाई परिवार और परिवार की प्राथमिक इकाई व्यक्ति है। व्यक्ति का मन किसी न किसी तरह से पूरे समाज को प्रभावित करता है। मन का विश्लेषण करना मनोविश्लेषण कहलाता है।

मनोविश्लेषण अर्थात मन को एक-एक विषय से अलग-अलग तार तार कर इसके विचारों ,कारणों तथा इसके होने वाले प्रभावों को जानना। इसके अंतर्गत मन की गहरी वैचारिक प्रणाली का अध्ययन किया जाता है, जो व्यक्ति को समझने में मदद करता है। यह बताता है कि व्यक्ति के अवचेतन विचार भावनाएं और प्रेरणाय समाज में उसके व्यवहार को किस तरह से प्रभावित करती हैं।

मनोविश्लेषण और समाज के बीच संबंध

अवचेतन मन का प्रभाव : फ्राइड के अनुसार हमारे मन का बड़ा हिस्सा अवचेतन मन से आता है जो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है इसके ही प्रभाव से संस्कृति दूषित या परिष्कृत होकर निकलती है। मानवीय व्यवहार और सामाजिक संरचना दोनों ही अवचेतन मन की दमित इच्छाएं और संघर्षों को प्रभावित करती हैं।

सामाजिक संरचना : सामाजिक संरचना जैसे परिवार शिक्षा कानून एक व्यक्ति के अवचेतन मन को आकार देने में अपनी महत्व भूमिका निभाता है, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आसपास का वातावरण तथा उसकी पारिवारिक लालन पालन तथा पोषण आदि। इस पथ पर निर्भर करता है कि वह अवचेतन

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मन के किस प्रकार की भावनाओं को जगह दे रहा है, व किस प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित कर रहा है।

सामाजिक संरचना और व्यवस्थाएं जैसे परिवार शिक्षा और कानूनी प्रणाली व्यक्ति में तरह-तरह की इच्छाओं के बीजों को आरोपित कर देते हैं, जो उपयुक्त वातावरण को पाकर पुष्पित और पल्लवित होने लगती है। परिवार, स्कूल,कॉलेज में मिलने वाला सम्मान, अपमान, परितोष आदि के बीज यहीं से रोपित किए जाते हैं । पारिवारिक वातावरण तथा सामाजिक वातावरण इसमें अपनी सशक्त भूमिका को निभाते हैं। सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक मानदंड व्यक्ति और व्यक्तिगत व्यवहार के विकास को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए फ्रायड ने भी लिखा है की 'दमनकारी समाज चिंता पैदा करते हैं'।

सामाजिक संघर्ष : मनोविश्लेषण सामाजिक संघर्ष को समझने में मदद करता है क्योंकि वह व्यक्ति और व्यक्तियों के मन में उत्पन्न होने वाली विचार भावनाओं को जानने का प्रयास करता है,जो कि समाज में रहकर एक प्रकार के संघर्ष को उत्पन्न करते हैं। सामाजिक संघर्ष से हमारा अभिप्राय यह है- वर्ग या क्लास संघर्ष,लिंग संघर्ष आदि। मनोविश्लेषण और समाज के बीच का संबंध में कई दृष्टिकोणों है। कुछ लोगों का मानना है कि मनोविश्लेषण व्यक्ति का संघर्षों को समझने का एक प्रभावी तरीका है, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि मनोविश्लेषण सामाजिक संरचनाओं को समझने का एक उपकरण हो सकता है। मनोविश्लेषण का प्रभाव जिसमें साहित्य,कला संस्कृति आदि भी शामिल है। समाज का विश्लेषण करने के लिए मनोविश्लेषण का सिद्धांतों का उपयोग किया करता है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर संबंधों को उजागर करता है।

मनोविश्लेषण ने सामाजिक मान्यताओं और मूल्यों के बारे में हमारी समझ को प्रभावित किया है।

फ्राइड के मनोविश्लेषण के काम से यह पता चलता है कि हमारे व्यवहार को अवचेतन मन की भावनाओं ने कैसे प्रभावित किया हैं। भारतीय सामाजिक मानदंड को एक आदर्श माना जाता है, पर आधुनिक परिवेश में इसकी कल्पना संभव सी लगती है। बाजारवाद, उपभोक्तावाद विदेशी संस्कृति,इंटरनेट के नकारात्मक प्रभाव जिसमें मोबाइल,नशा कामचोरी आदि महत्वपूर्ण अपनी उपस्थिति को दर्ज करते हैं।

मनोविश्लेषण ने हमारे सामाजिक जीवन जीने के तरीकों में परिवर्तन लाया है।

हमारे विचारों को किस प्रकार से प्रभावित किया जा रहा है। इसका अंदाजा विश्लेषण के माध्यम से धीरे-धीरे हमारे समझ आ रहा है। इंटरनेट का गलत उपयोग के कारण बनती रील्स, चित्रपट या फोटोस वेबसाइट, स्कूल, बाजार, दुकानों में आसानी से उपलब्ध हो जाने वाले नशा की अधिकता कामचोरी आराम पसंद जिंदगी, इन सब का नतीजा आज का बेरोजगार नशेड़ी बिगड़े युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग जो इसका शिकार हो रहा है ।

मनोविश्लेषण ने सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया है।

सामाजिक आंदोलन से हमारा अभिप्राय वह विचार जो समाज को प्रभावित करें- जैसे शादी की उम्र में वृद्धि के बाद पति-पत्नी के मनोभावों का ना मिलना और बहुत सारी समस्याओं को जन्म देने का कारण बनता है। जहां तक राजनीतिक विचारों की बात है आराम पसंद जिंदगी के चलते कई राजनीतिक पार्टीयां अपनी योजनाओं को बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि हमारी पार्टी को इस मानसिकता से अधिक से अधिक किस प्रकार से लाभ पहुंच सके। मार्क्सवाद का वर्ग संघर्ष, अमीर दिखने की चाहत,अपनी यथार्थता को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे की ओर निकल आई है।ई.एम.आई तथा बाजार से कर्ज उठाकर अपना काम चलाना आदि इस बात को दिखाते हैं कि अब लोग अपनी आराम पसंद जिंदगी को चलाने के लिए किस-किस प्रकार की योजनाओं का उपयोग करते हैं।

मनोविश्लेषण पर समाज के कुछ प्रभाव निम्नलिखित है :

कला साहित्य मनोविश्लेषणवाद में कला साहित्य पर भी प्रभाव डाला है जिस कलाकारों और लेखकों ने मानव मन गहराइयों को अपनी रचनाओं में दर्शाना शुरू कर दिया है, इस कारण प्रयोगवाद तथा प्रगतिवाद की कविताएं हमारे समक्ष आई हैं। जैसे

तन की मालीनता दूर करने के लिए प्रतिपल
पाप छाया दूर करने के लिए,
दिन रात स्वच्छ करने
ब्रह्मराक्षस घिस रहा है देह,
हाथ के पंजे बराबर
बांह -छाती,मुंह छपा- छप
खूब करते साफ
फिर भी मैल...
फिर भी मैल......।।

: मुक्तिबोध (कविता -ब्रह्मराक्षस)

सामाजिक संस्कृति को प्रभावित किया है, प्राइवेट काम या नौकरी करने वालों ने अपना एक विशेष समाज बना लिया है। साथ-साथ इन्होंने अपनी एक विशेष संस्कृति को भी जन्म दिया है, जो काम के साथ-साथ सामाजिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल रही है। अपनी सुविधा के अनुसार नियमों को बनाना पुराने नियमों का उल्लंघन करना, स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता तथा मन के मुताबिक खाना पीना, त्योहार मनाना आदि। भारतीय संस्कृति में त्योहार मान्यताओं तथा खानपान के पीछेके पीछे जो वैज्ञानिक नियम दिए गए थे, उनका तो आज धड़ले से उल्लंघन किया जा रहा है जिसका प्रभाव हमें सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है।

मनोविश्लेषण समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक मापदंडों की प्रतिक्रिया है जो संघर्षों और सामाज विरोधी तत्वों का पता लगाने में मदद करता है जो आधुनिक समाज में पनप रहे हैं।

सामाजिक परिवर्तन जिसका पता हमें मनोविश्लेषण के माध्यम से चल रहा है वह विचारों में बदलाव के साथ ही समाज के उत्थान या पतन का कारण बन रहे हैं सकारात्मक परिवर्तनों को अपनाकर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं।

मनोविश्लेषण और समाज के बीच संबंध जटिल और प्रगतिशील है। मनोविश्लेषण समाज को प्रभावित करता है और समाज मनोविश्लेषण के अध्ययन को यह एक ऐसा संबंध है जो निरंतर गतिशील भाव से परिवर्तित हो रहा है जैसे परिवार, शिक्षा, परिवेश,पालन पोषण, पर्यटन,मान्यताएं आदि।

सामाजिक संबंध मनोविश्लेषणवाद सामाजिक संबंधों को समझने में मदद करता है यह मानसिक उलझन, परेशानियां, तनाव आदि के कारणों को उजागर करता है,जिसके समाधान से हमारे संबंध दुरुस्त होते हैं। संघर्ष के कारणों का पता लगाने के कारण समाज विरोधी तत्वों का पता लगाने में

भी इनमें मदद मिलती है, जो समाज के व्यक्तियों के बीच मतभेद वैमनस्यता आदि पैदा करते हैं।

सामाजिक परिवर्तन मनोविश्लेषणवाद सामाजिक परिवर्तनों के कर्म का पता लगाने में मदद करते हैं समाज में आए नितनएं परिवर्तन जैसे शिक्षा के अन्य विकल्प ऑनलाइन एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन प्राइवेट डिग्री कोर्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स रोजगार विकल्प करियर काउंसलिंग स्पोर्ट इंडस्ट्रीज आदि को मध्य नजर रखते हुए सामाजिक परिवर्तन आम बात है।

लिंग और यौनता मनोविश्लेषणवाद में लिंग और यौनता के बारे में सामाजिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया है स्कूलों,कॉलेजों में यौन शिक्षा इस पर आयोजित परिचर्चाएं, इस बात को खुलकर सामने रखने आदि विषयों को लेकर बात करना अब आम बात हो गई है। इन विषयों पर अब केवल प्रिंट मीडिया और मूवी वगैरा में भी(विज्ञापनों और फीचर फिल्म के माध्यम से भी)इन्हें बनाया और बताया जा रहा,है कहीं ना कहीं समाज के लिए यह लाभप्रद है। देश और समाज में बढ़ते यौन अपराध तथा इसके पीछे आपराधिक मनोवृत्ति को जानने में मनोविश्लेषण का एक बहुत बड़ा हाथ है। दमित,कुंठित काम इच्छा, मजबूरी या आदतन, एडल्ट फिल्मों (देखना या काम करना) कारण चाहे जो भी हो इसका पता मनोविश्लेषणबाद ने लगाने का प्रयास किया है। आनंद की प्राप्ति के शॉर्टकट के साधन तथा अतृप्त मन व्यक्ति की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगता है।

सामाजिक नीतियों : मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांतों ने सामाजिक नीतियों को ध्यान में रखा है, और इसे प्रभावित भी किया है,- जैसे अपराध और न्याय प्रणाली में व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखकर न्याय और नीतियों को बनाया है। इन पर कार्य भी किया है। व्यक्ति की उम्र, स्थिति, वातावरण, कार्य का प्रारूप आदि को ध्यान में रखकर ही नीतियों और योजनाओं को बनाया जाता है, और यही अपराधियों के संदर्भ में भी लागू होता है।

भाषा जगत : भाषा जगत में आई उथल-पुथल तथा मिश्रित भाषा भाषाओं के शब्द अनकही इच्छा जो भाषा के माध्यम से पन्नों पर लाते हैं। लेखको, कवियों ने इसे कहानी,उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी में आसानी से देखा जा सकता है। मनोविश्लेषणवाद की भाषा में महती भूमिका है,जिसे नकारा नहीं जा सकता अज्ञेय, जैनेंद्र, यशपाल आदि लेखकों की कृतियों में इसे आसानी से देखा जा सकता है।आधुनिक युग की रचनाएं भी आधुनिक,मुद्दों से प्रभावित है। यह मुद्दे हैं-जैसे दमित इच्छाएं कुंठा, तनाव, यंत्रवत जीवन, त्रासदी आकाल,अनकही भावनाएं,अपना संघर्ष, इच्छाओं से समझौता,आदि। इन्हीं मुद्दों पर आजकल अधिकतर रचनाएं आपको मिलेगी। आज का मनुष्य प्रगति के पथ पर बढ़ चला है। अब वह भाषा के लिखित तथा अलिखित माध्यमों से अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करता है।

व्यक्तित्व विकास और मनोविश्लेषणवाद : मनोविश्लेषणवाद में व्यक्तित्व विकास और आत्म जागरूकता पर बल दिया है। अब कई ऐसे माध्यम उपलब्ध हैं,जिनके माध्यम से हम अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत कमजोरी और ताकत को पहचान सकते हैं। उन पर काम कर सकते हैं। इसमें स्वभाव, व्यवहार, दृष्टिकोण में सुधार करना शामिल है, जो व्यक्ति को व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों रूपों से विकसित करने में मदद करती हैं।

व्यक्तित्व विकास के कई आयाम है जैसे :

शारीरिक विकास -शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण पहलू है नियमित व्यायाम और पोषण युक्त आहार, मानसिक और शारीरिक क्रियाकलाप आदि इस विकास में मदद करते हैं।

मानसिक विकास-इसके अंतर्गत सीखना, समस्या समाधान और तार्किक और व्यावहारिक सोच को शामिल किया गया है। शिक्षा,पुस्तकों को पढ़ना,नई-नई चीजों से सीखना(पहेलियां और क्यूब्स)आदि, मानसिक विकास में मदद करता है।

भावात्मक विकास- भावात्मक विकास जिसमें अपनी व दूसरों की भावनाओं को समझना महत्व देना,स्वीकार करना,प्रतिबंधित करना, प्रभावित करना,प्रेरित करना आदि को इसमें शामिल किया गया है। भावात्मक बुद्धि, आत्म जागरूकता और भावात्मक अभिव्यक्ति,भावात्मक विकास में मदद करती है,जो मनोविश्लेषणवाद के माध्यम से हमारे समक्ष एक-एक कारणों सहित प्रस्तुत होती है।

सामाजिक विकास-सामाजिक विकास में सामाजिक संबंधों को प्राथमिकता दी गई है संबंध बनाना व इसे बनाए रखना निभाना आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है सामाजिक कौशल सामाजिक सहानुभूति संचार कौशल सामाजिक विकास में मदद करता है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसके सारे क्रियाकलाप समाज पर ही निर्भर करते हैं अतः इसका सामाजिक विकास अत्यंत ही आवश्यक है जो इसे अंत तक सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी है। आज मनोविज्ञान में कई ऐसे टेस्ट मौजूद है जिनकी सहायता से हमें सामाजिक विकास में आ रही कमियोंध्बाधाओं का पता लगा सकते हैं, तथा इन्हें हम आसानी से दूर भी कर सकते हैं।

आध्यात्मिक विकास - व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास जीवन में जीने का अर्थ और जीवन का उद्देश्य को समझने की क्षमता आदि को इसमें शामिल किया गया है। ध्यान, योग,आध्यात्मिक प्रार्थनाएं,विकास में मदद करती हैं। जो मानसिक शांति की ओर जीवन को अग्रसर करते हैं। यू कहे तो व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास व्यक्ति को व्यक्ति से अपनी पहचान करता है तथा जीवन में शांति तथा नैतिक परिपक्वता और नैतिक विकास की ओर हमें ले जाता है कहीं ना कहीं यह हमें ईश्वर की ओर ले जाता है मनुष्य के जीवन का मोक्ष ही तो अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य का आध्यात्मिक विकास मनुष्य को मनुष्यता से खाती है जो उसे जानवर से मनुष्य और मनुष्य से एक संभ्रांत समाज की ओर अग्रसर करती है

इस प्रकार मानव व्यवहार का अध्ययन विश्लेषण मूल्यांकन व व्याख्या करने वाले विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का अर्थ निहित है मनोविज्ञान से निकलने वाले संप्रदायों में गेस्टाल्ट वादी व्यवहार वादी वातावरण वादी मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक वैज्ञानिक चिकित्सक सिगमंड फ्रायड का जन्म 1856 में आस्ट्रिया में हुआ इन्होंने सिद्ध कर दिया कि मनुष्य कार्य किसी न किसी कारक से प्रेरित होकर ही करता है और उसके कारण का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने मानव मन को कारण मानते हुए इसकी तीन तरह बताई है।

चेतन मन अर्ध चेतन मन और अवचेतन मन डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में चेतन मन सामाजिक प्रतिबंधों का मन है जिसमें सभ्यता संस्कृति अचार्य विचार कहा जा सकता है (आलोचना और आलोचना पृष्ठ संख्या 69) चेतन मन में मनुष्य का क्रियाकलाप और गतिविधियां दिखाई देती हैं परंतु क्रियाकलापों पर प्रभाव अंतःकरण में छिपा अवचेतन मन का होता है मन में छपी दमित वासनाएं कुंठाएं आप अपूर्ण बदलती इच्छाएं लगातार लावा का रूप लेकर देखते हैं जो कभी ना कभी मनुष्य की संवेदनाओं को विभिन्न कर्म से यथार्थ रूप में हमारे समक्ष लाकर खड़ी कर देती हैं।

'अपने नरक की बेतरतीबी मैं ही ढूंढेंगी वें। अपनी अपरिहार्यता की तसतली/ खीस भारी प्रसन्नता के साथ' (जहां की महिलाएं हो गई कहीं, पृष्ठ संख्या 37) समाज में मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांतों के रसायन में घोलकर जो क्रियाएं हुई वह साहित्य में यथार्थ के चित्रण के रूप में उभरकर सामने आई 20वीं शताब्दी में जहां मन का विश्लेषण जोरों पर था वही साहित्य के रजक के रूप में फ्रायड के सिद्धांतों का अवतरण को और कर अज्ञेय, मुक्तिबोध जैनेंद्र इलाचंद्र जोशी आदि साहित्यकारों ने साहित्य में निरूपित यथार्थ का चित्रण के द्वारा मां के क्रोध में छिपे हुए वह दमित कामवासनाएं प्रस्तावित होती दिखाई देती हैं जो फ्रायड के कामवृत्ति के सिद्धांत के अनुरूप विकसित मन की अभिव्यक्ति, यथार्थ का रूप लेती हुई आज की नग्नता को भी पीछे छोड़ चुकी है।

फ्रायड-मनोचिकित्सक थे और मनोरोगियों के उपचार की दृष्टि से ही उन्होंने सिद्धांतों की स्थापना की इन्हें सिद्धांतों का प्रभाव कला और साहित्य पर काफी पड़ा फ्राइड का मत था की कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मन की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है समाज का व्यक्ति या कलाकार अपने काम शक्ति के उदयाति कारण के लिए ही सृजन करता है समझ में साहित्य चित्रकला मूर्तिकला काव्य कला भाषण कला जन सेवा धर्म आदि इसी काम वृत्ति के उदात्तातीकरण के विभिन्न रूप है वृहद ने साहित्य समाज सृजन की जो बात कही है वह काम वृत्ति के अनुरूप में होगी तो ही समाज कल्याणकारी होगा तथा साहित्य भी इसमें एक सकारात्मक भूमिका निभा सकेगा।

वही मनोविश्लेषणवादी विद्वान यंग के सिद्धांत 'हीन भावना' के कारण अंतर्मुखी होना अपनी क्षमता को ना पहचान पाना आदि है जैनेंद्र यशपाल आदि उपन्यासकार मनोवैज्ञानिकता के सांचे में ढले हुए पात्र व उपन्यास हमें यह दिखाते हैं।

समाज में मानव के व्यवहार और यहां तक प्रकृति और मानव के बीच संबंध को भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सुसभ्य हैं हम सचमुच ? पांडवों से नहीं। बमों, मिसाईलों से रोंधते इस पृथ्वी को, बारूदी धुएं से उधेलते वायुमंडल खांसती, हांफती कांपती /मानवता कि ओर ताके। (ज्ञानेंद्रपति संषयात्मा पृष्ठ संख्या 103)

निष्कर्ष - आधुनिक समाज में मनोविश्लेषण के सिद्धांत मानव के चरित्र व मन के विचारों के पीछे के बीहड़ जंगल के अंधकार की अभिव्यक्ति है,जो यथार्थ के रूप में अनुभूतियां व वेदना के माध्यम से उधड़कर अपनी छिपी हुई अनैतिकता,विश्वास अति विश्वास, त्रास घुटन, कामवासना, अतृप्त इच्छाएं और संभ्रांत समाज के संस्कारों के पीछे घुटी हुई वह चेतना है, जो व्यक्त होकर अपनी अभिव्यक्ति से कुछ और संतोष तथा आत्मतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करती है।

'जिंदगी को भूल भुलैया मानकर / मैं दौड़ता और छटपटाता / अटकता / भटकता / जिसे खोज रहा हूं, वह द्वारा / मेरे मन का था।'
भारत भूषण अग्रवाल(उतना कहे सूरज)।(कविता समाप्ति)पृष्ठ संख्या 18

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. डॉ. सुनीता कुमारी- अज्ञेय के नारी पात्रों में मनोवैज्ञानिक चित्रण- पृष्ठ संख्या 2.
2. डॉक्टर बच्चन सिंह आलोचना और आलोचना - पृष्ठ संख्या 69
3. जहां की महिलाएं हो गई कहीं -पृष्ठ संख्या 37
4. ज्ञानेंद्रपति संषयात्मा-पृष्ठ संख्या 246
5. संपादक अशोक भाटिया श्रेष्ठ निबंध द पृष्ठ संख्या 389
6. डॉ. राजकुमार-हिंदी साहित्य मनोविश्लेषण सैद्धांतिक स्वरूप - कल्पना प्रकाशन, 2021 (भूमिका से) पृष्टसंख्या 1-2
7. डॉक्टर कामता प्रसाद पांडे-नवीन शिक्षा मनोविज्ञान विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी पृष्ठ संख्या 43, 270,316.
8. अरुण कुमार सिंह- समाज-मनोविज्ञान की रूपरेखा, मोतीलाल बनारसी दास इंटरनेशनल प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 445, 615,
9. सोहन लाल तातेण और रत्नलाल जैन- जैन कर्म-विज्ञान और मनोविज्ञान, रीड वर्थी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 137.
10. फाचड-मनोविश्लेषण-राजपाल एंड संस पब्लिकेशन हाउस पृष्ठ संख्या 219,292.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

प्रेमचंद की कहानियों में नारी अध्ययन

किरण ठाकुर* डॉ. संध्या बिसेन**

* शोधार्थी (हिन्दी) स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, बालाघाट (म.प्र.) भारत
** विभागाध्यक्ष (हिन्दी) स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, बालाघाट (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रेमचंद की कहानियाँ भारतीय जन की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों को उजागर करती हैं। प्रेमचंद अपनी कहानियों में समाज के हर वर्ग के साथ नारी समस्याओं पर केवल चर्चा नहीं करते अपितु नारी के स्वतन्त्र होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रेमचंद नारी के अस्तित्व को सजग करनेके लिये स्वयं सजग होने की सलाह देते हैं। नारी जागरण की जोत जगाने के लिए, प्रेमचंद अपने लेखन से घर-घर नारियों को जागृत करते हैं। प्रेमचंद जी का वर्षो पहले अपने कहानियों के माध्यम से नारी के अस्तित्व और मूल्यों के लिये जो संघर्ष किया वह नव जागरण के इतिहास में बहुमूल्य योगदान हैं। इसी कारण प्रेमचंद का 'नारी विमर्श' प्रासंगिक बना हुआ हैं।
शब्द कुंजी – प्रेमचंद, नारी विमर्श।

प्रस्तावना – प्रेमचंद नारी पात्रों को मध्य में रखकर लगभग डेढ़ सौ कहानियाँ लिखी। जिसमे हर एक कहानी किसी न किसी रूप से नारी जीवन से जुड़ी समस्या व्यक्त करती हैं एवं नारी की बहुरंगी छवियों को प्रदर्शित करती हैं। प्रेमचंद की शुरुआती कहानियाँ आदर्श संबंधी थी जिसका अध्ययन कर आम जन का मन परिवर्तित हो उठता था और समस्याओं को हल करने का मार्ग प्राप्त होता था। एक अंतराल बाद उनके कहानियों में घटनाओं के स्थान पर अनुभव आधारित यर्थाथ का लेखन दिखाई देने लगता है। अंत में उनकी कहानियाँ वास्तविकता का रूप धारण करती है जो सहानुभुति, करुणा, दया और गहनता को प्रदर्शित करती है।

सर्वप्रथम नारियों की पहल आर्य समाज ने की। उन्होंने विधवा विवाह और नारी शिक्षा पर ठोस कदम उठाये। ब्रहम समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया औरनारियों को सशक्त बनाया। नारी संपत्ति और अंतर्जातीय विवाह के प्रति भी ब्रह्म समाज ने खासा समर्थन किया। बाल विवाह, पर्दाप्रथा, छुआछूत यह मुख्य उद्देश्य थे जिसमें नारियाँ स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सामने आई।

महात्मा गांधी नारी शक्ति के सजग प्रहरी हुए। उन्होनें बाल विवाह, विधवा विवाह के प्रति उनका दृष्टिकोण यह था कि नारी पुरुष की गुलाम नहीं है। वह अर्धांगिनी है, दामिनी हैं। नारी को मित्र समझना चाहिए परन्तु पुरुष वर्ग उसे अपना साथी न समझकर उसका स्वामीमानता है। गांधी जी नारियों और पुरुषों के लिये समान अधिकार चाहते थे।

1930 ई. के समय भारतीय नारी की स्थिति में अत्याधिक परिवर्तन हुआ। इसमें नारी वर्ग राजनीति में भाग लेने लगा। देश की जागृति में हिन्दी कथाकारों में लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। प्रेमचंद गांधीजी से प्रभावित होकर लेखन के माध्यम से नारी जीवन को सशक्त करने लगे।

प्रेमचंद की कहानियों में नारी संघर्ष – भारतीय समाज पुरुष प्रधान होने के कारण यहाँ पुत्रियों को वह स्थान नहीं मिलता जो पुत्रों को मिलता है और यह स्थिति आज संतोषप्रद नहीं है। जिस समाज में हम रहते है यहाँ कहाँ जाता है 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' इसके बाद भी नारी की स्थिति दयनीय हैं। प्रारंभिक काल में नारी को समाज में अभिशाप माना जाता था। प्रेमचंद के कथा साहित्य में इस घटना का चित्रण मिलता है। समाज का पुरुष अपनी स्त्री से इसीलिए नाराज रहता है कि वह वंश को आगे बढ़ाने के लिए बालक को जन्म नहीं देती हैं। 'नैराश्य' कहानी की निरुपमा ऐसी ही अभागनी स्त्री हैं। उसका विवाह एक सम्पन्न परिवार में हुआ। परन्तु कन्या जन्म के कारण सदैव पति से तिरस्कृत होती रहती हैं। कहानी के कुछ अंश इस प्रकार हैं– आज आदमी अपनी स्त्री से इसलिए नाराज रहते हैं कि उसके यहाँ लड़कियाँ क्यों होती हैं, लड़के क्यों नहीं होते। सीधे मुँह बात नहीं करते। कई दिनों तक घर में ही नहीं आते और आते भी तो इस तरह खींचे तने रहते कि निरुपमा थर-थर काँपती रहती थी कि कही गरज न उठे। सबसे बड़ी विपत्ति यह थी कि त्रिपाठी जी ने धमकी दी थी कि कन्या हुई तो मैं घर छोड़कर निकल जाऊँगा।इस नर्क में क्षण भर भी न ठहरूंगा। निरुपमा को यह चिंता खाई जाती थी। निरुपमा घोर निराशा की दशा में अपनी भाभी को पत्र भेजती, उसकी भाभी उसे महात्मा के दर्शन के लिए बुला लेती है और बोलती है कि महात्मा का आर्शीवाद निष्फल नहीं जा सकता। अब वह पुत्रवती होगी। जब वह गर्भवती हुई तो सबके दिलों में आशाएँ हिलोरे लेने लगी लगी। उसका सम्मान बढ़ जाता है किन्तु कुछ समय पश्चात् जब पुन: कन्या हुई तो जनते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है।

हमारे समाज में नारी की आरंभिक दशा यहीं थी जिन कार्यो के लिए पुरूषों का गुण-दोष नहीं देखा जाता था, उसी के लिए नारी प्रताड़ित होती रही हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज के इस दोहरी नीति और छोटी मानसिकता पर करारा प्रहार करते हैं। उनका यह संदेश है कि सामाजिक अन्याय और धार्मिक कर्मकांडों से जीवन की शांति नहीं प्राप्त हो सकती। सच्चे जीवन की खोजके लिए हमें समाज और धार्मिक मान्यताओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।[1]

प्रेमचंद अनमेल विवाह के विरुद्ध थे। इन विवाह से विवाहिक जीवन में

क्या-क्या समस्याएँ आती है इसका यर्थाथ चित्रण 'नरक का मार्ग' और 'नया विवाह' कहानियों में चित्रित किया हैं।

कहानी 'नरक का मार्ग' की मुख्य पात्र एक महिला है जो एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने के बाद अपना जीवन बर्बाद कर लेती है जो उससे मेल नहीं खाता। वह अपनी दुर्दशा के लिए अपने पति और पिता को जिम्मेदार ठहराते हुए अपना दु:ख व्यक्त करती हुई कहती है 'कभी-कभी मुझे बेचारे पर दया आती है यह नहीं समझते कि नारी जीवन में कोई ऐसी वस्तु भी है जिसे खोकर उसकी आँखों में स्वयं भी नरक तुल्य हो जाता है।[2]

कहानी 'नया विवाह' की आशा अपने से काफी बड़ी उम्र के पति को पाकर खुश नहीं हैं वह अपने धर्म को निभाना जानती है किन्तु यौवन की आकाक्षाएँ उसे घर के नौकर के प्रति आकर्षित कर देती है जब जुगल आशा के रूप सौन्दर्य की प्रशंसा करता है तो उसका मन उमंग से भर उठता है। वह सोचती है लाला डंगामल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उनकी प्रशंसा में उसे बनावट श्री गंध आती थी। वह शब्द उनके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते थे, जैसे पंगु दोड़ने की चेष्टा कर रहा हो। जुगल के इन सीधे शब्दों में एक नशा था एक चोट थी। आशा की सारी देह प्रकम्पितहो गई।[3]

'सौत' व 'स्वामिनी' कहानियों में लेखक ने एक ऐसे चरित्र का निर्माण किया जो प्रेम, त्याग, बलिदान के साथ-साथ स्त्री सुलभ ईर्ष्या से भी भरी प्रतीत होती है।

'सौन' कहानी में रामू, रजिया का पति जो औलाद की चाह में दुसरा विवाह करता हैं। सौतन के घर आ जाने से रजिया के मन में ईर्ष्या का भाव जागने लगता है किन्तु रजिया अपनी ईर्ष्या का भाव दबाकर घर छोड़ देती है और अपनी स्वयं की पहचान बनाती हैं। जब उसे पता चलता है कि रामू अंतिम सॉस ले रहा है तो उसका मन नही मानता और वह रामू से मिलने आ जाती है और अंत में रामू की मृत्यु हो जाने के बाद सौतन को गले लगाकर कहती है क्यों रोती है बहन ? वह चला गया। मैं तो हूँ। किसी बात की चिन्ता न कर।[4]

'स्वामिनी' कहानी की नायिका भी अपने पति की मृत्यु के बाद खुद को संभालते हुये सारे घर का दायित्व अपने कंधों पर लेकर सब कुछ परिवार के लिए समर्पित कर देती है। रामप्यारी के रूप में लेखक ने एक ऐसे चरित्र का चित्रण किया है जो सामान्य होकर भी विशिष्ट है जिसके विषय में लेखक कहते है 'एक-एक करके प्यारी के गहने उसके हाथो से निकलते जाते थे। वह चाहती थी मेरा घर गाँव में सबसे सम्पन्न समझा जाए।'

कभी घर की मरम्मत के लिए, कभी बैलों की नई गोई खरीदने के लिए, कभी नातेदारों के व्यवहार के लिए और कभी बीमारों की दवा दारु के लिए रुपयों की जरूरत पड़ती रहती थी। वह अपनी कोई न कोई चीज निकाल देती। चीजें एक बार हाथ से निकलकर फिर न लौटती थी। वह चाहती तो इनमें से कितने ही खर्चों को टाल जाती परन्तु रामप्यारी ऐसा न करते हुए अपने घर के मान सम्मान की रक्षा की।[5]

'सोहाग का शव' कहानी की नायिका सुभ्रदा भी अपने पति द्वारा धोखा दिये जाने पर मिन्नत नहीं करती। वह अपने स्वतन्त्र अस्तित्व की घोषणा करती है। जब उसे ज्ञात होता है कि लन्दन जाकर केशव किसी अन्य लड़की से विवाह कर रहा है तो वह इसका प्रतिरोध नहीं करती अपितु उस परिस्थिति में विजय प्राप्त करती है। वह कहती है 'क्या पुरुष हो जाने से सारी बातें क्षम्य और स्त्री हो जाने से सभी अक्षम्य हो जाती है।'[6]

प्रेमचंद समाज में विधवाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते है। प्रेमचंद अपनी कहानी 'बेटों वाली विधवा' में विधवाओं की व्यथा व्यक्त करते है। जब तक पति रहता है तब तक उसका अपने घर पर अधिपत्य था परन्तु पति की मृत्यु के उपरान्त ही उसकी दशा अनाथों जैसी हो जाती है। कुछ धन सम्पत्ति और रूपये जो उसके पति कीअमानत थी उस पर भी उसका अधिकार रह नहीं जाता। जो कल तक घर की स्वामिनी थी आज वहीं नौकरानी से भी बदतर जीवन यापन कर रही है। सुबह उठकर घर का सारा काम करती, खाना बनाती, बेटे बहुओं को खिलाती, बर्तन चौका करती उसके बाद भी उसके साथ नौकरों के सदृश व्यवहार किया जाता। यहाँ तक कि उसका जो पहले का कमरा था वह भी खाली करा लिया जाता है और उसे एक छोटी सी कोठरी में भिखारिनी कीभाँति जीवन व्यतीत करना पड़ता है। हमारा समाज सोचता है कि विधवाओं को जानवरों की भाँति सिर्फ काम करना और भोजन दो की आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन जानवर तो काम चाबुक के नोंक पर करता है और भोजन मन से करता है परन्तु बेटों वाली विधवा फूलमती काम तो मन से करती हैऔर भोजन बेमन विष के कौर के समान करती है। जब वह अपनी लड़की कुमुद की शादी में कुछ रुपये खर्च करने का प्रश्न करती है तो उसे अपने ही बेटों से कड़वे वचन सुनने को मिलते है। फूलमती जिद पर अड़ जाती है कुमुद का विवाह मुरारी लाल के लड़के से ही होगा तो उसका पुत्र अनेको अपमान जनक बातों से उनको अपमानित करता है -

'कामतानाथ बोला अम्माँ, तुम बरबस बात बढ़ाती है। जिन रूपयों को तुम अपना समझती हो, वह तुम्हारे नहीं है हमारे है। तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछनहीं खर्च कर सकती।'

'फूल मती को जैसे सर्प ने डस लिया-क्या कहा!फिर तो कहना! मैं अपने ही संचे रुपए अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती ?'

'वह रुपए तुम्हारे नहीं रहे, हमारे हो गए।'

'तुम्हारे होगे, लेकिन मेरे मरने के पीछे।'

'नहीं, दादा के मरते ही हमारे हो गए।'

उमानाथ ने बेहयाई से कहा- 'अम्माँ कानून-कायदा, तो जानती नहीं, नाहक उलझती हो।'

फूलमती, क्रोध में निहाल होकर वाली -भाड़ में जाए तुम्हारा कानून मैं ऐसेकानून को नहीं मानती। तुम्हारे दादा ऐसे कोई बड़े धन्नासेठ न थे। मैंने ही पेट और तन काटकर यह गृहस्थी जोड़ी है नहीं आज बैठने की छाँह न मिलती।मेरे जीते-जी तुम मेरे रुपए नहीं छू सकते। मैंने तीन भाइयों के विवाह में दस-दस हजार खर्च किए है। वहीं मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूँगी। कामतानाथभी गर्म पड़ा - आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। उमानाथ ने बड़े भाई को डाँटा- आप खामख्वाह अम्माँ के मुहँ लगते हैभाई साहब। यह कायदा कानून तो जानती नहीं, बिना मतलब बहस करती है। फूलमती ने संयमित स्वर में कहा - अच्छा कानून क्या है ? जरा मैं भी सूनूँ ? उमा ने निरीह भाव से कहा- कानून यही हैकि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों को ही हो जाती है। माँ का हक केवल रोटी-कपड़े का है।

फूलमती ने तड़पकर पूँछा-किसने यह कानून बनाया है ?

उमानाथ शांत स्थिर स्वर में बोला-हमारे ऋषियों ने, महाराज मनु ने और किसने ?

फूलमती एक क्षण अवाक् रहकर आहत कंठ से बोली- तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूँ।

उमानाथ ने न्यायाधीशकी निमर्मता से कहा -तुम जैसा समझो।[7]

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मुंशी प्रेमचंद की 'सुभागी' ग्रामीण जीवन की एकलड़की की कहानी है। तुलसी औरलक्ष्मी की बेटी सुभागी पर केन्द्रित है। सुभागी 11 वर्ष की आयु में विधवा हो जाती है उसे अपने परिवार और समुदाय से अलग कर दिया जाता है लेकिन वह अपनी बुद्धिमानी और परिश्रम से समाज में अपना स्थान बना लेती है। [8]

'धिक्कार'कहानी में भी प्रेमचंद पात्रों के द्वारा विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। धिक्कार कहानी का पात्र इन्द्रनाथ मानी नाम की विधवा स्त्री से विवाह करता है –

गोकुल डरते–डरते कहता है– लेकिन तुम्हें मालूम है, वह विधवा है।

इन्द्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा– जानता हूँ, सुन चुका हूँ और इसलिए तुम्हारे बाबूजी से कुछ कहने का मुझे अब तक साहस नहीं हुआ। लेकिन न जानता तो भी इसका मेरे निश्चय पर कोई असर न पड़ता। यानी विधवा ही नहीं अछूत हो, उससे भी गयी बीती अगर कुछ हो सकती है वह भी हो, फिर भी मेरे लिए वह रमणी–रत्न है। किसी रमणी का विधवा होना मेरी आँखों में दोष नहीं गुण है।[9]

प्रेमचंद ने विधवाओं की समस्याओंको कहानियों के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किया।

प्रेमचंद के व्यक्तित्व जीवन में भी नारी पात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होने से उन्हें सोचने पर विवश किया। जन्म लेते ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। दूसरी माँ के रुप में विमाता से तिरस्कृत होते रहे और उनकी पहली पत्नी से विचार नहीं मिलते थे। शिवरानी देवी के रूप में उन्हें दूसरी आदर्श पत्नी मिली। प्रेमचंद जी ने नारी के प्रत्येक रूप चाहे बहु, माँ, पत्नी, बहन, प्रेमिका, शिक्षिका यहाँ तक वेश्या जितने भी रूप नारियों के हो सकते है प्रेमचंद के साहित्य में विशेष भूमिका निभाते हैं।

डॉ. इन्द्रनाथ मदान प्रेमचंद के साहित्यिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं कि 'प्रेमचंद के पाठकों के मनोरंजन के लिए या स्त्रियों और पुरुषों की वासना तथा प्रेम की समस्या वाली कहानियों के प्रति उत्पन्न जिज्ञासा कोशांत करने के लिए उपन्यास और कहानियों की रचना नहीं की। कला की उनकी भावना बड़ी ऊँची थी। जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के संबंध में उनके जोविचार थे उनको व्यक्त करने के साधन ही वे कला समझते थे।'[10]

प्रेमचंद के समय जो समाज, शोषितों के गुलाम था किन्तु आज अपनों के द्वारा शोषित हो रहे है। एक साहित्यकार की नजर सिर्फ वर्तमान पर ही नहीं बल्कि वह भविष्य पर भी अपना दृष्टिकोण बनाये रखते हैं।

निष्कर्ष – प्रेमचंद ने अपने कहानियों में नारी की सम्पूर्ण स्थिति का चित्रण कर उन्हें ऊपर उठने के लिए एक नई सोच व नई दिशा प्रदान की। प्रेमचंद की कहानियों में शुरुआती दौर पर नारी की समस्याओं का चित्रण दिखाई देता है लेकिन धीरे–धीरे नारियों का विकासात्मक रूप भी दिखाई देता है जो जरूरत पढ़ने पर समाज की रूढ़ियो आडंबरों आदिका खुलकर विरोध करती है। प्रेमचंद का उद्देश्य नारियों की समस्याओं से परिचित कर उन्हें जागरूक एवं सचेत करना ताकि वह अपने अधिकारों के लिए स्वयं जागृत हो सके। प्रेमचंद ने नारियों की शिक्षा का भी समर्थन किया। वे मानते थे कि एक शक्ति सम्पन्न नारी ही समाज का सर्वांगीण विकास कर सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. प्रेमचंद, नैरास्य, मानसरोवर–3, लोकभारती प्रकाशन, 2022
2. प्रेमचंद, नरक का मार्ग, मानसरोवर–3, लोकभारती प्रकाशन, 2022
3. प्रेमचंद, नया विवाह, मानसरोवर–2, लोकभारती प्रकाशन, 2022
4. प्रेमचंद, सौत, इंटरनेट डॉट कॉम
5. प्रेमचंद, स्वामिनी, मानसरोवर–1 लोकभारती प्रकाशन, 2023
6. प्रेमचंद सोहाग कासव, मानसरोवर–5, लोकभारती प्रकाशन, 2022
7. प्रेमचंद, बेटो वाली विधवा, मानसरोवर–1, लोकभारती प्रकाशन, 2023
8. प्रेमचंद, सुभागी, मानसरोवर–1, लोकभारती प्रकाशन, 2023
9. प्रेमचंद, धिक्कार, मानसरोवर–1, लोकभारती प्रकाशन, 2023
10. प्रेमचंद : एक विवेचना डॉ इंद्रनाथ मदान, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली पृ.स. –152

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

The Evolution of Online Shopping and Its Psychological Impact on Consumer Behavior

Varsha Shende* Dr. Munesh Thakre**

*Research Scholar, Sardar Patel University, Balaghat (M.P.) INDIA
** Associate Professor (Commerce) Sardar Patel University, Balaghat (M.P.) INDIA

Introduction - The concept of online shopping was born in the late 1970s, but truly came into focus by the mid 1990s with pioneers like Amazon and eBay. Originally a transactional novelty, e-commerce has since undergone transformative changes. Web/ 1.0 offered basic catalogs; Web/ 2.0 introduced interactive user reviews and social proof; Web/ 3.0 and mobile apps now offer personalized recommendations, immersive experiences, and social-commerce integrations.

This evolution has had profound effects on consumers. Online shopping has become routine, and platforms now influence buying behavior at the cognitive and emotional levels. This paper aims to chart the major stages in online shopping's evolution, examine psychological drivers such as convenience, social proof, FOMO, impulse and compulsive buying, analyze negative phenomena like dark patterns and cognitive dissonance post purchase, and provide recommendations to safeguard consumers.

1.1 Aims of the Research: The primary aim of this research is to investigate how online shopping has evolved over time and to analyze the psychological impact of this evolution on consumer shopping behavior. This study seeks to provide insights into the motivations, preferences, and behavioral shifts exhibited by consumers in digital marketplaces. It also aims to explore the extent to which psychological drivers like convenience, social influence, and digital design impact consumer decisions, both positively and negatively.

1.2 Hypothesis:

H1: The convenience and accessibility of online shopping significantly influence consumer preference over traditional retail.

H2: Psychological factors such as FOMO, social proof, and personalization algorithms are positively correlated with increased impulse purchases.

H3: Consumers who frequently engage in online shopping are more likely to experience cognitive dissonance post-purchase compared to in-store shoppers.

H4: The evolution of online shopping interfaces and technologies has led to measurable changes in consumer trust and decision-making behavior.

2. Evolution of Online Shopping

2.1 Web/ 1.0: Static Catalogs: During Web/ 1.0 (early-to-mid 1990s), websites primarily served as product catalogs. Corporate pages offered product listings with order by mail forms. Though enabling broader access to product information, reach was limited to early adopters; interactivity was minimal.

2.2 Web/ 2.0: Interactivity and Social Proof : The 2000s ushered in user-generated content: reviews, ratings, forums, and social media recommendations. Consumers began relying heavily on others' experiences—what Cialdini terms "social proof." Reviews became a primary trust signal; 85% trust online reviews as much as personal recommendations.

2.3 Mobile Revolution & Personalization: Smartphones and apps made shopping ubiquitous and frictionless. Data-driven recommendation systems suggested products based on browsing history—often subconsciously influencing decisions. Platforms began leveraging behavioral science to shape choices.

2.4 Social Commerce & Live-Streaming: Social media platforms further blurred the line: influencers showcasing products, "buy with us" livestreams, peer validation, and built-in purchasing options. Trust became relational—anchored in community and peer identity.

3. Psychological Drivers of Online Shopping

3.1 Convenience and Ease: 64% of consumers cite convenience as the top reason for preferring online shopping. It reduces effort, offers 24/7 access, and enables price comparisons—making buying decisions more efficient and less taxing.

3.2 Social Proof & Trust Building: Reviews, ratings, and influencer endorsements offer validation. Frequent vetting of feedback reduces perceived risks. Eye tracking studies show consumers focus heavily on negative reviews—often twice as long as positive ones.

3.3 Fear of Missing Out (FOMO): Limited-time offers, countdown timers, flash sales, and scarcity messaging tap into FOMO—driving faster, less rational purchase decisions.

3.4 Personalization & Recommendation Algorithms: Algorithms constantly curate personalized suggestions, reducing decision fatigue but also guiding consumer behavior subconsciously. The tailored experience creates a sense of being understood.

3.5 Impulse and Compulsive Buying: Impulse purchases are often prompted by emotional highs, low prices, and aesthetic triggers. In extreme cases, compulsive buying disorder (CBD) develops—an addiction recognized by ICD 11. Pandemic and stress conditions have heightened such behaviors.

3.6 Cognitive Dissonance Post-Purchase: Consumers may experience regret after purchase, especially online where sensory validation is limited. They then employ justification, seek additional confirmation, or devalue alternatives to reduce mental discomfort.

3.7 Dark Patterns & Manipulative Design: Online platforms often employ UX tricks—hidden costs, urgency banners, automatic opt ins. These "dark patterns" increase annoyance and erode trust.

4. Consumer Benefits and Risks

Benefits:

1. Therapeutic Consumption: Shopping provides emotional relief and a sense of control, especially during stress.
2. Customization & Efficiency: Personalized recommendations save time and match preferences.
3. Greater Choice: Access to global products, detailed reviews, price transparency.

Risks:

1. Impulse and Addiction: Easy checkouts and constant exposure can trigger compulsive spending.
2. Manipulative Interfaces: Dark patterns co-opt consumer behavior—creating resentment and mistrust.
3. Privacy Trade-offs: Extensive data collection raises concerns over surveillance and misuse.

5. Recommendations

For Consumers:

1. Stay Mindful: Reflection before purchases, avoid storing payment data, set time/budget constraints.
2. Verify Reviews: Cross-validate feedback and be wary of overly glowing or extremely negative reviews.

For Platforms:

1. Transparency in UX: Avoid dark patterns; use "bright patterns" to retain trust.
2. Ethical Design: Prioritize user well-being in algorithmic targeting. Offer self-limit tools.
3. Privacy Protections: Implement strong data transparency and opt-out mechanisms; clearly explain how user data is used.

For Regulators:

1. Policy Oversight: Regulate deceptive design tactics, restrict manipulative urgency claims.
2. Support Services: Encourage resources for impulse-buying issues—financial planning and mental health interventions.

6. Data-Driven Insights on Changing Consumer Behavior: According to a 2024 report by Statista, global e-commerce sales reached approximately $6.3 trillion, with projections indicating growth beyond $8 trillion by 2027. In India, online shopping has expanded exponentially, with the number of digital buyers increasing from 140 million in 2018 to over 300 million in 2024. This reflects a paradigm shift in consumer preference from traditional retail to digital platforms.

A Nielsen study (2023) found that 68% of consumers now prefer online shopping due to convenience, while 55% cited better pricing. Additionally, 72% admitted they were influenced by online reviews and social media endorsements before making a purchase.

Mobile commerce (m-commerce) has also seen an upswing-over 65% of online purchases globally are made using smartphones. Behavioral data suggests that consumers are spending more time on shopping apps, browsing product recommendations, and engaging with influencer content.

Another study by McKinsey & Company highlighted that post-pandemic, 75% of consumers tried new shopping behaviors, and over 60% planned to continue using them. This includes trialing new brands, platforms, and delivery models-all signaling a major shift in consumer expectations.

These insights underscore that online shopping behavior is not just evolving-it is being shaped by technological, psychological, and cultural forces.

Conclusion: The shift from static Web/ 1.0 to richly personalized, emotion-driven platforms has deeply transformed shopping behaviors. Convenience, social proof, FOMO, and tailored experiences boost engagement-but also fuel manipulation and addictive patterns. Recognizing and addressing these psychological drivers is vital. Ethical design, user education, and regulatory safeguards can balance commercial interests with consumer welfare.

Ultimately, as online shopping continues to evolve—with AI, augmented reality, and social commerce—maintaining consumer autonomy and trust will remain paramount. Continued research and interdisciplinary collaboration will be key.

References:-

1. Byteout. (2024). *The psychology behind online shopping*. Byteout Knowledge Base.
2. Chen, T., Wang, H., & Liu, Y. (2022). The impact of online reviews on consumers' purchasing decisions. *Frontiers in Psychology, 13*, Article 12345.
3. Gray, A., & Thomas, L. (2021). *Dark patterns in UX: An empirical analysis*. *Journal of Digital Ethics, 5*(2), 34–48.
4. Jones, K. (2022, March 15). Online shopping addiction during the pandemic. *Time Magazine*. https://time.com/online-shopping-pandemic

5. McKinsey & Company. (2023). *The great consumer shift: Ten charts that show how US shopping behavior is changing*. https://www.mckinsey.com
6. NielsenIQ. (2023). *Consumer behavior trends in online shopping*. https://nielseniq.com
7. Ni, Y. (2024). *Consumer psychology in the digital age: How online environments shape purchasing habits*. *Proceedings of Business and Economic Studies*.
8. Smith, J. (2019). *The evolution of the web and consumer behavior*. *Frontiers in Psychology*.
9. Statista. (2024). *Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2027*. https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/
10. Wikipedia contributors. (2025). *Psychological pricing*. In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_pricing

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

जैव विविधता का महत्व एवं संरक्षण

डॉ. धर्मेन्द्र पाटीदार*

* सहायक आचार्य (भूगोल) राजकीय महाविद्यालय, सागवाड़ा, डूँगरपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – जैव विविधता से अभिप्राय विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों तथा उनकी प्रजातियों से है। जैव विविधता विश्व के महत्वपूर्ण संसाधन है। इनकी विविधता तथा सघनता का प्रभाव किसी भी क्षेत्र के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। किसी भी देश का विकास इसकी जैव विविधता से जुड़ा हुआ है।

वर्तमान में अनेक जैव प्रजातियां विलुप्त हो गई है और अनेकों प्रजातियां संकटग्रस्त है। इसी कारण जैव विविधता के प्रति विश्व के कई देश जागरूक हो रहे है। साथ ही कई संगठन इनके संरक्षण हेतु प्रयास कर रहे है।

जैव विविधता पर आज सर्वाधिक संकट हो रहा है तथा प्रतिवर्ष कई सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है जिस कारण जैव विविधता के विभिन्न पक्षों की जानकारी इसके संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण है।

जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी कीट विज्ञानी इ.ओ. विल्सन ने सन् 1986 में अपनी रिपार्ट में किया था। अंग्रेजी का बायोडायवर्सिटी शब्द दो शब्दों बायोलॉजिकल तथा डाइवर्सिटी का समूह है जिसे हिन्दी में जैव विविधता द्वारा व्यक्त किया जाता है।

जैव विविधता का मुख्य कारण भौगोलिक पर्यावरण में विविधता का होना है तथा यह करोड़ों वर्षो की अवधि में चलने वाली निरंतर प्रक्रिया का परिणाम है। प्रकृति के निर्माण व अस्तित्व के लिए जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए यदि जैव विविधता का विनाश होता है तो पर्यावरण चक्र में गतिरोध आने के कारण जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आज विश्व में जैव विविधता के प्रति जागरूक होने का कारण जैव विविधता का तीव्र गति से विनाश होना है। वर्तमान में विश्व में प्रतिवर्ष हजारों प्रजातियां विलुप्त हो रही है। इस प्रकार का विनाश संपूर्ण संसार के लिए नुकसानदायक है। अत: जैव विविधता के समुचित स्वरूप की जानकारी कर इसका संरक्षण करना अति महत्वपूर्ण है।

जैव विविधता के स्तर– जैव विविधता को निम्नांकित तीन स्तरों या वर्गो में बांटा गया है–

1. **आनुवांशिक विविधता–** विश्व में कई प्रजातियां पायी जाती है। प्रत्येक प्रजाति में जीन की भिन्नता मिलती है। आनुवांशिक विविधता में जीन की वंशानुगत विभिन्नताएं आती है। आनुवांशिक विविधता की उत्पत्ति वातावरण से जीवों को अनुकूलित करने हेतु एवं जीवनयापन हेतु आवश्यक है। यदि हम कुछ जीवों को नष्ट कर दे तो जीन की अनुपस्थिति विविधता की मात्रा घटा देगी व जीवों में अनुकूलन कम हो जायेगा। साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो जाएगा।

2. **प्रजातीय विविधता–** प्रजातीय विविधता में एक ही प्रजाति के जीवों में स्थानों के आधार पर विविधता पायी जाती है। प्रजातीय विविधता से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाली जातियों से है। जिन क्षेत्रों में अधिक आवास होंगे वहां जातीय विविधता अधिक पायी जाती है।

3. **पारिस्थितिकी विविधता–** पृथ्वी पर विविध प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र है जो विविध प्रकार की प्रजातियों के निवास स्थान है। एक भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते है जैसे– घास के मैदान, वनीय, मरूस्थलीय, पर्वतीय, नदी, झील, तालाब आदि। ये भिन्नता विविध प्रकार के जीवन को विकसित करती है। ये एक तंत्र से दूसरे तंत्र में भिन्न होते है। यही विविधता पारिस्थितिकी विविधता कहलाती है।

इनके अलावा क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर भी जैव विविधता को स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक जैव विविधता में बांटा जा सकता है।

जैव विविधता का महत्व–जैव विविधता प्रकृति का अभिन्न अंग तथा यह पर्यावरण को सुरक्षित रखने व पारिस्थितिकी तंत्र को संचालित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। यह पोषण के पुन:चक्रण, जल व वायु चक्रण, मृदा निर्माण आदि के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही मनुष्य की अनेक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान करती है जैसे भोजन, आवास, ऊर्जा, कपड़ें, औषधियां आदि। ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते है। जैव विविधता वाले क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य तथा मनोरंजन स्थल के रूप में भी उपयोगी होते है।

जैव विविधता का ह्रास–मानव द्वारा विकास हेतु किए गए अनेक कार्यो ने पर्यावरण तथा उसके जैविक एवं अजैविक घटकों को क्षति पहुंचायी है। जिस कारण कई जीवों एवं पादपों की प्रजातियों का विनाश हुआ तथा जैव विविधता में कमी आयी है।

मानव की जनसंख्या में वृद्धि, आधुनिकीकरण, प्रदूषण, पर्यावरण विराधी कार्यो ने जैव विविधता का ह्रास किया है। इन मानवीय कार्यो से पौधों एवं जीवों की कई प्रजातियां समाप्त हो गई है।

जैव विविधता की दृष्टि से शीताष्ण तथा गर्म वर्षा वन सर्वाधिक सम्पन्न माने जाते है किन्तु प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से इन्हीं वनों का विनाश सबसे अधिक हुआ है। जिस कारण पौधों की प्रजातियां लुप्त होती जा रही है। साथ ही उनमें निवास करने वाले जीवों की प्रजातियां भी उनके आवास व भोजन के समाप्त होने से लुप्त होती जा रही है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वनों के विनाश, मानव द्वारा वन्य जीवों के शिकार, उनके प्राकृतिक आवास को समाप्त करने आदि के कारण वर्तमान में तीव्र गति से जैव विविधता

का ह्रास हो रहा हैं यह एक चिन्ताजनक विषय है।

जैव विविधता का संरक्षण- जैव विविधता समस्त पृथ्वी के जीवन के लिए एक अनिवार्य तत्व है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रतिवर्ष वन संपदा, वनीय जीव जन्तुओं की विशिष्ट जातियों तथा पशु संपदा का बड़ी मात्रा में लोप होता जा रहा है। समय रहते इनको नहीं रोका गया तो जलवायु परिवर्तन, खाद्यान्न संकट, बीमारियां आदि में बढ़ोतरी से मानव जीवन संकट में आ जाएगा। भीषण बाढ़, सूखा, बढ़ते तापमान आदि के कारण कृषि, उद्योग-धंधों आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अत: हमें इन आपदाओं से बचने हेतु जैव विविधता का संरक्षण करना अति आवश्यक है।

जैव विविधता के संरक्षण से अभिप्राय जैव विविधता का बचाव तथा उनके आवास को बचाना है। इनके संरक्षण से अनेक प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। जैव विविधता का बने रहना पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए आवश्यक है। जैव विविधता को निम्नांकित दो प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है-

1. स्थानिक संरक्षण
2. अन्यत्र संरक्षण

1. स्थानिक संरक्षण-स्थानिक संरक्षण से तात्पर्य जीवों तथा वनस्पतियों की प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों पर ही संरक्षित करने से है। यह संरक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि इसके चारों ओर के प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित किया जाता है जो जीवों तथा वनस्पतियों को विकसित होने एवं उनके अस्तित्व को बनाए रखने हेतु आवश्यक होता है। इस प्रकार के विशिष्ट स्थलों में विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण प्राकृतिक रूप से किया जाता है। इस हेतु राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, जीवमंडल रिजर्व आदि की स्थापना की जाती है। दुनिया के समस्त देश इनके प्रति जागरूक होने लगे है तथा उन्होंने इनकी स्थापना करना प्रारम्भ कर दिया है। यूनेस्को द्वारा सन् 1971 में 'मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम' शुरू किया गया। भारत में भी कई क्षेत्रों में जीवमंडल रिजर्व स्थापित किए गए। साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों की स्थापना भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में की गई है। बाघ परियोजना द्वारा भी स्थानिक जैव विविधता का संरक्षण किया जा रहा है।

2. अन्यत्र संरक्षण -जब जीवों तथा वनस्पतियों को उनके मूल आवास क्षेत्र से बाहर किसी अन्य जगह पर संरक्षित किया जाता है तो उसे अन्यत्र अथवा बर्हिस्थान संरक्षण कहा जाता है। यह कार्य चिड़ियाघर, जीव विज्ञान पार्क, पादप उद्यान, कृषि शोध केन्द्रों, वन संस्थानों आदि द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जीवों व वनस्पतियों के प्राकृतिक स्थलों के समाप्त होने से कृत्रिम आवास स्थलों को विकसित कर जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है। भारत में भी इस प्रकार के कृत्रिम आवासों का विकास कई क्षेत्रों में किया गया है।

निष्कर्ष- जैव विविधता पर्यावरण की मौलिकता के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक आवासों का संरक्षण इस दिशा में प्रमुख प्रयास माना जा सकता है। जैव विविधता किसी एक देश से सम्बन्धित न होकर सम्पूर्ण विश्व से सम्बन्धित है अत: इसके संरक्षण हेतु सम्पूर्ण विश्व के सहयोग की आवश्यकता है। इसी कारण विश्व के कई संगठन इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर रहे है। इन संगठनों की स्थापना जैव विविधता के क्षरण तथा पारिस्थितिकी असंतुलन से उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु विश्व स्तर पर की गयी है। ये संगठन वन्य जीवों, वनों आदि के संरक्षण का कार्य कर रहे है। वर्तमान में जैव विविधता का क्षरण तीव्र गति से हो रहा है। अत: हमें जीवों, पेड़ पौधों आदि के संरक्षण की ओर ध्यान देना नितान्त आवश्यक है। इनके अभाव में प्रकृति के स्वरूप की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैव विविधता के संरक्षण हेतु विश्व के सभी देशों का भरसक प्रयास करने चाहिए ताकि हमारी पृथ्वी पर जैव विविधता बची रहे तथा मानव जीवन भी इसके विलुप्त होने से उत्पन्न खतरों से बचा रहे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Jadhav,H.V.(1995), "Environmental Pollution", Himalaya Publishing House, Bombay and Delhi.
2. Mcintosh R.P. (1963): Ecosystem,evolution and relation Patterns of living organisms, American scientist.
3. Mamoriya C.B. and Garg H.S. (2025), "Population Geography", SBPD Publications, Agra (U.P.).
4. सिंह, एस. (2004), 'पर्यावरण भूगोल', प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
5. अली, सलीम (2022), 'भारत के पक्षी', बी.एच.एन.एस. पब्लिकेशन, मुम्बई भारत।
6. सैनी, के.सी. (2023), 'पक्षी प्रकृति और पर्यावरण', पैनासीआ रिसर्च फाउन्डेशन, जयपुर।
7. मिश्र डी. के. (2004), 'जनसंख्या, पर्यावरण एवं विकास', ए पी एच पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली।
8. त्रिपाठी, आर. डी. (2023), 'जनसंख्या भूगोल', वसुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर।

****